लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30 Oct-2007

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी. के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे. पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

एस. एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)

अंक 12, शुक्रवार, 3 मार्च, 2006/12 फाल्गुन, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	182 से 184	5-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर		31-260
तारांकित प्रश्न संख्या	185 से 201	31-82
अतारांकित प्रश्न संख्या	1406 से 1540	82-260
सभा पटल पर रखे गए पत्र		261-264
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
विवरण		265
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
नौवां प्रतिवेदन		265
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम लागू करना		
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह		265-266
सभा का कार्य		266-269
सदस्यों द्वारा निवेदन		
(एक)	हाल ही के भारत–अमेरिका नाभिकीय समझौते के बारे में	270-278
(दो)	देश में ईसाइयों पर हो रहे कथित हमले के बारे में	289-291
रेल बजट 2006-2007–सामान्य चर्चा		
लेखानुदानों की मांग (रेल) 2006-2007		
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2005-2006		
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 2003-2004		294-322
श्री बसुदेव आचार्य		294-297
श्री मोहन रावले		297-298
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा		298

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री रामदास आठवले	298-300
प्रो. एस. पी. सिंह बघेल	300-302
श्री पी. राजेन्द्रन	302
श्री लालू प्रसाद	302-318
सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित	
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2006	323-324
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लालू प्रसाद	323
खंड 2, 3 और 1	324
पारित करने के लिए प्रस्ताव	324
विनियोग (रेल) विधेयक, 2006	325-326
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लालू प्रसाद	325
खंड 2, 3 और 1	326
पारित करने के लिए प्रस्ताव	326
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2006	326-328
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री लालू प्रसाद	326-327
खंड 2, 3 और 1	328
पारित करने के लिए प्रस्ताव	328
चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	328-330
लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	330-332
कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन	332-334

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	335
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–पुरःस्थापित	
(एक) वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2005 (नई धारा 3ग का अंतःस्थापन)	335-336
श्री हंसराज जी. अहीर	
(दो) विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2005	336
श्री हंसराज जी. अहीर	
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 253 का संशोधन)	354-355
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (अनुच्छेद 148 का संशोधन)	355
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–विचाराधीन	337-354
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004	
(नए अनुच्छेद 45क का अंतःस्थापन)	355-370
श्री भर्तृहरि महताब	337-344
श्री प्रो. एम. रामदास	344-354
डा. करण सिंह यादव	355-360
डा. के. एस. मनोज	360-362
श्रीमती कृष्णा तीरथ	362-366
श्री सुग्रीव सिंह	366-368
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	368-370
अनुबंध-I	373-378
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	373-374
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	374-378

विषय	कॉलम
अनुबंध-II	379-380
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	379-380
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	379-380

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 3 मार्च, 2006/12 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जीरो आवर में मैटर उठाने के लिए नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* कल राष्ट्र का अपमान हुआ है, राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे को बाद में लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैंने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, राजघाट पर हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि में कुत्ता घुमाने का काम किया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जीरो आवर में आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट पर चर्चा हो चुकी है। आप जो बोलना चाहते हैं मंत्री जी के रिप्लाई के बाद बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको शून्य काल में समय दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जीरो आवर में एलाऊ करेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रेल बजट पर बहस हो चुकी है। जब मंत्री जी रिप्लाई देंगे, उस वक्त देखेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं 'शून्य काल' में आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप समाचार पत्र मत दिखाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप सब अपनी–अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय डा. सत्यनारायण जटिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी की समाधि को जार्ज बुश के कुत्तों द्वारा सूंघाया गया। यह हम लोगों के लिए अपमान की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप सब अपनी–अपनी सीट पर जाइए। मैं जीरो आवर में आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी की समाधि पर कुत्तों को भेजा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में इस विषय को उठाइए।

[अनुवाद]

मैं आपको शून्य काल के दौरान बोलने का समय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस पर जवाब दे।...*(व्यवधान)* सरकार पूरे देश से इस बारे में माफी मांगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी की समाधि पर बुश के कुत्तों को सूंघने के लिए भेजा गया। यह शर्मनाक घटना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को जीरो आवर में उठाइए। उस समय मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिए कि जीरो आवर में इस मुद्दे को उठाएं। सरकार ने इनकी बात को सुना है। अभी आप क्वैश्चन आवर चलने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : गांधी जी की समाधि को कुत्तों द्वारा सूंघाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में इस मुद्दे को उठाइए। मिनिस्टर साहब आपकी बात सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री विजय कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें जीरो आवर में बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी : राम कृपाल जी, आप अपनी बात जीरो आवर में उठाइए।...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में रेलों के विकास की योजनाएं बंद हैं। उनके विकास के लिए रेल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है। वैसे भी आपने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

श्री विजय कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही निंदनीय घटना है।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस संबंध में जवाब दे। सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए।... *(व्यवधान)* राजघाट पर लोग सम्मान से सिर झुकाते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय,

जुल्म जब–जब बढ़ते हैं, सब्र के दरिया में तूफान आता है,
लहरें मचल उठती हैं, किनारे टूट जाते हैं।

हम किनारे तोड़ना नहीं चाहते, किन्तु सरकार ने मर्यादा तोड़ी है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट में कुछ नहीं दिया है इसलिए हमने आपसे कहा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.00 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के. एस. राव प्रश्न संख्या 182।

'नैनो चिप्स' का उत्पादन

182. श्री के. एस. राव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले किस स्तर के हार्डवेयर का उत्पादन किया जाता है;

(ख) 'नैनोमीटर' आकार के 'चिप्स' के विकास का भविष्य क्या है;

(ग) 'सेमी–कन्डक्टर चिप्स' के उत्पादन में विश्व में भारत का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उद्योग में अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 'नैनो चिप्स' के विकास तथा निर्माण/उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कम्प्यूटर में प्रयुक्त हार्डवेयर में मुख्यतः माइक्रोप्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेज, मदरबोर्ड, एड–आज कार्ड्स, चैसिस, एस.एम.पी. एस. (विद्युत आपूर्ति), मानिटर, की–बोर्ड, माउस आदि शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (एम.ए.आई.टी.) के अनुसार स्थानीय–सोर्सिंग की धनराशि पर आधारित वर्तमान स्थानीय मूल्य वर्धन लगभग 10–15 प्रतिशत है।

(ख) नैनोमीटर प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इंटेल पहले ही 65 नैनोमीटर प्रौद्योगिकी पर आधारित माइक्रोप्रोसेसर्स का प्रेषण कर रहा है और हाल ही में उसने अपनी 45 नैनोमीटर प्रोसेस के प्रारंभिक विवरणों का उल्लेख किया है।

(ग) सेमी–कंडक्टर–चिप्स के विश्व–उत्पादन में भारत का हिस्सा 0.1 प्रतिशत से भी कम होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) सरकार चिप उत्पादन सहित हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर कदम उठा रही है। दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

सरकार द्वारा इलैक्ट्रोनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग के संवर्धन के लिए उठाए गए कदम

1. हार्डवेयर उत्पादक क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमोदन आटोमेटिक रूट के अन्तर्गत हैं।

2. सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) द्वारा आईटी हार्डवेयर सहित उत्पादक उद्योग के विकास को उत्प्रेरित और स्थायी बनाने पर बल दिया जाता है।

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। 1 मार्च, 2005 से आईटीए–1 मदों (217 मदें) पर से सीमा शुल्क हटा लिया गया है। आईटीए–1 मदों का उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं से वास्तविक प्रयोक्ता के अध्यधीन सीमा शुल्क हटा लिया गया है। इलैक्ट्रानिक पुर्जों अथवा आप्टीकल फाइबर/केबल

के उत्पादन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट कच्चे मालों/सामग्रियों (इनपुट) पर सीमा शुल्क जीरो प्रतिशत है। इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मुख्य वस्तुओं पर सभी शुल्क जीरो प्रतिशत है।

4. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत है। माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फ्लोपी डिस्क ड्राइव्स, सीडी रोम ड्राइव्स, डीवीडी ड्राइव्स, यूएसबी फ्लैश मैमोरी और कॉम्बो–ड्राइव्स को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की गई है। सेल्युलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, भागों और संबंधित उपकरणों से उत्पाद शुल्क हटा लिया गया है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ईपीएसजी) द्वारा 5 प्रतिशत सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है। ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्तरदायित्व को भी डीटीए को सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए–1) की आपूर्ति द्वारा मुक्त विदेशी विनिमय के कार्यान्वयन की शर्त पर पूरा किया जा सकता है।

6. सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए–1) की मदों और इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/निर्यात उन्मुखी इकाई (ईओयू) द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शुल्क रहित दूरसंचार/इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं की आपूर्ति को सकारात्मक विशुद्ध विदेशी विनिमय आय (एनएफई) की पूर्ति के उद्देश्य से गिना जाता है।

7. निर्यात संबंधी उद्देश्यों के लिए निरंतर उत्पादन एवं व्यापार को सक्षम बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजैड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) से विशेष निर्यात जोन (एसईजैड) को विक्रय को भौतिक निर्यात माना जाता है। इससे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को ड्राबैक/डीईपीबी फायदों, सीएसटी से छूट और सेवाकार से छूट की सुविधा मिलती है। एसईजैड इकाइयों को उपलब्ध निर्यात लाभों पर 5 वर्षों तक आयकर से 100 प्रतिशत छूट, अगले 5 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और इसके बाद के 5 वर्षों के लिए अगले फायदों के 50 प्रतिशत तक छूट दी गई है।

8. उपयोग की हुई पूंजीगत वस्तुएं स्वतन्त्र रूप से आयात योग्य हैं।

9. आयकर अधिनियम की धारा 10(क) और 10(ख) के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी इकाइयां निर्यात के मुनाफे पर 2009–10 तक आयकर से छूट पाने के लिए हकदार हैं।

10. अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों में और अधिक निवेश करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन को वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए भुगतान की गई राशि 150 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध है।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। भारतीयों की बुद्धि की विश्व भर में प्रशंसा की जाती है। माननीय मंत्री अपने उत्तर में बता रहे थे कि विश्व में सेमी–कंडक्टर चिप्स के उत्पादन में भारत का हिस्सा 0.1 प्रतिशत से भी कम होने का अनुमान है जबकि भारत में विश्व जनसंख्या का 17 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि हमने अपनी मौजूदा स्थिति में 200 गुणा सुधार किया है।

महोदय, दुर्भाग्य से इस देश में योग्यता को मान्यता नहीं दी जा रही है तथा लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार रुकावट डाल रहे हैं जिसके कारण अनेक निवेशक आगे नहीं आ रहे हैं। इस मामले में, मैं माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि 15 वर्ष पूर्व अमरीका में अप्रवासी भारतीय इंजीनियर कह रहे थे कि यदि रामायण में लिखी बातें सच्ची हैं तो वे राम और अंजन्य के बीच संवाद को टेप कर सकते हैं। उस समय की भारतीयों की बुद्धिमानी का यह स्तर था।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि कर लाभ तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से काफी प्रोत्साहन देने के बाद क्या सरकार अपेक्षित सभी प्रकार की अनुमति के लिए लाल फीताशाही का दखल कम कर सकती है और 'सिंगल विंडो क्लेयरेंस' के माध्यम से स्वीकृति दे सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और यदि सरकार की ओर से कोई विलंब होता है तो यह प्रौद्योगिकी उस समय तक अप्रचलित हो जाएगी तथा उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद उद्योग ठप हो जाएंगे।

अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह आश्वासन देंगे कि यदि कोई उद्योगपति अथवा निवेशक आगे आता है तो उसे तीन या चार माह के निर्धारित समय के भीतर हर

प्रकार की स्वीकृति दे दी जाएगी जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ, वहां फैबसिटी बन रही है।

श्री कपिल सिब्बल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वस्तुतः, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि सेमी–कंडक्टर उद्योग को कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए सही समय है कि भारत सेमी–कंडक्टर के निर्माण को प्राथमिकता दे। इस संदर्भ में उन्होंने प्रस्ताव किया है कि यदि सेमी–कंडक्टर उद्योग निर्माण इकाई स्थापित करना चाहता है तो अर्थक्षम अन्तर वित्तपोषण के लिए सरकारी इक्विटी भागीदारी पर विचार करेगी और इस संदर्भ में भारत में अनेक अवसर पैदा होंगे।

इस तरह माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर 'हां' में है; यदि कोई भारत में फैबसिटी स्थापित करना चाहता है और फैबसिटी इकाई लगाना चाहता है तो सरकार इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी हम नीतिगत ढांचे के संबंध में किस तरह से सहायता कर सकते हैं।

श्री के. एस. राव : महोदय, वर्ष 2015 तक बाजार 363 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वर्ष 2005 में भी बाजार शेयर 28 बिलियन डॉलर था जिसका अर्थ है 1,26,000 करोड़ रुपये जो सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत है। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री यह बात भी सुनें। वह सकल घरेलू उत्पाद को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए प्रयास कर रहे थे। केवल इस हार्डवेयर उद्योग को प्रोत्साहन देकर भी वह सकल घरेलू उत्पाद में चार प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रस्ताव मिला था जैसा कि अमरीका की सिलिकॉन वैली में केवल अप्रवासी भारतीय जोर–शोर से काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने अमरीका में रहने वाले कुछ अप्रवासी भारतीयों को प्रेरित करने का कोई प्रयास किया है?

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, सर्वप्रथम, मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि दो वर्षों में वह सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक ले गए हैं। यदि माननीय सदस्य अन्य दो वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं तो शायद यह दर 10 प्रतिशत तक बढ़ जाए।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संबंध है, उत्तर 'हां' है। हम विदेशों में अनुसंधान और विकास में लगे अप्रवासी भारतीयों को भारत में लाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वतः ही 100 प्रतिशत है और यदि लोग हार्डवेयर क्षेत्र में विशेष रूप से इलैक्ट्रोनिक उद्योग में निर्माण सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन हार्डवेयर के संदर्भ में, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि विश्व भर में माइक्रो–प्रोसेसिंग उद्योग का अधिकतम महत्व है, जो कि बौद्धिक सम्पदा है।

जब तक भारत में यह प्रौद्योगिकी विकसित नहीं होती है, हमें बाजार का वह हिस्सा नहीं मिल सकता जिसके बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे हैं। संक्षेप में, इस कारण से वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि वह माइक्रो–प्रोसेसिंग उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। वह 'फैबसिटी' की बात कर रहे थे। यदि यहां संयुक्त उद्यम होता है, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण होता है और यदि माइक्रो–प्रोसेसिंग इकाई स्थापित होती है तो इससे बौद्धिक सम्पदा का सृजन होगा और उद्योग का महत्व बढ़ेगा, और इसके बाद शायद धीरे–धीरे माइक्रो–प्रोसेसिंग क्षेत्र में बाजार का एक बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए।

श्री रूपचंद पाल : नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रपति जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि यह ऐसे छह क्षेत्रों में से एक है जिन पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सर्वोच्च स्तर के आईआईटी तथा उत्कृष्ट केन्द्रों में भी नैनो प्रौद्योगिकी बहुत पीछे चल रही है और अभी तो प्रारंभिक कदम उठाए जाने हैं। ऐसा संसाधनों की कमी के कारण है। मैं जानता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की सहायता करने के लिए उत्सुक है। लेकिन नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान परिणाम के संभावित लाभार्थियों की संख्या अधिक हो सकती है। सरकारी और निजी क्षेत्रों को इस संबंध में काफी कुछ करना है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या वह सरकारी क्षेत्र सहित भारतीय उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन देने हेतु वित्त मंत्री से अनुरोध करेंगे ताकि वह सरकारी सहायता के साथ नैनो प्रौद्योगिकी जैसे ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों और आईआईटी को आवश्यकता सहायता दे सकें?

श्री कपिल सिब्बल : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा। मैं उन्हें यह बता दूं कि भारत ने पांच वर्षों की अवधि में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ

नैनो प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है तथा प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हम दो आईआईटी में यह प्रौद्योगिकी पहले ही शुरू कर चुके हैं जिसमें 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है तथा 100 करोड़ रुपये की राशि संभवतः अन्य मंत्रालय द्वारा दी जाएगी। हम इस मुद्दे पर अत्यन्त चिंतित हैं। नैनो प्रौद्योगिकी ऐसा क्षेत्र है जो सभी प्रौद्योगिकियों से आगे है—चाहे वह फार्मा क्षेत्र हो अथवा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र अथवा अंतरिक्ष या स्वास्थ्य देखभाल या इलैक्ट्रोनिक आदि का क्षेत्र। जैसा कि हम सेल फोन का प्रयोग करते हैं, उसमें ऐ नैनो—चिप होती है। यह फोटो—वोल्टेक सेल, जिसमें नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, के माध्यम से विश्व की बिजली की समस्या का समाधान कर सकती है। हमें इस मुद्दे का संज्ञान है और वस्तुतः सरकार नैनो प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने हेतु वचनबद्ध है क्योंकि हम नैनो प्रौद्योगिकी के भावी फायदे जानते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आधुनिक सुविधाओं के साथ नैनो विज्ञान के दस मुख्य समूह/इकाइयां स्थापित की गई हैं। हमारे देश में आईआईटी, कानपुर, एनएसएल, पुणे, एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइन्स, कोलकाता, आईआईएससी बंगलौर, हमारे यहां पुणे विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय भी है। हम कोलकाता, बंगलौर, कानपुर, मुम्बई, कोच्चि आदि में नैनो प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह, हम इस पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं।

केन्द्रीय योजनाएं

*183. **श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित कतिपय चालू योजनाओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय योजनाओं का अन्य योजनाओं के साथ विलय करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का विचार है कि इस प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गों के हितों पर बुरा प्रभाव न पड़े?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (ङ) योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों को समाप्त करने/मिलाने के निर्णय इस आधार पर किए गए हैं : (क) पंचवर्षीय योजना से पहले की जाने वाली शून्य आधारित बजटिंग की प्रक्रिया; तथा (ख) योजना अवधि के दौरान योजना स्कीमों की अंतरिम तर्क—संगति। ये प्रक्रियाएं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से निष्पादित की गई हैं।

योजना आयोग ने 10वीं योजना की शुरूआत के समय मौजूदा योजना स्कीमों की समीक्षा की थी तथा शून्य आधारित बजटिंग पर खरा उतरने की शर्त पर इन स्कीमों को तथा उपयोगी समझी जाने वाली स्कीमों को ही दसवीं योजना में शामिल किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2004—05 में योजना आयोग ने जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के अंतरण/तर्क—संगति/समीक्षा के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक प्रक्रिया भी शुरू की थी तथा इन प्रक्रियाओं के बारे में मंत्रालयों/विभागों का अवगत कराया गया था।

दिनांक 27 और 28 जून, 2005 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 51वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सीएसएस की पुनर्संरचना तथा तर्क संगति के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा तब से एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। योजना आयोग का यह भी निर्णय है कि योजना स्कीमों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ले जाने के लिए भी इस शून्य आधारित बजट प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। अपनाई गई इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को भी ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की उपयोगिता और उनकी प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करना है।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कतिपय चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को बन्द करने का प्रस्ताव हैदराबाद में जनवरी, 2006 के अन्त में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है? मैं उनकी बात उद्धृत कर रहा हूं :

> "वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात सरकार का प्रस्ताव ग्यारहवीं योजना से आगे शून्य आधारित बजट अपनाने का है।"

महोदय, शून्य आधारित बजट व्यवस्था पहले 1970 के दशक के अंत में संयुक्त राज्य अमरीका में शुरू की गई थी और 1980 में समाप्त कर दी गई थी। जिन कुछ देशों ने यह व्यवस्था अपनाई थी उन्होंने बाद में इसे समाप्त कर दिया।

क्या माननीय मंत्री केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को शून्य आधारित बजट व्यवस्था के अध्यधीन करने का औचित्य स्पष्ट करेंगे और क्या सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में शून्य आधारित बजट व्यवस्था लागू करने का है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं सही समय पर राज्यों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यही सही रवैया है। शुरूआती वर्षों में केन्द्र के लिए योजना को प्रायोजित करना जरूरी हो सकता है परन्तु एक बार जब योजना अपना पूरा स्वरूप विकसित कर लेती है और क्षमता का निर्माण हो जाता है तो राज्य ही वह जरिया होना चाहिए जिसके माध्यम से ये योजनाएं क्रियान्वित की जाएं। राज्य सरकारें लोगों के अधिक नजदीक होती हैं। पंचायती राज संस्थाएं लोगों के नजदीक होती हैं इसलिए कार्यान्वयन और निगरानी उनके हाथ में होनी चाहिए। इसलिए, सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को शून्य आधारित बजट व्यवस्था के अध्यधीन करने का पहला औचित्य है कि इसे राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जा सकता है। वस्तुतः इससे राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होते हैं।

दूसरा औचित्य यह है कि इनमें से बहुत सी योजनाएं अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं। आप किसी योजना का मूल्यांकन किए बिना इसे योजना दर योजना जारी नहीं रख सकते। मूल्यांकन पर हम देखते हैं कि क्या योजना की उपयोगिता नहीं रही है अथवा अब सुसंगत नहीं रही है अथवा इसमें कटौती अथवा विस्तार किया जा सकता है। ये निष्कर्ष तभी निकाले जा सकते हैं जब इसका शून्य आधारित बजट व्यवस्था कठिन परीक्षण किया जाए। वित्त संबंधी स्थायी समिति, संसदीय समिति सबने शून्य आधारित बजट व्यवस्था की सिफारिश की है। यह शून्य आधारित बजट व्यवस्था का औचित्य है। वह कार्य चल रहा है और यह निर्णय करने से पूर्व कि वे कौन सी योजनाएं हैं जो ग्यारहवीं योजना अवधि में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में जारी रखी जानी चाहिए सभी योजनाओं पर शून्य आधारित बजट व्यवस्था लागू की जाएगी।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : बहुत से राज्य वित्तीय संकट के कारण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। मार्गनिदेशों में जोर दिया गया है कि राज्य सरकारें योजना लागू करने के लिए बराबर का अंशदान करें। राज्य गैर–योजना व्यय भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों के वित्तीय भार को कम करने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र पर विचार करेगी।

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य को इस अवधारणा में संशोधन करने की आवश्यकता है कि राज्य बहुत गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। अब स्थिति बदल गई है। वर्ष 2004–05 में केन्द्र ने लगभग 74,000 करोड़ रुपये का राज्य अंश राज्यों को दिया था। 2005–06 में अंश लगभग 95,000 करोड़ रुपये है और अगले वर्ष बजट प्राक्कलन के अनुसार यह अंश 1,13,000 करोड़ रुपये होगा। यदि सभी राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो आज राज्यों का नकद शेष बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि राज्यों के पास अपने लिए जो भी कार्यक्रम सुसंगत है उन्हें चलाने और अधिक सक्रियता से लागू करने की क्षमता है। बजट भाषण में मैंने राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बारे में आंकड़े दिए हैं। इसमें सुधार हो रहा है। सकल आय सरकारी घाटा कम हो रहा है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राज्य राजकोषीय और राजस्व घाटों को नियंत्रित कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज राज्यों के पास आगे वे जो भी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, उन्हें उसे चुनने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने की क्षमता है। जो एक राज्य के लिए अच्छा है वह संभवतः दूसरे राज्य के लिए सही न हो। बल्कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना का एकसमान दृष्टिकोण होता है। राज्यों के पास उन योजनाओं को चुनने का विकल्प होना चाहिए जो उसके लिए सही और अच्छी हैं और उन्हें लागू करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन योजनाओं को लागू करने की राज्यों की क्षमता प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सेंट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि उन स्कीमों के लिए जितना पैसा चाहिए, वह पूरा नहीं मिल पाता है। उदारहण के लिए स्व–जलधारा योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसमें 10 प्रतिशत पैसा गांव के लोगों को इकट्ठा करके देना पड़ता है और 90 प्रतिशत पैसा सेंटर की ओर से आता है।

लेकिन पिछले दो साल में एक पैसा भी न आने के कारण, राजस्थान में उदयपुर जिले के आंकड़े मैं आपको देना चाहती हूं कि वर्ष 2003–04 और वर्ष 2004–05 के बजट में पैसा न होने की वजह से कोई काम पूरा नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से सवाल यह है कि क्या आप स्वजल धारा योजना को बंद करना चाहते हैं? अभी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम शुरू की

गई है। रोजगार गारंटी स्कीम की भी यही स्थिति है जिसे इन्होंने अभी शुरू किया। इसके अन्तर्गत हमारे यहां एक महीने में 15 करोड़ रुपये चाहिए, जबकि केवल 5 करोड़ रुपये उदयपुर को दिए गए हैं। योजना की शुरूआत तो कर दी गई, वाहवाही हो गई और अखबारों में भी छप गया कि हम लोग रोजगार गारंटी स्कीम चला रहे हैं, लेकिन उस रोजगार गारंटी स्कीम का क्या अर्थ निकलेगा, अगर हमने वास्तविक रूप में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। मेरा प्रश्न यह है कि जिस स्कीम को आप लाते हैं, बजट में घोषणाएं करते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, कि आपकी अच्छी योजना है, उससे एक मैसेज जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी : उन योजनाओं हेतु प्रापर बजट एलोकेशन के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? इस बारे में आप बताइए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्या अनावश्यक रूप से कड़ी आलोचना कर रही हैं। ऐसी आलोचना का कोई आधार नहीं है। आवंटित आंकड़े बजट पत्र में हैं। इस चर्चा में यदि आप चाहें तो मैं प्रत्येक योजना के बारे में आपको बता सकता हूं और आपको बजट पत्र में पृष्ठ, आवंटित राशि, खर्च की गई राशि और अगले वर्ष में आवंटित की जाने वाली राशि दिखाऊंगा। मैं अब किसी विशेष योजना पर स्पष्ट तौर पर उत्तर नहीं दे सकता। मुझे उनको जानकारी देकर और चर्चा में सभी उत्तर देकर बहुत प्रसन्नता होगी। किन्तु मैं मोटे तौर पर आपको बताता हूं कि राजीव गांधी पेयजल मिशन के लिए चालू वर्ष में 3645 करोड़ रुपये को बढ़ाकर अगले वर्ष में 4680 करोड़ रुपये किया जा रहा है। मैं आपको पृष्ठ संख्या और वाल्यूम लिख कर दूंगा।

श्री हरिन पाठक : वह कह रही हैं कि यह पर्याप्त नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। भारत की जरूरतें इतनी अधिक हैं कि जो भी आवंटन किया जाता है वह कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। 1999 से 2004 तक यह स्थिति थी और यह 2004 से अब तक की स्थिति है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : स्वजल धारा योजना बन्द है।... *(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी : योजना में पैसा न होने की वजह से योजना बन्द सी हो जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्यों के दिमाग में जो भी विशेष परियोजना है उस पर मैं एक उत्तर भेजना चाहता हूं और मैं बजट पर चर्चा के दौरान उन्हें उत्तर देना चाहता हूं। मोटे तौर पर मैं यह कह रहा हूं कि पर्याप्तता के प्रश्न को आवश्यकता के हिसाब से लाया जाना चाहिए। यह कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि क्या हम अधिक धन प्रदान कर रहे हैं; क्या हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को अधिक धन पहुंचे और क्या हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि धन खर्च किया जाए? मुझे आपके द्वारा उल्लेख की गई दो योजनाओं पर जानकारी देकर बहुत प्रसन्नता होगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नहीं आया। नोटिस देना जरूरी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नहीं आया, किसी का भी नोटिस नहीं आया।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी को कुछ इन्फार्मेशन देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स हैं, उनका मकसद पाक और साफ होता है, लेकिन जो उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वे मंजिले–मकसूद तक नहीं पहुंचती हैं–ऐसा क्यों होता है? इस कारण, जैसे एंप्लायमेंट अश्योरेंस स्कीम थी, दो–चार अन्य डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हमारी आपरेशन ब्लैक–बोर्ड स्कीम थी–ये सारी स्कीमें अधूरी रह गयीं। कंस्ट्रक्शन के काम हो चुके, किसी की छत रह गई, किसी की प्लास्टरिंग रह गई, कहीं की

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सड़क आधी रह गई और वह स्कीम खत्म हो गई, क्लोज हो गई। मैं चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि जो भी स्कीम आप लागू करते हैं, जब तक उसका पूरा काम क्लियर न हो जाए, जो काम आपने तय किए हैं, तब तक वे स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए—मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि आपने अपनी बात अच्छी तरह कह दी है। आप एक योजना शुरू करके अधूरी छोड़कर दूसरी योजना की घोषणा नहीं कर सकते। वस्तुतः योजनाओं के अनिष्ट का कारण यह रहा है कि वे लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना बनाई जाती हैं।

इसीलिए, मैं जोर देता रहा हूं कि भारत सरकार को कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए और फिर राज्य सरकारों को अधिकांश कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारों को निधियां दी जाएं। यही सही तरीका है अपनी बात को दोहराते हुए मेरा कहना है कि राज्य सरकारें और पंचायती राज संस्थाएं लोगों के अधिक करीब होती हैं और ये योजनाओं को लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं।

महोदय, अधिकांश शिक्षा संबंधी योजनाएं अब सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शामिल कर ली गई हैं; अधिकांश पेयजल योजनाएं अब राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत शामिल कर ली गई हैं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किसी विशेष योजना जिसे हम 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' कहते हैं, का क्या हुआ तो मुझे जानकारी देने में खुशी होगी। मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या खर्च किया गया है और वह योजना अब कहां शामिल की गई है।

चौधरी लाल सिंह : सुनिश्चित रोजगार योजना का क्या हुआ?

श्री पी. चिदम्बरम : रोजगार आश्वासन योजना के संबंध में मेरा कहना है कि इसे अब 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है जिसका अब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में विस्तार कर दिया गया है। ये प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनमें कुछ छोटे तत्वों को शामिल कर दिया गया है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान बजट पत्रों की ओर आकर्षित करूंगा फिर वह स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ है, कौन सी नई योजनाएं हैं तथा इन योजनाओं में क्या प्रस्ताव किया गया है?

डा. के. एस. मनोज : महोदय, जहां तक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का प्रश्न है, केरल राज्य घाटे की स्थिति में है। बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को हमारे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। इसका कारण है राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति। इसलिए इन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन राज्य को नहीं दिए जाते। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था और माननीय प्रधान मंत्री ने तब यह कहकर आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर विचार करते हुए केरल राज्य को अलग दर्जा दिया जाना चाहिए। संप्रग सरकार के बहुत से प्रमुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत निर्माण और पेयजल कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन में राज्य को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। केरल राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भी शामिल नहीं किया गया है। भारत निर्माण के अन्तर्गत कार्यक्रमों में निर्धारित विभिन्न मानदंड भी केरल राज्य पर लागू नहीं होते।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में केरल जैसे राज्य को कुछ अन्य योजनाएं लागू करने हेतु पर्याप्त अंश कैसे मिल सकता है? इसके साथ ही राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और भारत निर्माण के अन्तर्गत योजनाओं के संबंध में अपना हिस्सा कैसे प्राप्त हो सकता है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह सच है कि बहुत से क्षेत्रों में केरल का मानव विकास सूचकांक इन क्षेत्रों में अन्य राज्यों के मानव विकास सूचकांक से आगे है इसीलिए हमने यह कहा है कि जो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं एक राज्य में सुसंगत हैं वे अन्य राज्य में सुसंगत नहीं होंगी। इसीलिए, मेरा रवैया रहा है कि अधिकांश योजनाएं राज्यों को हस्तांतरित की जानी चाहिए, धन राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और राज्यों को कोई विशेष योजना लागू करने अथवा जो भी योजना वह चाहे उसका चयन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यही रवैया है। यदि आप सब सहयोग करें और मुझे भरोसा है कि आप करेंगे तो ग्यारहवीं योजना में हम वह रवैया अपना सकते हैं।

डा. के. एस. मनोज : परन्तु केरल जैसे राज्य को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : इसे कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। यदि धन हस्तांतरित किया जाता है तो प्रत्येक राज्य निर्णय लेगा कि वह

क्या करना चाहता है। एक राज्य में सड़कें बनाना आवश्यक हो सकता है; एक राज्य में स्वास्थ्य मिशन का विस्तार करना आवश्यक हो सकता है और किसी अन्य राज्य में कुछ और करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण सभा 'जीरो बजटिंग' की इस नई पहल का समर्थन करे और ग्यारहवीं योजना में हम नई नामावली से शुरू करेंगे—धन हस्तांतरित किया जाएगा और राज्य यह निर्णय लेने में स्वतन्त्र होंगे कि क्या कार्यक्रम लागू किया जाने चाहिए।

महोदय, जहां तक एमआरएलएम का संबंध है तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि केरल को शामिल क्यों किया गया या शामिल क्यों नहीं किया गया। मैं यह प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री को सौंपता हूं और मुझे विश्वास है कि वह इसका उत्तर दे सकेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि में सामान्यतः इस तरह की समीक्षा की जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान गत दिसम्बर में ही घोषित की गई नई योजना की ओर आकर्षित करूंगा जिसमें जनसंख्या को ध्यान में रखकर 63 शहरों की पहचान की गई है। बड़े शहरों जिनकी आबादी चार मिलियन से ज्यादा है, जिन शहरों की आबादी एक मिलियन से अधिक है और कुछ शहरों जो कि राज्य की राजधानियां हैं और जिनकी आबादी तीन लाख से अधिक है उनकी पहचान की गई है।

यहां एक विसंगति पैदा हो रही है। 6 मार्च को एक समीक्षा की जा रही है और मुझे भरोसा है कि माननीय वित्त मंत्री भी बैठक में भाग लेंगे क्योंकि यह ऐसी योजना है जो बहुत आवश्यक है। यदि आपने तीन लाख से अधिक आबादी वाले कुछ शहरी विकास केन्द्रों को ध्यान में रखा है तो तीन मानदंडों को ध्यान में रखकर यानी यह राज्य का ऐतिहासिक शहर होना चाहिए, राज्य में उस शहर की भौगोलिक स्थिति और वहां स्थापित विकास केन्द्र, तीन लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को क्यों नहीं लेते। उदाहरणार्थ, तिरूपति उस राज्य का एक धार्मिक शहर है। इसलिए, क्या आप इन तीन मानदंडों को ध्यान में रखकर शहरों पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धार्मिक शहरों के संबंध में है।

श्री पी. चिदम्बरम : काश, मैं ऐसा कर सकता। परन्तु कृपया यह समझें कि वित्तपोषण और धन की सीमाएं हैं। जो निधियां जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनर्निर्माण मिशन को दी जा रही हैं उनके भीतर ही योजना आयोग ने राज्य सरकारों तथा शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके 63 शहरों की पहचान की है जैसा कि आपने कहा है। मैं जानता हूं कि यदि मैं ऐसे शहर से आता हूं जिसका चयन नहीं किया गया है तो मुझे दुख होता है। किन्तु बात यह है कि हम शुरूआत कर रहे हैं और 63 शहर चुने गए हैं और कुछ छूट गए हैं। मुझे अफसोस है कि तिरूपति छूट गया है। किन्तु मुझे विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर तिरूपति का ध्यान रखेंगे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री ने पर्याप्तता और संभावना के बीच अन्तर किया है। मैं उनसे सहमत हूं कि कुछ योजनाओं में निधियों की पर्याप्तता के रूप में पर्याप्तता का पैमाना रहेगा। मैं ओपन एंडेड योजनाओं की बात करता हूं। आपने विशेष रूप से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में कहा है। आपने गारंटी दी है। इसलिए इसमें कोई ओपन इंडेडनेस नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मामलों में आप सुनिश्चित करेंगे कि आप किसी भी संख्या तक परिवारों को बजट में पैसा देंगे। आपने इसके लिए 11,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अब 500 रुपये प्रति परिवार प्रति माह की व्यवस्था करके जो कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष होता है, आपको केवल 20,000 परिवार ही मिलेंगे। क्या आप सम्पूर्ण देश में 20,000 परिवारों की पूर्ति कर रहे हैं? यदि संख्या एक लाख परिवार तक बढ़ा दी जाती है तो क्या आप उन परिवारों को वह राशि प्रदान करेंगे भले ही परिवारों की संख्या कुछ भी हो? आप ओपन एंडेड आवंटन की शायद अनुमति नहीं देंगे और आप कह सकते हैं कि यह आवश्यकता के आधार पर है। क्या आप इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : जिन जिलों में एनआरईजी अधिनियम लागू होता है और यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार के लिए आवेदन करता है तो एक व्यक्ति प्रति परिवार, वर्ष में 100 दिन के लिए गारंटीशुदा रोजगार होगा। और उसके लिए आवश्यक धन प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैने भी नोटिस दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस नहीं है।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल एम्प्लाएमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र में शुरू की गई है, केन्द्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है। सरकार ने यह बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से बेरोजगार मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी गई है, मेरी मांग है कि उसी तरह से सुशिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके लिए

सरकार की क्या स्कीम है? क्या मंत्री जी इस स्कीम में सुशिक्षित बेरोजगारों को एड करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस समय एनआरईजी एक्ट 200 जिलों में लागू है। किसी अन्य सुझाव पर बोर्ड में ले जाया जाएगा और उचित समय पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : सर, मेरा भी नोटिस है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मुझे भी बोलने का मौका दें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी पार्टी के दो मैम्बरों को बोलने का मौका दिया है।

...*(व्यवधान)*

कृषि क्षेत्र को ऋण

+

*184. **श्री काशीराम राणा** :

श्री वी. के. दुग्मर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी और विदेशी बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के अनिच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिए गए ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र के घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को उधार देने के संबंध में निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। विदेशी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को उधार दिए जाने के संबंध में इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी बैंकों का ग्रामीण/अर्ध–शहरी शाखा–नेटवर्क नहीं है, कृषि के लिए किसी विशेष लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों द्वारा कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के लिए अग्रिम निम्नांकित है :

(करोड़ रुपये)

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से अनुसार	गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक			विदेशी बैंक		
	मार्च 2004	मार्च 2005	सितम्बर 2005 (अनंतिम)	मार्च 2004	मार्च 2005	सितम्बर 2005 (अनंतिम)
कुल प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	48920	69384	74734	17960	23843	23895
कृषि के लिए कुल अग्रिम	14730	21475	20448	137	84	84
लघु उद्योग अग्रिम	7590	8668	8701	5307	6906	6320
अन्य प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र	26600	39241	45585	12516	16853	17491

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का कृषि उत्पादन हर साल गिरता जा रहा है। वर्ष 2003–04 में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 10 परसेन्ट था, तब एनडीए की सरकार थी। इसके बाद, वर्ष 2004–05 में यह 0.7 परसेन्ट हुआ और करेन्ट ईयर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 2.3 परसेन्ट पर आ गया है। इस तरह गिरते हुए कृषि उत्पादन के कारण, किसानों को बैंकों से जिस प्रकार ऋण मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। इस कारण हमारे किसानों को साहूकार से भारी ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है, जिसे वे चुका नहीं पाते हैं और उन्हें सुसाइड करनी पड़ती है। जैसा यहा रिप्लाई में बताया गया कि सरकार ने किसानों को ऋण देने के लिए जो लक्ष्य रखा है, वह 18 परसेन्ट है, मैं आपके माध्यम से

जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो 18 परसेन्ट का लक्ष्य रखा है, क्या सरकार उसे वर्तमान हालात में बढ़ाना चाहती है या नहीं? मैं समझता हूं कि सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो कंट्रीब्यूटिंग दूसरे बैंक्स हैं, जिन बैंकों ने किसानों को आसानी से पैसा नहीं दिया, तो उनका जो डिपाजिट होता है, वे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट फंड से जो लो रेट पर लेते हैं, ऐसे कितने बैंकों पर आपने पैनल्टी लगाई है, जिनके कारण किसानों को जो ऋण आसानी से मिलना चाहिए था, वह ऋण नहीं मिल पाया—क्या आपने बैंकों पर कोई पैनल्टी लगाई या नहीं। ऐसी हालत में सरकार को यह कार्य जरूर करना चाहिए, ताकि किसान सुसाइड न करें और हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आखिरकार आपने एक सुझाव देकर समाप्त कर दिया।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि कृषि ऋण विकास दर कम हो गई है। वास्तव में जब से संप्रग सरकार आई है तब से कृषि ऋण के प्रवाह में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। मैं संख्या देता हूं। 2000–01 में कृषि में कुल ऋण प्रवाह 52,827 करोड़ रुपये था। वर्ष 2003–04 में यह बढ़कर 86,981 करोड़ रुपये हो गया। इसलिए, चार वर्ष की अवधि में यह 52,827 करोड़ रुपये से बढ़कर 86,981 करोड़ रुपये हो गया है। यह 44,000 करोड़ रुपये की वृद्धि है। जैसा मैंने बजट भाषण में कहा है कि संप्रग सरकार के पहले वर्ष में यह 86,981 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,25,309 करोड़ रुपये पहुंच गया है। यह 41,000 करोड़ रुपये की वृद्धि है। इस वर्ष के लिए हमने 1,41,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि हम उस लक्ष्य से आगे निकल जाएंगे। अगले वर्ष के लिए हमने 1,75,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि हम उस लक्ष्य से भी आगे निकल जाएंगे। मेरा सादर निवेदन है कि एनबीसी का 18 प्रतिशत जो कुछ समय पूर्व नियत किया गया था वह ऋण प्रवाह में वृद्धि को ठीक–ठीक प्रतिबिम्बित नहीं करता। बेहतर पैमाना है वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि। जो भी गणित जानता है वह जान जाएगा कि यदि विभाजक भाज्य से अधिक तेज गति से बढ़ता है तो 18 प्रतिशत हमेशा दुर्लभ रहेगा। इसलिए, अधिक बेहतर पैमाना है ऋण के प्रवाह में वृद्धि को देखना। वर्ष 2003–04 के बीच यानी राजग सरकार के अंतिम वर्ष में और संप्रग सरकार के पहले वर्ष में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है हालांकि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं और केवल तथ्य बता रहा हूं। हमने कहा कि हम इसे तीन वर्ष में दुगुना कर देंगे। वस्तुतः ढाई वर्ष में ही हम इसे दुगुना कर देंगे। इसलिए, हम लक्ष्य से बहुत आगे रहेंगे।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि उस बैंक का क्या होता है जो 18 प्रतिशत के सूत्र का पालन नहीं करता। तब धन आरआईडीएफ में चला जाता है। आरआईडीएफ कोष बहुत वर्षों से 8,000 रुपये रहा है। अगले वर्ष के लिए मैंने इसे 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। मैंने ग्रामीण सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपये की एक ओर खिड़की खोल दी है। इसलिए, अगले वर्ष के लिए आरआईडीएफ कोष 14,000 करोड़ रुपये होगा। जो बैंक अपने एनबीसी लक्ष्य का 18 प्रतिशत पूरा नहीं करता वह आरआईडीएफ में योगदान करेगा। यही दंड है। यह इस मामले में दंड है कि वे जो उधार नहीं देते वह उन्हें नाबार्ड को देना होगा और नाबार्ड तथा आरआईडीएफ उसका ध्यान रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से पूछा था कि देश के कमर्शियल बैंक जिस तरह किसानों को ऋण देते हैं, उसी तरह विदेशी बैंक भी हमारे किसानों को ऋण देते हैं या नहीं, इसके जवाब में मुझे कहा गया है कि मार्च, 2004 में उन्हें 137 करोड़ रुपये मिले, मार्च 2005 में 84 करोड़ रुपये मिले और सितम्बर, 2005 में भी 84 करोड़ रुपये मिले। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह सवाल है कि जब हमें कोटेज इंडस्ट्रीज के लिए या हैवी इंडस्ट्रीज के लिए विदेशी बैंको से बहुत ऋण मिलता है, जिसका मैं समय बचाने के लिए जिक्र नहीं करना चाहता, हमारे किसानों को विदेशी बैंक ज्यादा ऋण दें, इस बारे में क्या सरकार उनसे बातचीत कर रही है। सरकार की इसमें क्या मंशा है? जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को विदेशी बैंकों से ऋण मिलता है, उसी प्रकार से किसानों को मिले। दूसरे हमने जो 18 प्रतिशत का लक्ष्य अपने बैंकों के लिए रखा है, क्या कोई ऐसा लक्ष्य विदेशी बैंकों के लिए भी रखेंगे, जिससे हमारे किसानों को आसानी से ऋण मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान मेरे उत्तर के एक अन्य भाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है : "जहां तक विदेशी बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण देने का संबंध है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी बैंकों

की शाखाओं का ग्रामीण/अर्ध–नगरीय क्षेत्रों में कोई नेटवर्क नहीं है, उनके लिए कृषि के क्षेत्र में ऋण देने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।" यदि विदेशी बैंकों से कृषि के लिए ऋण देने हेतु कहा जाता है तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी बैंकों को शाखाएं खोलने की अनुमति अवश्य दूंगा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई सही कार्य है।

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुग्मर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न क्रमांक 84 का मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि देश में लगभग 70 प्रतिशत किसान काम कर रहे हैं और किसानों को ऋण देने के लिए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, मैं उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अब सात प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण दिया जाएगा। आज निजी बैंक 11 प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण दे रहे हैं, जब कि कोआपरेटिव बैंकों को रि–फाइनेंस नबार्ड से मिल रहा है, फिर भी वे 11 प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब कमर्शियल बैंक किसानों को नौ प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं और नए बजट में सात प्रतिशत पर देने का वायदा किया है तो निजी बैंकों से भी सात प्रतिशत दर पर कृषकों को फाइनेंस मिले। इसके जो तीन चैनल्स हैं–नबार्ड स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स को फाइनेंस दे रही है, स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट बैंक को दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बैंक सोसायटियों को दे रहे हैं और फिर सोसायटियां किसानों को पैसा दे रही हैं–ये जो तीन चैनल्स हैं, ये चैनल्स हटा कर, नबार्ड सीधे ही कोआपरेटिव सोसायटियों को ऋण दे, सात प्रतिशत दर से किसानों को कृषि लोन मिले, इसके लिए गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आज किसान सबसे बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। आज किसान गतल नीतियों के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिले, इसके लिए सरकार कोई स्पष्ट योजना बनाए। नबार्ड सीधे ही कृषि फाइनेंस देने का काम करें, ऐसा मैं सुझाव दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, नाबार्ड एक पुनर्वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। किसानों को सीधे ऋण देने के लिए नाबार्ड की भारत के गांवों में शाखाएं नहीं हैं। नाबार्ड शीर्ष सहकारी समितियों को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो आगे जिला केन्द्रीय सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करती हैं जिनसे आगे पीएसी को वित्त प्राप्त होता है। नाबार्ड आरआरबी को भी पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसलिए नाबार्ड सीधे किसानों को ऋण नहीं दे सकता। नाबार्ड केवल पुनर्वित्त पोषित करता है। मैंने बजट में इस मुद्दे को यथासंभव हल किया है। आशा की जाती है कि वर्ष 2006 की खरीफ की फसल से उन किसानों को, जिन्हें पीएसी और आरआरबी से ऋण मिलता है, 7 प्रतिशत की दर से ऋण मिलने लगेगा।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वी. के. दुग्मर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि नाबार्ड सीधे फाइनेंस सोसायटियों को दे, यह मेरा सुझाव है। जो बीच में चैनल्स हैं–स्टेट कोआपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, वे हटा दें और सीधे सोसायटियों को देने से ही काम होगा।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, इसका दुखद पहलू यह है कि जिन किसानों ने यह ऋण लिया है वे हमेशा के लिए इस ऋण जाल में फंस चुके हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री सुरेश कुरूप : सभी यह जानते हैं कि ऋण की इस राशि को वापस करने की अपनी अक्षमता के कारण देश भर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केरल का वायनाड जिला ऐसे ही मामलों में से एक है। इस जिले में प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब, पूरे केरल से 57 विधवाओं ने जंतर मंतर पर एकत्रित होकर धरना दिया है। उनकी मांग यह है कि वायनाड के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए और वह धन ऋण राशि के रूप में बैंकों को दे दिया जाए तथा उनका ब्याज माफ कर दिया जाए।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, परन्तु, मेरे विचार से यह प्रश्न या तो कृषि मंत्रालय से संबंधित है या ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है जिन्होंने इस विशेष पैकेज की घोषणा की होगी। इस प्रकार, केरल सरकार से परामर्श करके एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। लेकिन मुझे इसके बारे में विस्तार से ज्ञात नहीं है। यदि किसानों की विधवाओं तक धन पहुंचने में कोई समस्या है तो हम निश्चित रूप से इस मामले को देखेंगे कि वह धन किस प्रकार से विधवाओं के खातों में पहुंचाया जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जब भी आपका नाम लेता हूं, आप सोचते रहते हैं।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि विदेशी बैंकों का नेटवर्क नहीं रहने के कारण सरकार किसानों को ऋण सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशी बैंकों का नेटवर्क खुले, उसके लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं?

माननीय मंत्री जी ने अभी बजट में किसानों के लिए बहुत बढ़िया घोषणा की है जिसके लिए पूरे देश की जनता इनके प्रति और यूपीए सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : बजट में कहा गया है कि किसानों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत रहेगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो निर्णय किया है, क्या यह विदेशी बैंकों पर भी लागू होगा ताकि उनके द्वारा गरीबों और किसानों को 7 प्रतिशत की दर से ऋण मुहैया कराया जा सके? चूंकि दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि शाखाओं को लाइसेंस देने का मामला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के साथ परामर्श करके हल किया जाता है। आज हमारी विदेशी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति देने की कोई नीति नहीं है और इस नीति पर पुनर्विचार करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। जब तक आप विदेशी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं देते तब तक आप उनसे किसानों को ऋण देने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए, मेरे विचार से, हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए और इस नीति की समीक्षा करने पर जोर नहीं देना चाहिए, जिसके प्रति मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : किसानों को शहरों में आ जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं किसान शहर आएंगे। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि हमें इस नीति की समीक्षा किए जाने पर जोर देना चाहिए। मेरे विचार से आज जो नीति है वह बहुत अच्छी नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से गांव शहरों से लगे हुए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : किसान शहर में रह सकते हैं परन्तु कृषि ऋण वहीं दिया जाएगा जहां कृषि भूमि अवस्थित है। इसलिए वहां स्थित शाखा को ही ऋण देना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अविनाश राय खन्ना।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : उपाध्यक्ष जी, इस प्रश्न पर जितने जवाब आए हैं या जो प्रश्न माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए हैं, उनमें काफी सदस्यों ने जिक्र किया कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि प्राइवेट और अदर फाइनैंशियल इंस्टीट्युशन्स किसानों को ऋण देते हैं।

आपने घोषणा की है कि किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि साहूकार या फाइनैंस कंपनियां किसानों से 3 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लेती हैं। यह बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से किसान ऋण वापस नहीं कर पाता और आत्महत्या करता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग सरकार द्वारा घोषित रेट ऑफ इंटरैस्ट से ज्यादा इंटरैस्ट लेंगे, क्या सरकार उनके खिलाफ काग्निजेबल ऑफैन्स लगाकर कार्रवाई करने का आदेश देने को तैयार है? क्या सरकार किसान को ऋणमुक्त करने के लिए तैयार है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अपने बजट भाषण में मैंने यह कहा था कि सारे किसानों में से 27 प्रतिशत औपचारिक या व्यवस्थित संस्थाओं से ऋण लेते हैं और लगभग 22 प्रतिशत अनौपचारिक या

बहुत ऊंची द
में कानून बन
विचार से, व
(निवारण) अधि
किया है। क
निर्धारित की
गैर–कानूनी है
यह राज्य विध
विषय है। अधि
भी दे सकती

श्री एन.
देने के लिए मैं
एक यादगार ब
ओर से उन्हें ध

[हिन्दी]

श्री अवि
इस संबंध में क

[अनुवाद]

श्री एन.
में इन्होंने एक म
की दर पर अल्प
माध्यम से, मैं य
किसानों की दयन
हैं और ऋण में
उनकी जमीन को
ऋण लेने की सुवि

वस्तुतः मैं इस पर
जानना चाहता हूं कि
की सुविधा उन कि
विकसित करना चा

असंगठित क्षेत्र से ऋण लेते हैं। वस्तुतः अधिकांश किसानों को किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं होता। अब, यह सत्य है कि साहूकार बहुत ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते हैं। संविधान ने इस बारे में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधान मण्डलों को दी है। मेरे विचार से, बहुत से राज्यों या सभी राज्यों ने अतिब्याज उधार (निवारण) अधिनियम या अतिब्याज उधार (प्रतिषेध) अधिनियम पारित किया है। कई राज्यों ने यह घोषणा की है कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई ब्याज दर से अधिक कोई भी ब्याज दर गैर-कानूनी है और ऋण लेने वाले पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, यह राज्य विधान मण्डल और राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाला विषय है। अधिक ब्याज लेने वाले सूदखोरों को राज्य सरकार दण्ड भी दे सकती है।

श्री एन. एस. वी. चित्तन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे वित्त मंत्री जी को एक यादगार बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं तथा किसानों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : मेरा प्रश्न था कि केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री एन. एस. वी. चित्तन : गत सप्ताह के अपने बजट भाषण में इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर अल्प अवधि ऋण प्रदान किए जाएंगे। महोदय, आपके माध्यम से, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश के अधिकांश किसानों की दयनीय स्थिति, जो ऋण में पैदा होते हैं, ऋण में जीते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें उनकी जमीन को विकसित करने के लिए भी 7 प्रतिशत की दर पर ऋण लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एन. एस. वी. चित्तन : हां, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। वस्तुतः मैं इस पर आ ही चुका हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 7 प्रतिशत की दर पर ऋण प्रदान करने की सुविधा उन किसानों को प्रदान की जाएगी जो अपनी जमीन को विकसित करना चाहते हैं, कुओं आदि की खुदाई कर सिंचाई के काम में लाना चाहते हैं, जिससे कि वे निजी और लालची सूदखोरों के चंगुल से निकल सकें।

श्री पी. चिदम्बरम : वर्तमान में यह प्रस्ताव है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अल्पावधि ऋण, जो कि फसल ऋण है, 7 प्रतिशत की दर पर मिल सके। इस समय अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं इसे ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति जी, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश के किसानों का जीवन कर्ज पर ही निर्भर है। कर्ज के कारण उनकी उपज में 50 प्रतिशत का घाटा हो रहा है। क्या सरकार द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर सर्वाधिक ऋण दिया जाएगा और उत्पादकता के क्षेत्र में कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र मानकर उनको पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करने की कोई योजना क्या आपके पास है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कृषि एक वरीयता प्राप्त क्षेत्र है। वर्ष दर वर्ष कृषि के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। अब हमने हस्तक्षेप किया है और कहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत की दर पर मिले। यदि कोई अन्य सुझाव है तो मुझे उस पर विचार करके अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री किन्जरपु येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इससे सहमत हैं कि 73 प्रतिशत का अंतराल है जिसका अर्थ यह है कि कृषक समुदाय का 73 प्रतिशत भाग निजी सूदखोरों पर निर्भर करता है। यह सत्य है, प्रत्येक किसान वाणिज्यिक बैंक या सहकारी बैंक से ऋण लेना चाहता है लेकिन उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रति वर्ष ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बावजूद वह अंतराल 73 प्रतिशत पर ही बना हुआ है। इस अंतराल को पाटना होगा। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। केवल इसके बाद ही किसानों को लाभ होगा और वे आत्महत्या नहीं करेंगे। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे इस कमी को किस प्रकार पूरा करने जा रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। इस अंतराल को एक या दो उपायों से पाटा नहीं जा सकता।

इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। संप्रग सरकार के पहले वर्ष में मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बोल रहा हूं, मेरे विचार से मैं मोटे तौर पर सही हूं—हमने लगभग 60 लाख किसानों को संस्थागत ऋण के अन्तर्गत सम्मिलित किया है। दूसरे वर्ष में, आंकड़े आएंगे, लेकिन मेरे विचार से हम लगभग 55 लाख किसानों को संस्थागत ऋण के अन्तर्गत सम्मिलित कर चुके हैं। हमने 4 करोड़ रुपयों से इसकी पहल की थी और अब हम इसमें लगभग 110 लाख रुपये सम्मिलित कर चुके हैं। कृपया हमें और समय दें। मुझे विश्वास है कि हम प्रति वर्ष संस्थागत ऋण के अन्तर्गत 50 से 60 लाख किसानों को सम्मिलित करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

"स्पेक्ट्रम पॉलिसी"

*185. **डा. राजेश मिश्रा :**

श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत समय में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए "स्पेक्ट्रम" की योजना और उसके आवंटन में कतिपय खामियां देखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल्द ही नई "स्पेक्ट्रम पॉलिसी" लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्पैक्ट्रम उपलब्धता की सीमित मात्रा के भीतर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पैक्ट्रम उपलब्ध करा दिया गया था।

(ग) और (घ) सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्पैक्ट्रम नीति तैयार की जा रही है। इसमें मुख्यतः स्पैक्ट्रम का कुशल और इष्टतम प्रयोग, आवंटन प्रक्रिया, स्पैक्ट्रम मूल्य निर्धारण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का अधिष्ठापन शामिल है।

परिसीमन आयोग

*186. **श्री सुग्रीव सिंह :**

प्रो. एम. रामदास :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आज की तिथि तक परिसीमन आयोग द्वारा पूरे किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को निर्धारित समयानुसार पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों के लोक प्रतिनिधियों से प्राप्त कतिपय सुझावों और विचारों की अनुशंसा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए सुझावों को ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग ने गोवा, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी के संबंध में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली राज्यों के संबंध में परिसीमन प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। अन्य राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के संघ में मणिपुर राज्य को छोड़कर जहां 2005 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 16 के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय (इम्फाल न्यायपीठ) के तारीख 14.12.2005 के आदेशों के अनुसरण में परिसीमन कार्य रोक दिया गया है, परिसीमन कार्य जोर-शोर से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, परिसीमन आयोग द्वारा किए जा रहे परिसीमन कार्य की वर्तमान प्रास्थिति दर्शित करने वाली एक प्रास्थिति रिपोर्ट विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) परिसीमन आयोग से, परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों और उसमें निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार परिसीमन कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार सरकार इस संबंध में परिसीमन आयोग को कोई सुझाव नहीं दे सकती है।

विवरण

परिसीमन कार्य संबंधी प्रास्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य का नाम	आंकड़ों और नक्शों का संकलन	प्रारूप कार्य पत्र तैयार करना	राज्य निर्वाचन आयुक्तों से परामर्श	सहबद्ध सदस्यों से परामर्श	लोक सुनवाई	अंतिम अधिसूचना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	✓	✓	✓	✓		
2.	अरुणाचल प्रदेश	✓	✓				
3.	असम	✓	✓	✓	✓		
4.	बिहार	✓					
5.	छत्तीसगढ़	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	गोवा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	गुजरात	✓	✓	✓	✓		
8.	हरियाणा	✓	✓	✓	✓		
9.	हिमाचल प्रदेश	✓	✓	✓	✓	जून 06 में नियत है	
10.	झारखंड	✓	✓				
11.	कर्नाटक	✓	✓				
12.	केरल	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	मध्य प्रदेश	✓	✓	✓			
14.	महाराष्ट्र	✓	✓	✓	✓	मई, 06 में नियत है	
15.	मणिपुर	✓					
16.	मेघालय	✓					
17.	मिजोरम	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18.	नागालैंड	✓	✓				
19.	उड़ीसा	✓	✓	✓	✓	अप्रैल, 06 में नियत है	
20.	पंजाब	✓	✓	✓	✓	✓	
21.	सिक्किम	✓	✓	✓	✓	✓	
22.	राजस्थान	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24.	उत्तरांचल	✓	✓	✓	✓		
25.	तमिलनाडु	✓	✓	✓	✓		
26.	उत्तर प्रदेश	✓	✓	✓	✓		
27.	पश्चिम बंगाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.	पांडिचेरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29.	दिल्ली	✓	✓	✓	✓	✓	

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा

*187. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :***

श्री शिशुपाल पटले :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एनएफएफडब्ल्यूपी लागू करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटन में से कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है;

(च) क्या उक्त अवधि के दौरान पुरानी योजनाओं के स्थान पर कतिपय नई योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर योजनावार कितनी धनराशि व्यय की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यह कार्यक्रम 150 अभिज्ञात जिलों में नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया था। नियमित समीक्षाओं के अलावा, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रमुख राज्यों में 9 क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। ग्रामीण विकास मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय समीक्षाओं में हिस्सा लिया था। एनएफएफडब्ल्यूपी की समीक्षा करने के लिए 3 मार्च और 1 अप्रैल, 2005 को दो वीडियो सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कार्य–निष्पादन समीक्षा समिति की 15.3.2005 को हुई बैठक में तथा राज्य सचिवों और परियोजना निदेशकों की अक्तूबर, 2005 को हुई बैठक में भी ग्रामीण विकास मंत्री ने कार्यक्रम की समीक्षा की थी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए राज्यों का दौरा करते रहे हैं। सतत् समीक्षा और पारस्परिक संपर्क के कारण, कार्यक्रम को बल मिला है तथा उपयोग की गति भी तीव्र हुई है। परिणामस्वरूप, सभी 150 जिलों को पहली किस्त रिलीज की गई है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 109 जिलों को दूसरी किस्त रिलीज की गई है। कार्यक्रम की शुरूआत से जनवरी, 2006 तक, इसके अन्तर्गत कुल 27.43 करोड़ श्रमदिवस सृजित हुए हैं, 130793 कार्य सम्पन्न हुए हैं और 76922 कार्य चल रहे हैं।

चूंकि एनएफएफडब्ल्यूपी एक अंतरिम कार्यक्रम था और इसलिए इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के साथ मिला दिया जाएगा। यह अधिनियम कार्यान्वयन के पहले

चरण के लिए निर्धारित जिलों में 2 फरवरी, 2006 से लागू हो गया है, जिनमें वे सभी जिले भी शामिल हैं जहां एनएफएफडब्ल्यूपी कार्यान्वित किया जा रहा था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2005–06 के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) आवंटन में वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान एसजीआरवाई के अन्तर्गत नकद घटक के लिए संशोधित अनुमान गत वर्ष अर्थात 2004–05 के 4500 करोड़ रुपये की तुलना में 5500 करोड़ रुपये है। वर्ष 2005–06 के दौरान खाद्यान्न घटक के लिए संशोधित अनुमान वर्ष 2004–05 के 600 करोड़ रुपये की तुलना में 3000 करोड़ रुपये है।

(ङ) 10वीं योजना के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(च) और (छ) 10वीं योजना के प्रारंभ में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल रही थी। एनआरईजीए के अग्रदूत के रूप में एनएफएफडब्ल्यूपी को नवम्बर, 2004 में एक नई योजना के रूप में शुरू किया गया था। एनएफएफडब्ल्यूपी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अतिरिक्त था और इसके लिए अलग से आवंटन किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) के पारित होने के परिणामस्वरूप, एनआरईजीए को 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है और वित्तीय वर्ष 2006–07 से अभिज्ञात जिलों में एनएफएफडब्ल्यूपी और एसजीआरवाई का एनआरईजीए में विलय कर दिया जाएगा। शेष जिलों में एसजीआरवाई जारी रहेगी।

विवरण

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2002–03 से 2005–06 (जनवरी, 2006) तक) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का योजना–वार निष्पादन

एसजीआरवाई

1.	निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	17564.53
2.	निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	17144.85
3.	राज्य रिलीज (करोड़ रु. में)	5010.5
4.	निधियों का उपयोग (करोड़ रु. में)	21436.36
5.	रिलीज किए गए खाद्यान्न (लाख टन)	182.53
6.	उठाए गए खाद्यान्न (लाख टन)	159.69
7.	सृजित रोजगार (करोड़ श्रमदिवस)	298.09
8.	पूरे किए गए कार्य (लाख में)	56.95

एनएफएफडब्ल्यूपी (कार्यक्रम नवम्बर, 2004 में शुरू हुआ)

1.	निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	6515.30
2.	निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	5567.72
3.	निधियों का उपयोग (करोड़ रु. में)	1895.13
4.	रिलीज किए गए खाद्यान्न (लाख टन)	31.85
5.	उठाए गए खाद्यान्न (लाख टन)	15.78
7.	सृजित रोजगार (करोड़ श्रमदिवस)	27.43
8.	पूरे किए गए कार्य (लाख में)	1.31

एसजीएसवाई

1.	निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	3367.90
2.	निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	2883.04
3.	राज्य रिलीज (करोड़ रु. में)	841.93
4.	निधियों का उपयोग (करोड़ रु. में)	4085.81
5.	गठित स्व–सहायता समूहों की संख्या (लाख में) (1.4.1999 से अब तक)	22.06
6.	सहायताप्राप्त व्यक्तिगत स्वरोजगारी (लाख में)	12.27
7.	सहायताप्राप्त स्व–सहायता समूह के स्वरोजगारी (लाख में)	23.09
8.	कुल सहायताप्राप्त स्वरोजगारी (लाख में)	35.36

डीआरडीए प्रशासन

1.	निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	890.00
2.	निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	857.45

आईएवाई

1. निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	8719.97
2. निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	8690.84
3. राज्य रिलीज (करोड़ रु. में)	2894.25
4. निधियों का उपयोग (करोड़ रु. में)	10882.44
5. लक्ष्य (लाख मकान)	58.03
6. बनाए गए/उन्नयित किए गए (लाख मकान)	53.69

पीएमजीएसवाई

1. रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)	15791.21
2. व्यय (करोड़ रु. में)	12100.46
3. अनुमोदित सड़क कार्यों की लम्बाई (कि.मी. में)	149422
4. पूरे किए गए सड़क कार्यों की संख्या	29564
5. पूरे किए गए सड़क कार्यों की लम्बाई (कि.मी. में)	82792

टिप्पणी : पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत परियोजनाएं चरण–वार ढंग से अनुमोदित की जाती हैं तथा संचयी प्रगति की प्रत्येक चरण के लिए अलग से निगरानी की जाती है।

एआरडब्ल्यूएसपी

1. निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	8546.93
2. निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	8231.56
3. निधियों का उपयोग (करोड़ रु. में)	6179.53
4. लक्ष्य (बसावटों की संख्या) (लाख में)	3.10
5. कवर की गई बसावटों की संख्या (लाख में)	2.05

स्वजलधारा

1. निधियों का केन्द्रीय आवंटन (करोड़ रु. में)	1076.89
2. निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	623.75
3. व्यय (करोड़ रु. में)	197.84

सीएलआर और एसआरए और यूएलआर

रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु. में)

1. सीएलआर	177.07
2. एसआरए और यूएलआर	90.74

आईडब्ल्यूडीपी

1. निधियों की केन्द्रीय रिलीज (करोड़ रु. में)	1231.30
2. परियोजनाओं की संख्या	800
3. क्षेत्र (हेक्टेयर में)	4091532

[अनुवाद]

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

*188. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों से आरआईडीएफ के अन्तर्गत लंबित पड़ी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अन्तर्गत परियोजनाओं को इसकी संस्वीकृति के वर्ष सहित, तीन वर्षों की अवधि में लागू किया जाता है। गत तीन वर्षों के लिए राज्यवार आवंटन, उपयोग एवं अपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) नाबार्ड, चल रही परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने एवं पूरा होने के लिए राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध करता है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिसमें नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं तथा जिसकी अध्यक्षता संबद्ध राज्यों के मुख्य सचिव करते हैं, द्वारा लगातार की जाती है।

विवरण

21.2.2006 के अनुसार

(करोड़ रुपये)

नाबार्ड	आरआईडीएफ VIII						आरआईडीएफ IX						आरआईडीएफ X		
	सा.आ.	संस्वी.	संवि.	प. संख्या	पू.परि.	अ.प.	सा.आ.	संस्वी.	संवि.	प. संख्या	पू.परि.	अ.प.	सा.आ.	संस्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
दक्षिण क्षेत्र															
आन्ध्र प्रदेश	331.49	907.76	681.68	2190	1597	593	331.00	866.07	422.94	1283	14	1269	1036.00	1560.86	320.23
कर्नाटक	244.91	231.03	166.13	736	482	254	245.00	297.17	157.10	915	213	702	440.00	420.96	48.27
केरल	125.56	196.21	123.56	258	90	168	126.00	81.17	8.19	119	11	108	259.00	222.74	34.84
तमिलनाडु	194.98	387.97	346.99	975	551	424	195.00	547.73	381.04	1279	300	979	560.00	657.72	215.75
दक्षिण क्षेत्र कुल	595.94	1722.97	1318.36	4159	2720	1439	897.00	1792.14	969.27	3596	538	3058	2295.00	2862.28	619.09
पश्चिमी क्षेत्र															
गोवा	23.45	16.10	10.29	2	2	0	23.00	0.00	0.00	0	0	0	15.00	0.00	0.00
गुजरात	216.77	283.82	262.63	8	4	4	217.00	899.21	677.44	11904	11500	404	597.00	1311.69	560.56
महाराष्ट्र	340.23	443.09	303.45	963	589	374	340.00	67.03	44.46	269	125	144	649.00	258.49	0.00
पश्चिमी क्षेत्र कुल	580.45	743.01	576.37	973	595	378	580.00	966.24	721.90	12173	11625	548	1261.00	1570.18	560.56
उत्तरी क्षेत्र															
हरियाणा	93.74	270.87	165.70	206	35	171	94.00	153.62	105.89	122	3	119	223.00	173.21	40.47
हिमाचल प्रदेश	108.48	169.60	129.84	238	73	165	108.00	142.03	65.49	184	58	126	217.00	91.64	19.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जम्मू एवं कश्मीर	184.34	175.64	123.73	131	4	127	185.00	153.82	44.10	147	0	147	224.00	49.36	6.55
पंजाब	68.12	206.55	171.48	522	154	368	68.00	288.18	162.86	720	63	657	321.00	312.63	131.68
राजस्थान	332.34	346.75	284.46	2230	2037	193	332.00	140.27	67.28	3	0	3	418.00	356.26	169.91
उत्तर प्रदेश	561.56	322.71	245.71	607	27	580	552.00	217.84	105.23	45	8	37	725.00	516.34	121.64
उत्तरांचल	96.45	72.19	63.64	168	117	51	96.00	228.65	126.25	133	105	28	100.00	308.44	156.39
उत्तरी क्षेत्र कुल	1425.93	1564.31	1184.56	4102	2447	1655	1435.00	1324.41	677.10	1354	237	1117	2228.00	1807.88	645.94
मध्य क्षेत्र															
छत्तीसगढ़	181.33	281.30	192.47	218	123	95	181.00	432.88	224.80	1555	84	1471	253.00	62.53	8.84
मध्य प्रदेश	322.01	575.23	338.35	132	40	92	322.00	277.46	140.57	136	6	130	570.00	533.51	134.74
मध्य क्षेत्र कुल	503.34	856.53	531.62	350	163	187	503.00	710.34	365.37	1691	90	1601	823.00	596.04	143.58
पूर्वी क्षेत्र															
बिहार	328.74	218.93	107.07	4491	2564	1927	329.00	97.24	34.82	31	10	21	107.00	290.91	5.31
झारखंड	158.09	0.00	0.00	0	0	0	158.00	49.13	5.00	1	0	1	61.00	174.18	66.30
उड़ीसा	221.78	246.83	153.28	395	160	235	222.00	185.11	89.75	364	44	320	331.00	375.66	45.73
पश्चिम बंगाल	265.65	520.73	248.13	7076	957	6119	266.00	213.41	60.67	115	5	110	575.00	526.96	119.07
पूर्वी क्षेत्र कुल	974.26	986.49	508.48	11962	3681	8281	975.00	544.89	190.24	511	59	452	1074.00	1368.31	236.41
पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम															
अरुणाचल प्रदेश	89.14	0.00	0.00	0	0	0	89.00	15.12	8.21	3	0	3	46.00	20.14	7.09
असम	158.09	76.23	55.89	36	2	34	158.00	189.75	40.37	118	0	118	149.00	13.77	2.95
मणिपुर	40.61	0.00	0.00	0	0	0	41.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00	0.53	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मेघालय	50.51	18.39	9.59	21	4	17	51.00	15.52	4.45	17	0	17	32.00	0.00	0.00
मिजोरम	38.18	2.00	2.00	7	0	7	38.00	13.50	13.19	2	0	2	19.00	6.90	4.22
नागालैंड	41.62	6.68	5.74	15	2	13	42.00	16.94	15.52	121	0	121	23.00	28.66	11.52
त्रिपुरा	62.09	50.13	21.75	53	1	52	52.00	3.17	1.73	1	0	1	37.00	0.00	0.00
सिक्किम	27.48	4.89	4.83	171	170	1	27.00	3.30	3.00	18	0	18	11.00	7.97	2.34
पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल	487.72	154.32	99.81	303	179	124	498.00	257.30	86.47	280	0	280	319.00	77.97	28.12
कुल योग	4667.74	6021.53	4219.40	21549	5785	12064	4888.00	5595.32	3010.35	19605	12549	7056	8000.00	8282.66	2233.70

पीआरआई के लिए स्व. आवंटन — यूटी के लिए स्व. आवंटन

सा.आ.—सामन्य आवंटन — संस्वी.—संस्वीकृत आरआईडीएफ ऋण — संवि.—संचयी संवितरण — प. संख्या—संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

पू.परि.—31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार पूर्ण परियोजनाओं की संख्या — अ.प.—अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या

नाबार्ड	आरआईडीएफ X			आरआईडीएफ XI						राज्यों का कुल आवंटन				
	प. संख्या	पू.परि.	अ.प.	सा.आ.	संस्वी.	संवि.	प. संख्या	पू.परि.	अ.प.	सा.आ.	संस्वी.	संवि.	पू.रि.	अ.प.
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
दक्षिण क्षेत्र														
आन्ध्र प्रदेश	1705	37	1668	684.25	1212.51	97.04	2559	0	2559	5679.87	2569.12	7737	1648	8089
कर्नाटक	2256	9	2247	431.67	428.81	2.12	1723	0	1723	2089.44	1041.61	5630	704	4926
केरल	299	3	296	206.40	186.52		233	0	233	1022.77	456.58	909	104	805
तमिलनाडु	4437	0	4437	389.67	400.19		1023	0	1023	2627.48	1491.22	7714	851	6863
दक्षिण क्षेत्र कुल	8697	49	8648	1711.99	2228.03	99.16	5538	0	5538	11419.56	5558.53	21990	3307	18683

1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
पश्चिमी क्षेत्र														
गोवा	0	0	0	40.12	0.00	0.00	0	0	0	31.88	25.84	2	2	0
गुजरात	25	1	24	459.58	872.73	11.53	321	0	321	3914.01	1997.91	12258	11505	753
महाराष्ट्र	416	2	414	566.72	100.81	0.00	1	0	1	1844.18	1248.51	1649	716	933
पश्चिमी क्षेत्र कुल	441	3	438	1066.42	973.54	11.53	322	0	322	5790.07	3272.26	13909	12223	1686
उत्तरी क्षेत्र														
हरियाणा	443	0	443	166.54	196.81		64	0	64	1009.97	503.83	835	38	797
हिमाचल प्रदेश	146	40	106	210.74	196.14	7.03	251	0	251	805.53	417.07	819	171	648
जम्मू एवं कश्मीर	12	0	12	331.65	6.23		7	0	7	534.61	308.22	297	4	293
पंजाब	289	3	286	145.98	286.85	23.23	653	0	653	1402.06	771.33	2184	220	1964
राजस्थान	2953	183	2770	546.09	544.96	45.29	2316	0	2316	1885.74	1001.87	7502	2220	5282
उत्तर प्रदेश	2706	8	2700	739.16	669.92		1009	0	1009	3403.63	1939.41	4367	41	4326
उत्तरांचल	257	0	257	186.73	49.85		128	0	128	731.61	355.18	686	222	464
उत्तरी क्षेत्र कुल	6806	232	6574	2326.89	1950.76	75.55	4428	0	4428	9773.15	5296.91	16690	2916	13774
मध्य क्षेत्र														
छत्तीसगढ़	39	2	37	309.39	111.21	0.51	32	0	32	1099.23	633.55	1844	209	1635
मध्य प्रदेश	42740	1	42739	552.99	426.35	3.58	797	0	797	2580.29	1345.02	43805	47	43758
मध्य क्षेत्र कुल	42779	3	42776	862.38	537.56	4.09	829	0	829	3689.52	1978.57	45649	256	45393
पूर्वी क्षेत्र														
बिहार	38	0	38	388.75	301.52		1145	0	1145	988.73	186.75	5705	2574	3131

1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
झारखंड	140	11	129	228.00	107.44		1253	0	1253	454.00	155.50	1394	11	1383
उड़ीसा	440	0	440	380.34	396.95		7059	0	7059	1870.95	881.04	8258	204	8054
पश्चिम बंगाल	428	0	428	435.22	459.22	25.87	1443	0	1443	2362.94	1034.92	9062	962	8100
पूर्वी क्षेत्र कुल	1046	11	1035	1432.31	1265.13	25.87	10900	0	10900	5676.82	2258.22	24419	3751	20668
पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम														
अरुणाचल प्रदेश	10	0	10	89.14	107.44	4.48	6	0	6	142.70	19.78	19	0	19
असम	23	0	23	260.38	220.70		136	0	136	644.53	228.00	313	2	311
मणिपुर	1	0	1	40.61	0.00		0	0	0	2.28	0.96	1	0	1
मेघालय	0	0	0	50.51	11.85		17	0	17	65.54	33.75	55	4	51
मिजोरम	16	0	16	38.18	0.00		0	0	0	24.78	21.78	25	0	25
नागालैंड	62	0	62	41.62	2.87		4	0	4	56.53	34.16	202	2	200
त्रिपुरा	0	0	0	52.09	0.00		0	0	0	75.00	44.76	54	1	53
सिक्किम	133	6	127	27.48	3.16		5	0	5	40.61	30.80	327	176	151
पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल	245	6	239	600.01	346.02	4.48	168	0	168	1001.97	413.99	996	185	811
कुल योग	60014	304	59710	8000.00	7301.04	220.68	22185	0	22185	37401.09	18778.48	123653	22638	101015

पीआरआई के लिए स्व. आवंटन यूटी के लिए स्व. आवंटन

सा.आ.—सामान्य आवंटन संस्वी.—संस्वीकृत आरआईडीएफ ऋण संवि.—संचयी संवितरण प. संख्या—संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

पू.परि.—31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार पूर्ण परियोजनाओं की संख्या अ.प.—अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समिति

*189. **चौधरी लाल सिंह :**
श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ग–क के शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या समिति ने देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यविधि में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। देश के श्रेणी–1 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी 1996 में एक समिति गठित की गई थी।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.1.1996 के आदेश की प्रति संलग्न विवरण–I में दी गई है जिसमें समिति के गठन के बारे में निर्देश दिए गए हैं। समिति ने मार्च, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(घ) समिति ने देश में कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया :

(i) कचरा सृजन।

(ii) कचरे के प्रकार।

(iii) कचरे के भण्डारण, एकत्रीकरण, दुलान और निपटान के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी।

(iv) प्रारंभिक एकत्रीकरण, कचरा भण्डारण डिपो, मार्गों की सफाई, कचरे का दुलान, कचरे का प्रसंस्करण और निपटान, संस्थागत व्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी।

श्रेणी–I शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सरकार ने मिशन के स्थान पर अगस्त, 1999 में प्रौद्योगिकी सलाहकार दल (टीएजी) का गठन किया था।

विवरण-I

भारत के उच्चतम न्यायालय में आरंभिक अधिकारिता

1996 की रिट याचिका (ग) सं. 888

अल्मित्रा एच. पटेल एवं अन्य – याचिकाकर्ता

बनाम

संघ सरकार एवं अन्य – प्रत्यर्थी

आदेश

हमने विद्वान अपर महासालिसिटर तथा श्री वल्लापल्ली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना। इस स्तर पर हम एक समिति गठित करना तथा समिति द्वारा जांच किए जाने वाले विशिष्ट पहलुओं को विनिर्दिष्ट करना उचित मानते हैं। हम तदनुसार निर्देश देते हैं।

प्रथम श्रेणी (क्लास–I) शहरों (एक लाख से अधिक आबादी वाले) के लिए समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

1. श्री असीम बर्मन — अध्यक्ष
(आयुक्त, कलकत्ता नगर निगम)

2. श्री एस. आर. राव — सदस्य
(सचिव, एस. एस. आई.
गुजरात सरकार एवं भूतपूर्व आयुक्त, सूरत)

3. श्री एस. के. चावला — सदस्य
मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

4. श्री पी. यू. असनानी — सदस्य
(भारत के लिए शहरी पर्यावरण अवस्थापना
प्रतिनिधि, यूएसएआईडी तथा परामर्शदाता,
अहमदाबाद नगर निगम)

5. डा. सरोज — सदस्य
(संयुक्त निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)

6. श्री रजत भार्गव सदस्य
(आयुक्त, विजयवाड़ा नगर निगम)

7. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी सदस्य सचिव
(उप सचिव, शहरी विकास, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय)

8. श्रीमती अल्मित्रा पटेल सदस्य
(संयोजक, आईएनटीएसीएच वेस्ट नेटवर्क)

समिति के लिए विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

शहरी ठोस कचरा प्रबंधन के सभी पहलुओं की जांच करना, विशेषकर :

1. मौजूदा पद्धतियों की जांच करना तथा आर्थिक व्यवहार्यता एवं सुरक्षा के आधार पर स्वास्थ्यकर प्रसंस्करण तथा कचरा निपटान पद्धितियों एवं प्रमाणित प्रौद्योगिकियों का सुझाव देना जिन्हें निगम/सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सकें या प्रायोजित कर सकें।

2. पारिस्थितिकी के अनुकूल कचरे की छंटाई, एकत्रीकरण, ढुलान, निपटान, रिसाइक्लिंग एवं पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक एवं अनौपाचारिक क्षेत्र में परिस्थितियों की जांच करना एवं सुधार करने हेतु उपाय सुझाना।

3. म्युनिसिपल उप–नियमों तथा स्थानीय निकायों एवं क्षेत्रीय योजना प्राधिकरणों की शक्तियों की समीक्षा करना तथा प्रभावी बजट बनाने, वित्त प्रबंध करने, प्रशासन, मानीटरिंग एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन सुझाना।

4. शहरी ठोस कचरे के प्रबंधन की जांच करना तथा इसके लिए मानक एवं विनियम बनाना, और समय–सीमा निर्धारित करना जिसके भीतर प्राधिकरणों को उनका कार्यान्वयन करना होगा।

समिति ने अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र अधिमानतः 30 जून, 1998 के पहले प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। समिति से अंतरिम रिपोर्ट देने का भी अनुरोध किया जाता है यदि ऐसा करना समिति के लिए सुविधाजनक हो।

दिल्ली में सचिवालयी सहायता शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जाएगी जो समिति के समुचित रूप से कार्य करने के लिए समिति द्वारा अपेक्षित अन्य सभी व्यवस्थाएं भी करेगा जबकि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ये व्यवस्थाएं संबंधित राज्य/सघ शासित प्रदेश द्वारा की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए उस सीमा तक होने वाले व्यय का वहन इस स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इन व्ययों को पूरा करने की अंतिम जिम्मेवारी के संबंध में बाद में निर्णय किया जाएगा।

स्थानीय प्राधिकरण तथा संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश समिति को उसके समुचित ढंग से कार्य करने के लिए पूरा सहयोग एवं सहायता देंगे।

इस मामले को 20 जुलाई, 1998 के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

हस्ता./– भारत के मुख्य न्यायाधीश

हस्ता./– न्यायमूर्ति
(बी.एस. कृपाल)

हस्ता./– न्यायमूर्ति
(वी.एन. खरे)

नई दिल्ली
16 जनवरी, 1998

विवरण-II

श्रेणी–I शहरों में कचरा प्रबंधन पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सिफारिशें

गलियों में कचरा फेंकने पर प्रतिबंध

गलियों, फुटपाथों, खुले स्थानों, खुले नालों अथवा जलाशयों में कोई कचरा नहीं फेंका जाएगा।

कचरे का स्रोत पर ही भंडारण

कचरे को कचरा उत्पत्ति स्रोत पर ही 2 डिब्बों/थैलों में रखा जाए, जिनमें एक फूड/बायो–डिग्रेडेबल कचरे के लिए तथा दूसरा डिब्बा पुनः शोधन करने योग्य कचरे के लिए हो। खतरनाक घरेलू कचरे को उत्पत्ति के समय ही उक्त दोनों कचरों से अलग रख लिया जाए।

बहु मंजिले भवन, वाणिज्यिक परिसर तथा समूह आवास अपने सदस्यों द्वारा सृजित कचरे के भण्डारण के लिए अतिरिक्त समुदाय

कचरा पेटियां मुहैया कराएंगे। स्लम निवासियों द्वारा समुदाय कचरा भण्डारण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा स्लमों में समुदाय कचरा पेटियां भी मुहैया कराई जाएंगी।

कचरे दहलीज पर एकत्रण

दोनों ही प्रकार के कचरे, आर्गेनिक/बायोडिग्रेडेबल कचरे तथा साथ ही पुनः शोधन करने योग्य कचरे को दहलीज से ही एकत्र किया जाए। कचरा एकत्रण स्टाफ के पहुंचने की सूचना के साधन के तौर पर एक घंटी, सीटी अथवा हार्न के इस्तेमाल से जन भागीदारी के मार्फत दहलीज से ही रोजाना फुड/बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र करने के लिए कंटेनरयुक्त हथठेला अथवा कंटेनरयुक्त तिपहिया साइकिल अथवा छोटे मोटर युक्त वाहन का प्रयोग किया जाए।

दहलीज से पुनः शोधन करने योग्य कचरे के एकत्रण का कार्य गैर–सरकारी संगठनों को कबाड़ियों को देना चाहिए। उन्हें गलियों, पेटियों अथवा डंपयार्ड से कचरा उठाने की बजाय दहलीज से ही पुनः शोधन करने योग्य सामग्री के एकत्रण का कार्य दिया जा सकता है, जिससे उनकी स्थिति में भी सुधार होगा। यह कचरा घरों, दुकानों अथवा संस्थापनाओं की सुविधा अनुसार सप्ताह में एक या दो बार एकत्र किया जा सकता है।

तथापि, खतरनाक किस्म का जहरीला कचरा जो कभी–कभार ही उत्पन्न होता है, का निपटान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समुचित स्थानों पर शहर में विशेष कचरा पेटियां मुहैया कराकर नागरिकों द्वारा ही किया जाएगा।

वर्ष के सभी दिन गलियों की सफाई

गलियों और सार्वजनिक स्थानों, जहां एक अथवा दोनों तरफ बसाव अथवा वाणिज्यिक क्रियाकलाप हो, की वर्ष के हर दिन सफाई की जाए, चाहे रविवार हो या कोई सार्वजनिक अवकाश हो। स्थानीय निकायों द्वारा साप्ताहिक अवकाश के दिनों की बारी–बारी से व्यवस्था की जाए।

गलियों की सफाई के लिए कार्य मानक

क्षेत्र की आबादी तथा स्थानीय स्थितियों के आधार पर 250 से 750 रनिंग मीटर लम्बी सड़क की सफाई कार्य मानकों की सिफारिश की जाती है। गली सफाई तथा कचरा एकत्रण के लिए "पिन प्वाइंट" क्षेत्र निर्धारित करने की भी सिफारिश की जाती है ताकि कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग हो सके।

सार्वजनिक स्थलों पर कचरा पेटियों (लिटर बिन) का प्रावधान

रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, मार्केट स्थलों, पार्कों, गार्डनों तथा महत्वपूर्ण वाणिज्यिक पथों पर कचरा पेटियों का प्रावधान किया जाए ताकि गलियों में कूड़ा न फैल सके।

खुले कचरा भण्डारण स्थलों तथा अन्य अस्वास्थ्यकर कचरा पेटियों को हटाना

स्वच्छ बंद चल कंटेनरों का प्रावधान करके गलियों में कचरा पेटियों की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए, जिनमें कि कचरा कंटेनरयुक्त हैंड कार्ट अथवा तिपहिया साइकिलों से सीधे डाला जा सके तथा सभी खुले कचरा भंडारण स्थलों व साथ ही सीमेंट कंक्रीट अथवा चिनाई से बनी पेटियों को एक चरणबद्ध रूप से हटाया जाए।

कचरा भंडारण सुविधा के समान कचरे की दुलाई-कचरा की मानव द्वारा दुलाई से छुटकारा

कचरे के दुलान के लिए ऐसी प्रणाली शुरू की जाए, जिसमें प्रारंभ में कचरा एकत्रण तथा भारी मात्रा में कचरा भंडारण की सुविधा, दोनों हो। कचरे की मानव द्वारा दुलाइ तथा अनेक प्रकार की दुलाई को हटाकर बड़े शहरों में कंटेनर उठाने के लिए हाइड्रोलिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए तथा छोटे शहरों में ट्रेक्टर ट्राली अथवा एक ट्रेक्टर कंटेनर का उपयोग किया जाए।

अस्थाई कचरा भंडारण कंटेनर ओवरफ्लो होने से पहले ही कचरे की नियमित रूप से दुलाई की जाए। मितव्यता की दृष्टि से कम से कम दो शिफ्टों में वाहन फ्लीट का इस्तेमाल किया जाए। सड़क पर कम से कम 80 प्रतिशत वाहन फ्लीटों में वर्कशाप सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसे शहरों में, जहां कचरा निपटान स्थलों की दूरी 10 कि.मी. से अधिक है, ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएं।

कचरे का संसाधन तथा निपटान

आर्गेनिक कचरा/बायो-डिग्रेडेबल कचरे का बायो-आर्गेनिक खाद (कंपोस्ट) में परिवर्तन

कचरे के संसाधन तथा निपटान के लिए भूमि दुर्लभ होती जा रही है और खाद्य और कृषि के लिए लाभकारी बायो–डिग्रेडेबल घटक बेकार होते जा रहे हैं, इसलिए भूमि और आर्गेनिक कचरा संसाधन के संरक्षण के उपाय किए जाएं और आर्गेनिक को मिट्टी में वापिस मिला दिया जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त खाद्य कचरा तथा बायोडिग्रेडेबल कचरे की खाद बनाई जाए और

पुनः शोधन करने योग्य कचरे को पुनः शोधन उद्योग में भेजा जाए और केवल उद्योग से निकला कचरा एक वैज्ञानिक ढंग से जमीन में डाल दिया जाए। सार्वजनिक तथा गैर–सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन की भागीदारी से जहां कहीं संभव हो विकेन्द्रीकृत कंपोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए तथा शेष बचे कचरे की केन्द्रीकृत कंपोस्टिंग की जाए। जीवाणु अथवा कृमि कंपोस्टिंग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। रिपोर्ट में विभिन्न कंपोस्टिंग विकल्पों तथा उनकी प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

अप्रमाणित प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु सावधानी

स्थानीय निकायों को चेतावनी दी गई है कि ऊर्जा उत्पादन, ईंधन पेलेस्टाइजेशन इनासिनरेशन आदि महंगी प्रौद्योगिकी नहीं अपनाई जाए जब उसे भारतीय परिस्थितियों के तहत प्रमाणित कर दिया जाए और भारत सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ एजेंसियां नगरों को वह प्रौद्योगिकी अपनाने का परामर्श दें।

कचरा निपटान तथा निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराना

शोधन संयंत्र लगाने और कचरा निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सामने भूमि की समस्या होती है। इस प्रयोजन के लिए सरकारी खाली भूमि निशुल्क अथवा नाममात्र की लागत पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दी जाए और यदि इस प्रकार की भूमि उपलब्ध न हो अथवा उपयुक्त न पाई जाए तो समझौता करके निजी भूमि अर्जित अथवा खरीदी जा सकती है। उपयुक्त भूमि का चयन करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए और राज्य सरकारों द्वारा अधिकार प्राप्त समितियां गठित की जाएं जो शीघ्र अंतिम अनुमोदन देंगी तथा शहरी स्थानीय निकाय को उपयुक्त भूमि का कब्जा तत्काल सौंपेंगी।

स्थल चयन, स्थल विकास तथा भूमि की भराई कार्यों के लिए मानदंड

स्थल चयन, भूमि की भराई वाले स्थलों के विकास और वैज्ञानिक भराई कार्यों के लिए मानदंड अपनाए जाएं पुराने छोड़े गए भराई स्थलों में सुधार किया जाए जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। बायो–मेडिकल कचरा औद्योगिक कचरा तथा बूचड़खाना कचरे का निपटान भारत सरकार तथा/अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रासंगिक नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण

एसडब्ल्यूएम प्रणाली की सफलता के लिए सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण है। प्रशासन में व्यावसायिक दृष्टिकोण, प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देना, कचरा निपटान में पर्यावरणीय/लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों को शामिल करना तथा कार्य नियतन के मानकों और समुचित पर्यवेक्षण स्तरों की सिफारिश की जाती है। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास करना अपेक्षित है। नगरपालिका आयुक्तों और मुख्य कार्यकारियों का बार–बार स्थानांतरण न किया जाए और उनका कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए अंतः नगर बैठकों की सिफारिश की जाती है।

पर्यवेक्षण स्टाफ अपना दायित्व निर्णय होकर निभा सके, इसके लिए कानून में उपयुक्त संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1984 के दुरुपयोग के विरूद्ध पर्यवेक्षण स्टाफ के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए जाएं।

एसडब्ल्यूएम सेवाओं में गैर-सरकारी संगठन/निजी क्षेत्र की साझेदारी

वर्तमान स्टाफ के हितों को क्षति पहुंचाए बिना समग्र निष्पादन में सुधार के लिए एसडब्ल्यूएम सेवाओं में गैर–सरकारी संगठन/निजी क्षेत्र सहयोग के माध्यम से जवाबदेही और सेवाओं के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। इस सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने के लिए भारत सरकार द्वारा संविदा श्रम (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में समुचित संशोधन किए जाएं।

प्रवर्तन

सड़कों पर कचरा फैंकने वालों अथवा गंदगी फैलाने वालों से प्रशासनिक प्रभार अथवा विशेष सफाई की उगाही की प्रणाली शुरू की जाएं तथा नगरपालिका अधिनियमों व नियमों में उपयुक्त प्रावधान करके स्थानीय निकायों को अधिकार दिया जाए कि वे दोषी लोगों को दंडित करें।

प्रबंध सूचना प्रणाली

कर्मचारियों तथा मशीनरी के निष्पादन की मानीटरिंग तथा भावी आयोजना में मदद के लिए एमआईएस महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में प्रस्तावित विस्तृत प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू की जाए।

वित्तीय पहलु

शहरी स्थानीय निकायों की खराब वित्तीय स्थिति ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।

निकाय को सुव्यवस्थित बनाकर तथा वित्तीय अनुशासन को दुरुस्त करने के लिए अपेक्षित उपाय करके बेकार खर्च का निराकरण करके आवश्यक सेवाओं पर खर्चे को तरजीह देकर स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को पहले बेहतर बनाया जाए जैसा कि रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। करों, प्रयुक्त प्रभारों तथा शुल्कों को बढ़ाया जाना चाहिए और इन्हें जीवन यापन लागत इंडेक्स से जोड़ा जाना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र आधारित सम्पत्ति कर सुधार किए जा सकते हैं।

शहरी स्थानीय निकायों को राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता

74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को मिलने वाली वित्तीय सहायता शीघ्र दी जाए और शहरी स्थानीय निकायों को रिपोर्ट में दिए गए सूत्र के अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए धनराशियां भी आवंटित की जाएं। इसी बीच 10वें वित्त आयोग द्वारा खर्चे न हुए अनुदान शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित करने पर भी विचार किया जाए ताकि वे ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी अपनी पद्धतियों का आधुनिकीकरण कर सकें। स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने, निगम बंध पत्रों को कर मुक्त दर्जा देने रिसाइक्लिंग तथा कंपोस्ट खाद उत्पादक उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के विषय में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विचार किया जाए।

स्वास्थ्य संबंधी पहलु

ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी अनुपयुक्त पद्धतियों से स्वास्थ्य और सफाई संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठोस कचरा प्रबंधन की अनुपयुक्त पद्धतियों से 22 प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ठोस कचरा प्रसंस्करण तथा निपटान स्थलों का उचित प्रबंधन स्लमों की सफाई पर विशेष ध्यान, न्यून लागत सफाई सुविधाओं की व्यवस्था ताकि लोग खुले में शौच न जाएं। पशुओं द्वारा फैलाई जाने वाली गन्दगी को रोकना, कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण तथा सुरक्षित परिधानों का उपयोग ऐसे ही कुछ उपाय हैं जिन्हें स्थानीय निकाय को तुरन्त करना चाहिए ताकि नागरिकों और कर्मचारियों की सेहत का ख्याल रखा जा सके।

विधिक पहलु

बड़े पैमाने पर जन जागृति अभियान चलाकर नागरिकों की सक्रिय सहभागिता का सुनिश्चय किया जाए। स्थानीय निकायों को अधिशासित करने वाले स्थानीय राज्य कानूनों में पर्याप्त प्रावधान किए जाएं ताकि जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो सके और चूक करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। प्रत्येक राज्य द्वारा किए जाने वाले कानूनी प्रावधान इस रिपोर्ट में सुझाए गए हैं।

जनजागृति कार्य नीति

सूचना, शिक्षा तथा संचार तकनीकों का इस्तेमाल करके जनजागृति अभियान चलाए जाएं। कचरा में कमी, पर्न उपयोग, रिसाइक्लिंग (आरआरआर) का प्रचार किया जाए ताकि स्थानीय निकाय पर बोझ कम हो सके और नागरिकों को कहा जाए कि वे स्थल पर ही कचरा डालने के लिए दो कूड़ादान प्रणालियों का उपयोग करें। घर के बाहर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था में सहयोग दें और नगर को कूड़ा मुक्त रखें। राष्ट्रीय कार्यसूची में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि ठोस कूड़े का स्वास्थ्यकर तरीके से प्रबंधन किया जाए।

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

देश की विशालता तथा शहरी स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही, मानीटरिंग तथा तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। अतः भारत सरकार को चाहिए कि वह शहरी विकास मंत्रालय के अधीन 5 वर्ष की अवधि के लिए ठोस कचरा प्रबंधन हेतु एक ठोस प्रौद्योगिकी मिशन की तत्काल स्थापना करे। इस मिशन के कार्य इस प्रकार होंगे : विभिन्न स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन को मानीटर करना, कूड़े के प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बारे में स्थानीय निकायों का मार्गदर्शन करना, तकनीकी सहायता मुहैया कराना तथा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से सरकारी स्रोतों और वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाकर वित्तीय सहायता देना, प्रशिक्षण जरूरतों का पता लगाना, बुनियादी कार्यनिष्पादन सूचकों का निर्धारण करना और देशभर में ठोस कचरा प्रबंधन पद्धति के सुधार पर निरंतर तथा विशेष ध्यान देना।

समय सीमा

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक समय–सीमा निर्धारित करना आवश्यक है जो रिपोर्ट में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 3 महीने से लेकर 3 साल तक निर्धारित की गई है।

डाकघर खोलना

*190. **श्री अनन्त नायक** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुदूर, जनजातीय, पहाड़ी और सीमावर्ती राज्यों में डाकघर खोलने के मानदंडों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शाखाएं/डाकघर खोलने या उन्नयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना अवधि में यह लक्ष्य अर्जित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए, जिनमें सीमावर्ती राज्यों के डाकघर भी शामिल हैं, निर्धारित जनसंख्या और आय के मानदंड सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानदंडों के मुकाबले काफी शिथिल हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष परिस्थिति में दूरी संबंधी मानदंड में भी ढील देने का प्रावधान है। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नौवीं योजना के दौरान देश में 2598 शाखा डाकघर और 250 विभागीय उप डाकघर खोलने के लक्ष्य की तुलना में 2154 शाखा डाकघर और 254 उप डाकघर खोल गए। ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(च) चूंकि यह आंकड़ा नौवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है जो मार्च 2002 में पूरी हो चुकी है, अतः सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड :

1.1 जनसंख्या :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000।

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33.3 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणाम स्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/– रुपये तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/– रुपये है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणाम स्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरम्भ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक–दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

विवरण-II

9वीं पंचवर्षीय योजना में डाकघर खोलने के सर्किलवार लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	सर्किल	शाखा डाकघर		उप डाकघर	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	65	33	7	10
2.	असम	194	161	16	20
3.	बिहार	275	262	11	7
4.	छत्तीसगढ़	50	50	2	2
5.	दिल्ली	19	19	10	10
6.	गुजरात	126	103	12	13
7.	हरियाणा	60	40	9	8
8.	हिमाचल प्रदेश	36	20	5	3
9.	जम्मू व कश्मीर	71	66	4	4
10	झारखंड	37	शून्य	2	2
11.	कर्नाटक	104	91	16	16
12.	केरल	32	29	9	8
13.	मध्य प्रदेश	163	167	17	17
14.	महाराष्ट्र	279	278	24	27
15.	उत्तर पूर्व	194	107	12	14
16.	उड़ीसा	75	69	10	11
17.	पंजाब	59	51	16	15
18.	राजस्थान	130	127	11	9
19.	तमिलनाडु	66	66	10	11
20.	उत्तर प्रदेश	286	232	15	13
21.	उत्तरांचल	31	21	1	2
22.	पश्चिम बंगाल	246	162	31	32
	कुल	2598	2154	250	254

न्यायालयों में लंबित मामले

***191. श्री तथागत सत्पथी :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दीवानी, फौजदारी तथा अन्य मामले बड़ी संख्या में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो लंबित पड़े मामलों का राज्यवार तथा अवधिवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने और काफी समय से लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या विधि आयोग ने न्यायालयों में तुच्छ और तग करने वाले मुकदमे दायर करने को रोकने के लिए विधान अधिनियमित करने और अन्य लंबित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पद संख्या का प्रत्येक

तीन वर्ष में पुनर्विलोकन किया जाता है। न्यायाधीश पद संख्या का आगामी पुनर्विलोकन वर्ष 2006 में नियत है जिसके लिए कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी गई है। सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों को समय-समय पर विद्यमान और आगामी छह मास के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव चलाने का अनुरोध करती रही है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से अधीनस्थ न्यायपालिका की रिक्तियों को भरने के लिए आवधिक रूप से अनुरोध करती रही है।

सरकार ने लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए अनेकों उपाय किए हैं जिनके अन्तर्गत न्यायाधीशों की रिक्तियों का समय पर भरा जाना, न्यायाधीश पद संख्या में वृद्धि करना, विधि के समान प्रश्न वाले मामलों को समूहबद्ध करना, विशेषीकृत न्यायपीठों का गठन, नियमित अंतरालों पर लोक अदालतों का आयोजन, बातचीत, मध्यकता और माध्यस्थम् जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा देना और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण जैसे विशेष अधिकरणों और कुटुंब न्यायालय तथा श्रम न्यायालयों का गठन है। सरकार ने जिला स्तर पर लंबित मामलों की बड़ी संख्या को समाप्त करने के लिए विद्यमान 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकाल को और पांच वर्षों अर्थात् 31.3.2010 तक बढ़ा दिया है।

(घ) और (ङ) विधि आयोग ने 'अनुचित मुकदमेबाजी का निवारण' संबंधी अपनी 192वीं रिपोर्ट में न्यायालयों में तुच्छ और अनुचित मुकदमों का फाइल करने का निवारण करने हेतु एक विधान अधिनियमित करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं। ये सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से समीक्षाधीन हैं।

विवरण-I

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	को	सिविल मामले	दांडिक मामले	योग
	उच्चतम न्यायालय	23.11.05	28276	5359	33635

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	को	सिविल मामले	दांडिक मामले	योग
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	30.6.05	551630	187151	738781
2.	आन्ध्र प्रदेश	30.6.05	137666	17479	155145
3.	बम्बई	30.6.05	296888	49054	345942
4.	कलकत्ता	31.12.04	212448	40270	252718
5.	दिल्ली	30.6.05	64302	12913	77215
6.	गुजरात	31.12.04	113505	25962	139467
7.	गुवाहाटी	30.6.05	51531	7061	58592
8.	हिमाचल प्रदेश	30.6.05	18160	5918	24078
9.	जम्मू-कश्मीर	30.6.05	41022	2729	43751
10.	कर्नाटक	30.6.05	75948	11176	87124
11.	केरल	30.6.05	116088	22824	138912
12.	मद्रास	30.6.05	272494	16871	289365
13.	मध्य प्रदेश	30.6.05	141475	60427	201902
14.	उड़ीसा	30.6.05	176708	16854	193562
15.	पटना	30.6.05	69012	24784	93796
16.	पंजाब और हरियाणा	30.6.05	195321	43293	238614
17.	राजस्थान	30.6.05	154314	44930	199244
18.	सिक्किम	30.6.05	70	8	78
19.	उत्तरांचल	30.6.05	30446	6548	36994
20.	छत्तीसगढ़	30.6.05	45752	22855	68607
21.	झारखंड	30.6.05	23199	17432	40631
	योग		2787979	636539	3424518

विवरण-II

न्यायालय-वार और लंबित रहने की अवधि-वार लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष	उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले	उच्च न्यायालयों में लंबित मामले
1	2	3	4
1.	2000	22,145	28,86,839

1	2	3	4
2.	2001	22,722	30,56,614
3.	2002	24,335	31,87,527
4.	2003	26,750	32,39,295
5.	2004	30,151	33,79,033
6.	2005	33,635	34,24,518

ऐक्सेस डेफिसिट चार्ज

*192. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
श्री वाडिग्ग रामकृष्णा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008–09 तक "एक्सेस डेफिसिट चार्ज" प्रणाली को समाप्त करने हेतु त्रि–स्तरीय प्रक्रिया लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल को इसकी ग्रामीण टेलीफोनी के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को समर्थन देने के लिए "ऐक्सेस डेफिसिट चार्ज" को बनाए रखने की वकालत की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अपने "दिनांक 29.10.2003 के दूरसंचार इंटरकनैक्शन उपयोग प्रभार विनियम, 2003" के पैरा 98 के तहत यह उल्लेख किया है कि आदर्श व्यवस्था, सार्वभौमिक सेवा दायित्व प्रकार की व्यवस्था होगी जिसे, कार्यान्वित करना आसान है और इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की कॉलों के लिए अंतरीय अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) के आधार पर प्रोत्साहित/निरुत्साहित करने वाली विनियामक प्रणाली लागू नहीं की जाती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की यह राय है कि मौजूदा एडीसी व्यवस्था को वर्ष 2008–09 तक सार्वभौमिक सेवा दायित्व प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) दूरसंचार विभाग की यह राय है कि वहनीय प्रशुल्कों (टैरिफ) पर सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिगम घाटा प्रभार की व्यवस्था जारी रखी जानी चाहिए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को तदनुसार अवगत करा दिया गया है।

शहरी हॉट

*193. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिल्पकारों एवं बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 'शहरी हॉट' (अर्बन हॉट) नामक एक नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने शहरी हॉट स्थापित किए गए हैं तथा बुनकरों एवं शिल्पकारों को क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) शिल्पियों एवं बुनकरों को प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं मुहैया कराने हेतु जनवरी 1999 में 'शहरी हाट' नामक योजना आरम्भ की गई।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 200 लाख रुपये है जिसमें 70 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का होता है। शेष 30 प्रतिशत लागत संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित कार्यकारी अभिकरणों (आईए) द्वारा वहन की जाती है। भूमि की व्यवस्था भी कार्यकारी अभिकरण द्वारा की जाती है। हॉट का क्षेत्र 18,000 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए जिसमें शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादों की बिक्री के लिए कम से कम 40 से 50 स्टाल होने चाहिए। उचित रूप से परोसे गए भोजन के स्टाल भी शहरी हॉट का एक महत्वपूर्ण भाग हैं।

(ग) अभी तक 37 शहरी हॉटों का अनुमोदित किया जा चुका है जिनमें से 5 हॉटों में काम शुरू हो चुका है। शहरी हॉटों में शिल्पियों एवं बुनकरों को बहुत ही नाममात्र के किराए पर, पाक्षिक

आधार पर स्टॉल आवंटित किए जाते हैं जहां उनको अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने एवं उनको बेचने का अवसर प्राप्त होता है।

(घ) और (ङ) वित्तीय सहायता सीधे कार्यकारी अभिकरणों को मुहैया कराई जाती है जिसका ब्यौरा पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य–वार संकलित किया गया है जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

(धनराशि रुपये में)

राज्य	2002–03	2003–04	2004–05
गुजरात	–	14,87,500	20,00,000
नागालैंड	–	23,17,000	–
उड़ीसा	–	19,10,000	1,61,63,000
उत्तर प्रदेश	70,00,000	20,00,000	
राजस्थान	35,00,000	35,00,000	70,00,000
असम	20,00,000	–	–
जम्मू एवं कश्मीर	49,90,000	35,00,000	–
कर्नाटक	–	–	34,30,000
उत्तरांचल	31,67,500	31,67,500	–
आंध्र प्रदेश	13,40,000	–	–
त्रिपुरा	13,50,000	–	–
हरियाणा	–	–	28,05,000
मध्य प्रदेश	–	–	17,25,000
नागालैंड	–	–	23,17,000

पुष्ट मांगें

*194. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्ट मांगों (कन्फर्म्ड डिमांड्स) की वसूली न होने और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांगों के न्याय–निर्णयन न होने के परिणामस्वरूप 545.32 करोड रुपये का राजस्व रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पुष्ट मांगों की वसूली न हो पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पुष्ट और न्याय–निर्णीत मांगों की पूर्ण धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) मार्च, 2004 (2005 की संख्या 11) को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि पुष्ट मांगों की गैर–वसूली और मांगों का न्याय निर्णयन नहीं होने के परिणामस्वरूप 545.32 करोड़ रुपये (रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.10.1 और 2.10.2 के संदर्भ में) का राजस्व अवरुद्ध हुआ। पुष्ट की गई मांग के मामलों में वसूली की बकाया राशि 65.23 करोड़ रुपये है तथा मांगों के गैर न्याय निर्णयन से संबंधित राशि 480.09 करोड़ रुपये है, जिसे कुल राशि 545.32 करोड़ रुपये हो गई है। ये आंकड़े 13 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में व्यक्तियों एवं माल के परिवहन हेतु मोटर–वाहनों के विनिर्माताओं से संबंधित हैं।

(ख) 65.23 करोड़ रुपये की राशि में से, 49.29 करोड़ रुपये की राशि को सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की है। उच्चतम न्यायालय का अंतिम आदेश प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, अधिकरण द्वारा 12.42 करोड़ रुपये की राशि को नए सिरे से न्याय निर्णयन करने के लिए मूल न्याय निर्णयन प्राधिकारी को वापस लौटा दिया गया है। इस आदेश को स्वीकार नहीं किया गया है तथा एक संदर्भ आवेदन माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर कर दिया गया है। अतः 61.71 करोड़ रुपये की राशि इस समय वसूलनीय नहीं है।

3.5 करोड़ रुपये की शेष राशि में से 70 लाख रुपये की राशि वसूल कर ली गई है और शेष राशि अभी वसूलनीय नहीं है क्योंकि अधिकरण ने मामले को आयुक्त (अपील) को लौटा दिया है, जिन्होंने बाद में, न्याय निर्णयन प्राधिकारी को शुल्क देनदारी का पुनः निर्धारण करने को कहा है।

न्याय निर्णयन हेतु विचाराधीन पड़े हुए मामलों में 480.09 करोड़ रुपये की अंतर्ग्रस्त राशि के संबंध में, उन मामलों में न्याय निर्णयन कर दिया गया था जिनमें 369.85 करोड़ रुपये की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त थी परन्तु इनमें अधिकरण/न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी गई है। 14 ऐसे मामले जिनमें 27.28 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है, उन पर इस समय न्याय निर्णयन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे ही मुद्दों पर या तो न्यायालयों/अधिकरण द्वारा विचार

किया जा रहा है अथवा विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विरोध किया जा रहा है। अन्य मामलों पर न्याय निर्णयन करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उपरोक्त के संबंध में, विभागीय अधिकारियों को उनके पास विचाराधीन मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने के निदेश दिए गए हैं। अधिकरण/न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हुए मामलों के संबंध में, शीघ्र सुनवाई करने के लिए आवेदन दायर किए जा रहे हैं। जहां–कहीं भी बकाया राशियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और यह वसूली के लिए देय हो जाती हैं, वहां विभागीय अधिकारियों को तुरन्त उक्त राशि को वसूल करने के निदेश दिए गए हैं।

कच्चे पटसन की खरीद

*195. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे जूट की बहुत कम खरीद के कारण पटसन उत्पादक अत्यधिक हताश है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय जूट निगम द्वारा देश में कुल पटसन उत्पादन की तुलना में कुल कितनी मात्रा में जूट की खरीद की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) वर्तमान पटसन वर्ष 2005–06 (जुलाई–जून) के दौरान मौसम की शुरूआत से ही कच्ची पटसन की कीमतें न्यूनतम मूल्य (एमएसपी) से अधिक चल रही हैं। परिणामस्वरूप भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्ची पटसन की एमएसपी खरीद वर्तमान पटसन वर्ष के दौरान नगण्य रही है। अतः भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की कम खरीद के कारण पटसन उत्पादकों की किसी हताशा का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदी गई पटसन की कुल मात्रा निम्नलिखितानुसार है :

(आंकड़े लाख गांठ में)

2002–03		2003–04		2004–05	
जेसीआई द्वारा खरीद	फसल का उत्पादन	जेसीआई द्वारा खरीद	फसल का उत्पादन	जेसीआई द्वारा खरीद	फसल का उत्पादन
13.09	104 (लगभग)	11.22	96 (लगभग)	3.56	85 (लगभग)

(ग) पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

(i) कच्ची पटसन के विभिन्न ग्रेडों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर प्रति वर्ष कच्ची पटसन की बेहतर कीमतें पेश कर किसानों को प्रोत्साहन।

(ii) किसानों की उपज की आपदा बिक्री से उन्हें बचाने के लिए पटसन किसानों को सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए कच्ची पटसन और मेस्टा में जेसीआई द्वारा एमएसपी अभियान।

(iii) पटसन उद्योग में लगे पटसन उत्पादकों और कामगारों के हितों की रक्षा की दृष्टि से तथा 2005–06 के दौरान (30.6.2006 तक) खाद्यान्न एवं चीनी की पटसन में 100 प्रतिशत अनिवार्य पैकेजिंग के मानदंड निर्धारित कर पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखना।

(iv) बेहतर रैटिंग सुविधाएं शुरू करना।

(v) राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 शुरू करना।

(vi) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना प्रस्तावित।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिकरण में लंबित मामले

*196. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिकरण में कितने मामले लंबित हैं और इसमें कितनी धनराशि फंसी हुई है;

(ख) इसमें से कितने मामले दो वर्षों से लंबित हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सीगेट, जिसे वर्ष 2003 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) के रूप में पुनःनामित किया गया था, में 31.1.2006 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की कुल संख्या 33269 है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार 31.12.2005 को लंबित मामलों में अवरुद्ध राजस्व की राशि, 12,797.65 करोड़ रुपए है।

(ख) 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार 33269 लंबित मामलों में से 10529 मामले दो वर्ष से लंबित हैं।

(ग) (i) सभी संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ग और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ख का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें।

(ii) साप्ताहिक रोस्टर की प्रक्रिया को द्विमासिक रोस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

(iii) अंतिम सुनवाई के मामलों की वाद–सूची अब 50 मामलों के संबंध में विषय–वार कालक्रम में तैयार की जा रही है।

(iv) इन उपायों के फलस्वरूप मामलों के निपटान में सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

ग्रामीण कल्याण के लिए अनुसंधान और विकास

*197. **श्री डी. विट्टल राव** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास संस्थाएं और वैज्ञानिक समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए अनुसंधान और विकास संस्थाओं और वैज्ञानिक समुदाय की उपयोगिता को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को सशक्त बनाने और सुधारने के लिए संगत और समुचित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और अनुकूलन को उत्प्रेरित करने और सहायता प्रदान करने हेतु सामाजिक विकास से संबंधित अनेक स्कीमें हैं। प्रौद्योगिकी संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं संबंधित प्रौद्योगिकियों के स्रोत और माडलों के रूप में कार्य करती हैं जिनका कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक एजेंसियों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसका प्रभाव स्थानीय स्तरों पर महसूस किया गया है। परन्तु, ऐसे कार्यक्रमों के लिए निधियों और अन्य संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण बड़े पैमाने पर इनके प्रसार और अनुकृतिकरण पर प्रभाव पड़ा है। इन कठिनाइयों के बावजूद अनेक माडल और स्थानीय प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है और उनको उपयोग में लाया जा रहा है। कुछ अनुभव सिद्ध प्रौद्योगिकियां/पैकेज इस प्रकार हैं :

- गुणवत्ता नियंत्रण के साथ ग्रामीण स्तर पर मूल्यवर्धन हेतु फल/सब्जी प्रसंस्करण और परिरक्षण। देश में 23 स्थानों पर यह प्रणाली कार्य कर रही है,
- महिलाओं द्वारा उच्च मूल्य औषधीय पौधों की खेती/अर्ध प्रसंस्करण के लिए कृषि प्रौद्योगिकियां,
- नारियल ग्रेटिंग के लिए ड्रायर; बागवानी उत्पादों के लिए कागज और जैव पदार्थ आधारित ड्रायर,
- फूलों को सुखाने की तकनीकें,
- जैव उर्वरक जैसे अजोला, बी. जी. ए.,
- ऊन कार्डिंग मशीन का विकास,
- रेशम उत्पादन में महिलाओं द्वारा उपयोग के लिए रेशम उद्योग अनुकूल औजार/उपस्कर,
- तटीय मछुआरों के लिए मछली एकत्रीकरण साधन (एफ. ए. डी.),
- लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए न्यून तापमान

ग्लेजिंग हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किए गए और अनेक यूनिट, विशेषकार कन्याकुमारी क्षेत्र में, कार्य कर रहे हैं,

- मूत्र–नली में संक्रमण जांच हेतु कम कीमत वाले नैदानिक चिकित्सा किट,
- जैव–ग्रामों की स्थापना,
- प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए एकीकृत माडल के रूप में 16 महिला प्रौद्योगिकी पार्कों और 5 ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना,
- छोटे रेस्तरां/ढाबों के लिए खराब हुए अनाजों, फलों आदि का उपयोग करते हुए बायोगैस संयंत्र। महाराष्ट्र में 500 यूनिट लगाए गए हैं,
- बिजली का उपयोग किए बिना बैक्टीरिया और वायरस को हटाने में सक्षम वाटर फिल्टर अल्ट्राफाइन मेम्ब्रेन,
- चारकोल का उपयोग करते हुए दाब–रहित सराय कुकर जिसमें पूरी तरह खाना पकने में 40 मिनट का समय लगता है। इसका वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है,
- सुन्दरवन डेल्टा में रोग मुक्त केले के उत्पादन के लिए ऊतक संवर्धन तकनीकों का मानकीकरण। प्रशिक्षित महिला समूह द्वारा 4 लाख पौधे बेचे गए हैं,
- झारखंड के लाख उत्पादन क्षेत्र में लाख निकालने और प्रसंस्करण करने वाली मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है,
- कम कीमत के सेनिटरी नैपकिन्स के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और उसका प्रसार किया गया है,
- उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए बहु प्रयोजनी उपयोग वाली पन–चक्कियों का उन्नयन। लगभग 2000 पनचक्कियों का उन्नयन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व

*198. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2012 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक टेलीफोन घनत्व के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्यों को पूरा करने के लिएक्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। नई दूरसंचार नीति 1999 (एनटीपी–(99) में वर्ष 2010 तक 4.0% ग्रामीण टेलीघनत्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने की योजना है :

(i) ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अव्यपगत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) की स्थापना की गई है। ऐसी सहायता के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्र के लाइसेंसधारक पात्र हैं।

(ii) वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण स्थिर लाइन के व्यक्तिगत कनेक्शन प्रदान करना।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का तेजी से समावेश करने के कार्य को सरल बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के लिए साझी अवसंरचना की व्यवस्था करना।

(iv) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा ग्रामीण टेलीघनत्व को बढ़ाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाना, मौजूदा एक्सचेंजों से और अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करने की दृष्टि से लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए बाह्य केबल बिछाने के लिए दूरी के मानदंड में छूट देकर उसे 2.5 कि.मी. से बढ़ाकर 5 कि.मी. तक करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े भाग को आनुषंगिक कवरेज प्रदान की दृष्टि से सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, तीर्थ–स्थलों और

राज्यों के राजमार्गों में अपने मोबाइल नेटवर्क स्थापित करना शामिल है।

(v) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा, निजी प्रचालक भी टेलीफोनों की ग्रामीण मांग को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश कर रहे हैं।

(vi) 5,37,236 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान कर दिए गए हैं। कवर न किए गए शेष 49,640 गांवों में जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है और जो घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि में अवस्थित नहीं हैं, को नवंबर, 2007 तक वीपीटी प्रदान कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

ग्रामीण योजनाओं के लिए निधियों का कम किया जाना

*199. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों के आवंटन को कम करने का निर्णय लिया है जैसा कि 5 फरवरी, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना–वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2005–06 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को पूर्णतः खर्च कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत आवंटित धनराशि को खर्च नहीं किया गया है; और

(ङ) निधियों के आवंटन को बढ़ाने तथा आवंटित निधियों को निर्धारित समयावधि में खर्च करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से इस समय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), वाटरशेड विकास कार्यक्रम अर्थात समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), स्वजलधारा और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी)/संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

2. सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों के आवंटन को कम करने का निर्णय नहीं लिया है, जैसा कि 5 फरवरी, 2006 के राष्ट्रीय सहारा में बताया गया है। 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	2005–06 के दौरान केन्द्रीय आवंटन	2006–07 के दौरान केन्द्रीय आवंटन का बजट प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	स्वर्णजयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना (एसजीएसवाई)	1000.00	1200.00
2.	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) खाद्यान्न घटक सहित	5500.00	3000.00
3.	काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी)	4500.00	0.00
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए)	0.00	11300.00
	एसजीआरवाई, एनएफएफडब्ल्यूपी तथा एनआरईजीए (क्रम सं. 2, 3 तथा 4) का योग	10000.00	14300.00

1	2	3	4
5.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	2775.00	2920.00
6.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ईपीए घटक सहित	4235.00	5225.62
7.	वाटरशेड विकास तथा भूमि सुधार योजनाएं (समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्लूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर), राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण और भू-रिकार्डों को अद्यतन बनाना (एसआरए तथा यूएलआर)	1396.00	1418.00
8.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)	4060.00	5200.00
9.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी)/संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)	700.00	800.00

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक निधियों के उपयोग के बारे में दी गई जानकारी संतोषजनक है। चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में निधियों का उपयोग और बढ़ेगा इसके बारे में रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी हैं। कुछ मामलों में, प्राकृतिक आपदाओं तथा चुनावों आदि जैसे कारकों की वजह से आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका था।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी सभी योजनाओं के अंतर्गत आवंटनों को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय और योजना आयोग से लगातार संपर्क करता रहा है ताकि अधिकतम लक्षित समूहों को सही मायने में लाभ मिल सके।

5. योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है। निगरानी तंत्रों के महत्वपूर्ण साधनों में केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, क्षेत्र अधिकारी योजना, क्षेत्र दौरे, निधियों की रिलीज की निगरानी, आवधिक प्रगति रिपोर्टों का विश्लेषण, लेखा परीक्षा रिपोर्टों और उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्त्ताओं और जिला स्तरीय निगरानी-कर्त्ताओं द्वारा निगरानी, समवर्ती एवं तीव्र मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे लक्षित समूहों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए निचले स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा सहित बहुसूत्री कार्यनीति का पालन करें। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन सभी योजनाओं से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए एक चार सूत्री कार्यनीति भी अपनाई है, इसमें (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन-भागीदारी तथा (iv) जवाबदेही शामिल है।

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ए. द्वारा निधियों का अन्यत्र उपयोग

*200. **श्री उदय सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां (डी.आर.डी.ए.) निधियों का दुरुपयोग और उनका अन्यत्र उपयोग कर रही हैं तथा दिशानिर्देशों आदि का भी उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आवंटित की गई निधियों का दुरुपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यकलापों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है, ये हैं-स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) तथा काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), आवास उपलब्ध कराने के

लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), वाटरशेड परियेजनाओं के माध्यम से क्षेत्र विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सवच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) तथा स्वजलधारा और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान। मंत्रालय ने प्रत्येक योजना के दिशानिर्देशों में अनिवार्य निगरानी तंत्र बनाया है जिसमें उल्लेख है कि किसी निधि का अन्यत्र उपयोग/दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और निष्पादन एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि योजना के उद्देश्य प्राप्त किए जाएं। निधियों के विपथन/दुरुपयोग, अनियमितताओं सहित दुर्विनियोग से संबंधित शिकायतों को तत्काल उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ तुरंत उठाया जाना चाहिए। वर्ष 2004 में, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा 25 शिकायतों का सत्यापन किया गया था तथा वर्ष 2005–06 के दौरान राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा 126 शिकायतों की जांच की गई थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों तथा राज्य सचिवों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों/पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत, जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियों तथा राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अधिक प्रभावी तरीके पाने के लिए समवर्ती मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन सभी योजनाओं से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए एक चार–सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन भागीदारी और (iv) जवाबदेही शामिल हैं।

यूएएसएल करार

*201. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार ऑपरेटर्स यूनीफाइड एक्सेस सर्विसिस लाइसेंस एग्रीमेंट (यूएएसएल) के अंतर्गत रोल आऊट दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस प्रौद्योगिकी निरपेक्ष हैं और लाइसेंसधारक वायरलाइन, वायरलेस अथवा दोनों प्रकार के अभिगम नेटवर्क प्रदान कर सकता है। लाइसेंसधारकों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के भीतर जिला मुख्यालय के 10% भागों में सेवा प्रदान करनी होती है। चूंकि विभिन्न लाइसेंसधारक अपेक्षित जांच प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, इसलिए लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्रवाई हेतु विचार किया जा रहा है।

सीबीईसी में गत्यावरोध

1406. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड में पुनर्गठन की कवायद के दौरान अतार्किक और अवैज्ञानिक पद्धति अपनाए जाने के कारण महाराष्ट्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षकों और अधीक्षकों के संवर्ग में आए भारी गत्यावरोध के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गत्यावरोध को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) अंतिम बार संवर्ग पुनर्गठन का कार्य, विभाग की कार्यकारी आवश्यकताओं और राजस्व वसूली सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से वर्ष 2001 में किया गया था। संवर्ग पुनर्गठन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क, महाराष्ट्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षकों की स्वीकृत नफरी को 1043 से बढ़ाकर 1455 कर दिया गया है। इस वृद्धि से निरीक्षक से अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बेहतर पदोन्नति संभावनाएं बढ़ी हैं। जहां तक, अधीक्षक की सहायक आयुक्त में प्रोन्नति का संबंध है, ये पदोन्नतियां अखिल भारतीय वरीयता सूची के आधार पर की जाती हैं और महाराष्ट्र में पदोन्नति की संभावनाएं वैसी ही हैं जैसे कि देश के किसी दूसरे राज्य में हैं।

(ङ) से (घ) जी, हां। इस मंत्रालय को इस विषय पर और संबंधित मुद्दों पर माननीय संसद सदस्य (श्री शिवाजी अधलराव पाटील, श्री लक्ष्मण राव जाधव (पाटील) और श्री अनन्त जी, गीते) से तीन पत्र प्राप्त हुए हैं। इस विभाग ने तीनों माननीय संसद सदस्यों को प्रस्तुत किए गए उत्तरों में अपनी प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त कर दी है।

पी सी ओ की स्थापना

1407. श्री रनेन बर्मन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में पी सी ओ की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, इत्यादि किसी प्रतिबंध के बिना 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी आवेदकों को तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश में सार्वजनिक कॉल घर (पीसीओ) आवंटित किए जाते हैं।

तथापि, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से आर्थिक सहायता सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के शेष सुविधारहित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की जाती है। नवम्बर, 2004 में, 66,822 सुविधारहित गांवों में 100 से कम जनसंख्या वाले तथा उपद्रव प्रभावित गांवों को छोड़कर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ मैसर्स बीएसएनएल के साथ करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जनवरी 2006 तक, इनमें से 18473 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं। शेष बचे 48349 गांवों में नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने की संभावना है।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नया पाठ्यक्रम

1408. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चार्टर्ड अकाउंटेंटों के पांच वर्ष और तीन माह के विद्यमान पाठ्यक्रम के स्थान पर चार वर्षीय नया पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) और (ख) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक नयी योजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं संलग्न **विवरण** में दी गई हैं।

(ग) सरकार प्रस्ताव की जांच कर रही है।

विवरण

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की नयी योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- कक्षा X (या इसके समकक्ष) की परीक्षा उतीर्ण करने के उपरांत सामान्य योग्यता परीक्षा (सीपीटी) के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में पंजीकृत होना;
- 12 मानक परीक्षा (या इसके समकक्ष) में उपस्थित होने के बाद या इसके उपरांत सामान्य योग्यता परीक्षा देना जिसमें सीपीटी के लिए पंजीकृत होने और सीपीटी में उपस्थित होने के बीच कम से कम तीन कैलेंडर महीने का अंतर होना चाहिए; और नामशः 12वां मानक और सीपीटी दोनों परीक्षा उतीर्ण करने के बाद;
- व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत होने के साथ–साथ व्यवसायिक विशिष्टता कार्यक्रम (पीसीसी) के लिए दिए जाने वाले सैद्धान्तिक निदेश के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में पंजीकृत होना;
- व्यवसायिक विशिष्टता परीक्षा और अंतिम पाठ्यक्रम करने

के दौरान तीन वर्ष और छः महीने की अवधि के लिए एकीकृत सैद्धान्तिक निदेश और व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना;

- व्यवसायिक विशिष्टता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कम से कम 100 घंटे के सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्यतः लेना (या समय–समय पर काउंसिल के द्वारा लिए गए निर्णय जिसमें इसकी रीतियां भी शामिल हैं, के अनुसार) जिसे सीपीटी परीक्षा में शामिल होने के तुरंत बाद या चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम (बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा समय–समय पर काउंसिल की सलाह से निर्णय लिया जाने वाला) में शामिल व्यवसायिक विषयों से संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रारंभ किया जा सकता है;
- व्यवहारिक प्रशिक्षण के प्रारंभ होने के 18 महीने बाद व्यवसायिक विशिष्टता परीक्षा में उत्तीर्ण होना;
- व्यवसायिक विशिष्टता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 100 घंटे का संप्रेषण कुशलता और सामान्य प्रबंधन कोर्स करना (या काउंसिल के द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार, इसकी रीतियों और अवधि के रूप में) लेकिन संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत होने से पहले;
- संस्थान के द्वारा ली जाने वाली अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना।

वाणिज्यिक ऋण

1409. श्री मिलिन्द देवरा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों का लघु अवधि और दीर्घ अवधि दोनों प्रकार के वाणिज्यिक ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस ऋण में विशेषकर कारपोरेट क्षेत्र के ऋण में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) क्या लघु अवधि का ऋण भुगतान संकट में विनाशकारी भूमिका निभा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो भुगतान संतुलन पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान बकाया विदेशी वाणिज्यिक ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मिलि. अमरीकी डालर)

ऋण का प्रकार	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	2003	2004	2005
(क) दीर्घावधि ऋण*	27.467	26,797	32.116
	(–4.3)	(–2.4)	(19.9)
(ख) अल्पावधि ऋण#	2,707	4,127	7,524
	(52.3)	(52.5)	(82.3)
(ग) वाणिज्यिक ऋण	30.174	30.924	39.640
(क + ख)	(–1.0)	(2.5)	(28.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्ष में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं।

*इसमें विदेशी वाणिज्यिक उधार और निर्यात क्रेडिट शामिल हैं।

#इसमें केवल व्यापार क्रेडिट शामिल हैं।

(ख) और (ग) दीर्घावधि वाणिज्यिक ऋण में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में भारतीय कारपोरेटों की बढ़ी हुई पहुंच को दर्शाती हैं। अल्पावधि ऋण में वृद्धि तेल के अपेक्षाकृत अधिक आयात और घरेलू आर्थिक कार्यकलाप बढ़ने से व्यापार क्रेडिट के कारण हुई।

(घ) और (ङ) भारत का अल्पावधि ऋण नियंत्रण में है। मार्च, 2005 के अंत में अल्पावधि ऋण कुल बकाया ऋण का मात्र 6.1 प्रतिशत और विदेशी मुद्रा आस्तियों का 5.6 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान

1410. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने विशेषकर छत्तीसगढ़ ने केन्द्र सरकार के पास शौचालयों के निर्माण के लिए शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि उन्होंने शौचालयों के निर्माण के लिए शत–प्रतिशत अनुदान देने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अफीम की खेती

1411. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अफीम की खेती के क्षेत्र को कम किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त जिले में अफीम की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अफीम उगाने वालों को वैज्ञानिक ढंग से अफीम उगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) अफीम के स्टॉक तथा अफीम की मांग को देखते हुए फसल वर्ष 2004–05 से देश के सभी अफीम उत्पादक क्षेत्रों (बाराबंकी जिले सहित) में किसी कृषक को अफीम की खेती करने हेतु लाइसेंस प्रदान किए जाने वाले अधिकतम क्षेत्र को 20 एयर (एक हैक्टेयर का 1/5 से घटाकर 10 एयर (एक हैक्टेयर का 1/10) कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अफीम की खेती हेतु लाइसेंस केवल उन्हीं कृषकों को जारी किए जाते हैं जिन्होंने पिछले फसल वर्ष में न्यूनतम अर्हक उपज (एम क्यू वाई) सौंपी हो तथा अन्य लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा किया हो। बाराबंकी जिले के कृषकों सहित जो कृषक न्यूनतम अर्हक उपज नहीं सौंप सके तथा/अथवा अफीम लाइसेंसिंग शर्तों के अन्य पात्रता मानक पूरे नहीं करते हैं, उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किए गए जिसके फलस्वरूप लाइसेंस प्राप्त कृषकों की संख्या एवं लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कमी आई।

वर्तमान में, बाराबंकी अथवा देश में कहीं और अफीम की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

पोस्त की खेती वाले क्षेत्र पर कड़ाई से नियंत्रण रखना होता है क्योंकि अफीम के दुरुपयोग की संभावना होती है। अफीम की केवल उतनी ही मात्रा का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है जितनी मात्रा चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों हेतु अपेक्षित होती है। इस प्रकार, सरकारी फैक्ट्रियों में अफीम के भारी स्टॉक तथा अपेक्षाकृत निम्न वार्षिक मांग को देखते हुए न तो बाराबंकी में और न ही भारत में कहीं दूसरी जगह अफीम की खेती के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है।

(घ) और (ङ) परम्परागत रूप से अफीम की खेती करने वाले क्षेत्रों में अफीम की खेती करने वाले कृषक अफीम पोस्त फसल की कृषि करने तथा कैप्सूल चीरा प्रक्रिया के माध्यम से अफीम निकालने में अपेक्षित विशेषज्ञता रखते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग लाइसेंस प्रदान करते समय पोस्त लाइसेंसधारियों/कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया तकनीकी साहित्य/इश्तिहार बांटता है। इस साहित्य में अफीम पोस्त की फसल की खेती की बेहतरीन प्रक्रियाएं तथा कीटों आदि के कारण अफीम की फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां भी दी गई होती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत पत्रों की बिक्री

1412. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जिलेवार कितने राष्ट्रीय बचत पत्रों की बिक्री हुई है;

(ख) उक्त पत्रों की बिक्री के माध्यम से अर्जित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय बचत पत्रों के प्रबंधन में की जा रही धोखाधड़ी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय सहायता

1413. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'सिलिंग अप एक्सेस टू फाइनेंस फार इंडियाज रुरल पुअर' शीर्षक से प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने दिसम्बर 2004 में 'स्केलिंग अप ऐक्सेस टु फाइनेंस फार इंडियाज रुरल पूअर' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लचीली योजनओं और सेवाओं के अभाव, लेन–देन की उच्च लागतों, संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर बल और ब्याज दर पर प्रतिबंधों के संबंध में ग्रामीण गरीबों के समक्ष आने वाली समस्याओं सहित भारत में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। ग्रामीण गरीबों को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर लचीली योजना उपलब्ध कराने, संमिश्र वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता, बैंकिंग प्रक्रियाओं के सरलीकरण, बेहतर स्टाफिंग नीतियों और द्वार तक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि सहित कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा, जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के पुनर्गठन, बेहतर विनियमन एवं पर्यवेक्षण तथा ग्रामीण वित्त बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की सक्रिय भूमिका से संबंधित नीतियों की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की सतत निगरानी करते हैं और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि, लघु एवं मझौले उद्यमों तथा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध होती हैं। अग्रिमों पर ब्याज की दरें 1997 में पहले ही अविनियमित कर दी गई हैं। अकेले कृषि को ऋण की उपलब्धता 2003–04 में 86,981 करोड़ रुपए से बढ़कर 2004–05 में 1,25,309 करोड़ रुपए हो गई है। किए गए निम्नलिखित उपायों के परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ–साथ, ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है :

(i) बैंकों को ऋण की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कहा गया है।

(ii) बैंकों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक पृष्ठ का दस्तावेज परिचालित किया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 50,000 रुपए तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक या मार्जिन पर बल न देने का अनुदेश दिया है।

(iv) बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है।

(v) स्व–सहायता समूहों के वित्तपोषण पर बल दिया जा रहा है।

(vi) काश्तकारों और अलिखित पट्टेदारों के संयुक्त दायित्व वाले समूहों को बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

(vii) भारतीय बैंक संघ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 50,000 रुपए तक के फसल ऋणों पर अधिकतम 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर प्रभावित करने का परामर्श दिया है।

घरों का निर्माण

1414. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए और अधिक सरकारी आवासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) रिहायशी आवास के संबंध में वीआईपी पद की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। संबंधित प्राधिकारी शासी नियमावली के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की पात्रता के अनुसार मकान आवंटित कर रहे हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के माध्यम से 492 मकानों, जिनमें 376 टाइप–VI, 102 टाइप–VII तथा 14 टाइप–VIII

बंगले शामिल हैं, का निर्माण करने के उद्देश्य से नेताजी नगर (भाग) तथा मोती बाग (ईस्ट) के पुनर्विकास के प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह परियोजना शुरू होने की तारीख से 31 महीने की अवधि में पूरी की जानी है।

इसके अलावा बीडी मार्ग पर लोक सभा सांसदों के लिए 52 स्पेशल टाइप बंगलों के निर्माण एवं 'एल बी जेड' में स्थित बंगलों के पुनर्विकास से संबंधित प्रस्ताव की आयोजना स्तर पर हैं।

वस्त्र क्षेत्र के लिए योजना

1415. श्री सुव्रत बोस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथकरघा, विद्युतकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में हुई प्रगति और सफलताओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) सरकार देश में हथकरघा, विद्युतकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं राज्य विशिष्ट नहीं है और इन योजनाओं के तहत निधियां प्राप्त प्रस्तावों की अर्थक्षमता के आधार पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	क्षेत्र	योजना का नाम
1	2	3
1.	हथकरघा	हथकरघा निर्यात योजना (एचईएस)
		दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
		विपणन संवर्धन कार्यक्रम
		कार्यशाला–सह–आवास योजना
		बुनकर कल्याण योजना
2.	विद्युतकरघा	विद्युतकरघा बुनकरों के लिए समूह कार्यशाला योजना
		प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)
3.	हस्तशिल्प	बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
		निर्यात संवर्धन योजना
		विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएचटीपी)
		हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा, विद्युतकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत जारी निधियों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	क्षेत्र	जारी निधियां (लाख रुपए में)		
		2002–03	2003–04	2004–05
1.	हथकरघा	10375.90	9765.04	11360.29
2.	विद्युतकरघा	438.00	812.00	570.00
3.	हस्तशिल्प	7165.00	6432.00	7707.00

दिल्ली में वनरोपण

1416. श्री ई. पी. सुगावनम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने नियंत्रण वाले दिल्ली के कुछ बाजारों को दिल्ली सरकार के पास हस्तांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली को हरा–भरा तथा पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सरकार ने वर्तमान में भूमि तथा विकास कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सम्पदा निदेशालय के अधीन सभी मार्केट (राजीव चौक/इंदिरा चौक तथा आईएनए मार्केट परिसर को छोड़कर) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को जैसा है जहां है के आधार पर हस्तातरित करने का निर्णय लिया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि यह हर वर्ष एक हरित दिल्ली कार्रवाई योजना तैयार

करके कार्यान्वित करती है। विभिन्न एजेंसियां हरित दिल्ली कार्रवाई योजना के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों पर पौधारोपण करती हैं। निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जनता को निःशुल्क पौध वितरित की जाती है। स्थानीय लोगों, नागरिक संगठनों, रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों तथा स्कूलों को पेड़ लगाने के अभियानों में शामिल किया जाता है। स्कूली बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इको–क्लब बनाए गए हैं।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा ठेके देना

1417. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) का कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण हैं;

(ग) क्या सीपीडब्ल्यूडी ने सभी शिकायत केन्द्रों तथा रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) में नोटिस बोर्ड लगाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सीपीडब्ल्यूडी का अधिकांश कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है;

(च) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की निगरानी के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं हैं; और

(छ) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा निविदा के अनुसार तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य स्थापित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने सभी सेवा केन्द्रों में नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं। रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) पर बोर्डों का रखरखाव आरडब्ल्यूए स्वयं करता है।

(ङ) सभी मूल कार्य ठेकेदारों के जरिए कराए जा रहे हैं और दैनंदिन रखरखाव शिकायतों पर सामान्यतया केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टाफ, जहां उपलब्ध हो, द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(च) और (छ) निगरानी की सुव्यवस्थित प्रणाली है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा कार्य की गुणता और मात्रा की जांच और प्रमाणित कर लेने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है।

हथकरघा बुनकरों हेतु प्रशिक्षण योजना

1418. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे तथा कलात्मक हस्तशिल्प एवं परंपरागत हथकरघा बुनकरों के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अतर्गत संबंधित राज्य भी राशि का वहन करते हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ केन्द्र द्वारा जारी इस धनराशि का उपयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा वे राज्य कौन–कौन से हैं, जिन्होंने इस धनराशि का उपयोग नहीं किया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) :

हस्तशिल्प

(क) वर्ष 2002–03 के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय ने वर्तमान एवं नए शिल्पकारों/कालीन बुनकरों के कौशल उन्नयन, व्यापक रोजगार अवसर प्रदान करने, नए प्रशिक्षुओं को मास्टर शिल्पकारों के कौशल को स्थानांतरित करने एवं दस्तकारी की उच्च बाजार मांग के आधार पर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एसएचटीपी सहित हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए सरकार की योजनाए केन्द्रीय प्लान योजनाए हैं और उनमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय के लिए शेयर का

प्रावधान नहीं है। ये योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं क्योंकि सहायता–अनुदान योजना राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/शीर्ष समितियों/गैर सरकारी संगठनों इत्यादि जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान एसएचटीपी के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधियों के राज्यवार संकलित ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा

(क) बुनकरों/कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए दिसम्बर, 2003 में समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी) शुरू की गई है।

(ख) जी नहीं, आईएचटीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के तहत, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले बुनकर सेवा केन्द्रों को वित्तीय सहायता जारी की गई है।

(ग) से (च) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002–03 जारी की गई राशि	2003–04 जारी की गई राशि	2004–05 जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	2.25	4.88
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	1.67
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.96	1.98
4.	असम	1.64	28.11	70.98
5	विहार	–	1.57	3.40
6.	छत्तीसगढ़	–	0.54	2.61
7.	चण्डीगढ	–	–	–
8.	दिल्ली	–	0.48	0.71
9.	गोआ	–	0.27	1.01
10.	गुजरात	–	1.08	4.67
11.	हरियाणा	–	1.44	2.88
12.	हिमाचल प्रदेश	–	1.18	7.90
13.	जम्मू व कश्मीर	–	2.88	24.44
14.	झारखण्ड	–	0.54	3.58
15.	कर्नाटक	–	1.98	6.75
16.	केरल	–	2.52	5.42
17.	मध्य प्रदेश	–	1.62	2.29
18.	महाराष्ट्र	–	0.54	1.35
19.	मणिपुर	–	–	6.48
20.	मेघालय	–	2.10	–
21.	मिजोरम	–	–	1.62
22.	नागालैण्ड	0.55	1.56	14.64
23.	उड़ीसा	–	1.08	6.27
24.	पंजाब	–	1.44	3.83
25.	पाण्डिचेरी	–	0.48	0.92
26.	राजस्थान	–	0.96	2.46
27.	सिक्किम	–	–	–
28.	तमिलनाडु	–	1.71	7.73
29.	त्रिपुरा	–	1.44	2.38
30.	उत्तर प्रदेश	7.40	33.75	94.27
31.	उत्तरांचल	–	2.28	9.44
32.	पश्चिम बंगाल	–	5.24	10.88

विवरण-II

समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई.एच.टी.पी.) के तहत बुनकर सेवा केंद्रों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशियों का ब्यौरा।

क्र.सं.	बुनकर सेवा केन्द्रों के नाम	शामिल किए गए राज्य	2003–04		2004–05		2005–06		कारण
			जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दक्षिणी क्षेत्र									
1.	चैन्नई	तमिलनाडु	30,05,534	30,05,534	1,39,45,000	1,39,45,000	86,74,500	86,74,500	
		पाण्डिचेरी	3,73,250	3,73,250	–	–	–	–	
2.	कांचीपुरम	तमिलनाडु	6,01,000	6,01,000	27,97,500	27,97,500	31,69,000	31,69,000	
3.	सेलम	तमिलनाडु	12,84,250	12,84,250	72,01,500	72,01,500	42,22,000	42,22,000	
4.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	21,86,850	21,86,850	1,39,25,500	1,39,25,500	1,39,31,000	1,39,31,000	
5.	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	16,32,139	16,32,139	64,39,500	64,39,500	69,77,000	69,77,000	
6.	कन्नुर	केरल	14,93,000	14,93,000	94,98,750	94,98,750	87,73,750	87,73,750	
7.	बंगलौर	कर्नाटक	18,82,024	18,82,024	1,17,63,000	*1,07,79,750	84,78,875	84,78,875	*लेखा परीक्षा आपत्ति के अनुसार सरकारी खाते में प्रस्तुत की गई बकाया राशि।
पूर्वी क्षेत्र									
8.	गुवाहटी	असम	17,09,750	17,09,750	42,19,250	42,19,250	60,00,000	60,00,000	
		अरुणाचल प्रदेश	4,71,500	4,71,500	15,09,000	15,09,000	9,17,500	9,17,500	
		मेघालय	–	–	–	–	19,07,400	19,07,400	
9.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	19,32,750	19,32,750	57,23,450	57,23,450	–	–	
		सिक्किम	–	–	–	–	12,08,750	12,08,750	
10.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	8,39,250	8,39,250	96,77,500	*91,40,500	35,09,750	**	*2004–05 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है। **2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	भागलपुर	बिहार	2,55,882	2,55,882	–	–	27,30,375	27,30,375	
		झारखण्ड	5,33,050	5,33,050	–	–	14,23,000	14,23,000	
12.	अगरतला	त्रिपुरा	6,83,250	6,83,250	40,49,000	40,49,000	–	–	
		मिजोरम	–	–	–	–	29,59,700	29,59,700	
13.	इम्फाल	मणिपुर	4,84,000	4,84,000	–	–	–	–	
		नागालैण्ड	2,27,750	2,27,750	–	–	28,83,000	28,83,000	
पश्चिमी क्षेत्र									
14.	मुम्बई	महाराष्ट्र	6,02,779	6,02,779	31,45,000	31,45,000	28,72,000	13,26,280	2005–06 के लिए
		गोआ	–		–	–	–	–	कार्यक्रम प्रगति पर है।
15.	नागपुर	महाराष्ट्र	5,76,625	5,76,625	36,74,500	36,74,500	41,38,250	17,49,250	2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।
16.	अहमदाबाद	गुजरात	18,18,953	18,18,953	59,04,000	59,04,000	40,56,875	27,00,231	2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।
17.	इन्दौर	मध्यप्रदेश	25,48,110	25,48,106	68,89,500	66,97,007	32,56,500	7,19,747	2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।
18.	रामगढ़	छत्तीसगढ़	4,47,238	4,47,238	99,56,250	97,67,130	64,57,280	51,31,341	2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।
19.	दिल्ली	दिल्ली	10,01,814	*8,67,564	33,03,039	20,53,039**	9,46,000	–***	समिति के पास बकाया
		हिमाचल प्रदेश	14,24,750	14,24,750	62,10,000	62,10,000	–	–	जमा के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। **कार्यक्रम कार्यान्वय–नाधीन है ***2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।
20.	जयपुर	राजस्थान	18,40,320	17,71,553*	50,63,050	44,43,800**	72,87,550	60,20,750***	*लक्ष्य पूरे कर लिए गए। बकाया माफ कर दिया गया। **लक्ष्य पूरे किए गए बकाया अभी निपटाए जाने हैं। ***2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पानीपत	हरियाणा	14,51,775	14,51,775	51,00,000	51,00,000	–	–	
22.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	8,53,048	8,53,048	51,92,426	51,92,426	75,31,994	*	2005–06 के लिए कार्यक्रम प्रति पर है
23.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	8,51,400	8,49,200*	41,42,016	41,19,716*	21,68,800	21,68,800	*लक्ष्य पूरे कर लिए गए। बकाया माफ कर दिए गए।
24.	चमोली	उत्तरांचल	10,23,712	10,23,712	17,09,934	17,09,934	24,64,000	24,64,000	
25.	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर	10,53,771	10,53,771	56,27,750	56,27,750	–	–	

फसल ऋण

1419. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक उन गरीब किसानों जिनके पास पट्टेदार पास–बुक नहीं है तथा कृषि श्रमिकों को फसल ऋण तथा अन्य ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। काश्तकारों और अलिखित पट्टेदारों को स्व–सहायता समूहों की तरह ही काश्तकार समूहों (टीएफजी) में संगठित करके उन्हें फसल उगाने हेतु ऋण देने की एक आदर्श योजना कार्यान्वित की जा रही है। नाबार्ड ऐसे समूहों को वित्तपोषित करने हेतु उन सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 5.50% वार्षिक ब्याज दर पर शतप्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो अल्पावधि मौसमी कृषि कार्य ऋणों हेतु पात्र हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों एवं अलिखित पट्टेदारों को कम से कम 2% फसल ऋण पुनर्वित्तपोषण का न्यूनतम कवरेज निर्धारित किया है।

दक्षिण राज्यों के प्रस्ताव

1420. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को ऋण सेवा के भार को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार इन राज्यों के कुल ऋण की क्याा स्थिति है;

(ग) केन्द्र सरकार का विचार ऋण सेवा भार को कम कर राज्य सरकारों की सहायता हेतु क्या कदम उठाने का है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात् तैयार की गई 'राज्य ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (2005–10)' के तहत भारत सरकार को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) 31.01.2006 की यथा–विद्यमान स्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को लौटाने के लिए बकाया राशि निम्नवत है :

क्र.सं.	राज्य	करोड़ रुपए में
1.	आंध्र प्रदेश	15,290.68
2.	कर्नाटक	8,380.65
3.	केरल	5,109.56
4.	तमिलनाडु	6,059.11

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा 31.03.2004 तक राज्यों को दिए गए तथा 31.03.2005 तक चुकाए जाने के लिए बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन की बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश को भारत सरकार ने मान लिया है। फलस्वरूप 7.5 प्रतिशत की वार्षिक कम ब्याज दर पर यह ऋण 20 समान किस्तों में वापसी के लिए 20 वर्षों की नई अवधि के लिए समेकित किया जाएगा। बशर्ते कि निर्धारित शर्तों के साथ राज्यों ने अपनी राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन अधिनियम लागू कर रखा हो। इसके अलावा, राज्य राजस्व घाटे में कमी से जुड़ी ऋण माफी स्कीम की सुविधा को भी प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) केन्द्रीय मॉनिटरिंग (प्रबोधन) समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के बकाया केन्द्रीय ऋणों (वित्त मंत्रालय) को समेकित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी क्रियाकलापों का विस्तार

1421. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को अपने क्रियाकलापों के टीयर-II शहरों में विस्तार करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र का विस्तार करने तथा जनशक्ति की संभावनाओं का प्रयोग करने के उद्देश्य से निजी उद्योग अपना विस्तार दूसरे स्तर के शहरों में कर रहा है। कई राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्य के प्रमुख शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उपाय कर रही हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए अगला गंतव्य बनाने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार कर रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की है जिसका मुख्य उद्देश्य देश से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है। अब तक विभिन्न राज्यों के 46 केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा आवक तथा मुद्रास्फीति

1422. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) तथा विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आवक के कारण परिचालित करेंसी नोटों का अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ख) करेंसी परिचालन के इस विस्तार का मुद्रास्फीति में क्या योगदान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अंतर्प्रवाहों तथा अर्थव्यवस्था में संचलित मुद्रा के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जो मुद्रा संचलन में है वह अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि आर्थिक गतिविधि, ग्रामीण गतिविधि का स्तर और अर्थव्यवस्था में बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार और साथ ही त्यौहार के मौसम की मांग जैसे मौसमी कारक। हाल के वर्षों में एफडीआई और एफआईआई अंतर्प्रवाहों तथा संचलन में रहे करेंसी नोटों और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के संबंध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	संचलित करेंसी नोट मार्चान्त (बिलियन रुपए)	एफडीआई बिलियन अमरीकी डालर	एफआईआई बिलियन अमरीकी डालर	डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मार्चान्त
2001–02	2446.08	6.130	1.505	1.6
2002–03	2754.02	5.035	0.377	6.5
2003–04	3197.32	4.322	10.918	4.6
2004–05(अ)	3612.13	5.653	8.684	5.1
2005–06(अ)#	4154.43##	4.377	4.042	4.0@

अ : अनन्तिम ## : 10 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार
: अप्रैल–नवम्बर @ : 11 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार

विदेशी संस्थागत निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विशाल अंतर्प्रवाहों और विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि के बावजूद, भारती रिजर्व बैंक द्वारा किया गया कारगर मौद्रिक प्रबन्धन यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्था में नकदी का उपयुक्त स्तर बनाए रखा जाए ताकि मूल्य-स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप क्रेडिट की सभी जायज जरूरतों को पूरा किया जा सके।

ब्याज मुक्त इस्लामी योजना

1423. डा. के एस. मनोज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ब्याज मुकत इस्लामी बैंकिंग योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कोई ब्याज मुक्त बैंकिंग केन्द्र खोला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारत में इस्लामिक बैंकिंग को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं/अनुषंगियों को इस क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग सुविधा देने के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक समर्थकारी अपेक्षाओं की तलाश कर रहा है।

मिल गेट प्राइस स्कीम

1424. श्री पी. सी. थामस : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का विचार केरल सरकार के अनुरोध के अनुसार मिल गेट प्राइस स्कीम में कॅयर क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा चलाई जा रही हथकरघा बुनकरों के लिए मिल गेट प्राइस स्कीम (एमजीपीएस) में कॅयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए जनवरी, 2005 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के साथ-साथ वस्त्र मंत्रालय में केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) 13 मई, 2005 को केरल सरकार को सूचित किया गया है कि कॅयर क्षेत्र हथकरघा क्षेत्र से भिन्न है और इसलिए मिल गेट प्राइस स्कीम के तहत कॅयर फाईबर की आपूर्ति को शामिल करना संभव नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन

1425. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री प्रशान्त प्रधान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने आदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य लाभों में संशोधन करने को कहा है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य लाभों के संशोधन का कार्य प्रायोजक बैंकों पर छोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रायोजक बैंक कौन-कौन से हैं जिन्होंने अब तक इन भत्तों तथा लाभों को संशोधित/आरम्भ कर दिया है; और

(ङ) प्रायोजक बैंकों में समकक्ष पदों के समान वेतन, भत्तों तथा लाभों के सभी घटकों के संशोधन में कितना समय लगेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (आरआरबी अधिनियम, 1976) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ एवं अन्य के मामले में 1999 की सिविल अपील सं. 2218 के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.1.1999 के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार ने आरआरबी के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान को, क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मणिपुर को छोड़कर अन्य सभी आरआरबी के अध्यक्षों को जारी दिनांक 6.10.2005 के पत्र के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के तदनुरूपी श्रेणी के समान संशोधित कर दिया है। इनका ब्यौरा निम्नांकित है :

(i) 1.11.2002 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक आरआरबी कर्मचारी का वेतनमान एवं महंगाई भत्ता राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों के कर्मचारियों के तदनुरूपी श्रेणी के समान होगा।

(ii) 1.11.2002 से आवास भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों के कर्मचारियों के तदनुरूपी श्रेणी के लिए लागू के समान दर पर देय होगा।

(iii) जहां तक अन्य भत्तों का संबंध है उनमें अलग–अलग प्रायोजक बैंक उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी के साथ इनका निर्धारण करेंगे।

(iv) बढ़े हुए वेतनमान का वर्तमान भुगतान अक्तूबर 2005 के वेतनमान से प्रभावी होगा। बकाया राशि दो किस्तों में दी जाएगी, पहली किस्त तत्काल दी जाएगी तथा दूसरी किस्त 1 अप्रैल, 2006 को दी जाएगी। दिनांक 25.10.2005 के पत्र के तहत यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वेतन में विशेष वेतन यदि कोई हो, शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अन्य भत्ते एवं लाभों में संशोधन हेतु सहमति बनाने के लिए प्रायोजक बैंक ने दिनांक 27.1.2006 को नाबार्ड के साथ बैठक की थी। प्रायोजक बैंकों ने अन्य भत्तों के संशोधन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा उनसे अपेक्षित है कि वे आरआरबी से परामर्श कर इनमें संशोधन करें।

दावारहित जमाराशि

1426. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के विभिनन राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाताधारकों की मृत्यु अथवा ऐसे खाताधारकों द्वारा किसी नामिती की घोषणा के अभाव के कारण दावारहित पड़ी जमाराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार की कुल कितनी धनराशि है;

(ग) पांच वर्ष तथा दस वर्षों से दावारहित पड़ी धनराशि का क्रमशः ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी धनराशि के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को आंकड़ा सूचना प्रणाली राज्य–वार सूचना एकत्र नहीं करती। यह आंकड़ा केवल बैंक–वार एकत्रित किया जाता है।

"बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 में, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रावधान है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष (अर्थात् 31 दिसम्बर) के अनुसार भारत भर के ऐसे सभी खातों जिनका 10 वर्षों तक कोई परिचालन नहीं किया गया है, से संबंधित विवरण, निर्धारित फार्म एवं विधिवत रूप में, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को देगी।" तदनुसार, 31 दिसम्बर, 2004 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के दावारहित खातों से संबंधित अद्यतन उपलब्ध आंकड़े 651.29 करोड़ रुपए है।

(घ) आरबीआई ने बैंकों को उनके पास दावारहित खातों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं कि जिन जमा खातों का एक अवधि अर्थात दो वर्षों में परिचालन नहीं किया गया है उन्हें अलग किया जाए तथा पृथक बही–खाते में रखा जाए।

आरबीआई द्वारा बैंको को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि एक वर्ष या अधिक के लिए अपरिचालित रहे खातों के लिए उनकी शाखाएं ग्राहकों को उचित सलाह भेजकर कार्रवाई करें तथा यदि वे पत्र बैरंग लौट आते हैं तो शाखा ग्राहकों की मृत्यु हो जाने के मामले में उनके कानूनी उत्तराधिकारी का पता लगाने के लिए तत्काल जांच शुरू करें।

राष्ट्रीय राजमार्ग

1427. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से गुजरने वाले चार राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए छह से आठ लेन वाले 46 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि दिल्ली से गुजरने वाले चार राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए 46 किलोमीटर लंबी नयी सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि दिल्ली के क्षेत्र के बाहर से गुजरते हुए तथा इन चार राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ते हुए चार लेन वाले एक पेरीफेरल एक्सप्रैस–वे के निर्माण का प्रस्ताव है। एक्सप्रैस–वे की कुल लम्बाई लगभग 269 किलोमीटर है तथा यह परियोजना बनाओ, चलाओ एवं हस्तांतरित करो (बीओटी) आधार पर

कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना को जुलाई, 2006 तक शुरू किया जाना है।

एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत विदेशी निवेश

1428. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत विदेशी निवेश का दोहन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ गठित मंत्रियों के समूह की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रियों के समूह ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकारों एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत व्यापक परियोजनाओं हेतु पूंजी जुटाने के लिए विदेशों से सीधे धनराशियां प्राप्त कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रियों के समूह की कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में यह व्यवस्था है कि अनुमोदित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के मामले में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना राशियों को राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में जारी किया जा सकता है क्योंकि राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई राशियों और राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन राशियों का उपयोग भारत सरकार अंशदान के रूप में किया जा सकता है। यह इस आशय के लिए गठित मंत्रीदल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक है।

(ग) जी. नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना

1429. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना के भाग्य का फैसला नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार के पास अग्रिम स्तर पर विचाराधीन है। देश में मेट्रो प्रणालियों के लिए उपयुक्त गेज और संबंधित अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रीदल द्वारा निर्णय लेने के बाद इस पर आगे विचार किया जाएगा।

वर्षा जल प्रबंधन हेतु
मास्टर प्लान

1430. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुंबई में वर्षा जल प्रबंधन हेतु मास्टर प्लान बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. में घोटाले

1431. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री रशीद मसूद :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी.डी.ए. में कई घोटालों विशेषकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और शैक्षिक संस्थाओं को वैकल्पिक प्लॉट आवंटित करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घोटालों में कितने डी.डी.ए. अधिकारी संलिप्त हैं और सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा डी.डी.ए. में ऐसे घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी.डी.ए. द्वारा फ्लैटों का आवंटन करना

1432. श्री. मुकीम :

श्री सज्जन कुमार :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान में तथा 1981, 1991 और 2001 में की गई जनगणना के अनुसार दिल्ली की समस्त जनसंख्या के लिए आवश्यक फ्लैटों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान डी.डी.ए. फ्लैटों की वास्तविक मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ग) डी.डी.ए. द्वारा मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कम करने हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डी.डी.ए. फ्लैटों के आवंटन हेतु वर्तमान में योजनावार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) इन व्यक्तियों को फ्लैट कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1979, 1989 तथा 1996 में शुरू की गं 3 आवासीय स्कीमों में पंजीकृत लोगों की प्रतीक्षा सूची का बैकलॉग निम्नलिखित अनुसार है :

स्कीम	कुल
नया पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979	8327
अम्बेडकर आवास योजना, 1989	2771
जनता आवासीय रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1996	2488
	13586

(ङ) डीडीए का बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सहित पहले ही निर्मित मकानों, के लौटाए जाने/रद्द करने तथा अतिरिक्त मकानों के निर्माण के कारण उपलब्ध हुए मकानों के आवंटन द्वारा वर्ष 2006 के अंत तक पंजीकृत लोगों की प्रतीक्षा सूची के बैकलॉग को पूरा करने का लक्ष्य है।

कंपनी लॉ बोर्ड

1433. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कंपनी लॉ बोर्ड की कितनी शाखाएं स्थापित की गई हैं, और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन शाखाओं को क्या काम सौंपा गया है;

(ग) कंपनी कानून निपटान योजना को किस तारीख से लागू किया गया है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी लॉ बोर्ड की क्या उपलब्धियां रहीं?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्त) : (क) कंपनी विधि बोर्ड की 6 पीठें हैं, इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और अतिरिक्त मुख्य पीठ चेन्नई में है। चार क्षेत्रीय पीठें, स्थान सहित निम्न प्रकार है। :

(i) उत्तरी क्षेत्र पीठ – नई दिल्ली

(ii) पूर्वी क्षेत्र पीठ – कोलकाता

(iii) पश्चिमी क्षेत्र पीठ – मुम्बई

(iv) दक्षिण क्षेत्र पीठ – चेन्नई

(ख) पीठों को दिया गया कार्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इस मंत्रालय ने उन कंपनियों को सक्षम बनाने के

लिए आरंभ में 1.06.2000 से 31.08.2000 तक तीन महीनों की अवधि के लिए कंपनी विधि स्थापना स्कीम (सीएलएसएस) आरंभ की थी जिन्होंने पहले कंपनी रजिस्ट्रार के पास दस्तावेजों को फाइल नहीं किया था, कि वे आगे आएं और एक मुश्त घोषणा तथा स्थापना का फायदा लें। स्कीम सफल थी और उद्योगों/चैम्बर्स ऑफ कामर्स आदि से प्राप्त मांगों को देखते हुए स्कीम की वैद्यता को इस शर्त के साथ 30.09.2000 तक बढ़ा दिया था कि चूककर्ता कंपनियों से स्कीम के अंतर्गत निर्धारित फीस से 10% से अधिक सरचार्ज का भुगतान करने की अपेक्षा थी। 1,27,083 कंपनियों ने इस स्कीम का फायदा उठाया।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी विधि बोर्ड द्वारा विचार की गई तथा निपटायी गई याचिकाएं/आवेदनों की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

कंपनी लॉ बोर्ड से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 जिसका उत्तर श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा 3.03.2006 को दिया जाना है के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

मुख्य पीठ

कंपनी अधिनियम की धारा 235, 237(ख), 247, 248, 250, 388ख 408 तथा 409 के अंतर्गत आने वाले मामले तथा भाग VI के अध्याय VI के अंतर्गत तथा एकाधिकारिक अधिनियम, की धारा 2क के अंतर्गत आने वाले मामले।

अतिरिक्त मुख्य पीठ

कंपनी अधिनियम की धारा 235 तथा 237 के अंतर्गत आनेवाले मामले तथा अधिनियम का भाग–VI के अध्याय VII के अंतर्गत आने वाले मामले जहां तक कि वे दक्षिण क्षेत्र से संबंधित हों।

क्षेत्रीय पीठें

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17, 18, 19 58क, 58 कक, 79/80क, 111/111क, 113/113(3), 1178, 117ख, 117ग, 118, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 269, 284, 304, 307, 614, 621क तथा 643क के अंतर्गत तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यू ए के अंतर्गत आने वाले याचिकाएं/आवेदन।

विवरण-II

कंपनी लॉ बोर्ड से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 जिसका उत्तर श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा 3.03.2006 को दिया जाना है के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष	आरंभिक शेष	आवतियां	कुल	निपटाए गए	लंबित
2002–03	10617	13834	24448	17163	7285
2003–04	7285	8027	15312	13131	2181
2004–05	2181	9714	8895	6925	1970

लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से, एक सदस्य को सितम्बर, 2002 से सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का आदेश दिया गया है।

क्रेडिट कार्ड जालसाजी

1434. श्री अजीत जोगी :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के प्रसिद्ध इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड को जालसाजी किए जाने की जानकारी है जैसा कि दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उन संगठनों के बारे में जानकारी है जो भारतीय सर्वरों द्वारा अपने प्रयोक्ताओं को 'फिशिंग' कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी धोखाधड़ी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को दो बैंकों से उनके विरुद्ध हुए 'फिशिंग अटैक' के बारे में जानकारी मिली। साजिशकर्ता द्वारा ग्राहकों को बैंक से इरादतन ई–मेल भेजा जाता है जिसमें उनसे सत्यापन के लिए उन्हें उपलब्ध अपने 'हाइपर लिंक' को क्लिक

करने के लिए कहा जाता है। तथापि, धोखाधड़ीकर्ताओं द्वारा तैयार जाली वेबसाइट से हाइपर लिंक जुड़ जाता है जो ग्राहकों से उनका लॉग–इन–यूजर–आईडी, पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड तथा ऐसी ही अन्य गोपनीय/व्यक्तिगत सूचनाएं देने के लिए कहता है।

संबंधित बैंकों द्वारा जांच करने पर यह पता चला कि इनमें से एक बैंक के मामले में उसकी वेबसाइट का सर्वर यूएसए में था, जबकि दूसरे बैंक के मामले में उसका वेबसाइट का सर्वर इंडिया में था। इसके अतिरिक्त, एक बैंक ने सूचित किया है कि 24,630 रुपए के धोखाधड़ीपूर्ण लेन–देन का पता लगाया गया है, दूसरे बैंक को फिशिंग अटैक के कारण अप्राधिकृत लेन–देन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'फिशिंग अटैक' के बारे में 16 फरवरी, 2006 के पत्र द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस सलाह में ऐसे हमलों के तौर–तरीकों का ब्यौरा दिया गया है और न्यूनतम उपाय भी सुझाए गए हैं जिन्हें बैंकों द्वारा फिशिंग अटैक का सामना करने के लिए निरोधात्मक/गुप्तचर उपायों के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

हथकरघा उद्योग

1435. श्री के. सुब्बारायन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में हथकरघा उद्योगों को विशेष स्थान प्राप्त है;

(ख) इस उद्योग का एकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है;

(ग) क्या पिछले दशक के दौरान कई हथकरघा इकाइयां बंद हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(ङ) क्या इन कामगारों को अंतिम लाभ जैसे–भविष्य निधि, उपादान आदि किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) राज्यों के नाम जहां पर हथकरघा उद्योग को विशेष स्थान प्राप्त है : 1. आंध्र प्रदेश, 2. असम, 3. कर्नाटक, 4. मणिपुर, 5. नागालैंड, 6. उड़ीसा, 7. तमिलनाडु, 8. त्रिपुरा, 9. उत्तर प्रदेश, 10. पश्चिम बंगाल।

(ख) वस्त्र उद्योग का जीडीपी में लगभग 4% योगदान है। वस्त्र क्षेत्र में खादी, ऊल एवं सिल्क सहित वस्त्रों के उत्पादन के संबंध में हथकरघा उद्योग का योगदान लगभग 13% है।

(ग) से (ङ) राज्यों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जैसे–दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, हथकरघा निर्यात योजना, मिल गेट कीमत योजना, डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला–सह–आवास योजना, समेकित हथकरघा हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, बुनकर कल्याण योजना–शिफ्ट फंड योजना, नई बीमा योजना एवं हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन।

जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा योजना सहित कई योजनाएं हथकरघा क्षेत्र के लिए पिछले बजट में उद्घोषित की गई थी। वे कार्यान्वित की जा रही हैं। समूह विकास दृष्टिकोण जारी रहेगा। वर्ष 2006–07 में 50.00 करोड़ रुपये की लागत सहित एक अतिरिक्त 100 समूहों को शामिल करने का प्रस्ताव है। बुनकरों को यार्न की निरंतर आपूर्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में यार्न डिपो स्थापित किए जाएंगे। हथकरघा मार्क भी शुरू करने का प्रस्ताव है। हथकरघा क्षेत्र में ओयूएफएस की तरह ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. में कार्यरत इंजीनियर

1436. डा. वीरेंद्र अग्रवाल :

श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में डी.डी.ए. में कितने इंजीनियर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं;

(ख) वर्तमान में कुल कितनी आवासीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है;

(ग) उक्त परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर चल रही हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इतनी संख्या में इंजीनियरों का होना आवश्यक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उनके विभिन्न जोन/यूनिटों में 2112 इंजीनियर काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे द्वारका, वसंत कुंज मोतिया खान, शालीमार बाग, कल्याण विहार, नरेला, पीतमपुरा, रोहिणी, दिलशाद गार्डन, जसोला तथा वसुंधरा इंक्लेव में 20 आवास परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है।

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इंजीनियरों के कार्यों में रिहायशी परियोजनाओं के निष्पादन के साथ-साथ वाणिज्यिक परियोजनाओं, विकास कार्य, फ्लाई ओवर, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अवस्थापना आदि, का पर्यवेक्षण शामिल है। इंजीनियरों द्वारा आयोजना, डिजाइन तैयार करना, गुणवत्ता नियंत्रण, सतर्कता, भूमि तथा भवन का रखरखाव तथा अन्य प्रशासनिक कार्य भी करना अपेक्षित है।

निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1437. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माण क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय निर्माण इकाइयों और बिल्डरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के फलस्वरूप आम आदमी के लिए मकान मंहगे हो जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या आम आदमी को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कंपनियों के विदेशी निवेशकों पर कोई शर्त लगाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ङ) सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के अधीन नगर क्षेत्र, आवास, निर्मित अवस्थापना और निर्माण विकास परियोजनाओं (जिनमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल तो होंगी लेकिन इनका दायरा उन तक सीमित नहीं रहेगा-आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट्, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजनात्क सुविधाएं, नगर तथा क्षेत्रीय स्तर की अवस्थापना) में 100% तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों का प्रावधान है :

(i) आवासीय प्लॉटों के लिए विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र 10 हेक्टेयर हो।

(ii) निर्माण विकास परियोजनाओं के संबंध में 50,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र।

(iii) पूर्ण स्वामित्व के संबंध में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की तथा भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के संबंध में 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की न्यूनतम पूंजी।

(iv) 3 साल की न्यूनतम लॉक इन निवेश अवधि।

(v) सभी सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष के भीतर परियोजना का कम से कम 50% भाग विकसित हो जाना चाहिए।

इससे आवास/निर्माण क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने की संभावना है और इसके परिणामतः देश में मकानों की संख्या बढ़ेगी।

[अनुवाद]

विंडो एक्स पी स्टार्टर एडीसन

1438. श्री एम. शिवन्ना :
श्री मंजुनाथ कुन्नुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइक्रो साफ्ट कंपनी ने हिन्दी और तमिल में कम मूल्य का 'स्टार्टर एडीसन' (आपरेटिंग सिस्टम) जारी किया है जिसे 'द विंडोज एक्स पी' स्टार्टर के नाम से जाना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी का विचार अन्य भारतीय भाषाओं में विशेषकर कन्नड़ में ऐसे कम मूल्य के स्टार्टर एडीसन जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) माइक्रोसॉफ्ट एक निजी बहुराष्ट्रीय कम्पनी है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का भाषा प्रौद्योगिकी में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई सहयोग नहीं है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से यह ज्ञात हुआ है कि विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण हिन्दी तथा तमिल के लिए जारी किया गया है तथा सात और भाषाओं के लिए विंडोज एक्सपी स्टार्टर संस्करण जारी करने की उनकी योजना है, जिसके लिए उन्होंने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है।

[हिन्दी]

नए शहरों हेतु महाराष्ट्र को धनराशि

1439. श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को राज्य के नए शहरों के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उन शहरों का ब्यौरा और नाम क्या है जिनके लिए उक्त धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुरक्षण, विकास और सौन्दर्यीकरण हेतु किन-किन शहरों का चयन किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान नए शहरों के विकास हेतु महाराष्ट्र सरकार को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(ग) शहरों का रखरखाव, विकास तथा सौंदर्यीकरण शहरी स्थानीय निकायों के (यूएलबी) के द्वारा किया जाता है जिन्हें राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में जवहारलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की शुरूआत की है जिसके तहत शहरों के सुधार आधारित, समेकित तथा योजनाबद्ध विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

1440. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण योजनाओं को सफल बनाने हेतु डाकघरों की भागीदारी करने का है जैसा कि दिनांक 27 जनवरी, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में झारखंड सहित एक लाख लोगों पर कितने डाकघर हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) डाक विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), 2005 के तहत मजदूरों को डाकघरों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने के प्रस्ताव पर ग्रामीण विकास मंत्रालय से चर्चा की थी। डाक विभाग को एनआरईजीए के तहत मजदूरी के भुगतान का काम सौंपने के बाद ही इस संबंध में ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

(घ) झारखंड सहित प्रति एक लाख लोगों पर डाकघरों की डाक सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार प्रति एक लाख की जनसंख्या पर डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल	डाकघरों की कुल संख्या	प्रति एक लाख की जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16191	21
2.	असम	4006	15
3.	बिहार	9054	11

1	2	3	4
4.	छत्तीसगढ़	3125	15
5.	दिल्ली	577	4
6.	गुजरात	8928	18
	दमन, दादरा नगर हवेली	57	15
7.	हरियाणा	2649	13
8.	हिमाचल प्रदेश	2780	46
9.	जम्मू व कश्मीर	1690	17
10.	झारखंड	3049	11
11.	कर्नाटक	9877	19
12.	केरल	5068	16
	लक्षद्वीप	14	23
13.	मध्य प्रदेश	8345	14
14.	महाराष्ट्र	12703	13
	गोवा	258	19
15.	उत्तर पूर्व		
	अरुणाचल प्रदेश	303	28
	मणिपुर	698	29
	मेघलय	493	21
	मिजोरम	405	46
	नागालैंड	328	16
	त्रिपुरा	717	22
16.	उड़ीसा	8161	22
17.	पंजाब	3960	16
18.	राजस्थान	10442	18
19.	तमिलनाडु	12101	19
	पांडिचेरी	95	10
20.	उत्तरांचल	2721	32
21.	उत्तर प्रदेश	17658	11
22.	पश्चिम बंगाल	8752	11
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	101	28
	सिक्किम	210	39
	कुल*	155516	15*

*2001 की जनगणना पर आधारित अखिल भारतीय औसत।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्युलर फोन

1441. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्युलर प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार सुविधा प्रदान करने में आई लागत फिक्सड लाइन टेलीफोन प्रौद्योगिकी की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्युलर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन फंड से सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वायरलाइन की संस्थापना लगात लगभग 26,000/– रु. प्रति लाइन है, जबकि वायरलैस इन लोकन लूप की प्रति लाइन लागत लगभग 9,000/– रु. (हैंडसैट की लागत को छोड़कर) तथा मोबाइल की लगभग 5,500/– रु. है।

बुनियादी सेवाओं हेतु प्रति लाइन प्रतिमाह प्रचालनात्मक व्यय 621.25 रु. बताया गया है, जबकि सेल्यूलर सेवाओं के लिए यह व्यय 205/– रु. है।

(ग) और (घ) सरकार की नीति ग्रामीण अथवा शहरी दोनों क्षेत्रों के संबंध में प्रौद्योगिकी तटस्थ है। तथापि अधिकांश सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं।

(ङ) और (च) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सेल्यूलर सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय तार अधिनियम, 1885 में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन

1442. श्री पी. मोहन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कुल कितने मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक ने जनता को आज तक कुल कितने कनेक्शन प्रदान किए हैं;

(ग) क्या सेल सेवा प्रदाता के लिए अधिकतम सीमा तक सेवा प्रदान करने के संबंध में सिलिंग क्षमता निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्धारित सीमा से आगे जाने के किसी उल्लंघन का कोई मामला सामने आया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार, भारत में प्रचालनरत फोन प्रदाताओं की कुल संख्या 26 है।

(ख) भारतीय सेल्यूलर प्रचालक एसोसिएशन (सीओएआई) और भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की एसोसिएशन (एयूएसपीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त मोबाइल कनेक्शनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	31.01.2006 की स्थिति के अनुसार मोबाइल कनेक्शन
1	2	3
एयरसेल सेल्युलर लि.	चेन्नई	677,815
एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	हरियाणा	344,998
एयरसेल डिजीलिंक इंडिया लि.	राजस्थान	527,136
एयरसेल डिजीलिंक इंडियाा लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,209,445
एयरसेल लि.	तमिलनाडु	1,602,380
भारत संचार निगम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1,053,728
भारत संचार निगम लिमिटेड	असम	308,346
भारत संचार निगम लिमिटेड	बिहार	782,889
भारत संचार निगम लिमिटेड	चेन्नई	509,118
भारत संचार निगम लिमिटेड	गुजरात	827,750
भारत संचार निगम लिमिटेड	हरियणा	482,490
भारत संचार निगम लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	210,166
भारत संचार निगम लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर	426,384
भारत संचार निगम लिमिटेड	कर्नाटक	1,112,005
भारत संचार निगम लिमिटेड	केरल	1,425,438
भारत संचार निगम लिमिटेड	कोलकाता	403,538
भारत संचार निगम लिमिटेड	मध्य प्रदेश	387,966
भारत संचार निगम लिमिटेड	महाराष्ट्र	1,056,053
भारत संचार निगम लिमिटेड	पूर्वोत्तर	176,853
भारत संचार निगम लिमिटेड	उड़ीसा	476,399
भारत संचार निगम लिमिटेड	पंजाब	383,020

1	2	3
भारत संचार निगम लिमिटेड	राजस्थान	953,830
भारत संचार निगम लिमिटेड	तमिलनाडु	1,339,658
भारत संचार निगम लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,581,512
भारत संचार निगम लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	892,797
भारत संचार निगम लिमिटेड	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	583,060
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	आंध्र प्रदेश	1,534,879
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	बिहार	665,241
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	चेन्नई	610,968
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	दिल्ली	1,895,680
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	गुजरात	791,524
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	हरियाणा	384,948
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	332,955
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	जम्मू और कश्मीर	240,893
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	कर्नाटक	2,001,370
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	केरल	529,444
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	कोलकाता	604,661
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	मध्य प्रदेश	403,769
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	महाराष्ट्र	1,211,226
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	मुम्बई	1,135,954
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	उड़ीसा	364,527
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	पंजाब	1,542,103
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	तमिलनाडु	698,659
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	543,207
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	519,132
भारत सेल्यूलर लिमिटेड	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	291,642
भारती हेक्साकॉम लिमिटेड	पूर्वोत्तर	22,999
भारती हेक्साकॉम लिमिटेड	राजस्थान	918,233
भारती टेलीवेंचर्स लिमिटेड	असम	129,156
बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लिमिटेड	केरल	431,102
बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लिमिटेड	महाराष्ट्र	683,651
बीपीएल मोबाइल सेल्युलर लिमिटेड	तमिलनाडु	467,216
बीपीएल मोबाइल कॉम्युनिकेशन्स लिमिटेड	मुम्बई	1,334,272
बीटीए सेलकॉम लि.	मध्य प्रदेश	649,095
डिश्नेट वायरलैस लि.	असम	34,992
डिश्नेट वायरलैस लि.	जम्मू और कश्मीर	2,445
डिश्नेट वायरलैस लि.	पूर्वोत्तर	36,427
डिश्नेट वायरलैस लि.	उडीसा	19,469
डिश्नेट वायरलैस लि.	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	7,522
फास्सेल लि.	गुजरात	2,012,797
एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	पंजाब	65,704
हचिसन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लि.	दिल्ली	1,742,136
हचिसन एस्सार साऊथ लि.	आंध्र प्रदेश	756,395
हचिसन एस्सार साऊथ लि.	चेन्नई	375,328
हचिसन एस्सार साऊथ लि.	कर्नाटक	964,612
हचिसन एस्सार साऊथ लि.	पंजाब	605,837
हचिसन एस्सार साऊथ लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	501,369

1	2	3
हचिसन एस्सार साऊथ लि.	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	417,158
हचिसन मैक्स टेलीकाम लिमिटेड	मुम्बई	1,838,818
हचिसन टेलीकॉम ईस्ट लि.	कोलकाता	869,113
आइडिया सेल्युलर लि.	आंध्र प्रदेश	850,858
आइडिया सेल्युलर लि.	दिल्ली	832,183
आइडिया सेल्युलर लि.	गुजरात	914,163
आइडिया सेल्युलर लि.	महाराष्ट्र	1,631,574
आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.	हरियाणा	273,456
आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.	केरल	768,101
आइडिया मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	813,111
महानगर टेलीफोन निगम लि.	दिल्ली	742,647
महानगर टेलीफोन निगल लि.	मुम्बई	888,027
रिलायेबल इंटरनेट सर्विसेज लि.	कोलकाता	19,191
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	आंध्र प्रदेश	1,336,578
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	बिहार	481,648
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	चेन्नई	492,658
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	दिल्ली	1,445,307
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	गुजरात	769,038
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	हरियाणा	239,235
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	हिमाचल प्रदेश	13,648
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	कर्नाटक	900,328
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	केरल	641,281
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	कोलकाता	669,471

1	2	3
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	मध्य प्रदेश	696,844
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	महाराष्ट्र	1,027,303
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	मुम्बई	1,258,925
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	उड़ीसा	185,076
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	पंजाब	537,975
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	राजस्थान	630,043
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	तमिलनाडु	710,554
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	914,837
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	596,035
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	272,390
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	असम	185,053
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	बिहार	502,281
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	हिमाचल प्रदेश	62,030
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	मध्य प्रदेश	500,159
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	पूर्वोत्तर	53,818
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	उड़ीसा	179,906
रिलायंस इन्फोकॉम लि.	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	227,410
श्याम टेलीलिंक लि.	राजस्थान	27,193
स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.	कर्नाटक	366,263
स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.	पंजाब	1,351,215
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	आंध्र प्रदेश	461,078
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	बिहार	83,135
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	चेन्नई	86,556
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	दिल्ली	606,280

1	2	3
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	गुजरात	215,451
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हरियाणा	164,781
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हिमाचल	17,151
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कर्नाटक	306,005
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	केरल	127,541
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कोलकाता	221,320
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	मध्य प्रदेश	124,060
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	महाराष्ट्र	338,241
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	मुम्बई	362,203
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उड़ीसा	42,528
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पंजाब	192,372
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	राजस्थान	171,485
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	तमिलनाडु	113,431
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	164,117
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	187,203
टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	76,266
	जोड़	79,992,419

टिप्पणी : इन आंकड़ों में भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा पदान किए गए वायरलैस इन लॉकल लूप (सीमित मोबिल्टी) कनेक्शन शामिल नहीं होते हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को पुनः चालू करना

1443. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रही सहकारी संस्थाओं को पुनः चालू करने हेतु दो हजार पांच सौ करोड़ की धनराशि की आवश्यकता का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और पहली किस्त के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के लिए अन्य आवश्यकताएं यदि कोई पूरी की जानी हैं, तो वे क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मध्य प्रदेश सहित देश के अलग-अलग भागों में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया गया है। इस पुनरुज्जीवन पैकेज में 13,596 करोड़ रु. का अनुमानित वित्तीय पुनर्गठन शामिल है और इसमें कई कानूनी और संस्थागत सुधारों की व्यवस्था की गई है। अल्पावधि ऋण सहकारिताओं के लिए पुनरुज्जीवन-पैकेज का कार्यान्वयन करने की इच्छा रखने वाली सरकारों को अनुशासित कानूनी और संस्थागत सुधारों के कार्यान्वयन तथा वित्तीय पैकेज में भागीदारी के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन या सहमति-पत्रों के विनिमय के माध्यम से सहमत होना आवश्यक है।

निजी कोरियर सेवा केन्द्र

1444. श्री रामदास आठवले :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी कोरियर कंपनियों के व्यवसाय को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) उक्त निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या 'एसोचेम' ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) निजी कोरियर कंपनियों के व्यवसाय को प्रतिबंधित

करने के विरोध में ऐसोचेम से कोई प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उटता।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

1445. श्री वीर सिंह महतो :
श्री सुनील कुमार महतो :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी भवन निर्माताओं, संपदा एजेंटों और दिल्ली के प्रोपर्टी डीलरों द्वारा किए जाने वाले अनधिकृत निर्माण कार्य को कड़ाई से रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया गया विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है और यह अभी भी इसके पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि शहरी भूमि अधिनियम के निरसन के पश्चात इस विधेयक की आवश्यकता और बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपार्टमेंटों के निर्माण और बिक्री, भूमि के विकास और उसके लेनदेन, कालोनियों के विकास तथा प्रमोटरों, बिल्डरों और एस्टेट एजेंटों के कार्यकलापों के विनियमन के लिए कानून बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। तथापि, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में इस प्रकार के कानून के बारे में, बिल्डरों तथा विकासकों के कार्यकलापों को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए मॉडल कानून तैयार कर लेने के पश्चात् विचार किया जाए।

आपदा चेतावनी प्रणाली

1446. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्यमान प्रणाली के स्थान पर नई आपदा चेतावनी प्रणाली ला रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई आपदा चेतावनी प्रणाली सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में कितनी कारगर होगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) आपदा चेतावनी का निर्माण एक बहु-सांस्थानिक प्रयास है। विभिन्न संस्थान, जैसे भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल आयोग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन क्रमशः भूस्खलनों, बाढ़ और हिमस्खलनों के आरम्भिक पूर्वानुमान के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग को देश में उष्णकटिबंधी चक्रवातों और भूकम्पों को मॉनीटर करने और आपदा उपशमन के लिए सरकार अधिकारियों और जनता को आवश्यक सूचना/चेतावनी मुहैया कराने का अधिदेश प्राप्त है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) की विद्यमान समरूपी चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली जो 250 रिसीवर्स के साथ भारतीय तट के साथ-साथ स्थापित की गयी है, को नवीनतम प्रणाली के साथ बदला जाना है। यह नई प्रणाली आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अधिक प्रारंभिक समय और आसानी से समझने के लिए अधिक अच्छी स्वर गुणवत्ता मुहैया कराएगी।

जहां तक भूकंपों का संबंध है, विश्व भर में वर्तमान में ऐसी कोई उन्नत चेतावनी प्रणाली उपलब्ध नहीं है जो भूकंप आने की भविष्यवाणी कर सके। तथापि, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अनुरक्षित तथा संचालित भूकंपीय वेधशालाओं का प्रेक्षणात्मक नेटवर्क देश में प्रभावपूर्ण निगरानी रखने में सक्षम है।

महासागर विकास विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभा (डी एस टी), अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) की प्रयोगशालाओं के सहयोग से हिन्द महासागर में सुनामी और तूफानी लहरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा हेतु विश्व बैंक सहायता

1447. श्री आलोक कुमार मेहता :
डा. के. धनराजू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने के

लिए छात्रों को ऋण देने वाले बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक से अब तक कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और प्राप्त हुई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण की लागत

1448. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण पर औसत कितना खर्च होता है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रति किलोमीटर सड़क निर्माण की लागत लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों की तुलना में अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बनाई जाने वाली सड़कों के लिए प्रति किलोमीटर औसत लागत निश्चित नहीं है। लागत श्रम, सामग्री तथा मशीनों की आधारिक दरों तथा सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण सामग्री कितनी दूर ले जाएगी, के अलावा निर्माण स्थल की स्थल–आकृति विशेषताओं, मिट्टी की मजबूती, जिस पर कि सड़क बनाई जानी है तथा अपेक्षित यातायात पर निर्भर करती है। इस वजह से केवल लाइन अनुमानों पर निर्भर रहने के स्थान पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सड़क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। लागत पर क्रास–नालियों के स्वरूप और संख्या तथा पहाड़ी ढलानों के संरक्षण निर्माण कार्यों, जो बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं, का भी प्रभाव पड़ता है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के पिछले चरण के लिए सभी राज्यों के लिए औसत लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए विनिर्देशन तथा प्रावधान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा सड़क निर्माण में अपनाए गए विनिर्देशनों और प्रावधानों से अलग हैं। सड़क पूरी करने के लिए भिन्न–भिन्न समय पर केवल आंशिक प्रावधान करते हुए चरण निर्माण तरीका अपनाना पीडब्ल्यूडी में एक सामान्य पद्धति है। तथापि, पीएमजीएसवाई में भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए की गई विस्तृत जांच, तैयार किए गए डिजाइन तथा विनिर्देशों के आधार पर एक बार में पूरा प्रावधान कर दिया जाता है। इस प्रकार, पीडब्ल्यूडी तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) द्वारा बनाई गई सड़कों की लागत की समान आधार पर तुलना नहीं की जा सकती।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के पिछले चरणों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए औसत लागत

क्र.सं.	राज्य	औसत लागत
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश*	15.47
2.	अरुणाचल प्रदेश#	31.24
3.	असम	40.36
4.	बिहार	37.34
5.	छत्तीसगढ़	23.00
6.	गोवा	25.07
7.	गुजरात	17.53
8.	हरियाणा*	23.28
9.	हिमाचल प्रदेश#	23.03
10.	जम्मू व कश्मीर#	30.95
11.	झारखंड	20.85

1	2	3
12.	कर्नाटक*	16.77
13.	केरल	29.40
14.	मध्य प्रदेश	20.31
15.	महाराष्ट्र	16.88
16.	मणिपुर	11.36
17.	मेघालय#	32.28
18.	मिजोरम#	32.63
19.	नागालैंड	18.27
20.	उड़ीसा	28.42
21.	पंजाब	17.63
22.	राजस्थान	20.25
23.	सिक्किम#	43.67
24.	तमिलनाडु*	14.29
25.	त्रिपुरा	48.91
26.	उत्तर प्रदेश	23.82
27.	उत्तरांचल#	17.15
28.	प. बंगाल	31.92

*केवल उन्नयन

#चरण–I निर्माण अर्थात् स्थलाकृति कटाव, संरक्षण कार्य तथा सी.डी. कार्यों के लिए।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की गरुड़ सेवा

1449. डा. के. धनराजू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की गरुड़ सेवा का नेटवर्क बहुत खराब है तथा इसमें सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य निजी मोबाइल कंपनियों की तुलना में उक्त सेवा के ग्राहक बहुत कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) दिल्ली में एमटीएनएल की गरुड़ सेवा समिति मोबिलटी वाली एक पोस्ट–पेड सेवा है। यह सेवा दिल्ली तक सीमित है तथा लाइसेंस शर्तों के कारण एनसीआर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इसलिए यह सेवा जीएसएम मोबाइल सेवा जैसी लोकप्रिय नहीं है।

(ग) और (घ) निजी मोबाइल कंपनियां एमटीएनएल की गरुड़ सेवा के सदृश कोई सेवा प्रदान नहीं करती हैं।

तथापि, गरुड़ सेवा में जयादा विशेषताएं जोड़ने तथा कवरेज को बेहतर बनाने हेतु एमटीएनएल ने हाल ही में एक नया 400के सीडीएमए नेटवर्क चालू किया है। नए नेटवर्क में क्रेडिट कंट्रोल, पृथक बिलिंग और वाणिज्यिक प्रणाली, प्री–पेड सेवा, वॉइस–मेल आदि जैसी कुछ खास विशेषताएं हैं।

[हिन्दी]

मलिन बस्ती पुनर्वास योजनाएं

1450. श्री मुनव्वर हसन : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मुंबई तथा उत्तर प्रदेश के शहरों में कितनी मलिन बस्ती पुनर्वास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा मुंबई के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एकीकृत कम लागत सफाई कार्यक्रम (आईएलसीएसपी) के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ङ) इस योजना की निगरानी कौन सी एजेंसी कर रही है;

(च) क्या इस योजना में गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

करदाताओं के बारे में आंकड़े

1451. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में करदाताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र/राज्य/सरकारी/निजी उद्यमों में कार्यरत आयकर निर्धारितियों की भी अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त आयकर निर्धारितियों की प्रत्येक श्रेणी द्वारा किस सीमा तक कर वसूल किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) महोदय, दिनांक 31 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार आयकर निर्धारितियों की संख्या 3.06 करोड़ है। राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केन्द्र/राज्य/सरकारी/निजी उद्यमों में कार्यरत कर निर्धारितियों की संख्या से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूमि के आवंटन के लिए नए दिशानिर्देश

1452. श्री राम कृपाल यादव :
श्री जोवाकिम बलला :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्थानों को भूमि आवंटन में कीमतों में कोई छूट नहीं देने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने नए आवंटन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि वे सात मुख्य सांस्थानिक उद्देश्यों नामतः अस्पतालों, क्लबों, समुदाय भवनों, विद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक उद्देश्यों तथा विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए भूमि आवंटित करते हैं। इनमें से तीन श्रेणियों, नामतः अस्पतालों, क्लबों तथा उच्च एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि देने हेतु डीडीए ने नीलामी का तरीका अपनाया है। समुदाय भवनों के लिए यह तय किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए चुने गए स्थानों का प्रस्ताव पहले स्थानीय निकायों को दिया जाएगा तथा शेष स्थान, यदि कोई हो, की नीलामी की जाएगी। विद्यालयों के मामले में प्राधिकरण ने दिनांक 19.1.2006 के अपने संकल्प के जरिए यह प्रस्ताव किया है कि सभी प्राथमिक विद्यालय वाले प्लाट दिल्ली नगर निगम को दिए जाएंगे तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 50% स्थान प्रत्येक प्रतिवेश में दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे तथा 50% स्थान नीलामी के जरिए बेचे जाएंगे। दो अन्य श्रेणियों, अर्थात धार्मिक संगठनों के लिए स्थलों तथा विविध सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों के लिए भू-आवंटन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दिनांक 19.1.2006 के इस संकल्प पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में निवेश

1453. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई तथा एलआईसी की कुल परिसम्पत्तियों का कितना प्रतिशत निवेश ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम

1454. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का वेतनभार 1.5 बिलियन रुपये हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा अर्जित बढ़ा हुआ लाभ पालिसीधारकों, पेंशन निधि तथा कर्मचारियों को दे दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि 31.3.2005 तक उनकी नामावली में कर्मचारियों की संख्या 1,14,588 थी एवं वर्ष 2004–05 के लिए इन कर्मचारियों का मजदूरी बिल 4514.41 करोड़ रुपये का था।

(घ) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि यह जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 26 एवं बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 13 के अनुसार वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन का पालन करता है। वर्ष में अधिक विलय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 28 में दिए गए अनुसार वितरित किया गया है एवं यह बिना किसी उल्लंघन के उक्त संवैधानिक प्रावधानों का अनुपलान करता रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वी.सी. कार्ड्स

1455. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किए गए वरचुअल कॉलिंग कार्ड्स (वी.सी.कार्ड्स) अपने संबंधित क्षेत्र में ही काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वी.सी.सी. उयोगकर्ताओं को सीमा में बांध देता है;

(ग) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड के वीसीसी उपयोगकर्ताओं को अपने कार्ड का देश के अन्य भागों में भी उपयोग करने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के वर्चुअल कालिंग कार्ड (वीसीसी) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच 'इंटरऑपरेबिलिटी' की सुविधा सहित समस्त देश में कार्य करते हैं।

भवन उप-नियम

1456. डा. टोकचोम मैन्या : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में भवन उप–नियम पुराने हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर भवन उप–नियमों में परिवर्तन करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो नए नियम कब तक बना लिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उप–नियम 1983 में अधिसूचित किए गए थे और संगत अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनके अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं। दिल्ली नगर निगम ने भवन उप–नियमों को पुनः तैयार करने की कार्रवाई की थी तथा गृह मंत्रालय को मामला भेजा था, जिसने इस संबंध में संबंधित एजेंसियों की टिप्पणियां मांगी हैं।

[हिन्दी]

अलीगढ़ में टेलीफोन टावर स्थापित किया जाना

1457. चौधरी विजेन्द्र सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो अलीगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित भारत संचार निगम लिमिटेड के टावरों की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन टावरों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बीएसएनएल की सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और मोबाइल संचार सुविधाओं के लिए ग्लोबल प्रणाली (जीएसएम) की व्यवस्था प्रदान करने हेतु अलीगढ़ में संस्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) की क्षमता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	शहरी	ग्रामीण	जोड़
(i) मौजूदा जीएसएम बीटीएस की संख्या	29	23	52
(ii) मौजूदा डब्ल्यूएलएल बीटीएस की संख्या	4	3	7

(iii) प्रत्येक जीएसएम बीटीएस की क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(iv) प्रत्येक डब्ल्यूएलएल बीटीएस की क्षमता 1000 लाइनों की है।

(v) मौजूदा टॉवरों की संख्या : 52

(ग) और (घ) आवश्यकताओं के आधार पर बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की क्षमता बढ़ाई गई है। चालू वर्ष के दौरान, 15,995 की क्षमता वाले 17 अतिरिक्त जीएसएम बीटीएस स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इनमें से 12,631 की क्षमता वाले 12 बीटीएस अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। 2006 के दौरान, कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अलीगढ़ जिले में मौजूदा बीटीएस की सूची

क्र.सं.	स्थल पहचान	स्थान	शहरी/ग्रामीण	रेडियो क्षमता
1	2	3	4	5
1.	एजीएल 001	इगलस टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1016
2.	एएलजी 012	काशिमपुर टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1016
3.	एआरएन 001	घबाना टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1016
4.	एयूटी 001	अटरौल टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	2632
5.	सीआरआर 001	छर्रा टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	2632
6.	एचडब्ल्यूयू 004	अकराबाद टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	352
7.	एचडब्ल्यूयू 051	अंदला टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	0
8.	एचडब्ल्यूयू 052	जट्टारी टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	563
9.	एचडब्ल्यूयू 053	टप्पल टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	563
10.	केएएच 011	टेलीफोन एक्सचेंज खैर	ग्रामीण	1016
11.	एजीआर 010	अमनीशा चौराहा	शहरी	1016
12.	एएलजी 001	मुख्य एक्सचेंज बिल्डिंग	शहरी	1520

1	2	3	4	5
13.	एएलजी 002	धानीपुर एक्सचेंज	शहरी	1016
14.	एएलजी 003	दिल्ली गेट एक्सचेंज	शहरी	1016
15.	एएलजी 004	सुभाष रोड आनंद होटल	शहरी	2632
16.	एएलजी 005	पुराना हाथरस अड्डा	शहरी	2632
17.	एएलजी 006	टेलीफोन एक्सचेंज एएमयू	शहरी	1016
18.	एएलजी 007	टेलीफोन एक्सचेंज कृष्णापुरम	शहरी	1252
19.	एएलजी 009	अब्दुल करीम चौराहा	शहरी	1016
20.	एएलजी 011	सासनी गेट टेलीफोन एक्सचेंज	शहरी	1016
21.	बीएई 013	सेंटर प्वाइंट अलीगढ़	शहरी	1016
22.	पी 4 एफई आर 10	रायपुर दैपतपुर टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1156
23.	पी 4 एफएई 01	क्वारसी	ग्रामीण	1156
24.	पी 4 एटीआर 01	अटरौल	ग्रामीण	1156
25.	पी 4 एटीआर 02	जलाली टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	397
26.	पी 4 सीएचएच 01	बिजौली टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1156
27.	पी 4 आईजीएल 01	इगलस	ग्रामीण	1156
28.	पी 4 आईजीएल 02	जरठ टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	397
29.	पी 4 केएचआर 02	खैर	ग्रामीण	1156
30.	पी 4 सीएचएस 01	चन्दौस टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1156
31.	पी 4 एचडीजे 01	अरदुआगंज टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1156
32.	पी 4 जीएनडी 01	गोण्डा टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	740
33.	पी 4 केएसपी 01	विजय गढ़ टेलीफोन एक्सचेंज	ग्रामीण	1156
34.	पी 4 जीबीएच 01	गभाना	ग्रामीण	1156
35.	पी 4 एजीएचडब्ल्यू 03	हेलंज इन्डी पी.लि.	शहरी	265
36.	पी 4 एएलजी 01	न्यू विष्णू	शहरी	1156
37.	पी 4 एएलजी 02	मटरोज बिस्किट कं.	शहरी	1156
38.	पी 4 एएलजी 03	बदरबाग	शहरी	1156

1	2	3	4	5
39.	पी 4 एएलजी 04	सराय वृध्यांग (सासनी गेट)	शहरी	1156
40.	पी 4 एएलजी 06	बैंक कलौनी	शहरी	1156
41.	पी 4 एएलजी 07	मसूदाबाद	शहरी	1156
42.	पी 4 एएलजी 08	नौरंगाबाद	शहरी	1156
43.	पी 4 एएलजी 09	ज्ञानसरोवर	शहरी	1156
44.	पी 4 एएलजी 10	विक्रम कलोनी (स्वर्ण जयंती ना)	शहरी	1156
45.	पी 4 एएलजी 11	दूधपुर	शहरी	1156
46.	पी 4 एएलजी 12	आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र)	शहरी	1156
47.	पी 4 एएलजी 13	जयगंज	शहरी	1156
48.	पी 4 एएलजी 14	गंगानगर	शहरी	1156
49.	पी 4 एएलजी 15	हबीब हॉल	शहरी	1156
50.	पी 4 एएलजी 16	डीएस कोलिज	शहरी	1156
51.	पी 4 एएलजी 17	न्यू फ्रैन्डस कलोनी	शहरी	740
52.	पी 4 एएलजी 05	सेंटर प्वाइंट	शहरी	1156
		कुल क्षमता		58549

[अनुवाद]

मोबाइल के कलपुर्जों का विनिर्माण

1458. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में नए सेमीकंडक्टर का विनिर्माण शुरू करने हेतु नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोबाइल के कलपुर्जों के विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की भविष्य में भावी योजना क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) देश में सेमीकंडक्टर उद्योग सहित इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर तथा मोबाइल फोनों में प्रयोग किए जाने वाले संघटक पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा (संलग्न विवरण के अनुसार) कई उपाय किए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को प्रेरित करने तथा उसे बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर 15 प्रतिशत है। आईपीए–1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त

कर दिया गया है। आईटीए–1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जा अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क जीरो प्रतिशत है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क जीरो प्रतिशत है।

4. कम्प्यूटरो पर उत्पाद शुल्क शून्य प्रतिशत है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों तथा सीडी रॉम ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

6. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100 प्रतिशत आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50 प्रतिशत और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैक लाभ का 50 प्रतिशत।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/ईएचटीपी इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150 प्रतिशत की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय तार अधिनियम में संशोधन

1459. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तार अधिनियम में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय तार अधिनियम, 1885 में पूर्व प्रभाव अर्थात् 1.4.2002 से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की संस्थापना हेतु पिछली बार जनवरी, 2004 में संशोधन किया गया था।

(ग) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ नागरिकों को छूट

1460. श्री एस. के. खादवेलुथन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल/एमटीएनएल विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को नए टेलीफोन लगाने और मासिक किराए में छूट दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट दी जा रही है जबकि रेलवे में 60 वर्ष की उम्र से छूट मिलती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की आयु सीमा को 65 वर्ष करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी. हां। विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा नया टेलीफोन कनेक्शन लेने पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा अनुमत्य, छूट/रियायत संबंधी ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) फिलहाल, वरिष्ठ नागरिकों को छूट प्रदान करने हेतु उनकी उम्र सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। बीएसएनएल एवं एमटीएनएल कड़े प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक सेक्टर हैं। उपभोक्ताओं के किसी समूह को प्रशुल्क रियायत/छूट की पेशकश करना, उनका वाणिज्यिक निर्णय है।

विवरण-I

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा नया टेलीफोन कनेक्शन लेने पर बीएसएनएल द्वारा दी जा रही छूट संबंधी ब्यौरा

क्र.सं.	व्यक्तियों की श्रेणी	छूट/रियायत
1	2	3
1.	65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक	(i) "नॉन–ओन यूओर टेलीफोन (ओवाईटी) विशेष श्रेणी" जो प्राथमिकता श्रेणी है, के तहत एक टेलीफोन का पंजीकरण। (ii) कोई पंजीकरण प्रभार नहीं।
2.	दृष्टिहीन व्यक्ति	(i) नॉन ओवाईटी विशेष श्रेणी के तहत एक टेलीफोन का पंजीकरण। (ii) सामान्य मासिक प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट। (iii) वार्षिक अग्रिम किरायों में 50 प्रतिशत की छूट।
3.	स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगी स्वतन्त्रता सेनानी/उनकी विधवाएं	(i) नॉन–ओवाईटी एसडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत एक टेलीफोन का पंजीकरण। (ii) कोई पंजीकरण प्रभार नहीं। (iii) संस्थापना संबंधी कोई प्रभार नहीं। (iv) सामान्य मासिक प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट।
4.	निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत शौर्य पुरस्कार विजेता (सुरक्षा सेवाएं)	
	(i) परमवीर चक्र	(i) नॉन–ओवाईटी विशेष श्रेणी के तहत एक टेलीफोन का पंजीकरण।
	(ii) अशोक चक्र	(ii) कोई पंजीकरण प्रभार नहीं।

1	2	3
	(iii) कीर्ति चक्र	(iii) संस्थापना संबंधी कोई प्रभार नहीं।
	(iv) वीर चक्र	(iv) कोई मासिक किराया नहीं।
	(v) शौर्य चक्र	
5.	सैनिकों की विधवाएं/विकलांग सैनिक	(i) नॉन–ओवाईटी विशेष श्रेणी के तहत एक टेलीफोन का पंजीकरण।
		(ii) कोई पंजीकरण प्रभार नहीं।
		(iii) सामान्य मासिक प्रभारों में 50 प्रतिशत की छूट।
		(iv) संस्थापना संबंधी कोई प्रभार नहीं।
6.	शौर्य हेतु राष्ट्रपति पुलिस मेडल विजेता एवं मरणोपरांत इस पुरस्कार के विजेताओं की विधवाएं	(i) नॉन–ओवाईटी विशेष श्रेणी के तहत पंजीकरण।
		(ii) कोई पंजीकरण प्रभार नहीं।
		(iii) कोई संस्थापना प्रभार नहीं।
		(iv) कोई मासिक प्रभार नही।
7.	विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेज, पोलिटेकनीक, गैर वाणिज्यिक अनुसंधान संगठन एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी ही संस्थाएं या संगठन	गैर–आवासीय टेलीफोन कनेक्शन हेतु मासिक किरायों में 25 प्रतिशत की छूट।
8.	वृद्धों, अशक्त, मानसिक रूप से अस्वस्थ, विकलांग, अंधे–गूंगे–बहरे व्यक्तियों, अनाथों तथा जनजाति कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठन और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समान संस्थाएं या संगठन।	दो से अनधिक टेलीफोन कनेक्शनों पर किरायों में 25 प्रतिशत की छूट।

विवरण-II

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा नए टेलीफोन कनेक्शन लेने पर एमटीएनएल द्वारा दी जा रही छूट संबंधी ब्यौरे

क्र.सं.	व्यक्तियों की श्रेणी	छूट/रियायत
1	2	3
1.	65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक	(i) संस्थापना प्रभारों में 25 प्रतिशत की छूट।
		(ii) किरायों में 25 प्रतिशत की छूट।
2.	स्वतन्त्रता सेनानी	(i) संस्थापना संबंधी प्रभारों में 100 प्रतिशत की छूट।
		(ii) किरायों में 50 प्रतिशत की छूट।
3.	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं एवं विकलांग सैनिक	(i) संस्थापना संबंधी प्रभारों में 100 प्रतिशत की छूट।
		(ii) किरायों में 50 प्रतिशत की छूट।

1	2	3
4.	शौर्य पुरस्कार विजेता	(i) संस्थापना संबंधी प्रभारों में 100 प्रतिशत की छूट। (ii) किरायों में 100 प्रतिशत की छूट।
5.	दृष्टिहीन व्यक्ति	किरायों में 50 प्रतिशत की छूट।
6.	विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेज, पोलिटेकनीक, गैर वाणिज्यिक अनुसंधान संगठन एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी ही संस्थाएं या संगठन	दो से अनधिक टेलीफोन कनेक्शन हेतु मासिक किरायों में 25 प्रतिशत की छूट।
7.	वृद्धों, अशक्त, मानसिक रूप से अस्वस्थ, विकलांग, अंधे–गूंगे–बहरे व्यक्तियों, अनाथों तथा जनजाति कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठन और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समान संस्थाएं या संगठन।	दो से अनधिक टेलीफोन कनेक्शनों (गैर–आवासीय) पर किरायों में 25 प्रतिशत की छूट।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसरों का सृजन

1461. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु कतिपय राज्य सरकारों विशेषतः छत्तीसगढ़ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य सहित किसी भी राज्य सरकार से वर्तमान वर्ष (2005–06) के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनमें शहरी गरीबी के भार को देखते हुए केन्द्रीय धनराशियों को अंतरिम आवंटन किया जाता है और पहले दी जा चुकी धनराशियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा राज्यों द्वारा समतुल्य राज्य अंश जारी किए जाने के आधार पर धनराशियां जारी की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरों के विकास हेतु पश्चिम बंगाल को धनराशि

1462. श्री एनेन बर्मन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान विभिन्न शहरों में शहरी विकास हेतु पश्चिम बंगाल को कुल कितना वित्तीय अनुदान आवंटित किया गया है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल अनुदान में से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) वर्ष 2005–06 तक 10वीं योजना के दौरान विभिन्न शहरों में शहरी विकास हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित कुल वित्तीय अनुदान तथा सूचित व्यय निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

स्कीम	आवंटित अनुदान	व्यय
मेगा शहरों में अवस्थापना विकास	162.57	146.88
छोटे तथा मझोले कस्बे में अवस्थापना विकास	33.00	21.19
त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	7.06	4.56
कुल	202.63	172.63

(ग) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि समतुल्य राज्य अंश के साथ अनुदान की राशि का तेजी से उपयोग करें तथा चल रही परियोजना शहरों के लिए केन्द्रीय सहायता की शेष राशि को निकालें क्योंकि उपर्युक्त स्कीमों को सरकार द्वारा दिनांक 3.12.2005 को शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा छोटे और मझोले कस्बों के लिए अवसंरचना विकास स्कीम में विलय कर दिया गया है।

[हिन्दी]

महिला वैज्ञानिक

1463. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अध्येतावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष महिला वैज्ञानिकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम कर रही महिला वैज्ञानिकों को समान रूप से प्रोत्साहन देने का कोई प्रावधान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या शहरी महिला वैज्ञानिकों की तुलना में ग्रामीण महिला वैज्ञानिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अनुसंधान कार्य या अनुसंधान अध्ययन में लगी महिला वैज्ञानिकों को पृथक छात्रवृत्ति दी जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में इस समय महिला वैज्ञानिकों की स्थिति और उनके कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) महिला वैज्ञानिकों के लिए अध्येतावृत्ति योजना वर्ष 2002-03 में प्रतिपादित की गई जिसका उद्देश्य कैरियर में व्यवधान पड़ने के बाद विज्ञान की मुख्यधारा में उन्हें फिर से शामिल करने के लिए अवसर प्रदान करना था। योजना में सुधार करने और इसे अपेक्षाकृत अधिक महिला लाभोन्मुखी बनाने के लिए इस योजना का नियमित मूल्यांकन किया जाता है। हाल में, इस योजना में आवश्यक अर्हताओं के साथ-साथ पीएचडी प्राप्त उम्मीदवारों के लिए अध्येतावृत्ति बढ़ाकर 20,000/- रुपये प्रति माह कर दी गई है।

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिला वैज्ञानिकों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

(ग) ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के महिला वैज्ञानिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) और (च) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने के साथ-साथ सामाजिक अनुप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास/अनुकूलन के लिए भी महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत, विज्ञान, इंजीनियरी अथवा औषधि के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों से एक परियोजना पर विचार किया जाएगा।

(छ) महिला वैज्ञानिकों के कार्य निष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसे संतोषप्रद पाया गया है। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए हाल ही में एक कृत्यक बल का गठन किया है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित हैं : मार्गनिर्देशों का प्रतिपादन करना ताकि महिला वैज्ञानिकों के हितों की रक्षा की जा सके, महिलाओं द्वारा वैज्ञानिक वृत्ति अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा महिला वैज्ञानिकों के संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन और समीक्षा करना।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बों की कमी

1464. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मेट्रो में वर्तमान में कितने सवारी डिब्बे प्रचालन में हैं;

(ख) क्या दिल्ली मेट्रो सवारी डिब्बों की कमी का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली मेट्रो में सवारी डिब्बों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) वर्तमान में 220 कोच चल रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एनआरईजीए अधिनियम हेतु रूप-रेखा

1465. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास के मुद्दों का स्वचालन प्रौद्योगिकी से जोड़ने के प्रयास स्वरूप टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज (टीसीएस) ने देश में, विशेषतः आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एनआरईजी) अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु एक रूप–रेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एनआरईजी अधिनियम का निगरानी कार्य लेने के लिए टीसीएस को स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु टीसीएस द्वारा क्या विस्तृत योजना बनाई गई है; और

(घ) टीएससी द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितने जिलों की पहचान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज (टीसीएस) ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ ऐसा कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित करने के लिए सहयोग करने का प्रस्ताव किया है जिससे आंध्र प्रदेश सरकार एपीआरईजीएस का कार्यान्वयन कर सके।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने टीसीएस के साथ एक समझौता–ज्ञापन सम्पन्न किया है जिसके अन्तर्गत टीसीएस साफ्टवेयर मुफ्त देगी तथा आंध्र प्रदेश सरकार साफ्टवेयर लगाने तथा प्रशिक्षण का खर्च उठाएगी। आंध्र प्रदेश टीसीएस साफ्टवेयर का उपयोग करने में मंडल में कम्प्यूटर आपरेटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार एनआरईजीए कार्यान्वित कर रही है। टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज केवल साफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मार्च तथा अप्रैल में कम्प्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षण देगी।

(घ) टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज सभी 13 एनआरईजीए जिलों में साफ्टवेयर के उपयोग के लिए सरकार की सहायता कर रही है।

ईरानी समिति की सिफारिशें

1466. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जे.जे. ईरानी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(घ) शेष सिफारिशें स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) से (घ) डा. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में कंपनी कानून पर गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कंपनियों से संबंधित एक व्यापक क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करती है जिसमें पंजीकरण एवं निगमन, प्रबंधन एवं बोर्ड प्रशासन, निवेशक संरक्षण, पूंजी तक पहुंच, लेखा एवं लेखा परीक्षा, विलयन एवं अभिग्रहण, जांच, अपराध एवं जुर्माना तथा पुनर्संरचना एवं परिसमापन आदि आते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956, के व्यापक पुनरीक्षण हेतु एक नया कंपनी विधेयक तैयार करने के लिए समिति की सिफारिशें तथा सरकार को प्राप्त अन्य इनपुट भी विचारार्थ हैं।

डीडीए भू-खण्डों की नीलामी

1467. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीडीए भू–खण्डों की फ्री होल्ड भू–खण्ड के रूप में नीलामी करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को लागू करने पर क्रेताओं और डीडीए को क्या लाभ मिलेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री होल्ड आधार पर नीलामी के जरिए बेचकर भूमि के आवंटन पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कुटुम्ब न्यायालय

1468. श्री जी. करुप्पाकर रेड्डी : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारिवारिक विवादों के तीव्र निपटान हेतु कर्नाटक और देश के अन्य दक्षिणी राज्यों में कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वैंकटपति) : (क) से (ग) जी, हां। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जून, 2005 में यह अनुरोध किया गया था कि वे कम से कम प्रत्येक जिले में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का लक्ष्य नियत करें। दक्षिणी राज्यों में पहले ही कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

आन्ध्र प्रदेश	—	8
कर्नाटक	—	12
केरल	—	16
तमिलनाडु	—	6

उड़ीसा में केन्द्रीय योजना

1469. श्री अनन्त नायक : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कौन–कौन सी केन्द्रीय योजनाएं शुरू की गईं;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्षवार और योजनावार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेयजल परियोजनाओं हेतु जापान से सहायता

1470. श्री अधीर चौधरी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जापान की सहायता से पेयजल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कुछेक राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष (2005–06) के दौरान तमिलनाडु सरकार से धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों के लिए होगनक्कल जल आपूर्ति एंव स्वच्छता परियोजना के लिए 1056.65 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह परियोजना जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) ऋण सहायता के लिए जापान सरकार को भेजने के लिए रोलिंग प्लान 2006–08 ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पैकेज में रखी गई है।

वस्त्र मशीनरी का आयात

1471. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री शिशुपाल पटले :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र मशीनरी के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ग) वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सरकार ने वस्त्र मशीनरी के आयात का पहले ही उदारीकरण कर दिया है क्योंकि सभी मशीनों (नई और पुरानी) को ओजीएल के तहत आयात किए जाने की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मंत्री समूहों के लिए उसकी सिफारिशें देने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन

1472. श्री काशीराम राणा :

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के अनेक मामले निपटान के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामले लंबित हैं;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक मामले के निपटान में कितना औसत समय लगता है;

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 की किस धारा के अन्तर्गत ज्यादातर उल्लंघन होता है;

(ङ) ऐसे मामलों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) से (ग) 31 मार्च, 2004 तक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न न्यायालयों में कुल 45562 मामले अपराधों के लिए अभियोजन हेतु लंबित थे। किसी विशेष मामले के निपटान में लगा समय उस अपराध पर न्याय निर्णय करने वाले संबंधित न्यायालय के न्यायिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

(घ) बहुसंख्यक मामलों का संबंध कंपनी अधिनियम की धारा 159, 162 तथा 220 के उपबंधों के उल्लंघन पर अभियोजन से है, जिनका संबंध कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों द्वारा वार्षिक विवरण तथा तुलन पत्र दर्ज करने से है।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन की प्रणाली को सुप्रवाही करने से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के पश्चात् मंत्रालय द्वारा श्री ओ.पी. वैश्य की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को दिए गए रिपोर्ट के मद्देनजर, मंत्रालय इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई कर रहा है :

(i) लंबित अभियोजन मामलों की सूची को अद्यतन रूप देना, इनमें शामिल विशिष्ट कंपनियों की पहचान करना, जिसका उद्देश्य संबंधित न्यायालयों से उसके लिए सम्मन की प्रतिस्थापित तामील के लिए आदेश प्राप्त करना है।

(ii) धारा 560 के तहत इन मामलों में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करना तथा ऐसी सभी कंपनियों को हटा देना जिनकी पहचान निष्क्रिय कंपनी के रूप में की गई है।

(iii) ऐसी कंपनियों के संबंध में अभियोजन वापस लेने के संबंध में याचिकाएं दर्ज करना जहां यह स्थापित हो जाता है कि अभियोजन को जारी रखने पर भी अंतिम न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकेगा या आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

(iv) ऐसी कंपनियां जो निष्क्रिय नहीं पाई गईं के मामलों में अभियोजन को जोरदार तरीके से अग्रसर करना।

(च) ऐसी आशा की जा रही है कि उपरोक्त कार्रवाइयां विभिन्न न्यायालयों में काफी लंबे समय से पड़े मामलों के लंबन को कम करेंगी। उपरोक्त कार्यवाइयों को पूर्ण रूप से लागू होने में लगभग एक वर्ष समय लगेगा। इस स्तर पर इन कार्रवाइयों की सफलता या अन्यथा पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

भारतीय मुद्रा का अवैध व्यापार

1473. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मुद्रा का इन दिनों हांगकांग में मुक्त रूप से अवैध व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीयों को विदेश में अपने साथ भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिनके अन्तर्गत भारतीय मुद्रा का विदेश में अवैध व्यापार किया जा रहा था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) इस बारे में यह बताया जाता है कि हांगकांग में कुछ स्थानीय अखबार भारतीय मुद्रा की तुलना में हांगकांग डालर की विनिमय दरों को दर्शा रहे हैं। तथापि, ये दरें हांगकांग बैंक संघ अथवा हांगकांग मुद्रा प्राधिकरण (एचकेएमए) द्वारा नहीं दर्शाई जा रही हैं। यह उल्लेखनीय है कि हांगकांग मुद्रा प्राधिकरण ने किसी भी बैंक को भारतीय मुद्रा खरीदने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है और हांगकांग में भारतीय बैंक भी भारतीय रुपयों में जमा नहीं ले रहे हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तस्करी करके भारत से बाहर ले जाई जा रही भारतीय मुद्रा की जब्ती का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अवधि	जब्ती का ब्यौरा	जब्ती की कीमत (लाख रुपये में)
2003–04	शारजाह जा रहे एक यात्री से डबोलिम हवाई अड्डे, गोवा में जब्त की गई विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय मुद्रा	भारतीय मुद्रा : 0.40 विदेशी मुद्रा : 8.37
2004–05	शून्य	शून्य
2005–06	दिनांक 18.11.2005 को सीएसआई हवाई अड्डा सहार पर दुबई जा रही एक उड़ान के एक सामान में से जब्त की गई भारतीय मुद्रा। किसी भी यात्री को पकड़ा नहीं गया है किन्तु गल्फ एयरलाइंस की एक कर्मचारी को सामान प्रेषण करने में संलिप्त पाए जाने के कारण गिरफ्तार किया गया था।	69.95
	दिनांक 6.12.2005 को सीएसआई हवाई अड्डा सहार पर मस्कट की एक उड़ान के सामान में से भारतीय मुद्रा जब्त की गई। यात्री ने इस उड़ान में यात्रा नहीं की एवं उसे पकड़ा नहीं जा सका।	106.00

(ङ) क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क रहने के लिए सचेत कर दिया गया है।

वस्त्र क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के मालिकों का दौरा

1474. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री राव्यपति सांबासिवा राव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ देशों की वस्त्र क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के मालिकों ने आउटसोर्सिंग उत्पादन के लिए भागीदारों के चयन हेतु भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और हंगरी के उद्योगपतियों ने नई दिल्ली और मुंबई में भारतीय विनिर्माताओं के साथ सूत से लेकर परिधान तक, वस्त्र उद्योग में उत्पादन के प्रत्येक चरण में सहयोग के लिए वार्ता शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूरोपीयन कंपनियां तकनीकी वस्त्रों जैसे कि बुलेट–प्रूफ जैकेट आदि में बाहर से उत्पादन (आउटसोर्सिंग) करवाने पर भी विचार कर रही हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) से (च) भारत यूरोपीय संघ को वस्त्रों एवं अपैरलों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है और यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधि वस्त्रों एवं अपैरल उत्पादों की अपनी सफलता के स्रोत के संबंध में भारत के दौरे करते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग संघ, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

तथा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें भी विभिन्न मेलों/प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों में प्रतिभागिता के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के क्रेताओं सहित विदेशी क्रेताओं को आमंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त, एच एंड एम, टेस्को, कारफोर, एलकोर्ट, मांगो, जारा, कोटफील्ड, ओटो, टाम टेलर, कारस्टार्ड, सी एंड ए, कप्पाहल, फ्रेंच कनेक्शन, एस्प्रिट, ग्रुप्पोक्वाइन जैसे ब्रांडों के कुछ प्रमुख क्रेताओं/खुदरा व्यापारियों की अपैरलों के लिए भारत में पहले से ही मौजूदगी है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) जिसका चार यूरोपीय वस्त्र एवं अपैरल उद्योग परिसंघों (जर्मन वस्त्र एवं फैशन उद्योग परिसंघ, ब्रिटिश अपैरल एवं वस्त्र परिसंघ, यूनियन डेस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल फ्रांस और वस्त्र एवं अपैरल में भारत यूरोपीय सहयोग बढ़ाने के लिए हंगेरियन अपैरल विनिर्माता संघ) के साथ सहयोग करार है, तकनीकी वस्त्रों के लिए क्रियाकलापों सहित वस्त्र एवं अपैरल में भारत–यूरोपीय सहयोग बढ़ाने के लिए मार्च, 2006 में विशेष क्रियाकलाप आयोजित कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण

1475. डा. डी. वी. सदानन्द गौडा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कौन–कौन से शहरों का चयन किया गया है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु शहरवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

डीडीए की भूमि पर अतिक्रमण

1476. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए की 14000 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए डीडीए द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 अर्थात् दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अनधिकृत ढांचों को गिराया जाना बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) एनएच–8 पर से अनधिकृत ढांचों को गिराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि झुग्गी समूहों/अनधिकृत कालोनियों आदि द्वारा लगभग 1400 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण अतिक्रमणों से अपनी भूमि को मुक्त कराने के लिए नियमित आधार पर अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम चलाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के 1176 कार्यक्रम चलाए और लगभग 239.10 एकड़ भूमि वापस प्राप्त की।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि जमीनी वास्तविकता का आकलन करने पर उसने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के कार्यक्रम को रोकने और उसे बाद की किसी तारीख में जारी करने का निर्णय लिया।

एनएफएफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति

1477. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) में शामिल विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग के अभाव में समस्याओं का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि जिला प्रशासनों से खाद्यान्नों के लिए अनुरोध की प्राप्ति और केन्द्र द्वारा वास्तविक रूप से जारी किए जाने के बीच व्यापक समयांतराल है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एनएफएफडब्ल्यूपी के प्रभावी कार्यान्वयन और इसके

अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय की कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि एनएफएफडब्ल्यूपी आवंटन आधारित योजना है, इसलिए संसाधन (निधियां और खाद्यान्न) दो समान किस्तों में रिलीज किए जाते हैं। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान पहली किस्त विगत वर्ष रिलीज किए गए संसाधनों के 60 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किए जाने के बाद उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ जिले द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर रिलीज की जानी थी। दूसरी किस्त चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध संसाधनों के 60 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किए जाने के पश्चात् विगत वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर रिलीज की जानी थी। यदि प्रस्ताव ठीक होते हैं, तो संसाधन तत्काल रिलीज कर दिए जाते हैं।

मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न के प्राधिकार/रिलीज आदेश जारी कर दिए जाने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिला स्तर पर कार्यान्वयन प्राधिकारियों को खाद्यान्न की प्राधिकृत मात्रा उपलब्ध करानी होती है। विशेष रूप से झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राधिकृत मात्रा उपलब्ध कराने में विलंब होने की जानकारी मिली है।

(ङ) एनएफएफडब्ल्यूपी एक अंतरिम कार्यक्रम है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), जो 2 फरवरी, 2006 से 200 अधिसूचित जिलों में लागू है, के साथ मिला दिया गया है। एनआरईजीए के अन्तर्गत किसी तरह के खाद्यान्न नहीं दिए जाएंगे।

वस्त्र उन्नयन धनराशि योजना

1478. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने निवेशकों के लिए वस्त्र उन्नयन धनराशि योजना के अन्तर्गत राज सहायता की प्रतिपूर्ति करने से मना कर दिया है जिसके लिए वचन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने 2005–06 के लिए ब्याज की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगो.न) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी बैंकों का विलय

1479. श्री के. सुब्बारायण :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय किए गए निजी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में निजी बैंकों की विफलता के कारणों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी बैंकों के प्रचालन कार्यकलापों की निगरानी और इन्हें विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) चार गैर–सरकारी बैंकों अर्थात् नेंदुनगड़ी बैंक लि., ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि., आईडीबीआई बैंक लि. और बैंक आफ पंजाब लि. का 1.1.2003 से 31.12.2005 के बीच की अवधि के दौरान सरकारी/गैर–सरकारी बैंकों के साथ विलय किया गया है। द गणेश बैंक आफ कुरुंडवाड लि. का विलय, जिसकी मंजूरी 25.1.2006 को प्रदान की गई थी, इस समय न्यायाधीन है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का पालन न करना, अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का उच्च स्तर, निवल हानियों के परिणामस्वरूप निवल सम्पत्ति का ह्रास और उचित कारपोरेट अभिशासन का अभाव, सामान्यतया, देश में गैर–सरकारी बैंकों की असफलता के मुख्य कारण हैं।

(घ) और (ङ) गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के माध्यम से किया जाता है और उसके जमाकर्ताओं के हितों एवं बैंकिंग प्रणाली की रक्षा करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं :

– प्रकाशित लेखे के लिए पारदर्शिता और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं में वृद्धि करना।

– बासिल समिति के मानदंडों की तरह पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की शुरूआत।

– आस्ति के वर्गीकरण, आय की पहचान और प्रावधान के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड।

– बैंकों के लिए स्थलेतर निगरानी प्रणाली की शुरूआत और पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ बनाना/जोखिम पर आधारित पर्यवेक्षण की शुरूआत।

– तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के लिए ढांचे की शुरूआत।

ग्रामीण दूरसंचार के लिए धनराशि का उपयोग

1480. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के लिए प्रदान की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इस संबंध में शुरू किया गया कार्य भी संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें दूरसंचार सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में किए गए कार्य की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। सार्वभौमिक सेवा सहायता नीति दिनांक 1.4.2002 से प्रभावी हुई। जनवरी 2004 में, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के प्रावधानों को भारतीय तार अधिनियम में समाविष्ट कर लिया गया। भारतीय तार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यूएसओ लेवी के रूप में वसूली गई राशि का भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया है। यूएसओ निधि का आवंटन बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यूएसओ निधि के निर्माण के समय से ही, इसके लिए किए गए आवंटन का आगे सभी वर्षों में उपयोग किया गया है। वर्ष–वार आवंटित एवं वितरित राशि का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)	
	आवंटित	उपयोग की गई
2002–03	300	300
2003–04	200	200
2004–05	1,314.58	1,314.58
2005–06	1,750	1,401.2 (15.2.06 तक)

(ग) से (ङ) सार्वभौमिक दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने टेलीफोन सुविधारहित 66,822 गांवों, जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है तथा जो घने वन क्षेत्रों/नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं, में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था करने के लिए नवम्बर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। 31.12.2005 तक इन गांवों में से 17,182 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था की जा चुकी है और शेष 49,640 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था उत्तरोत्तर रूप से नवम्बर, 2007 तक कर दी जाएगी। महाराष्ट्र के 4,252 गांवों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जानी है।

उन पात्र गांवों जिन्हें टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करना शेष है, की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिनांक 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने वाले पात्र गांवों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	837

1	2	3
2.	असम	6,565
3.	झारखंड	1,664
4.	गुजरात	2,179
5.	हिमाचल प्रदेश	768
6.	जम्मू व कश्मीर	1,533
7.	मध्य प्रदेश	7,492
8.	छत्तीसगढ़	4,151
9.	महाराष्ट्र	4,252
10.	पूर्वोत्तर–I	2,051
11.	पूर्वोत्तर–II	1,520
12.	उड़ीसा	4,899
13.	राजस्थान	8,054
14.	उत्तरांचल	3,675
	जोड़	49,640

[हिन्दी]

डीडीए द्वारा रद्द किया गया भूमि आवंटन

1481. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों को किए गए भूमि आवंटन को इसलिए रद्द कर दिया है क्योंकि उक्त भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शैक्षणिक संस्थानों को भूमि के आवंटन के संबंध में नियम क्या है; और

(घ) सरकार उक्त नियमों का पालन किस प्रकार से सुनिश्चित करती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि हाल ही में इसने खेल के मैदान में ढांचा/कक्षाओं का निर्माण करने के कारण ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल तथा रेयान इंटरनेशनल को किए गए भूमि आवंटन रद्द कर दिए हैं। इन दोनों संस्थाओं में भूमि के वाणिज्यिक दुरुपयोग की जानकारी नहीं मिली है।

(ग) उच्चतर/तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि की बिक्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के जरिए की जाती है। स्कूलों के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अलग–अलग जोन के लिए अलग–अलग दरों पर भूमि के आवंटन की वर्तमान नीति को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि अनधिकृत निर्माण, खेल के मैदान में निर्माण, अतिक्रमण, दुरुपयोग आदि के रूप में आवंटन/पट्टा शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघनों का जब कभी दिल्ली विकास प्राधिकरण को पता चलता है तो उल्लंघनों को दूर करने के लिए पट्टा शर्तों के अधीन कार्यवाही की जाती है। निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की शर्त के अनुपालन का जहां तक संबंध है, इसकी मानीटरिंग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का शिक्षा विभाग करता है और निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी मानदण्डों के उल्लंघन के मामलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेजता है। हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निःशुल्क शिक्षा देने की शर्त का पालन न किए जाने के कारण चार स्कूलों का पट्टा रद्द कर दिया है।

[अनुवाद]

आवंटन पश्चात सुविधाएं

1482. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीडीए का आवास विभाग फ्लैटों के आवंटन और आवंटन–पश्चात की गतिविधियों का काम देखता है;

(ख) यदि हां, तो डीडीए द्वारा द्वारका में आवंटन–पश्चात किन–किन गतिविधियों की देखरेख की जा रही है;

(ग) क्या द्वारका में फ्लैटों की दो लाइनों के बीच की सड़कें संकरी हैं और कार पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो बाहरी पुताई/रंगाई आदि सहित आवंटन–

पश्चात की गतिविधियों को लागू कराने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उनका आवास विभाग केवल फ्लैटों के आवंटन का कार्य करता है और आवंटन के बाद के कार्य उनके इंजीनियरी विभाग द्वारा किए जाते हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों के आवंटन के बाद छः महीने तक निर्माण संबंधी कमियों/त्रुटियों की देखरेख करता है तथा बाह्य सेवाओं जैसे सड़कें व नालियां, सड़कों की सफाई और नालियों की डिसिल्टिंग, जल आपूर्ति व सीवरेज, पार्क तथा स्ट्रीट लाईट का रखरखाव उस समय तक करता है जब तक इन क्षेत्रों को स्थानीय निकाय को न सौंपा जाए।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि आवासीय ब्लाक तथा कार पार्किंग सुविधाओं के बीच आंतरिक सड़कें मानकों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सफेदी/रंगीन पुताई जैसे रोजमर्रा के रखरखाव का दायित्व आवंटियों तथा रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का है।

[हिन्दी]

ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

1483. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से पुरानी टेलीफोन प्रौद्योगिकी को बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण टेलीफोन प्रौद्योगिकी को बदलने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जहां सी–डॉट प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) उन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जहां दिसम्बर, 2005 तक नई प्रौद्योगिकी स्थापित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) बहु अभिगम रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को लैण्डलाइन तथा स्थिर बेतार टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) में बदला जाना।

(ii) सी–डॉट 256 एक्सचेंजों का सी–डॉट प्रौद्योगिकी के आधार पर एक्सेस नोड रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (एएनआरएएक्स) में स्तरोन्नयन। यह एक्सचेंजों को मुख्य एक्सचेंजों में उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

(iii) एकल आधारित मॉड्यूलों (एसबीएम) का रिमोट स्विचिंग यूनिटों (आरएसयू) में स्तरोन्नयन।

(ग) उत्तर प्रदेश में 1,658 सी–डॉट रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंजों (आरएएक्स) को सी–डॉट एएनआरएएक्स के रूप में स्तरोन्नत किया जा चुका है तथा अन्य सभी राज्यों में ऐसे 19,674 एक्सचेंजों को सी–डॉट एएनआरएएक्स के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शेष 174 रूरल ऑटोमेटिक एक्सचेंजों तथा अन्य सभी राज्यों में 4,540 एक्सचेंजों को मार्च, 2006 तक एएनआरएएक्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में 636 एसबीएम को आरएसयू में स्तरोन्नत कर दिया गया है और अन्य सभी राज्यों में 6,518 को आरएसयू में स्तरोन्नत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शेष 4 एसबीएम तथा अन्य सभी राज्यों में 257 एसबीएम को मार्च, 2006 तक आरएसयू में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(घ) दिसम्बर, 2005 तक 28,486 एक्सचेंजों में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा दी गई है।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं को ऋण/सहायता

1484. श्री पी. मोहन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी प्राथमिकता क्षेत्रों/सरकार द्वारा वित्त–पोषित

योजनाओं के लिए वर्ष 2004–05 हेतु निजी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण/सहायता की राज्यवार कुल राशि कितनी है;

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सामाजिक दायित्व को पूरा नहीं किया है;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य नियत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने बैंकों ने लक्ष्य पूरा किया है;

(ङ) क्या सरकार के पास सभी बैंकों में ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने और इसकी वसूली की प्रभावशाली और अनन्य रूप से निगरानी के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शहरी नेटवर्क का विस्तार

1485. श्री रामदास आठवले : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महानगरों, विशेषकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मकानों के निर्माण और शहरी नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) चुनिंदा शहरों के सुधार आधारित, फास्ट ट्रैक, नियोजित विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नामक नई स्कीम 3.12.2005 को शुरू की गई है जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित 63 शहरों में बेहतर शहरी अवस्थापना/सेवाएं, सेवा सुपुर्दगी प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी और नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पैरा स्टेटलों की जिम्मेदारी पर ध्यान दिया जाएगा।

जेएनएनयूआरएम में दो उप मिशन हैं, नामतः शहरी अवस्थापना और शासन के लिए उप मिशन और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं हेतु उप मिशन, शहरी अवस्थापना शासन उप मिशन में सफाई, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, सड़क तंत्र, शहरी परिवहन सहित प्रमुख अवस्थापना परियोजनाओं और आंतरिक (पुराने) शहर क्षेत्र का, अवस्थापना उन्नयन, औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नियोजित क्षेत्र में स्थानांतरित करने की दृष्टि से उसके पुनर्विकास आदि पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं उप मिशन में आश्रय मुहैया करने के लिए परियोजनाओं के जरिए स्लमों का एकीकृत विकास, शहरी गरीबों को सुविधाएं मुहैया करने की दृष्टि से बुनियादी सेवाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

निर्धन राज्यों को धनराशि प्रदान करना

1486. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार भारत में निर्धन राज्यों पर केन्द्रित होने और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत गरीबी उपशमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक का सुधार उन्मुख राज्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके दसवीं योजना के उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य है जिससे सबसे बड़े और सबसे निर्धन राज्य की सहायता का मार्ग प्रशस्त होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने भारत में निर्धन राज्यों की पहचान भी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक द्वारा इन राज्यों को मदद व सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत देश कार्यनीति (2005–08) में, सहस्राब्दि विकास

लक्ष्यों (एमडीजी) के अन्तर्गत जहां सभी राज्यों में गरीबी उपशमन के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों, जहां गरीबी उत्तरोत्तर संकेंद्रित हो रही है, में सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस अवधि के दौरान परिचालन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों में विश्व बैंक द्वारा संभावित निधिकरण हेतु अवसंरचना विकास, मानव विकास और ग्रामीण जीविकोपार्जन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

एकल नेटवर्क के तहत संचार सेवाएं

1487. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी दूरसंचार सेवाएं एकल नेटवर्क के अन्तर्गत शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है जैसा कि 13 जनवरी, 2006 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एकीकृत लाइसेंस प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) उक्त एकल नेटवर्क की सेवा को कब तक अनुमोदन मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न स्टेकधारकों से परामर्श कर रहा है।

(ग) से (ङ) ट्राई ने 13.1.2005 को एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जिनसे लाइसेंसधारक एक ही लाइसेंस प्राप्त करके कोई भी या सभी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण महिलाओं को नाबार्ड द्वारा सहायता

1488. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली निर्धन महिलाओं को नाबार्ड अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं और राज्य-वार और कार्यक्रम-वार कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक समान ग्रामीण समृद्धि लाने हेतु ऋण एवं ऋण समर्थित सेवाओं में लिंग-भेद संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए नाबार्ड का पुनर्वित्त महिलाओं को ऋण देने के लिए वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों के लिए उपलब्ध है। तथापि, वर्तमान आंकड़े जुटाने वाली प्रणाली महिलाओं के लिए पुनर्वित्त प्रवाह से संबंधित आंकड़ों को पृथक रूप से एकत्रित नहीं करती। नाबार्ड द्वारा सहायता-प्राप्त कुछ महिला-विशेष कार्यक्रम निम्नांकित हैं :

(i) एसएचजी बैंक-सम्बद्ध कार्यक्रम-जनवरी, 2006 तक बैंकों द्वारा 18.80 लाख एसएचजी को वित्तपोषित किया गया जिसमें 8767 करोड़ रुपये की राशि दी गई, इनमें संचयी रूप से देशभर में 2.79 करोड़ ग्रामीण परिवारों को व्यस्टि वित्त तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाया गया। समूह सदस्यों में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं हैं। राज्यों के 572 जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ii) महिला विकास प्रकोष्ठ के लिए सहायता (डब्ल्यूडीसी)-नाबार्ड ने आरआरबी एवं सहकारी बैंकों में 122 डब्ल्यूडीसी की स्थापना में सहायता प्रदान की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ऋण के बढ़े हुए प्रवाह को सुकर बनाया जा

सके। अब तक नाबार्ड ने 2.56 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की है। जिससे इन बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए ऋण की उपलब्धता को सुकर बनाया गया है। इसमें 27.94 लाख महिलाओं को शामिल करते हुए अनुमानतः 3595.79 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। डब्ल्यूडीसी संस्वीकृति का राज्य–वार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(iii) ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (आरईडीपी)–नाबार्ड महिलाओं सहित ग्रामीण बेरोजगार युवाओं में उद्यमकर्ता एवं क्रियाकलाप संबंधी दक्षताओं के विकास के लिए आरईडीपी आयोजित करने के लिए एनजीओ एवं विकास कार्य में लगी एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है। अब तक प्रशिक्षित 172278 लोगों में से 37961 महिला प्रशिक्षु थीं, यह कुल प्रशिक्षुओं का 22 प्रतिशत है। गत दो वर्षों के लिए राज्य–वार ब्यौरा एवं 31 मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति विवरण–III में दी गई है।

नाबार्ड एनजीओ, बैंकों इत्यादि के सहयोग से महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करता है यथा–कृषि से भिन्न विकास में ग्रामीण महिलाओं के लिए सहायता (एआरडब्ल्यूआईएनडी); ग्रामीण महिलाओं के कृषि से भिन्न उत्पादों के विपणन के लिए सहायता (एमएएचआईएमए); क्षेत्र कार्यक्रम के जरिए महिलाओं का विकास (डीईडब्ल्यूटीए)। इन कार्यक्रमों के केन्द्र बिन्दु में कौशल–विकास, क्षमता–निर्माण, उद्यमिता का उन्नयन, इत्यादि होते हैं।

विवरण-I

एसएचजी बैंक से संबद्ध कार्यक्रम

(लाख रुपये)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	2003–04		2004–05		संचयी–जनवरी 2006	
		वित्तपोषित एसएचजी की संख्या	बैंक ऋण	वित्तपोषित एसएचजी की संख्या	बैंक ऋण	वित्तपोषित एसएचजी की संख्या	बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
क. उत्तरी क्षेत्र							
1.	हिमाचल प्रदेश	4,353	1,443.15	4,570	2,499.81	19,905	6,510.58
2.	राजस्थान	11,104	2,711.82	26,160	6,803.03	69,551	16,439.90
3.	हरियाणा	820	769.86	1,007	541.97	3,356	2,008.93
4.	पंजाब	806	429.65	1,443	628.04	3,861	1,677.68
5.	जम्मू एवं कश्मीर	352	116.17	407	204.24	1,796	642.42
6.	नई दिल्ली	38	52.25	35	38.93	152	147.61
	उप–योग	17,473	5,522.90	33,622	10,716.02	98,621	27,427.12
ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र							
7.	असम	7,229	1,230.95	20,528	7,732.24	40,666	11,705.58
8.	मेघालय	15	4.90	55	14.98	351	99.34

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	त्रिपुरा	746	42.32	665	138.64	1,515	190.72
10.	सिक्किम	8	2.67	10	4.15	42	13.44
11.	मणिपुर	63	11.20	571	241.65	796	300.91
12.	नागालैंड	9	23.06	70	18.13	94	46.99
13.	अरुणाचल प्रदेश	117	78.29	55	21.39	280	119.64
14.	मिजोरम	22	24.85	6	3.49	46	56.73
	उप–योग	8,209	1,418.24	21,960	8,174.67	43,790	12,533.35
ग. पूर्वी क्षेत्र							
15.	उड़ीसा	35,316	7,644.34	45,668	12,431.14	162,551	37,065.34
16.	बिहार	8,085	1,867.28	11,769	3,742.26	33,064	7,842.26
17.	झारखंड	4,882	1,481.04	8,884	2,998.00	26,638	8,802.05
18.	पश्चिम बंगाल	19,038	2,999.53	41,013	6,581.99	114,266	18,760.78
19.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप	23	15.16	57	26.40	154	76.32
	उप–योग	67,344	14,007.45	107,391	25,779.79	336,671	72,546.75
घ. मध्य क्षेत्र							
20.	मध्य प्रदेश	11,824	2,928.73	18,010	5,104.49	51,632	13,394.28
21.	छत्तीसगढ़	3,033	251.73	8,773	929.65	28,815	2,936.27
22.	उत्तर प्रदेश	25,514	8,417.87	40,438	14,393.64	127,883	33,902.59
23.	उत्तरांचल	5,055	1,559.60	3,135	2,085.37	15,959	7,203.11
	उप–योग	45,426	13,157.93	70,356	22,513.15	224,289	57,436.25
ङ. पश्चिमी क्षेत्र							
24.	गुजरात	2,099	937.79	8,738	4,319.44	27,337	8,113.48
25.	महाराष्ट्र	10,470	4,390.78	32,611	10,980.12	95,319	29,275.25
26.	गोवा	66	68.34	102	120.08	561	496.67
	उप–योग	12,635	5,396.91	41,451	15,419.64	123,217	37,885.40
च. दक्षिणी क्षेत्र							
27.	आंध्र प्रदेश	104,238	75,299.23	107,351	101,771.37	528,144	342,449.20

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	कर्नाटक	41,668	13,960.37	59,332	26,653.53	198,433	78,526.44
29.	केरल	12,716	5,841.85	27,081	12,664.73	69,991	34,236.52
30.	तमिलनाडु	51,851	50,590.96	70,437	74,647.46	256,178	211,902.47
31.	पांडिचेरी सं.रा. क्षेत्र	151	357.29	384	1,084.98	1,309	1,844.32
	उप–योग	210,644	146,049.70	284,585	216,822.07	1,054,055	668,958.96
	कुल योग	361,731	185,553.13	539,365	299,425.34	1,880,643	876,787.82

विवरण-II

सहायता प्रदत्त महिला विकास प्रकोष्ठ–31.1.2006 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	डब्ल्यूडीसी की कुल संख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सीसीबीएस/ एससीबी/ एससीएआरडीबीएस
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	19	8	11
2.	कर्नाटक	12	8	4
3.	उत्तर प्रदेश	17	17	
4.	उड़ीसा	9	4	5
5.	आंध्र प्रदेश	15	10	5
6.	छत्तीसगढ़	5	3	2
7.	मध्य प्रदेश	8	5	3
8.	तमिलनाडु	4	3	1
9.	त्रिपुरा		1	
10.	असम	4	3	
11.	झारखंड	2	2	
12.	गुजरात	1	1	
13.	हरियाणा	2	2	
14.	हिमाचल प्रदेश	4	2	2
15.	जम्मू एवं कश्मीर	4	1	3
16.	केरल	4	2	2
17.	पंजाब	2	2	
18.	राजस्थान	2	1	1
19.	पश्चिम बंगाल	6	6	
20.	अंडमान एवं निकोबार	1		1
21.	बिहार	1		1
	कुल	122	81	41

विवरण-III

ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (आरईडीपी) का कार्य निष्पादन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003–04				2004–05				31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार संचयी			
		संस्वीकृत आरईडीपी	संस्वीकृत राशि	प्रशिक्षित लोगों की संख्या	महिला प्रशिक्षु	संस्वीकृत आरईडीपी	संस्वीकृत राशि	प्रशिक्षित लोगों की संख्या	महिला प्रशिक्षु	संस्वीकृत आरईडीपी	संस्वीकृत राशि	प्रशिक्षित लोगों की संख्या	महिला प्रशिक्षु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान एवं निकोबार (पोर्ट ब्लेयर)	1	0.55	0	0	0	0.00	0	0	5	3.29	78	24
2.	आंध्र प्रदेश (हैदराबाद)	82	41.87	1871	1388	84	41.79	1320	840	337	181.70	5947	3414
3.	अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर)	2	1.06	55	0	2	0.97	50		6	3.03	165	30
4.	असम (गुवाहाटी)	25	18.56	708	0	25	18.26	695	490	108	76.43	3024	963
5.	बिहार (पटना)	6	5.57	177	60	26	27.59	595	480	86	71.28	2273	1040
6.	छत्तीसगढ़ (रायपुर)	26	21.14	652	192	17	16.35	415	134	89	65.09	2334	538
7.	दिल्ली (नई दिल्ली)	1	1.25	25	25	3	3.00	85	85	11	9.42	289	192
8.	गोवा (पणजी)	0	0.00	24		1	0.70	18	2	3	2.10	92	2
9.	गुजरात (अहमदाबाद)	60	40.40	1626	0	30	19.20	596	139	282	250.00	6859	920
10.	हिमाचल प्रदेश (शिमला)	2	0.83	70	70	3	2.16	55	25	56	34.22	1505	618
11.	जम्मू एवं कश्मीर (जम्मू)	3	3.75	0	0	2	2.47	60	9	27	23.96	617	131
12.	झारखंड (रांची)	12	12.30	335	69	17	17.05	505	295	46	45.52	1443	652
13.	कर्नाटक (बंगलौर)	100	49.85	1761	845	81	37.29	1327	232	373	194.91	7240	2658
14.	केरल (तिरूवनन्तपुरम)	31	16.89	840	710	16	7.18	405	125	149	82.76	3685	2212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	मध्य प्रदेश (भोपाल)	75	40.90	1736	210	50	62.48	1000	51	321	225.58	8180	621
16.	महाराष्ट्र (पुणे)	86	46.26	1854	632	59	28.19	1261	502	349	207.42	8351	2368
17.	मणिपुर (इम्फाल)	0	0.00	0		0	0.00	0		3	1.71	90	0
18.	मेघालय (शिलांग)	2	1.37	50	30	6	6.30	175	0	13	10.87	373	74
19.	मिजोरम (आईजॉल)	2	1.95	47	35	4	2.66	106	100	6	4.61	153	135
20.	नागालैंड (दीमापुर)	0	0.00	0		0	0.00	0	0	2	1.50	20	0
21.	उड़ीसा (भुवनेश्वर)	56	36.63	1335	1020	54	25.83	1261	836	188	109.77	4279	2793
22.	पंजाब एवं हरियाणा (चंडीगढ़)	39	45.40	968	596	51	45.84	794	294	180	168.41	3822	1196
23.	राजस्थान (जयपुर)	25	11.76	475	285	20	9.39	400		112	60.07	2010	677
24.	सिक्किम (गंगटोक)	3	1.75	75		6	2.49	171	89	26	21.83	865	89
25.	तमिलनाडु (चेन्नई)	50	12.29	1415	990	27	12.58	675	675	324	130.64	8064	4834
26.	त्रिपुरा (अगरतला)	6	4.50	155		2	1.50	79	9	19	13.91	507	9
27.	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	44	20.67	1085	444	40	19.49	810	340	237	128.74	5342	2405
28.	उत्तरांचल (देहरादून)	20	12.79	560	485	3	2.12	70	12	41	24.94	1082	941
29.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता)	52	30.27	565	259	38	23.31	751	500	162	102.53	2781	759
	कुल	811	480.53	18464	8345	667	436.19	13679	6264	3561	2256.20	81470	30295
	रुडसेटी	410	28.22	14147	0	0	0.00		0	2512	285.28	85648	7666
	ईडीआईआई	0	0.00	0	0	0	0.00		0	175	160.63	5160	0
	कुल योग	1221	508.74	32611	8345	667	436.19	13679	6264	6248	2702.11	172278	37961

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का अन्यत्र उपयोग

1489. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु एक निगम के सृजन हेतु प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु राज्यों को आवंटित निधियों का या तो दुरुपयोग/अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग अथवा उपयोग ही नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने निधियों के समुचित उपयोग और इनके अन्यत्र उपयोग/दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए निगम बनाने का कोई प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत नियंत्रित है जिनसे निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित होता है और निधियों के अन्यत्र उपयोग/दुरुपयोग से बचा जाता है। विस्तृत दिशा–निर्देश कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmgsyonline.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

मेडिक्लेम पॉलिसियां

1490. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जा रही मेडिक्लेम पॉलिसियों की लोकप्रियता और उपयोगिता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस योजना के दायरे में कंटिन्यूअस पोजीटिव एयर वे प्रेशर मशीन, पेस मेकर आदि जैसे जीवन रक्षक उपकरण की प्रतिपूर्ति आती है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के दायरे में अन्य ऐसे ही जीवन रक्षक उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की मेडिक्लेम की पॉलिसी के अनुसार, बीमित व्यक्ति को ऐसे व्ययों का भुगतान किया जाएगा जो उपयुक्त एवं आवश्यक होंगे परन्तु कमरा, बोर्डिंग, नर्सिंग, सर्जन/निष्चेतक/चिकित्सक/परामर्शदाता/विशेषज्ञों की फीस, रक्त, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थियेटर प्रभार, शल्य–चिकित्सा उपकरण, दवाइयां एवं औषधि रोग निदान सामान तथा एक्स–रे, डायलिसिस, कीमोथैरेपी, रेडियोथैरेपी, पेस मेकर की लागत कृत्रिम अंग, अंगों की लागत एवं अन्य व्यय कुल बीमित राशि से अधिक न हों।

किनफ्रा-केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम

1491. श्री पी. सी. थामस : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किनफ्रा के क्रियाकलापों के विस्तार के लिए कोराटी स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के परिसर की अतिरिक्त 16 एकड़ भूमि को छोड़ने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) (क) और (ख) इस बारे में केरल राज्य सरकार का अनुरोध अभी भी विचाराधीन है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

1492. श्री अशोक कुमार रावत :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल पटले :

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों की कुछ शाखाओं ने ऋण प्रदान नहीं किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) गत तीन वर्षों 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 18 जून, 2004 को एक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की थी जिसमें तीन वर्षों की अवधि में ऋण को दुगुना किए जाने का उल्लेख है। वर्ष 2004–05 के लिए आरआरबी का लक्ष्य 40 प्रतिशत की वृद्धि दर पर 8,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में, आरआरबी ने 12,404 करोड़ रुपये का संवितरण किया है और इस प्रकार उन्होंने उक्त लक्ष्य के 145.93 प्रतिशत की प्राप्ति की है।

(घ) से (च) विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली के अन्तर्गत आरआरबी के शाखा–वार संवितरण से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण

वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के लिए आरआरबी द्वारा जारी राज्य–वार कुल ऋण

(लाख रुपये में)

राज्य	जारी ऋण		
	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	225996	279180	375277.97
अरुणाचल प्रदेश	202	500	1137.24
असम	18780	24958	33634.86
बिहार	42398	52540	74095.61
छत्तीसगढ़	16256	21209	28350.22
गुजरात	35508	39177	52036.08
हरियाणा	41167	56055	76406.33
हिमाचल प्रदेश	8881	9757	12580.10
जम्मू एवं कश्मीर	7598	9738	10768.41
झारखंड	12204	14663	24203.46
कर्नाटक	157807	171248.87	238741.13
केरल	98998	124427	173638.43
मध्य प्रदेश	66588	84169	109782.33
महाराष्ट्र	28827	35992	49197.87
मणिपुर	546	547	1066.61
मेघालय	1716	1901	2485.94
मिजोरम	1499	2820	4841.77
नागालैंड	217	166	266.07
उड़ीसा	66048	96612	100268.44
पंजाब	31151	35342	50328.80
राजस्थान	67207	76602	113998.75
तमिलनाडु	60784	77063	101950.58
त्रिपुरा	7043	8049	9783.77
उत्तर प्रदेश	189747	251031	359358.23
उत्तरांचल	9349	9207	13014.40
पश्चिम बंगाल	67582	74949	91033.91
कुल योग	1264100	1557905	2108247

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन अदालतें

1493. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में निपटान हेतु टेलीफोन संबंधी विवादों के अनेक मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने मामलों का निपटारा किया गया ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की विभिन्न टेलीफोन अदालतों में टेलीफोन संबंधी विवादों के 35 मामले निपटान के लिए लंबित पड़े हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित टेलीफोन अदालतों का ब्यौरा

दूरसंचार सर्किल का नाम	वर्ष	आयोजित टेलीफोन अदालतों की संख्या	प्राप्त किए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटान के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या
उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल, बीएसएनएल	2003–04	169	4076	4076	शून्य
	2004–05	183	5106	5106	शून्य
	2005–06 (31 जनवरी, 2006 तक)	170	3620	3620	शून्य
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल, बीएसएनएल	2003–04	69	1704	1691	13
	2004–05	86	1438	1425	13
	2005–06 (31 जनवरी, 2006 तक)	71	945	936	09
	कुल	748	16889	16854	35

[हिन्दी]

आयकर विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग प्रोसेसिंग कार्य

1494. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर से संबंधित किसी निजी पार्टी को आउटसोर्स किए गए/आउटसोर्स किए जा रहे प्रचालनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षोपाय किए गए/किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) आयकर विभाग के कतिपय गैर–प्रमुख कार्यों को बाहरी स्रोत से कराया गया है ताकि विभाग में जनशक्ति को इसके मुख्य कार्यों पर लगाया जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) पैन तथा टैन आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं आंकड़ा प्रविष्टि और पेन कार्डों व मुद्रण संबंधित कार्यकलाप;

(ii) कर सूचना नेटवर्क के आयोजन से संबंधित कार्यकलाप; तथा

(iii) आय की विवरणियों की आंकड़ा प्रविष्टि जहां विभागीय जनशक्ति द्वारा चार माह के भीतर विवरणियों को पूर्ण प्रक्रियाबद्ध करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) बाहरी स्रोत से कार्य कराने वाली कंपनियों की विश्वसनीयता की जांच की जाती है और बाहरी स्रोत से कार्य कराने वाली कंपनियों के आंकड़ों की सुरक्षा, सूचना तंत्र तथा लेखा परीक्षा प्रणाली को प्रकट न करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। आंकड़ों को संसाधित करने की अभिरक्षा, नियंत्रण तथा प्राधिकार विभाग के पास हैं।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर निर्यात

1495. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात ने वर्ष 2005–06 में अभूतपूर्व प्रतिमान स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी दो वर्षों के लिए क्या अनुमान है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) का पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात का कुल मूल्य नीचे अनुसार है :

वर्ष	अमरीकी बिलियन डॉलर	करोड़ रुपए
2002–03	9.6	46,100
2003–04	12.8	58,240
2004–05	17.2	80,180
2005–06*	23.4	103,200
2006–07*	30.0	134,700

*अनुमानित

(ग) नैसकॉम के अनुसार, भारत से आईटीईएस–बीपीओ के कुल निर्यात में वर्ष 2005–05 के दौरान क्षेत्रवार अनुमान इस प्रकार है : उपभोक्ता सम्पर्क सेवाएं 46%; वित्त एवं लेखांकन 40%; मानव संसाधन प्रशासन 3%; तथा अन्य 11%। अन्य सेवाओं की श्रेणियों में इकोनोमेट्रिक्स, डेटा विश्लेषण एवं मॉडलिंग तथा विधायीसेवाएं, सजीवन एवं खेल विकास सेवाएं, चिकित्सकीय ट्रांसक्रिप्शन आदि शामिल हैं।

(घ) से (च) सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एसटीपी/ईएचटीपी योजना का कार्यान्वयन करने, मूलसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने और प्रौद्योगिकी अनुमान, शतप्रतिशत सॉफ्टवेयर निर्यान्मुखी इकाइयों के लिए उच्च गति डेटा संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है। विभिन्न स्थानों पर 46 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एसटीपीआई सॉफ्टवेयर निर्यातकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने तथा लघु एवं मझोले उद्यमों को आरम्भिक मूलसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 'एकल गवाक्ष' के रूप में कार्य करती है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का विस्तार देश के वाणिज्यिक, सामरिक तथा अन्य क्षेत्रों में होने के कारण सूचना सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारतीय

कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्टइन) को चालू कर दिया गया है और नियमित रूप से सलाह, चेतावनी एवं जोखिम के नोट जारी किए जाते हैं।

3. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलब्ध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई–वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

4. सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए हैं :

(i) व्यवसाय से उपभोक्त (B2C) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

(ii) सीमा शुल्क की उच्चतम दर 15 प्रतिशत है। कम्प्यूटरों तथा पेरिफरलों पर सीमा शुल्क शून्य प्रतिशत है। कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क शून्य प्रतिशत है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों तथा सीडी रॉम ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट जारी है।

(iii) निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है।

(iv) निर्यात उन्मुखी (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) योजनाओं के अन्तर्गत सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में 100 % उपलब्ध है।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(vi) निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैक लाभ का 50%।

(vii) किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कम्पनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

बचत बैंक खाता धारकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना

1496. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपने बचत बैंक जमा धारकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार खाता धारकों की सुविधा के लिए इस योजना को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में शुरू करने के लिए निदेश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कुछ बैंक अपने ग्राहकों को वैयक्तिक दुर्घटना कवर सहित जमा संबंधी योजनाओं की पेशकश कर रहे हैं, जिसके संबंध में ग्राहकों से भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बीमा प्रीमियम की वसूली की जा रही है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बैंकों को अपनी विपणन संबंधी कार्यनीतियों और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार

जमाकर्त्ता को बीमा कवर सहित मूल्य वर्धित योजनाएं प्रदान करने की स्वतंत्रता है।

टी डी एम कार्यालय खोलना

1497. श्री रनेन बर्मन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण दीनाजपुर (बैलूरघाट), पश्चिम बंगाल में नया दूरसंचार जिला प्रबंधक कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नए टीडीएम कार्यालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) रायगंज, गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में 54192 सीधी एक्सचेंज लाइने हैं तथा इसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के तहत महाप्रबंधक द्वारा की जाती है। रायगंज गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) के तहत दक्षिण दीनाजपुर के बैलूरघाट में 14034 सीधी एक्सचेंज लाइनें हैं। गौण स्विचन क्षेत्र सर्किल का बुनियादी प्रबंधन और प्रचालनात्मक एकक होता है और इस एकक को दूरसंचार जिला कहा जाता है। तकनीकी प्रचालनात्मक और प्रशासनिक कारणों से कार्यभार में वृद्धि होने के कारण अन्य दूरसंचार जिले (एसएसए) का सृजन करने के लिए गौण स्विचन क्षेत्र को कवर करने वाले मौजूदा दूरसंचार जिले को द्विभाजित नहीं किया जाना है। इस प्रकार, दक्षिण दीनाजपुर (बैलूरघाट), पश्चिम बंगाल में दूरसंचार जिला प्रबंधक का कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षक

1498. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी बैंकों में एक बोर्ड और केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक (सी एस ए) के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में होने वाले जोखिम को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दायरे से बाहर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 7(2) के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य एवं कारोबार का सामान्य अधीक्षण निदेशन एवं प्रबंधन का कार्य निदेशक मंडल को सौंपा गया है। निदेशक मंडल का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970/1980 की धारा 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 10(1) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से की जाती है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों द्वारा ऋण संबंधी निर्णय शीघ्र एवं कुशलता से लेने हेतु उन्हें प्रेरक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से अनुरोध किया था कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्केल V अधिकारियों पर अपने अधिकार क्षेत्र की पुनरीक्षा करने पर विचार करें। सीवीसी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में टेक्सटाइल पार्क

1499. श्री ई. जी. सुगावनम :
श्री के. सी. पलनिसामी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के विभिन्न भागों में लंबे समय से लंबित पड़ी समेकित टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इसके लिए केन्द्र सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) से (घ) अब तक एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) की परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा तमिलनाडु के लिए तीन (03) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं; इन तीन परियोजनाओं के ब्यौरे अन्य बातों के साथ–साथ स्थान, परियोजना लागत, पूरा करने की अवधि सहित निम्नलिखितानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	नाम/स्थान	पूरा किए जाने का लक्ष्य	अनुमानित परियोजना लागत	भारत सरकार की अनुमानित सहायता
1.	सीमा वस्त्र प्रसंस्करण केंद्र, कुड्डालोर, तमिलनाडु	मई, 2007	120.00	40.00
2.	दि ग्रेट इंडियन लिलन एंड टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पेरूंदुरई, तमिलनाडु	जुलाई, 2007	149.45	40.00
3.	पल्लाडम उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, पल्लाडम, तमिलनाडु	जुन, 2006	43.35	17.34

अवसंरचना विकास हेतु योजना

1500. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगरों में अवसंरचना विकास की केन्द्र प्रायोजित योजना एवं समेकित लघु व मध्यम नगर विकास योजना का विलय करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकीकृत योजनाओं से सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा और योजना के अंतर्गत धन प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकारों को केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) भारत सरकार ने दिनांक 3.12.2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया है जिसमें अन्य स्कीमों के साथ–साथ मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की योजना और छोटे मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम को मिला दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिनांक 3.12.2005 को जेएनएनयूआरएम को आरंभ करने के साथ ही उपर्युक्त के संबंध में अंतिम निर्णय पहले ही ले लिया गया था।

नाबार्ड द्वारा उड़ीसा को ऋण

1501. श्री अनन्त नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005–06 के दौरान नाबार्ड द्वारा उड़ीसा को ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या वर्ष 2006–07 के दौरान नाबार्ड ने उक्त राज्य को अधिक ऋण देने का प्रस्ताव किया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नाबार्ड द्वारा उड़ीसा को किन परियोजनाओं हेतु ऋण दिया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) नाबार्ड, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राज्यों को ऋण सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005–06 के दौरान उड़ीसा राज्य को ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण पुलों एवं मध्यम/छोटी सिंचाई से संबंधित 7059 परियोजनाओं के लिए 396.95 करोड़ रुपए की ऋण राशि संस्वीकृत की गई है। 01 अप्रैल, 2005 से 21 फरवरी, 2006 की अवधि के दौरान, आरआईडीएफ की विभिन्न मदों के तहत उड़ीसा राज्य को 116.89 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। वर्ष 2006–07 के लिए आरआईडीएफ के तहत कुल आवंटन की राशि को वर्ष 2005–06 के आरआईडीएफ–XI के आवंटन की तुलना में 2000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है।

शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय सहायता

1502. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों को इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है; और

(च) स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने हेतु अपेक्षित प्रस्तावों के साथ राज्यों को आगे आने के लिए प्रेरित करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की महिला पार्षदों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अब तक 19 राज्यों को 181,19 लाख रु. की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। अब तक दिए गए अनुदान के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण के कालम 3 में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण के कॉलम 4 में दिए गए कारणों की वजह से 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ङ) 19 राज्यों में से 4 राज्यों से पूरे उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं और 6 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से आंशिक प्रमाणपत्र मिले हैं जिनके ब्यौरे विवरण के कालम 5 में दिए गए हैं।

(च) शेष राज्यों को केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाने के लिए अपने प्रसताव भिजवाने हेतु नियिमत रूप से याद दिलाया जाता है। पिछला अनुस्मारक दिनांक 13.2.2006 को जारी किया गया था।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा (लाख में) संदर्भ : प्रश्न का भाग (ख)	कारण सहित जिस राज्य को अनुदान प्राप्त नहीं हुआ संदर्भ : प्रश्न का भाग (ग) तथा (घ)	जिन राज्यों ने उपयोग प्रमाण-पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किए हैं संदर्भ : प्रश्न का भाग (ङ)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ	लागू नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं	लागू नहीं
3.	असम	2.44	–	उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं
4.	बिहार	–	13.375 लाख रु. की सहायता मंजूर। जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से कुछ सूचना अपेक्षित है	लागू नहीं

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	9.47	–	4.73 लाख और 4.74 रु. की दो किश्तों में अनुदान जारी। 4.73 लाख रु. की पहली किश्त हेतु उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त।
6.	गोवा	1.33	–	उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत
7.	गुजरात	11.715	–	उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं
8.	हरियाणा	4.30	–	राज्य सरकार ने 2.15 लाख रु. हेतु आंशिक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।
9.	हिमाचल प्रदेश	3.075		1,53,750 रु. की पहली किश्त हेतु उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान दूसरी किश्त जारी इसलिए उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं।
10.	जम्मू–कश्मीर#	7.00		चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुदान जारी इसलिए उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं।
11.	झारखंड	–	शहरी स्थानीय निकाय के लिए चुनाव नहीं हुए।	लागू नहीं
12.	कर्नाटक	28.84	–	प्रत्येक 14.42 लाख रु. की दो किश्तों में अनुदान जारी। 14.42 लाख रु. की पहली किश्त हेतु उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त।
13.	केरल	1.50	–	राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त।
14.	मध्य प्रदेश	26.320	–	अव्ययित शेष के रूप में 4.80 लाख रु. की वापसी सहित उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त।
15.	महाराष्ट्र	18.00	–	प्रशिक्षण संस्थान ने 3.2.2006 को मंत्रालय को सूचित किया है कि उपयोग प्रमाण पत्र महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से भेजा जा रहा है।
16.	मणिपुर	–	राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं	लागू नहीं
17.	मेघालय	–	राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं	लागू नहीं
18.	मिजोरम	–	राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं	लागू नहीं
19.	नागालैंड	–	राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं	लागू नहीं
20.	उड़ीसा	5.00		चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुदान जारी इसलिए उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं।

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	6.925		उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नही
22.	राजस्थान	9.635		उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं
23.	सिक्किम	–	राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं	लागू नहीं
24.	तमिलनाडु	24.62		उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं
25.	त्रिपुरा	1.62		0.50 लाख रु. हेतु उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त और राज्य सरकार से शेष राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध किया गया।
26.	उत्तरांचल	4.77		राज्य सरकार ने 3 लाख रु. के आंशिक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।
27.	उत्तर प्रदेश	–	वर्तमान में राज्य की शहरी स्थानीय निकाय भंग हो गई हैं। महिला पार्षदों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान चुनाव के बाद जारी किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया के संबंध में स्थगन आदेश दिया है और राज्य सरकार को पहले डीलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।	
28.	पश्चिम बंगाल	13.41		उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		केवल 6 महिला पार्षद, संघ शासित प्रदेश प्रशासन कुछ अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की संभावनाएं तलाश रहा है।	
30.	चंडीगढ़*			
31.	दादरा एवं नागर हवेली		शहरी स्थानीय निकाय गठित किया जा रहा है।	लागू नहीं
32.	दमन एवं दीव		संघ शासित प्रदेश में केवल 10 महिला पार्षद। चूंकि संघ शासित प्रदेश में कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है इसलिए संघ शासित प्रदेश प्रशासन पड़ोसी राज्य में प्रशिक्षण चलाने की संभावनाएं तलाश रहा है। अब तक अनुदान जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।	
33.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	1.22		उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5
34.	पांडिचेरी	–	शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं हुआ।	लागू नहीं
35.	लक्षद्वीप	–	संघ शासित प्रदेश में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं।	लागू नहीं
	कुल	181.19		

*चंडीगढ़ की महिला पार्षद के लिए प्रशिक्षण सूडा, पंजाब द्वारा चलाया जाना है।

#309 महिला पार्षदों सहित 929 पार्षदों के प्रशिक्षण के लिए।

ग्रामीण संचार नेटवर्क

1503. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री अजीत जोगी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री सुनील कुमार महतो :
श्री भंवर सिंह डांगावास :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री हरिसिंह चावडा :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने, उसका उन्नयन एवं विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कया आज की तिथि तक देश के कई तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ट्राई ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचार संबंधी अवसंरचना के सृजन का सुझाव दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस प्रयोजन हेतु निजी दूरसंचार प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) देश के दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रो में संचार नेटवर्कों को सुदृढ़ करने, उनके उन्नयन एवं विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं : .

(i) 100 से कम जनसंख्या वाले, घन वन क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांवों को छोड़कर दूरसंचार सुविधा से वंचित सभी क्षेत्र पात्र गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराना।

(ii) 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले जिन सभी गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन (पीसीओ) नहीं है उनमें ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) उपलब्ध कराना।

(iii) मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित वीपीटी को लैंडलाइन/स्थिर बेतार टर्मिनल फोनों से बदलना।

(iv) वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य 1,685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में ग्रामीण व्यक्तिगत फोन कनेक्शन उपलब्ध कराना।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में सी–डॉट टेलीफोन एक्सचेंजों का एक्सेज नोड ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों में और सिंगल बेस मॉड्यूल एक्सचेंजों का रिमोट स्विचिंग यूनिटों में उन्नयन करना।

(vi) लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए बाह्य केबल संबंधी मानदंडों में पहले के 2.5 किमी के मानदंड में छूट देकर बाह्य केबल की लंबाई 5 किमी तक करना।

(ग) और (घ) 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार देश में 100 से अधिक जनसंख्या वाले और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों/घने वनक्षेत्रों में नहीं आने वाले 49640 गांवों में दूरसंचार सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन सुविधारहित शेष 49640 गांवों में नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा बीएसएनएल के साथ एक करार किया गया है। इसमें दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित 14,183 गांवों के लिए उपग्रह संपर्क का प्रावधान शामिल है। इन गांवों की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी, हां।

(च) अन्य बातों के साथ–साथ सिफारिशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

- मोबाइल सेवाओं के लिए साझी अवसंरचना को यूएसओएफ से सहायता मिलेगी।
- यूएसओ निधि के माध्यम से बैकबोन अवसंरचना को सहायता।
- अलग–अलग डीईएल, वीपीटी आदि के लिए सब्सिडी से शिफ्ट।
- वार्षिक लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार में छूट को ग्रामीण कवरेज से जोड़ा जाना।
- उपयुक्त अनुप्रयोगों का विकास।
- वी–सैट लाइसेस शुल्कों और स्पेक्ट्रम प्रभारों में कमी और वहनीय दरों पर ट्रांसपोंडरों का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्कों के लिए कोई मार्गाधिकार प्रभार नहीं।
- प्रमुख आपरेटरों को यूएसओएफ से सहायता दिया जाना और उन्हें स्पेक्ट्रम प्रभारों से छूट देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्डेक्ट और इसी प्रकार की प्रौद्योगिकियों के उपयोग और 450 मेगाहर्टज के उपयोग के लिए कोई स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 40 मीटर तक के टावर लगाने के लिए एसएसीएफए का कोई पूर्व अनुमोदन नहीं।
- सार्वभौमिक अभिगम लेवी के रूप में संग्रहीत निधियां यूएसओएफ को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

सिफारिशों का पूरा पाठ www.trai.gov.in पर ट्राई के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(छ) और (ज) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा और अवसंरचना के कतिपय तत्वों के साझे उपयोग के लिए तौर–तरीके तैयार करने और इसके लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता प्रदान करने के लिए अभिगम सेवा प्रदाताओं, अवसंरचना प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और विनिर्माताओं के संघ के साथ विस्तृत रूप से परामर्श किया गया है। अवसंरचना के उन तत्वों में, जिनका साझा उपयोग हो सकता है, भूमि, टावर, और आश्रय–स्थल आदि शामिल हैं।

विवरण

दिनांक 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने वाले पात्र गांवों की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र का नाम	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने वाले गांवों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	837
2.	असम	6,565
3.	झारखंड	1,664
4.	गुजरात	2,179
5.	हिमाचल प्रदेश	768
6.	जम्मू व कश्मीर	1,533
7.	मध्य प्रदेश	7,492
8.	छत्तीसगढ़	4,151
9.	महाराष्ट्र	4,252
10.	पूर्वोत्तर–I	2,051
11.	पूर्वोत्तर–II	1,520
12.	उड़ीसा	4,899
13.	राजस्थान	8,054
14.	उत्तरांचल	3,675
	जोड़	49,640

मांग जमा

1504. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस राजकोषीय वर्ष्ा के दौरान सावधि जमा की तुलना में मांग जमा में बढ़ती तेजी का रुझान दृष्टिगोचर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में तत्संबंधी प्रतिशत क्या है और इसके कया कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, तेजी से बढ़ते क्रेडिट के साथ–साथ अर्थव्यवस्था पर मांग का दबाव भी चिंता का एक कारण है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से देश में वित्तीय और मूल्य स्थिरता पर इसके प्रभाव को समाप्त करने तथा क्रेडिट गुणवत्ता पर निगरानी रखने का विचार करती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक (3 फरवरी, 2006 तक) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मांग जमाराशियों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 7.5 प्रतिशत की तुलना में 29.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सावधि जमाराशियों में 12.2 प्रतिशत की तुलना में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) विभिन्न उद्योगों विशेषकर आधारभूत सुविधा एवं खुदरा क्षेत्र में ऋण संवृद्धि अर्थव्यवस्था में बेहतर ऋण पहुंच एवं बढ़े हुए निवेश संबंधी क्रियाकलाप का प्रतिबिम्बन है। तथापि, ऋण गुणवत्ता संबंधी चिंता के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों से अनुरोध करना पड़ा कि वे उन क्षेत्रों, जहां ऋण का तेजी से विस्तार हो रहा है, के विशेष संदर्भ के साथ क्रियाकलापों के खंड–वार विश्लेषण सहित ऋण–गुणवत्ता की व्यापक समीक्षा करें।

अलिखित काश्तकारों को ऋण

1505. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलिखित काश्तकारों को कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने में सरकार ने कितनी प्रगति की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अलिखित काश्तकारों को राज्य–वार ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) अलिखित काश्तकारों को कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। काश्तकारों और अलिखित पट्टेदारों को स्व–सहायता समूहों की तरह ही काश्तकार समूहों (टीएफजी) में संगठित करके उन्हें फसल उगाने हेतु ऋण देने की एक आदर्श योजना कार्यान्वित की जा रही है। नाबार्ड ऐसे समूहों को वित्तपोषित करने हेतु उन सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 5.5% वार्षिक ब्याज दर पर शतप्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करता है, जो अल्पावधि मौसमी कृषि कार्य ऋणों हेतु पात्र हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा काश्तकारों एवं अलिखित पट्टेदारों को कम से कम 2% फसल ऋण पुनर्वित्तपोषण का न्यूनतम कवरेज निर्धारित किया है। पिछले तीन वर्ष में, काश्तकारों और अलिखित पट्टेदारों को दिए गए ऋण की मात्रा के राज्य–वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं तथापि, अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान नए काश्तकारों को 524 करोड़ रु. संवितरित किए गए थे।

नई लेखा प्रणाली

1506. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई लेखा प्रणाली को अधिसूचित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : (क) से (ग) सरकार द्वारा किसी नई लेखाकारिता प्रणाली को अधिसूचित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 (3ग) के अंतर्गत लेखाकारिता मानकों को निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार को सामार्थ्य बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 210क के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय लेखाकारिता मानक समिति (एनएसीएएस) ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान से सिफारिश प्राप्त करने के बाद 7.2.2006 को सरकार को लेखाकारिता मानकों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह मंत्रालय अधिनियम की धारा 211 (3ग) के अंतर्गत लेखाकारिता मानकों को

निर्धारित करने के उद्देश्य से एनएसीएएस की सिफारिशों की जांच कर रहा है। इतने में, अधिनियम की धारा 211 (3ग) के अनुसरण में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा पहले विनिर्दिष्ट लेखाकारिता मानकों को अधिनियम के उद्देश्य के लिए लेखाकारिता मानकों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उधार

1507. **श्री के. सुब्बारायण :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में शामिल करने का कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड इस क्षेत्र को ऋण देने में अनिच्छुक है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु कृषि बैंक गठित करने का कोई प्रस्ताव है?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उधार देने में निजी बैंकों के अंशदान की प्रतिशतता कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) छोटे एवं मझौले आकार की खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों, जिनके संयंत्र एवं मशीन पर 5 करोड़ रुपए तक की राशि का निवेश किया गया हो, को प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नाबार्ड ने खाद्य प्रसंस्कण सहित कृषि प्रसंस्कण की महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है। वह बैंकों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दिए जाने वाले उनके उधार के लिए पुनर्वित्त सहायता देता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अंशदान का प्रतिशत क्रमशः 44.14, 47.27 एवं 43.63 था।

आई टी हार्डवेयर उद्योग

1508. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का आईटी हार्डवेयर उद्योग अन्य एशियाई देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) देश के सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग को अन्य एशियाई देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यह उद्योग निम्न उत्पादन क्षमता, उपदान सामग्रियों/पुर्जों/संघटक पुर्जों की स्थानीय उपलब्धता के अभाव, लम्बा एवं परिवर्तनशील संचरण काल, उच्च ब्याज दर, पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क, विश्वस्तरीय मूसंरचना का अभाव तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। देश में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को प्रेरित करने तथा उसे बनाए रखने पर जोर दिया गया हैं

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। आईपीए–1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए–1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने

वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

4. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों तथा सीडी रॉम ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों को सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

6. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाऊ बैक लाभ का 50%।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/ईएचटीपी इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2010 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कौटती उपलब्ध कराई गई है।

डाक घरों में एटीएम की सुविधा

1509. श्री पी. मोहन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम प्रत्येक मुख्य डाकघर में डाकघर बचत बैंक के उपभोक्ताओं को एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005 के दौरान डाकघर बचत बैंकों में लोगों द्वारा जमा की गई कुल धनराशि कितनी है;

(ग) क्या डाकघर बचत बैंक को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) डाकघर बचत बैंक ग्राहकों को एटीएम सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसके बारे में अभी कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष 2004–2005 के दौरान डाकघर बचत बैंक में जनता द्वारा जमा की गई राशि 1,24,064 करोड़ रुपये है।

(ग) डाकघर बचत बैंक को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के प्रयास एक सतत प्रक्रिया है जिस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(घ) फिलहाल डाकघरों में डाकघर बचत बैंक कार्यकलापों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, जो डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की सतत प्रक्रिया का एक भाग है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी

1510. श्री पी. सी. थामस : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल द्वारा अग्रेषित अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान कर रहा है जिसमें इसकी राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत राज्य व्यापी एरिया नेटवर्कों (स्वान) के माध्यम से 2 एमबीपीएस के सम्पर्क का प्रयोग किया जा रहा है। अब तक 20 राज्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) स्वान के लिए केरल का प्रस्ताव मार्च, 2005 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 78.70 करोड़ रुपए के योगदान के लिए अनुमोदित किया गया है।

न्यासों को दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि का आवंटन

1511. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को गत तीन वर्षों के दौरान न्यासों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सस्ती दरों पर भूमि के पंजीकरण और आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यासों और उनके प्रवर्तकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन न्यासों को सस्ती दरों पर भूमि दी गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) नजूल नियमों तथा समय–समय पर तय की गई नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुबंधों एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन प्रत्येक जोन के लिए अलग–अलग दरों पर, जो बाजार दर से कम होती हैं, लाभ न कमाने वाली उन सार्वजनिक संस्थानों को भूमि आवंटित करता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत होती है तथा केन्द्र सरकार के किसी विभाग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रयोजित होती है। तथापि, रियायती दरों/जोन के लिए अलग–अलग दरों पर भूमि आवंटन के लिए ट्रस्टों पर विचार नहीं किया जाता है।

वैज्ञानिकों हेतु पुरस्कार

1512. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वैज्ञानिकों हेतु विशेष पुरस्कार देना शुरू करने का निर्णय लिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीणों से फीडबैक एकत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही नहीं अपितु लगातार किया जा सके?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सरकार, ग्रामीण आवश्यकताओं को उजागर करने के लिए वैज्ञानिकों/संस्थानों द्वारा आधारभूत स्तर पर उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए पुरस्कृत कर रही है। वर्ष 2000 में शुरू किया गया "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से महिलाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार" पर इसकी स्कीम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला विकास में लगे वैज्ञानिकों/संस्थानों को वार्षिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसमें 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक स्मृति चिह्न और एक प्रशंसापत्र होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) ने हाल ही में "ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों हेतु सी एस आई आर पुरस्कार" (सी.ए. आई.आर.डी.) नामक एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम का उद्देश्य उन विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों को मान्यता देना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है जिनसे ग्रामीण लोगों के जीवन में बदलाव आया है। इस स्कीम में वार्षिक रूप से 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशंसापत्र और एक पट्टिका शामिल है। पहला पुरस्कार वर्ष 2006–07 में दिया जाएगा।

(ग) यह पुरस्कार ऐसे वैज्ञानिकों/संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने आधारभूत स्तर पर निरंतर परिवर्तन लाने वाले अनुसंधान डिजायन और विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

सिल्क बैंक

1513. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्क के मूल्यों में बार-बार होने वाली वृद्धि को रोकने और बुनकरों के लिए उचित मूल्यों पर सिल्क की उपलब्धता की सुविधा के लिए सिल्क बैंक की स्थापना करने हेतु मांग काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और सिल्क बैंक कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) रेशम की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए और हथकरघा बुनकरों को उपयुक्त कीमतों पर उसकी उपलब्धता आसान बनाने के लिए रेशम बैंक की स्थापना के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हो गए हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार मिल गेट कीमत योजना नामक एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत भारत सरकार का एक उपक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) मिल गेट कीमत पर हथकरघा बुनकरों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के यार्न की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है जिसमें रेशम यार्न शामिल है।

रेशम यार्न की कीमतें बाजार से निर्धारित होती हैं और वे उपलब्धता और मांग पर निर्भर करती है। रेशम हथकरघा उत्पादों के विनिर्माण में लगे विनिर्माता, जो बुनकरों को रेशम यार्न उपलब्ध कराते हैं, रेशम ट्विस्टरों/विनिर्माताओं से सीधे ही तालमेल कर रेशम यार्न की व्यवस्था करते रहे हैं और सामान्यतः फर्म की मांग के आधार पर आपूर्ति की व्यवस्था के लिए एनएचडीसी को अपनी मांग नहीं देते।

बुनकरों के संगठनों से मांग प्राप्त होने पर एनएचडीसी रेशम ट्विस्टरों/विनिर्माताओं से सीधे ही तालमेल कर यार्न की आपूर्ति की व्यवस्था करता है। एनएचडीसी रेशम बुनकर संगठनों से फर्म मांग प्राप्त होने पर मिल गेट कीमत पर रेशम यार्न की आपूर्ति की व्यवस्था कर सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंक शाखाएं

1514. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री रघुनाथ झा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार नए निजी बैंकों के लिए ग्रामीण/अर्धशहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शाखाएं खोलना आवश्यक था परन्तु इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 9.52 प्रतिशत शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बैंकों की कुल शाखाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) नए निजी क्षेत्र के बैंक, जिनकी स्थापना 1993 के बाद हुई है, को जारी बैंकिंग लाइसेंस में अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% शाखा खोलना निर्धारित किया गया है। नए निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या उनकी कुल शाखाओं का ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 26.88 प्रतिशत है।

(ग) निजी क्षेत्र के बैंकों की शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का कुल ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्षेत्र	शाखाओं की संख्या
ग्रामीण	1103
अर्ध-शहरी	1849
शहरी	1755
महानगर	1508
कुल	6215

गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो-2006

1515. श्री सुग्रीव सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो-2006 प्रदर्शनी लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उकत एक्सपो में किन–किन देशों ने भाग लिया; और

(घ) उक्त एक्सपो से भारतीय गारमेंट उद्योग को किस सीमा तक लाभ हुआ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय परिधान प्रौद्योगिकी एक्सपो–2006, 20–23 जनवरी, 2006 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गाय था। इस एक्सपो में भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख देशों दोनों के अग्रवर्ती ब्रांड प्रदर्शित किए गए और इससे क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए बातचीत का एक मंच बना।

(ग) भारत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इटली, चीन, ताईवान, जर्मनी, यू.के., जापान, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों ने इस एक्सपो में भाग लिया। इसके अतिरिक्त चीन, कोरिया, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने इस एक्सपो में भाग लिया।

(घ) भाग लेने वाली 336 कंपनियों ने अपैरल विनिर्माण से संबंधित 1000 से अधिक ब्रांड प्रदर्शित किए। प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योग के सभी क्षेत्रों से 26500 व्यापारी आगंतुकों ने इस एक्सपों का दौरा किया और इस प्रकार नवीनतम परिधान प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निवेशकों को अवसर प्रदान किया।

नए कस्बे (टाउन) स्थापित किया जाना

1516. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए दिल्ली के निकट नए कस्बे (टाउन) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने की समय–सीमा को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने सूचित किया है कि 17 सितंबर, 2005 को अधिसूचित क्षेत्रीय योजना 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए एकीकृत उपनगरों के विकास का प्रस्ताव किया गया है। राजस्थान सरकार में नए उपनगर की स्थापना के लिए नीमराना–बहरोर–शाहजहांपुर को चुना है और इसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने समालका, सांपला और जहांगीरपुर–बादली में नए उपनगरों के विकास के लिए तीन संभावित स्थलों को चुना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रयोजन के लिए संभावित स्थलों को चुना है। तथापि ये प्रस्ताव के प्रारंभिक चरणों में है और इन्हें पूरा करने के लिए समय निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

आयकर आयुक्तों के समक्ष अपील

1517. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष कितनी अपीलें लंबित हैं और ये अपीलें कब से लंबित हैं तथा इनके निपटान में विलंब के कया कारण हैं;

(ख) प्रतिमाह कितनी अपीलों का निपटान किया जाना आवश्यक है और वास्तव में कितनी अपीलों का निपटान किया गया; और

(ग) अपीलों के धीमे निपटान के लिए आयकर आयुकतों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है/क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार आयकर आयुक्त (अपील) के पास कुल 67,624 अपीलें लंबित थीं जिनमें से केवल 16,289 मामले एक वर्ष से अधिक लंबित थे। एक वर्ष से अधिक लंबित मामलों की संख्या को बारीकी से जांच करके नियमित रूप से कम कर दिया गया है। इस प्रकार अपील के लंबित रहने की औसत अवधि एक वर्ष से काफी कम है।

(ख) निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयकर आयुक्त (अपील) से सामान्यतः प्रतिमाह 75 इकाइयों का निपटान करना अपेक्षित होता है। मामले की प्रकृति उदाहरणार्थ तलाशी अथवा कम्पनी इत्यादि, को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग महत्व दिया जाता है। इस प्रकार निपटाई गई यूनिटों की संख्या निपटाए गए मामलों की वास्तविक संख्या से हमेशा अधिक होती है। चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा मामलों की वास्तविक संख्या में किए गए औसत निपटान की संख्या 25 रही है।

(ग) मुख्य आयकर आयुक्तों के द्वारा की जा रही बारीक निगरानी मामलों के संतोषजनक निपटान को सुनिश्चित करती है।

इसके बावजूद पदों के रिक्त रहने जैसी विभिन्न परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित हो जाते हैं। न्यायालय निर्णयों आदि के कारण कतिपय समूह मामले अवरुद्ध किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या से निजात पाने के लिए देशव्यापी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लंबित मामलों की संख्या कम की जा सके।

पूंजीगत निधियों में वृद्धि करने हेतु दिशा-निर्देश

1518. श्री अनन्त नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजीगत निधियों में वृद्धि करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों द्वारा ऐसे दिशा–निर्देशों से किस सीमा तक अतिरिक्त राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) टियर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र अभिनव अविच्छिन्न ऋण लिखत तथा उपरी टियर 2 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत जारी करके पूंजी जुटाने के लिए 25 जनवरी, 2006 को "पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए विकल्प जुटाकर बैंकों की पूंजी में वृद्धि" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा–निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा–निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाईट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं। अब तक किसी भी बैंक ने इन लिखतों के निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने की सूचना नहीं दी है।

गरीबी उपशमन

1519. श्री रनेन बर्मन :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री जोवाकिम बलला :

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार सरकार गरीबी उपशमन के लिए इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी उपशमन के लिए कोई सकारात्मक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने दसवीं योजना (2002–07) में 8% वार्षिक के समग्र प्रगति लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2007 तक 5% तक गरीबी को कम करने का व्यवहार्य लक्ष्य निर्धारित किया है। 10वीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हालांकि इस बात पर आम राय है कि 1990 के दशक में गरीबी के विस्तार में कमी हुई है लेकिन कितनी कमी हुई है इस बात का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1993–94 तथा 1999–2000 के बीच अपनाई गई पद्धतियों में परिवर्तनों के कारण आंकड़ों की एक–दूसरे से तुलना करने के बारे में काफी मतभेद है।

(ग) और (घ) शहरी निर्धनों की स्थिति को बेहतर बनाने तथा देश में शहरी गरीबी को कम करने के उद्देश्य से शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर केन्द्र प्रायोजित रोजगारोन्मुख शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम अर्थात् स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना के जरिए तथा उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में शहरी गरीबों के श्रम के उपयोग करके मजदूरी रोजगार की व्यवस्था के जरिए भी शहरी गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस स्कीम के वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में किया जाता है।

टीयूएफएस में कमी

1520. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उन्नयन निधि (टीयूएफ) को कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वस्त्र उद्योग का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए विगत में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्र की सहायता के लिए विगत में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने 'कपास प्रौद्योगिकी मिशन' (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएस) 13.1.2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।

(5) विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च प्रौद्योगिक बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण,समूह कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने 20% पूंजीगत सब्सिडी योजना-टीयूएफएस के तहत मशीनों के लिए पूंजी कीसीमा 13.1.2005 से 60 लाख रु. से बढ़ाकर 100.00 लाख रु. कर दी है।

(6) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना' (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(7) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पित छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(8) कोटा पश्चात व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(9) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(10) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं :

- सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
- सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- वर्ष 2006-07 के लिए टीयूएफएस के लिए आवंटन 435 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 535 करोड़ रुपए करना।

- वर्ष 2006–07 के लिए हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रावधान 195 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 241 करोड़ रुपए करना।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006–07 के दौरान 189 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना के साथ–साथ गोल्डन फाइबर की संभाव्यता बढ़ाने के लिए 2006–07 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना।

(11) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8–9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(12) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(13) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(14) सरकार ने सिले–सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(15) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(16) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है :

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर इंजीनियरों की कमी

1521. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर उद्योगों में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार ने देश में वर्तमान में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर इंजीनियरों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) प्रत्येक राज्य में आज की तारीख तक वास्तविक रूप से कितने इंजीनियरों की आवश्यकता है तथा व्यावसायिक कॉलेजों से पास होने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है कि इन सभी को देश में ही काम मिल जाए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादन तथा निर्यात का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
2002–03	97000	51700
2003–04	118290	65940
2004–05	152420	88180

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन एक निरन्तर प्रक्रिया है। नैसकॉम तथा

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस क्षेत्र की आवश्यकता पर समय-समय पर विचार कर रहा है। इसके फलस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव सूचना प्रौद्योगिकी, वीएलआईएस डिजाइन तथा सूचना सुरक्षा जैसे मुख्य क्षेत्रों में जनशक्ति का सृजन करने के लिए उपाय आरंभ किए गए हैं; आईटीईएस-बीपीओ उद्योग की सहायता के लिए नैसकॉम ने एनएसी कार्यक्रम अर्थात् नैसकॉम का क्षमता मूल्यांकन का प्रयोगिक चरण शुरू किया है; तथा डीआईएसीसी सोसाइटी द्वारा आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र में रोजगार के लिए युवाओं की कुशलता में वृद्धि करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर में आईटीईएस-बीपीओ पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है।

(ङ) इंजीनियरी डिग्री में अखिल भारतीय तकीनीक परिषद द्वारा वर्ष 2005-06 में अनुमोदित दाखिल की क्षमता के आधार पर उपलब्ध मानव संसाधन 499697 है (जिसमें कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी/सूचना प्रौद्योगिकी में 214488 शामिल हैं)। राज्यवार विवरण संलग्न हैं।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी-आईटीईएस विश्व स्तर पर उद्योग का एक प्रतिस्पर्धी खंड है, जिसका विकास 1999-2000 के वित्तीय वर्ष से 28% से ज्यादा सीएजीआर पर हुआ है, जिसमें योग्यता के आधार पर रोजगार का सृजन होता है।

विवरण

शैक्षिक वर्ष 2005-2006 तक इंजीनियरी में अनुमोदित संस्थानों की संख्या तथा दाखिला

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इंजीनियरिंग	
		संस्थान	दाखिला
1	2	3	4
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	71	24630
	छत्तीसगढ़	15	5120
	गुजरात	39	14336
पूर्वी	मिजोरम	1	120
	सिक्किम	1	420
	उड़ीसा	43	11517
	पश्चिम बंगाल	57	13305
	त्रिपुरा	1	190
	मेघालय	1	240
	अरुणाचल प्रदेश	1	198
	अंडमान एवं निकोबार	0	0
	असम	3	901
	मणिपुर	1	120
	नागालैंड	0	0
	झारखंड	10	2483
उत्तरी	बिहार	12	2673
	उत्तर प्रदेश	106	37110
	उत्तरांचल	11	3011
उत्तर-पश्चिम	चंडीगढ़	8	1423
	हरियाणा	43	14132
	जम्मू और कश्मीर	6	1461
	नई दिल्ली	20	5727
	पंजाब	49	15345
	राजस्थान	51	16198
	हिमाचल प्रदेश	5	1242
दक्षिण	आंध्र प्रदेश	274	97942
	पांडिचेरी	7	2466
	तमिलनाडु	265	102322
दक्षिण-पश्चिम	कर्नाटक	120	48515
	केरल	89	25543
पश्चिमी	महाराष्ट्र	162	50267
	गोवा	3	740
	दमन तथा दीव	0	0
	दादरा और नागर हवेली		
	कुल योग	1475	499697

स्वास्थ्य संबंधी बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा निगम

1522. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए जीवन बीमा निगम स्वास्थ्य संबंधी बीमा क्षेत्र में आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में जीवन बीमा निगम को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण से अनुमोदन मिल गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जीवन बीमा निगम के व्यवसाय तथा लाभ में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ में कमी

1523. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2005-06 की तीसरी तिमाही के दौरान देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों का या तो तुलनात्मक लाभ कम हुआ है या इन्हें घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं तथा उन्हें हुए घाटे की अनुमानित धनराशि कितनी है; और

(ग) कमी तथा घाटा होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के 3,139 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2005-06 की तीसरी तिमाही के दौरान कुल 4,344 करोड़ रु. का करोपरांत लाभ दर्ज किया है। तथापि, कर्मचारी लागतों सहित परिचालन व्यय में वृद्धि और प्रतिभूति कारोबार में अर्जित लाभ में गिरावट के कारण सरकारी क्षेत्र में बैंकों, अर्थात् सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अक्तूबर-दिसम्बर, 2005 की अवधि में करोपरांत कम लाभ दर्शाया है।

एन.टी.सी. मिलें

1524. श्री एस. के खारवेनथन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक कार्य कर रही नेशनल टेक्सटाइल मिलों (एनटीसी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एन.टी.सी. मिल को वर्ष-वार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ग) एन.टी.सी. मिलों का आज की तारीख तक, राज्य-वार तथा मिल-वार विद्यमान कार्य बल कितना है;

(घ) क्या सरकार ने एन.टी.सी. के कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना कार्यान्वित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में एन.टी.सी. मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) एनटीसी के अधीन 52 अर्थक्षम मिलों में से आज की तारीख के अनुसार विभिन्न सहायक निगमों के अधीन 40 मिलें प्रचालन में हैं। राज्यवार सूची विवरण-I में है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन 40 एनटीसी मिलों द्वारा उठाया गया नकद घाटा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 1.2.2006 की स्थिति के अनुसार एनटीसी में नियुक्त कुल कार्यबल 21,677 है। इनमें से 19,977 कर्मचारी 52 अर्थक्षम मिलों में हैं। ब्यौरे विरवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। एनटीसी में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1 जनवरी, 2002 से कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत लाभ निम्नलिखितानुसार हैं :

(i) सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 35 दिन और अधिवर्षिता तक शेष रह गई सेवा के लिए 25 दिन के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ii) उपर्युक्तानुसार पात्र अनुग्रह राशि का 100% अतिरिक्त

अनुग्रह मुआवजा बशर्ते 1.1.1987 के बाद वेतन में कोई संशोधन न हुआ हो अथवा 1.1.1992 के बाद वेतन में कोई संशोधन न होने की स्थिति में अतिरिक्त मुआवजे के रूप में पात्र अनुग्रह राशि का 50%। इस प्रयोजन के लिए वेतन में मूल वेतन + मकान किराया भत्ता होगा।

उपर्युक्त लाभ सामान्य पात्र ईपीएफ लाभों, संचित पात्र अर्जित अवकाश के बराबर नकद, उपदान के अतिरिक्त हैं।

(घ) बीआईएफआर ने एनटीसी के लिए एक पुनरुद्धार योजना मंजूर की थी, जिसमें 52 अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई थी। इनमें से 22 मिलों का आधुनिकीकरण एनटीसी द्वारा किया जाना है और शेष 30 मिलों का आधुनिकीकरण संयुक्त उद्यम के तहत किया जाना है। पहले चरण में 15 मिलों का आधुनिकीकरण करने का विचार बनाया गया है। आधुनिकीकरण के लिए संसाधन मुख्य रूप से बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से सृजित किए जाने हैं। 12 मिलों का आधुनिकीकरण 530 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। संयुक्त उद्यम के तहत शेष 30 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए संयुक्त उद्यम के तहत इन मिलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकने वाले प्रतिष्ठित वस्त्र उद्योगों से रुचि आमंत्रित की गई है। इन सभी मिलों में देशी कर्मचारियों को आकर्षक मुआवजा पैकेज पर एमवीआरएस दे दी गई है।

विवरण-I

1.2.2006 की स्थिति के अनुसार एनटीसी की चालू 40 मिलों की सूची

क्र.सं.	मिलों के नाम	स्थान
1	2	3
एनटीसी (एपीकेकेएम) लि.		
आंध्र प्रदेश		
1.	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनिनगुंटा
कर्नाटक		
2.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर
केरल		
3.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
4.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स	कन्नानूर
5.	केरल लक्ष्मी मिल्स	तिरुचूर
6.	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेंद्रम
7.	पार्वती मिल्स	क्विलोन
माहे		
8.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स	माहे
एनटीसी (डीपीआर) लि.		
9.	माहेलक्ष्मी मिल्स	ब्यावर
एनटीसी (एमएन) लि.		
महाराष्ट्र		
10.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 1	मुंबई
11.	टाटा मिल्स	मुंबई
12.	पोद्दार मिल्स	मुंबई
13.	आरबीबीए मिल्स	हिंगनघाट
14.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 5	मुंबई
15.	सेवतराम रामप्रसाद मिल्स	अकोला
एनटीस (एमपी) लि.		
मध्य प्रदेश		
16.	बुरहानपुर तापि मिल्स	बुरहानपुर
17.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल
एनटीसी (एसएम) लि.		
महाराष्ट्र		
18.	अपोलो टेक्सटाइल मिलस	मुंबई
19.	बारसी टेक्सटाइल मिल्स	बारसी
20.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	चालीसगांव
21.	फिनले मिल्स	मुंबई
22.	धूले टेक्सटाइल मिल्स	धूले
23.	गोल्डमोहर मिल्स	मुंबई

1	2	3
24.	नांदेड़ टेक्सटाइल मिल्स	नांदेड़
25.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यू. मिल्स	मुंबई
26.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	औरंगाबाद
एनटीसी (यूपी) लि.		
उत्तर प्रदेश		
27.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	मऊनाथभंजन
एनआईसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि.		
पश्चिम बंगाल		
28.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	रिसरा
29.	सोदेपुर कॉटन मिल्स	सोदेपुर
30.	आरती कॉटन मिल्स	दास नगर
उड़ीसा		
31.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	भगतपुर
असम		
32.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	चंद्रापुर
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि.		
तमिलनाडु		
33.	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
34.	कोयम्बटूर मरुगन मल्स	कोयम्बटूर
35.	पंकजा मिल्स	कोयम्बटूर
36.	पायोनियर स्पिनिंग मिल्स	कामुदाकुडी
37.	श्री रंगाविलास स्पि. एंड वि. मिल्स	कोयम्बटूर
38.	कालीश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	कल्यारकोइल
39.	श्री शारदा मिल्स	कोयम्बटूर
40.	कोयम्बटूर स्पि. एंड विविंग मिल्स	कोयम्बटूर

विवरण-II

2002–03 से 2004–05 की अवधि के लिए मिल–वार नकद लाभ (+) घाटा (–) दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	मिल/सहायक कंपनी का नाम	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5
एनटीसी (डीपीआर) लि.				
राजस्थान				
1.	महालक्ष्मी मिल्स	–248.98	–100.95	–349.69
एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.				
मध्य प्रदेश				
2.	बुरहानपुर ताप्ति मिल्स	–671.37	–648.86	–2099.12
3.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	–503.35	–460.52	–1099.92
एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.				
उत्तर प्रदेश				
4.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	–256.71	–556.30	–304.26

1	2	3	4	5
एनटीसी (साऊथ महाराष्ट्र) लि.				
महाराष्ट्र साऊथ				
5.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	–556.10	–615.76	–457.71
6.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	–119.27	–138.34	–165.69
7.	बारसी टेक्सटाइल मिल्स	–77.59	–125.54	–158.83
8.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	–374.27	–469.63	–305.75
9.	धूले टेक्सटाइल मिल्स	–339.43	–435.04	–361.94
10.	फिनले मिल्स	–701.07	–780.32	–631.33
11.	गोल्ड मोहर मिल्स	–655.49	-815.08	–569.27
12.	नांदेड़ टेक्सटाइल मिल्स	–338.78	–393.58	–489.12
13.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यू. मिल्स	–721.22	–861.98	–648.30
एनटीसी (महाराष्ट्र नॉर्थ) लि.				
महाराष्ट्र नॉर्थ				
14.	इंडिया यूनाइटेड मिल सं. 1	–1178.91	–1270.83	–1076.70
15.	इंडिया यूनाइटेड मिल सं. 5	–646.54	–677.79	–556.31
16.	पोद्दार मिल्स	–714.85	–808.64	–987.24
17.	आरबीबीए मिल्स	–493.61	–458.58	–510.02
18.	सेवतराम रामप्रसाद मिल्स	–279.82	–302.39	–279.67
19.	टाटा मिल्स	–1069.42	–1271.84	–1262.73
एनटीसी (एपीकेकेएंडएम) लि.				
आंध्र प्रदेश				
20.	तिरुपति कॉटन मिल्स	–259.19	–276.16	–347.73
कर्नाटक				
21.	मिनर्वा मिल्स	–2394.66	–2067.78	–3269.78
केरल				
22.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	–590.65	–584.22	–808.61

1	2	3	4	5
23.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, केन	–62.19	–123.55	–168.49
24.	केरल महालक्ष्मी मिल्स	–262.47	–278.07	–216.25
25.	पार्वती मिल्स	–1097.53	–1428.87	–1595.89
26.	विजयमोहिनी मिल्स	–230.98	–337.06	–408.51
पांडिचेरी				
27.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, माहे	–210.07	–309.51	–315.67
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि.				
तमिलनाडु				
28.	कम्बोडिया मिल्स	–418.84	–592.83	–432.64
29.	कोयम्बटूर मरुगन मिल्स	169.68	–104.19	–138.60
30.	पंकजा मिल्स	–334.48	–424.74	–372.22
31.	पायोनियर स्पिनिंग मिल्स	–203.07	–273.90	–244.01
32.	श्री रंगाविलास एस एंड डब्ल्यू मिल्स	–326.96	–538.40	–351.87
33.	कालीश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	–276.01	–433.58	–300.64
34.	श्री शारदा मिल्स	–642.84	–677.00	–622.99
35.	कोयम्बटूर स्पि. एंड विविंग मिल्स	–1648.42	–1248.66	–999.28
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीएंडओ) लि.				
असम				
36.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	–170.02	–167.59	–183.89
उड़ीसा				
37.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	–256.11	–208.74	–263.99
पश्चिम बंगाल				
38.	आरती कॉटन मिल्स	–188.66	–315.41	–332.00
39.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	–242.77	–389.39	–483.45
40.	सोदेपुर कॉटन मिल्स	–253.92	–314.30	–314.40

विवरण-III

01.2.2006 की स्थिति के अनुसर नामावली में मिलवार और राज्यवार कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मिल का नाम राज्य–वार	01.02.2006 की स्थिति के अनुसार नामावली में कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3
	एनटीसी (एपीकेकेएन) लि. आंध्र प्रदेश	
1.	तिरुपति कॉटन मिल्स, रेनिनगुंटा	88
2.	अनंतपुर कॉटन मिल्स, टाडापत्री	8
	कर्नाटक	
3.	भिनर्वा मिल्स, बंगलौर	397
4.	श्री येल्लमा कॉटन मिल्स, दावागिरी	2
	केरल	
5.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स, अलगप्पा	717
6.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, कन्नानूर	383
7.	केरल लक्ष्मी मिल, तिरुचूर	503
8.	विजयमोहिनी मिल्स, त्रिवेंद्रम	320
9.	पावर्ती मिल्स, क्विलोन	653
	पांडिचेरी	
10.	कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, माहे	337
	एनटीसी (डीपीआर) लि. पंजाब	
11.	खरार टेक्स. मिल्स, खरार	122
12.	सूरत टेक्स. मिल्स, मलोट	68
	राजस्थान	
13.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	63
14.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	194
15.	श्री विजय कॉटन मिल्स, विजयनगर	118
	एनटीसी (गुजरात) लि.	
16.	अहमदाबाद न्यू टैक्स. मिल्स, अहमदाबाद	95
17.	राजनगर टैक्स. मिल्स, अहमदाबाद	94
	एनटीसी (एमएन) लि. महाराष्ट्र	
18.	इंदु सं.–6, मुंबई	321
19.	इंदु सं.–1, मुंबई	888
20.	कोहिनूर मिल्स–1, मुंबई	0
21.	टाटा मिल्स, मुंबई	831
22.	पोद्दार मिल्स, मुंबई	910
23.	आरबीबीए मिल्स, हिंगनघाट	516
24.	इंदु सं.–5, मुंबई	410
25.	सेवतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	353
	एनटीसी (एमपी) लि. मध्य प्रदेश	
26.	बुरहानपुर ताप्ति मिल्स, बुरहानपुर	350
27.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल	589
	एनटीसी (एसएम) लि., महाराष्ट्र	
28.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	574
29.	बारसी टेक्सटाइल मिल्स, बारसी	284
30.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव	483
31.	फिनले मिल्स, मुंबई	747
32.	धूले टेक्सटाइल मिल्स धूले	626
33.	गोल्डमोहर मिल्स, मुंबई	488
34.	नांदेड़ टेक्स्टाइल मिल्स, नांदेड़	591
35.	न्यू सिटी मिल्स, मुंबई	647
36.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद	188

1	2	3
एनटीसी (यूपी) लि., उत्तर प्रदेश		
37.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	93
38.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	184
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ), लि. पश्चिम बंगाल		
39.	लक्ष्मीनारयण कॉटन मिल्स, रिसरा	416
40.	सोदेपुर कॉटन मिल्स, सोदेपुर	338
41.	आरती कॉटन मिल्स, दासनगर	322
बिहार		
42.	बिहार को–ओपरेटिव, मोकामह	194
उड़ीसा		
43.	उड़ीसा कॉटन मिल्स, भगतपुर	336
असम		
44.	असोसिएटेड इंडस्ट्रीज, चंद्रापुर	185
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि., तमिलनाडु		
45.	कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर	596
46.	कोयम्बटूर मरुगन मिल्स, कोयम्बटूर	682
47.	पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर	485
48.	श्रीरंगाविलास मिल्स, कोयम्बटूर	567
49.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	364
50.	कोयम्बटूर स्पि. एंड विविंग मिल्स, कोयम्बटूर	590
51.	पयोनियर मिल्स, कामुदाकुडी	266
52.	कालीश्वरर–बी, कलायारकोईल	401
	कुल	19977
	आरएमडी एवं मुख्यालय	1700
	कुल योग	21677

अनुसंधान के लिए अनुदान

1525. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रख्यात संस्थानों के वैज्ञानिक अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में असफल रहे हैं तथा उन्होंने सरकार से लिए गए अनुदान को वापस नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत के नियंत्रक और महा–लेखापरीक्षक ने इस पर आपत्ति जताई है जैसा कि 6 फरवरी, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'सी ए जी वान्ट्स साइन्टिस्ट्स टू पे बेक' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो कया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) ने इस मामले पर उन संस्थानों से बातचीत की है, जिनमें ये वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए), नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित, मान्यता प्राप्त, विख्यात वैज्ञानिकों एवं युवा वैज्ञानिक पदक विजेताओं को अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुसंधान सहायता तीन वर्षों के लिए मानदेय तथा आकस्मिक व्यय सहायता के रूप में होती है ताकि वे अनुसंधान कार्यों को जारी रख सकें और इसी प्रकार युवा वैज्ञानिक पदक विजेता अपने अनुसंधान कैरियार को निर्बाध रूप से जारी रख सकें और उपयुक्त वैज्ञानिक पदों पर आसीन हो सकें।

(ग) से (च) जी, नहीं। संबंधित वैज्ञानिक विशिष्ट अनुसंधानकर्ता हैं तथा विज्ञान अकादमी के अधिसदस्य हैं और उन्होंने अनुसंधान के अपने–अपने क्षेत्रों में भारतीय विज्ञान के प्रति महत्वपूर्ण योगदान किया है। वैज्ञानिक संस्थाओं को उनके अनुसंधान कार्य के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं तथा संस्थान समय–समय पर अपने उपयोग प्रमाणपत्र भेजते हैं। उपयोग प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट व्यय नहीं की गई किसी शेष राशि की प्रक्रिया मौजूदा पद्धति के अनुसार की

जाती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पाया है कि केवल कुछ संस्थानों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है/व्यय नहीं की गई शेष राशि वापस नहीं की गई है। आईएनएसए ने संबंधित संस्थानों से उपयोग प्रमाण पत्र/व्यय नहीं की गई शेष राशि का मामला पहले ही उठाया है और ये अब धीरे–धीरे प्राप्त हो रहे हैं।

भूमि दुरुपयोग पर शास्ति

1526. श्री रवेती रमन सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक कार्यकलाप करने वाले व्यक्तियों पर भूमि दुरुपयोग के लिए लगाए जाने वाली शास्ति को बढ़ाने के लिए डीडीए से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टरप्लान अथवा जोनल विकास योजना अथवा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके किसी भूमि का विकास करने के संबंध में जुर्माना बढ़ाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29(1)(ख) तथा 29(2) में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सावधि जमा में कमी

1527. श्री अनन्त नायक :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005–06 के दौरान अब तक विभिन्न बैंकों को सावधि जमा प्राप्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रुझान के क्या कारण हैं; और

(घ) बैंकों में ऐसी जमा राशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष (20 जनवरी, 2006 तक) के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा राशियां पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 11.8 प्रतिशत की तुलना में, बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गई।

पेयजल की कमी

1528. श्री रनेन बर्मन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पेयजल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का तत्काल समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि दिल्ली की वर्तमान आबादी के लिए पीने के पानी की कुल 850 एमजीडी मांग है जिसकी तुलना में दिल्ली जल बोर्ड 650 एमजीडी की स्थापित क्षमता के साथ अपने उत्पादन का अधिकतम उपयोग करके 670 एमजीडी पीने के पानी का उत्पादन कर रहा है। 180 एमजीडी पीने के पानी की कमी है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह भी बताया है कि समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) सोनिया विहार में 140 एमजीडी जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है जो टिहरी बांध से कच्चा पानी उपलब्ध होने पर चालू हो जाएगा।

(ii) दिल्ली जल बोर्ड ने नांगलोई में भी एक 40 एमजीडी जल शोधन संयंत्र स्थापित किया है जो फिलहाल कच्चा पानी उपलब्ध न होने के कारण अपनी क्षमता से आधे पानी का उत्पादन कर रहा है।

(iii) इसके अलावा मुनाक से हैदरपुर जल शोधन संयंत्र तक समानांतर लाइन के निर्माण के बाद रिसाव से होने वाली क्षति से बचने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त जल शोधन संयंत्रों के निर्माण की योजना बनाई गई है :

(क) बवाना में 20 एमजीडी जल शोधन संयंत्र

(ख) ओखला में 20 एमजीडी जल शोधन संयंत्र

(ग) द्वारका में 40 एमजीडी जल शोधन संयंत्र

जल संशाधन मंत्रालय ने यह बताया है कि केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड बरसाती पानी संग्रहण और भूमिगत पानी की कृत्रिम रूप से भरपाई करने को बढ़ावा दे रहा है जिसके लिए जनजागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा बरसाती पानी संग्रहण संरचनाओं के डिजाइन संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम

1529. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मलिन बस्ती में रहने वालों के लिए मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम के लिए केन्द्र से अनुमोदन मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई मलिन बस्ती पुनर्वास योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव में केन्द्र सरकार की कितनी भूमि शामिल है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने धारावी में स्लम निवासियों के पुनर्वास के लिए 5,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 71,000 मकान और अवस्थापना के निर्माण हेतु परियोजना प्रस्ताव दिसंबर, 2003 में भेजा था। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच की गई और तदनुसार एक संकल्पना नोट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग को उनके सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए भिजवाए गए। शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2004–05 के दौरान 75.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान भी किया गया। योजना आयोग ने परियोजना प्रस्ताव के संबंध में कुछ अन्य विवरण और स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर राज्य सरकार द्वारा दिया जाना अपेक्षित था। इस बीच योजना आयोग ने प्लान स्कीमों का मूल्यांकन/समीक्षा शुरू की जिसमें 'धारावी में स्लमों का पुनर्वास' योजना छोड़ दी गई ओर योजना के लिए वर्ष 2005–06 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तदनुसार उक्त योजना के लिए कोई धनराशि रिलीज नहीं की जा सकी।

हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र

1530. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों के कामगारों के लिए कोई विशेष सुरक्षा योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के कब तक लागू हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) से (ग) जहां तक हथकरघा क्षेत्र का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए वर्ष 2005–06 के बजट अभिभाषण के अनुसरण में, भारत सरकार ने बुनकर बीमा योजना के स्थान पर महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ–साथ आकस्मिक मृत्यु के लिए बढ़ा हुआ बीमा कवर दिलाना है। योजना 2 अक्तूबर, 2005 को शुरू की गई थी। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

जहां तक विद्युतकरघा क्षेत्र का संबंध है, विद्युतकरघा क्षेत्र में कामगारों के लिए कोई विशेष सुरक्षा योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विद्युतकरघा बुनकरों के लिए पहले से ही समूह बीमा योजना नामक एक योजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल और एमटीएनएल में भ्रष्टाचार

1531. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री वी. के. दुग्मर :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री मुनव्वर हसन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बीएसएनएल और एमटीएनएल के अधिकारियों/कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा मुंबई और दिल्ली में की गई कथित अनियमितताओं के मामलों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो जांच की वर्तमान स्थिति क्या है और विलम्ब यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ग) जांच कब तक पूरी होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीबीआई द्वारा एमटीएनएल, दिल्ली और मुंबई के अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी ठेकेदारों के विरुद्ध कथित अनियमितताओं के बारे में पांच मामले रजिस्टर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल के अन्य सर्किलों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार/कथित अनियमितताओं के 53 मामलों की जांच चल रही है। सीबीआई द्वारा मामलों की जांच पूरी करने के बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

रसीदी टिकटों की बिक्री

1532. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने हरियाणा के भादरा क्षेत्र में रसीदी टिकटों की बिक्री बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डाक टिकटों की कालाबाजारी को रोकने तथा उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) हरियाणा राज्य सरकार ने, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डाकघरों के माध्यम से रसीदी टिकटों की बिक्री के लिए सभी राज्य सरकारों को स्वीकृत एवं परिचालित निर्धारित दर पर कमीशन देने पर सहमति नहीं दी है। अतः, भादरा क्षेत्र सहित हरियाणा में सभी डाकघरों के माध्यम से रसीदी टिकटों की बिक्री रोक दी गई है।

(ग) डाक टिकटें सभी डाकघरों में निर्धारित शुल्क पर सुलभ हैं। डाक टिकटों की कालाबाजारी का कोई मामला या इस विषय में कोई शिकायत अभी तक विभाग के ध्यान में नहीं आई है।

[अनुवाद]

राज्यों में अवैध निर्माण

1533. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से राज्यों में अवैध निर्माणों के मुद्दे की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की उप-समिति गठित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के निदेशों का अनुपालन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न स्थनों पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि शहरी विकास राज्य का विषय है। अतः यह राज्य सरकारें तथा शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेवारी है कि विभिन्न स्थानों पर अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

फ्रांस में निवेश

1534. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस भारतीय निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिग्रहण या विदेशों में कार्यालय खोलकर फ्रांस जाने वाली भारतीय कंपनियों में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय निवेशकों ने फ्रांस में निवेश करने में किस हद तक रुचि दिखाई है;

(च) क्या सरकार भारत में फ्रांस को निवेश हेतु सुविधा प्रदान करने पर भी विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में फ्रांस में किए गए भारतीय निवेश निम्नानुसार रहे हैं :

(मिलियन अमरीकी डालर)

2002–03	2003–04	2004–05
1.59	81.65	7.83

(च) से (ज) जी, नहीं। भारत सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए देश–विशिष्ट सुविधाएं नहीं बल्कि केवल क्षेत्र–विशिष्ट सुविधाएं ही प्रदान करती है।

विदेशी मुद्रा भंडार

1535. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा राशि एक महत्वपूर्ण कारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में जमा की गई सारी राशियां परिशोध्य हैं;

(ग) क्या बीमा और बांड में अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया सारा निवेश परिशोध्य है; और

(घ) सरकार द्वारा भारी विदेशी मुद्रा भंडार के मद्देनजर बाह्य ऋण भुगतान प्रणाली में असंतुलन को सुधारने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में मार्चान्त 1991 में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 137.3 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई और वह सितम्बर अंत, 2005 तक 143.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियों का हिस्सा 22.6 बिलियन अमरीकी डालर अथवा 16.5 प्रतिशत बैठता है।

(ख) एनआरआई की जमा राशियों (i) विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) स्कीम {एफसीएनआर(बी)}, (ii) अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता {एनआर(ई)आरए} ओर (iii) अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया खाता स्कीम के अंतर्गत रखा जा सकता है। जहां एफसीएनआर(बी) को चुनिंदा विदेशी मुद्रा में नामित किया जाता है, एनआर(ई)आरए और एनआरओ को भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाता है। तीनों स्कीमों के अंतर्गत रखी गई जमाराशियों पर ब्याज पूर्णतया प्रतयावर्तनीय है। एफसीएनआर(बी) और एनआर(ई) आरए के अंतर्गत मूलधन मुक्त रूप से प्रतयावर्तनीय है। प्रयोज्य करों के भुगतान के अध्यधीन एनआरओ खातों में शेष राशि से वास्तविक प्रयोजनों हेतु प्रति कैलेण्डर वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर के विप्रेषण करने की अनुमति है।

(ग) बीमा क्षेत्र में एनआरआई निवेश, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत स्वचालित मार्ग पर 26% तक के निवेश की अनुमति है, प्रत्यावर्तनीय है। एनआरआई द्वारा धारित विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित भारतीय जीवन बीमा की पॉलिसियां प्रतयावर्तनीय हैं बशर्ते कि प्रीमियम का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाए। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुंडियों, घरेलू म्यूचुअल फंडों के यूनिट, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्गमित बांड, एफ़डीआई स्कीम के साथ हीपोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से भारतीय कंपनियों के परिवर्तनीय डिबेंचरों में किए गए एनआरआई निवेश प्रत्यावर्तनीय हैं।

(घ) विदेशी मुद्रा भंडार के अपेक्षाकृत बेहतर स्तर का लाभ उठाते हुए भारत सरकार ने अपने विदेशी ऋण पर ब्याज भार घटाने के लिए कुछ उच्च–लागत वाले विदेशी ऋणों का समय पूर्व भुगतान किया था। इसके अलावा, सरकार नियायती ऋणों, दीर्घावधि परिपक्वता वाले ऋणों, लघु–अवधि के ऋण का बारीकी से अनुवीक्षण और ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों पर बल देने पर ध्यान दे रही है ताकि विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रखा जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

1536. श्री मुनव्वर हसन : क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के पास वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित लंबित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजनावार अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित किए जाने वाले कस्बों/टाउनशिप का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) हडको को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 100 करोड़ रु. की वित्तीय/ऋण सहायता के लिए एक प्रस्ताव मिला है। विभिन्न राज्यों से वित्तीय सहायता/ऋण के लिए हडको को प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे, इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा इन परियोजनाओं के जरिए विकसित किए जाने वाले कस्बों/टाउनशिपों के परियोजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें हडको के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन के लिए हडको में विचाराधीन हैं।

विवरण

राज्य सरकारों/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव जो हडको के विचाराधीन हैं

(31.1.06 की स्थिति अनुसार)

राज्य	स्कीमों की सं.	एजेंसी	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	ऋण राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6
असम	1	असम स्टेट कोआपरेटिव मार्किटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लि.	गुवाहटी के कुमारपारा में वाणिज्यिक परिसर का निर्माण	4.00	2.00
			कुल	4.00	2.00
गुजरात	1	साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	साबरमती रिवरफ्रंट का विकास चरण–III	1490.40	350.00
			कुल	1490.40	350.00
मध्य प्रदेश	1	ग्वालियर नगर निगम	ग्वालियर शहर में सड़कों का चौड़ाकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुधार	5.16	4.50
	2	इंदौर नगर निगम	इंदौर में निर्मल भारत अभियान के तहत रैन बसेरा स्कीम	4.60	1.91
			कुल	9.76	6.41
आंध्र प्रदेश	1	हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण	हैदराबाद में आउटर रिंग रोड, चरण–I, हैदराबाद	536.16	500.00
			कुल	536.16	500.00
नागालैंड	1	वन विभाग, नागालैंड सरकार	स्टाफ क्वार्टर एवं कार्यालय भवन, दीमापुर	11.00	10.00
	2.	कर विभाग	कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर का उन्नयन	1.50	1.00
			कुल	12.50	11.00
उत्तर प्रदेश	1	उत्तर प्रदेश वित्त निगम	उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा जारी बांड के ऋण विनिमय के लिए वित्त निकालना	113.00	100.00
			कुल	113.00	100.00

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1	छिपलून नगर परिषद	छिपलून जलापूर्ति स्कीम को बढ़ाना	3.54	3.54
	2	चन्द्रपुर नगर परिषद	चन्द्रपुर जलापूर्ति स्कीम में सुधार	15.00	14.53
			कुल	18.54	18.07
जम्मू व कश्मीर	1	पटनीटाप विकास प्राधिकरण	जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में करला/कुड में भूमि अधिग्रहण स्कीम	20.00	12.10
			कुल	20.00	12.10
			कुल योग	2204.36	999.58

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति को रोकना

1537. श्री पी. सी. थामस :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति संबंधी समीक्षा के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल के ऊंचे मूल्यों से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव पड़ सकता है;

(ख) क्या बढ़ते स्वर्ण आयात से भुगतान संतुलन फ्रंट पर भी गंभीर संकट उत्पन्न होता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटा कितना रहा है; और

(घ) इस उपभोक्ता–मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005–06 से संबंधित वार्षिक मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा (24 जनवरी, 2006) में कहा है कि कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए बड़ा खतरा बनी हुई हैं।

(ख) वर्ष 2003–04 और 2004–05 के दौरान कुल आयातों में स्वर्ण और चांदी का हिस्सा क्रमशः 8.8 प्रतिशत और 10.0 प्रतिशत था। हालांकि वर्ष 2003–04 और 2004–05 में स्वर्ण और चांदी के आयातों में क्रमशः 59.9 प्रतिशत और 59.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, भुगतान–संतुलन की समग्र स्थिति सहज बनी रही।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक (डीजीसीआईएण्डएस) से प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल–जनवरी 2006 के दौान व्यापार घाटा 33.8 बिलियन अमरीकी डालर है। वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के दौरान व्यापार घाटा क्रमशः 8.7 बिलियन अमरीकी डालर, 14.3 बिलियन अमरीकी डालर और 28.6 बिलियन अमरीकी डालर था।

(घ) हाल के समय में सरकार की मुद्रास्फीति रोधी नीतियों में ये शामिल रहे हैं–कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन; पेट्रोलियम उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद–शुल्क और आयात शुल्कों को युक्ति–संगत बनाना ताकि उपभोक्ता पर बोझ को कम किया जा सके; उपयुक्त टैरिफ और व्यापार नीतियों के जरिए संवेदी मदों का कारगर आपूर्ति–मांग प्रबंधन, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।

विश्व व्यापार में कपास के संबंध में भारत की हिस्सेदारी

1538. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र का कुल विश्व व्यापार $150 बिलियन डॉलर का है,

(ख) क्या विश्व कपास उत्पादन का 17 प्रतिशत कपास भारत में पैदा होता है;

(ग) क्या सरकार को यह लगता है कि सबसे बड़ा

उत्पादक चीन जिस पर अगले तीन वर्षों के लिए कोटा प्रणाली प्रतिबंध रहने से भारत विश्व वस्त्र बाजार के बड़े भाग पर आधिपत्य कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी के कितने प्रतिशत रहने की संभावना है एवं वस्त्रों के बढ़ते हुए निर्यात से कितने रोजगार के अवसर सृजित होने की भी संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार विश्व बाजार वर्ष 2004 के लिए क्लोदिंग में 258 बिलियन अमेरिकी डालर है और वस्त्र क्षेत्र में 195 बिलियन अमेरिकी डालर है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) बुलेटिन सितंबर, 2005 के अनुसार भारत ने वर्ष 2004–05 के दौरान (कपास वर्ष : अक्तूबर–सितम्बर) विश्व कपास का 15.73% उत्पादन किया।

(ग) और (घ) उद्योग के वस्त्र दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय वस्त्र उद्योग के 2010 तक विश्व बाजार का 6% हिस्सा प्राप्त करने की संभावना है और यह 12 मिलियन का अतिरिक्त रोजगार सृजित करेगा (अर्थात प्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 5 मिलियन और संबद्ध क्षेत्र में 7 मिलियन रोजगार)।

मेट्रो रेल परियोजना

1539. श्री सी. के. चन्द्रप्पन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को कोचीन में मेट्रो रेल प्रणाली की स्थापना करने के संबंध में केरल सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने कोच्ची के लिए आलवई से पेट्टा (त्रिपुनित्था) तक करों और शुल्कों के बिना 1966 करोड़ रुपये (मई, 05 की कीमतों पर) की अनुमानित लागत से 25.3 कि.मी. लम्बे भूमोपरि रेल आधारित हल्की मेट्रो के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार का सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है जिसके लिए उन्हें निजी भागीदार को चुनना है। इसलिए निविदा प्रक्रिया के पूरा हो जाने और वित्तीय जरूरतों का पक्का अनुमान उपलब्ध हो जाने के बाद ही भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय का प्रश्न उठता है।

जनरल पूल आवास

1540. श्री राम कृपाल यादव : क्या **शहरी विकास मंत्री** जनरल पूल आवास के बारे में 21 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 4109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों और अन्य व्यक्तियों को आवंटित आवास के संबंध में समय के परिवर्तनशील घटक को देखते हुए समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्राधिकारियों द्वारा कब्जा किए गए आवासों को निरस्त किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी सं. 585/94–शिव सागर तिवारी बनाम भारत का संघ में दिनांक 23.12.1996 के अपने निर्णय में अन्य के साथ यह भी निदेश दिया था कि प्रेस पूल से सरकारी आवास केवल मान्य पत्रकारों और समाचार केमरामेन को ही दिया जाएगा। तदनुसार पत्रकारों और प्रेस केमरामेन को सरकारी आवास का आवंटन विनियमित करने के लिए दिनांक 15.6.2001 और 19.11.2001 के दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत 10,000/– रुपये प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले पत्रकारों को 5 वर्ष के लिए तथा 10,001/– से 20,000/– रुपये तक के वेतन पाने वाले पत्रकारों को 3 वर्ष के लिए आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) पत्रकारों ओर प्रेस केमरामेन को सरकारी आवास का आवंटन एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाता है। आवंटन अवधि समाप्त होने पर आवंटन रद्द कर दिया जाता है।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : महोदय, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-05 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3727/2006]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : मैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2006-07 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3728/2006]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 61(अ) जो 13 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 62(अ) जो 13 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मै. ओसराम चाइना लाइटिंग लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य द्वारा निर्यातित काम्पेक्ट फ्लोरीसेन्ट लैम्पों के आयात को उन पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क से अस्थाई तौर पर छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 67(अ) जो 16 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित पेंसिल सेलों तथा प्राइमरी बैटरियों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3729/2006]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63(अ) जो 13 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 214/86-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3730/2006]

(3) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सामान्य बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का युक्तिकरण) दूसरी संशोधन स्कीम, 2005 जो 21 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1792(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, अनुसचिवीय तथा अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) दूसरी संशोधन स्कीम, 2005 जो 21 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1793(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3731/2006]

(4) बीमा अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं की बाध्यता) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 28 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआरडीए/रैग./4/2005/37 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (लघु-बीमा) विनियम, 2005 जो 10 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आईआरडीए/एमआई/3/2005 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3732/2006]

(5) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3733/2006]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3734/2006]

(3) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्यागिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-03 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्यागिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-03 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3735/2006]

(5) (एक) नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर जूट डाइवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3736/2006]

अपराह्न 12.02½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, मैं "केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों तथा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सहित इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार" विषय पर 27वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) के अध्याय । में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के संशोधन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनिमय, 1993 के संशोधन तथा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की गतिविधियों के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम लागू करना

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में ऐतिहासिक और मशहूर रोजगार गारंटी योजना.....

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अगर आप अपनी स्टेटमैंट ले करना चाहते हैं, तो आप ले कर सकते हैं।

***डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपनी स्टेटमैंट सभा पटल पर रखता हूं। साथ ही माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इसे देखें और अपने–अपने इलाके में, जहां रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ है, उसे ग्राम सभा में जाकर देखेंगे और निगरानी करेंगे। इससे सरकार को सही जानकारी उपलब्ध होगी और इस योजना को जानदार शानदार ढंग से लागू किया जा सकेगा। गरीबों को रोजगार मिलेगा और देश से गरीबी को भगाया जा सकेगा।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 6 मार्च, 2006 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की निम्नलिखित मदें होंगी :

(1) आज के आदेश पत्र से लिए गए किसी सरकारी कार्य पर विचार करना।

(2) वर्ष 2006–07 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित किया जाना :

(क) वर्ष 2006–07 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य);

(ख) वर्ष 2005–06 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य); और

(ग) वर्ष 2003–04 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

(4) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी–3737/2006

अध्यादेश, 2006 के निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. उत्तर प्रदेश स्थित जनपद फतेहपुर में तहसील खागा "रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज" की आवश्यकता है। प्रतिदिन लाखों व्यक्तियों का आवागमन होता है। रेलवे फाटक बन्द होने से लाखों व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

2. उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर की तहसील खागा स्थित रेलवे स्टेशन पर मुख्य गाड़ियों का ठहराव व स्टेशन को अपग्रेड करके 'ए' क्लास का स्टेशन बनाया जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आगामी सप्ताह की संसदीय कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. राजस्थान में विद्युत संकट दिनोंदिन बढ़ रहा है और जिन राज्यों से समझौते के आधार पर राजस्थान को बिजली प्राप्त होनी चाहिए थी उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और वे मामले काफी समय से विलम्बित पड़े हैं।

2. केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है, परन्तु इसका नाम महाराजा मान सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं किया गया है। अतः इसका नाम शीघ्र ही महाराजा मान सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. केरल के आल्पूजूहा जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता।

2. थूरावूर रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफार्मों के बीच उपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :

1. रांची से दिल्ली के लिए सुबह कोई फ्लाइट नहीं है। अतः सुबह रांची से दिल्ली के बीच एवं शाम को दिल्ली से रांची के लिए हवाई सेवा शुरू की जाए।

2. झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमूरिया एवं पटमदा में शीघ्र मोबाइल सेवा शुरू की जाए।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अरपा भैसाझाल सिंचाई परियोजना भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है जिसकी लागत राशि रुपये 58671.30 करोड़ रुपये है जिसमें 2 लाख किसानों को 51,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसकी स्वीकृति दी जाए।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में जुड़ी बसाहटों की संख्या बहुत अधिक है। अतः 9837 बसाहटों के लिए गांवों को डामरीकरण मार्ग से जोड़ने हेतु 30,000 कि.मी. सड़क का निर्माण किया जाना है। उक्त एलोकेशन को 235 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया जाए। स्थापना व्यय का 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोहरे मार्ग बनाने की अनुमति दी जाए क्योंकि वहां 40 प्रतिशत आबादी वन ग्राम क्षेत्रों में निवास करती है। उसके जीवन–यापन के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से सड़कों के निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण अधिनियम में विशेष छूट की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :

1. बर्न स्टैंडर्ड की बर्नपुर और हावड़ा इकाइयों के कर्मचारियों को पिछले छः माह से उनका वेतन नहीं मिल रहा है जबकि पुनर्जीवित पैकेज पर विचार नहीं किया गया है और नौकरशाह नए कर्मचारियों की भर्ती कर रहे

हैं जो बोर्ड से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। यदि चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच किसी विशेषज्ञ समिति से कराई जाती है तो प्रमाण पत्रों के गुण और दोषों का पता चलेगा।

विशेषज्ञ समिति को सरकारी क्षेत्र की बन्द की गई इकाइयों के नामों की घोषणा करनी चाहिए और बन्द पड़ी इकाइयों के कर्मचारियों को पांचवें वित्त आयोग के अनुरूप उनके वेतन और अन्य लाभ दिए जाएं।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाए :

पश्चिमी भारत के मछुआरों के लिए अरब सागर एक महत्वपूर्ण मत्स्यग्रहण क्षेत्र है। पश्चिम और उत्तर से अधिकतर मछुआरे देश के इस हिस्से में और विशेषकर गुजरात के तट पर अपने मत्सय उद्योग के लिए आते हैं। पाकिस्तान मेरिन सिक्योरिटी एजेंसी (पीएमएसए) ने अभी तक 361 मछुआरों को बंधक बनाया है इसमें से 238 मछुआरे गुजरात के हैं। इसके अतिरिक्त पीएमएसए ने पिछले सप्ताह एक मछुआरे को मार दिया है। मछुआरा संघों ने इस मुद्दे पर आन्दोलन करने का निर्णय लिया है और मेरी सूचना के अनुसार आन्दोलन शुरू हो गया है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित यथाशीघ्र मुक्त कराया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाए जाने से संबंधित विषय।

2. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अन्तर्गत पंढरपुर में चन्द्रभागा नदी पर स्थित विट्ठल रकुमई मन्दिर को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किए जाने और वहां आने वाले देश के विभिन्न भागों के श्रद्धालुओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए एक्शन प्लान को लागू किए जाने से संबंधित विषय।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : राजघाट पर महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, यह महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं आपको एक–एक करके टाइम देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वैस्ट यह है कि एक बजे के पहले–पहले इसे खत्म करना है। मैं आपको एक–एक करके टाइम दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात राम कृपाल जी ने कही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अगर आपने नोटिस दिया है तो आपको मौका मिलेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको टाइम दूंगा। अगर आपका नोटिस हुआ तो मैं आपको जरूर टाइम दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य।

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) हाल ही के भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौते के बारे में

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, देश भर से लाखों

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोग श्री जार्ज बुश के भारत दौरे के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। परमाणु मुद्दों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में हमारे देश के हजारों लोगों के हितों से संबंधित किए गए इस समझौते को अंतिम रूप संसद और देश को अंधेरे में रखकर दिया गया था।

महोदय, श्री जार्ज डब्ल्यू बुश के वक्तव्य से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह समझौता उनके हित में है। दोनों सरकारों द्वारा इसको अन्तिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के पश्चात् श्री जार्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि "यह समझौता हमारे हित में है।" इसका तात्पर्य यह है कि इसमें अमरीका का हित है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे विश्वास है कि हम इसे अपनी कांग्रेस को भेज सकते हैं। यह अमरीकन कांग्रेस है न कि हमारे देश की कांग्रेस पार्टी।

महोदय, इससे इसके पीछे की अवधारणा का स्पष्ट पता चलता है। उन्होंने हमें यह समझौता करने के लिए मजबूर किया है।

महोदय, उन्होंने इस समझौता को करने के कारणों का खुलासा भी किया है। मैं जो उन्होंने कहा है उसे उद्धृत करता हूं :

> "यदि भारत और चीन वर्तमान दरों पर वृद्धि जारी रखते हैं और इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन का उपयोग जारी रखते हैं तो वे तेल के मूल्यों को बढ़ाएंगे और अमरीकन उपभोक्ता को चोट पहुंचाएंगे।
>
> यदि भारत और चीन वर्तमान दर पर फॉसिल ऊर्जा जलाते हैं तो वे विश्व का पर्यावरण दूषित करेंगे, ग्रीन हाउस की गैस बाहर निकालेंगे और पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे इससे अमरीका को और पूरे पश्चिमी देशों को कैटरीना जैसी आपदाओं से अधिक हानि उठानी पड़ेगी।"

यह समझौता अमरीका और पश्चिमी व्यापार जगत के लिए अच्छा है जो भारत और चीन, जो कि पहले ही बड़े खरीददार हैं, को काफी सामान बेच रहा है। समझौता करने के पश्चात् श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश ने प्रेस को इसके तीन कारण बताए हैं। यह समझौता परमाणु मामले के संबंध में ही नहीं है बल्कि कृषि के संबंध में भी यह काफी महत्वपूर्ण समझौता है। दो समझौते हुए हैं, पहले करार का प्रभाव हमारे देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या पर पड़ा है अर्थात् कृषि अनुसंधान और शिक्षा के संबंध में इण्डो–यूएस के संबंध में ज्ञान अथवा जानकारी के बारे में की गई पहल है और दूसरा बायो–टेक्नॉलाजी संबंधी समझौता है।

जब करार किया गया था तो कौन लोग उपस्थित थे–बाल मार्ट और मान्सेन्टो उपस्थित थे–उनके क्या हित हैं? इन करारों से हमारे कृषि बाजार बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन के लिए खुल जाएंगे हमारे किसानों का क्या होगा? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि इस सभा में इस पर चर्चा की जाए और सभा को बताया जाए और इस सभा के माध्यम से पूरे देश को भी बताया जाना चाहिए।

महोदय, इस समझौते में क्या है? महोदय, एक शंका व्यक्त की गई है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी शंकाएं और सन्देह व्यक्त किए हैं। इस करार से हम समझते हैं कि हमारे देश के लाखों लोगों के हितों को निसंदेह चोट पहुंचेगी। यह करार संयुक्त राज्य अमरीका के साथ–साथ पश्चिमी देशों के हित में है।... *(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, देश को इसके बारे में पता होना चाहिए...*(व्यवधान)* मैं स्वयं को श्री बसुदेव आचार्य के साथ सम्बद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले नोटिस दीजिए, तभी आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम मांग करते हैं कि इस सभा को आज ही तुरन्त बताया जाए और इसके साथ–साथ पूरे देश को भी सारे ब्यौरे बताए जाएं कि किस प्रकार और क्यों इस करार को ऐतिहासिक करार का दर्जा दिया जा रहा है। यह किस प्रकार से ऐतिहासिक है? यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक किस प्रकार से हो सकता है जबकि हमारे देश के लोगों के हितों को चोट पहुंचाई जा रही है? अतः मैं मांग करता हूं कि सभा के सम्मुख सब चीजें रखी जाएं और इस सभा को अंधेरे में न रखा जाए। राष्ट्र को अंधेरे में न रखा जाए...*(व्यवधान)* हमारे देश की संसद को यह जानने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नोटिस देने के बाद, डिस्कशन के संबंध में डिसाइड किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : महोदय, आज सुबह यह निर्णय लिया गया था कि हमें तीन सदस्यों को जिन्होंने इस मामले पर अपने विचार रखने की सूचना दी है को आमंत्रित करना चाहिए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आज सुबह हुई बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया था...*(व्यवधान)* मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय को बता दिया है और उस समय आपको नहीं बता सका।

महोदय, यह निष्कर्ष लिया गया था कि आप उन नेताओं को बुलाएंगे जिन्होंने सूचना दी होगी। अब यह आप पर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन आप इसे समाप्त कीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सलीम जी, आप बैठ जाएं आपका कुछ भी रिकार्ड में नही जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : इस पर सरकार कब जवाब देगी? सरकार को जवाब देना चाहिए...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री को आगे आना चाहिए और सभा को बताना चाहिए। उन्हें इसके बारे में कहना चाहिए। यह आज नहीं हो सकता लेकिन फिर कब होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में तीन माननीय सदस्यों के नोटिस आए थे। सुबह लीडर्स मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि जिन तीन माननीय सदस्यों के नोटिस आए हैं, उन्हें दो-दो मिनट बोलने की इजाजत दी जाएगी और अगर कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, तो उन्हें एसोसिएट करवा दिया जाएगा। मैं सब पार्टी के माननीय सदस्यों को समय नहीं दे सकता, यह इमपॉसिबल है। हम लीडर्स मीटिंग में जो फैसला करते हैं, हमें चाहिए कि उसे इन-स्पिरिट इम्प्लीमैंट करें।

दूसरे ईशू पर भी यह फैसला किया गया है कि जिस माननीय सदस्य का नोटिस पहले आएगा, उन्हें बोलने की इजाजत दी जाएगी और बाकी माननीय सदस्यों को एसोसिएट करवा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : सरकार कब उत्तर देगी? मेरा केवल यही कहना है। सरकार इस सभा को कब उत्तर देगी? यह एक गंभीर मामला है। पूरा देश यह जानना चाहता है कि क्या समझौते हुए हैं। हमें इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। सभा का सत्र चल रहा है।...*(व्यवधान)* वे सभा को कब सूचित करेंगे? इस समझौते का विषय क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (प्रणव मुखर्जी) : माननीय सदस्य को यह पूर्णतया ज्ञात है कि यह परंपरा रही है कि जब महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं या महत्वपूर्ण दौरे होते हैं या कोई मेहमान विदेशों से यहां आते हैं या माननीय प्रधान मंत्री जी विदेश जाते हैं तो इस सभा में एक वक्तव्य दिया जाता है। यह किया जाएगा...*(व्यवधान)* यह दौरा अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अतः जिस प्रकार सुबह आपके कक्ष में निर्णय लिया गया था उसके अनुसार तीन माननीय सदस्य अपनी टिप्पणियां करेंगे और यह सुनिश्चित है कि माननीय प्रधान मंत्री जी अगले सप्ताह किसी दिन अपना वक्तव्य देंगे तथा माननीय सदस्य उस समय जो भी जानना चाहें उन्हें वह जानने का अवसर मिलेगा...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे देश ने अमरीका के साथ परमाणु संधि की और यह संधि उस समय हुई जब देश की अधिकांश जनता श्री बुश के आने का विरोध कर रही थी। बुश हमलावर हैं, साम्राज्यवादी हैं। पिछले दो–तीन दिनों में जितनी मजबूती के साथ आज जनता ने विरोध किया है, उतना विरोध इस देश में पहले कभी नहीं हुआ।...*(व्यवधान)* देश की जनता और सदन जानना चाहता है कि क्या संधि हुई। समाचार पत्रों और टेलीविजन में जो दिखाया जा रहा है, वह विरोधाभासी है। बुश की दिक्कत समझ में आती है कि वहां कांग्रेस से उन्हें संधि पास कराना है, हमारे यहां इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यह समझौता किन शर्तों पर हुआ है, क्या पाबंदियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले पांच दशकों से हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उन्हें भी संदेह पैदा हुआ है। सिर्फ एटॉमिक पावर कहलाने के लिए सिविल रीएक्टर में जो कुछ होगा, उसकी भी जानकारी अमरीका को होगी।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अमरीका हमारा किस हद तक हमदर्द है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता का जो दावा है, उस दावे पर अमरीका एकदम खामोश है। जिस तरह देश को अंधेरे में रखकर यह समझौता किया गया है, पूरे देश में यह संदेश गया है कि यह समझौता भारत के हक में नहीं है, भारत की शर्तों पर नहीं है, अमरीका के दबाव में किया गया है। हम जरूर चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जी वक्तव्य दें और यह सदन इस बारे में चर्चा करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : माननीय रक्षा मंत्री ने इस सभा को आश्वस्त किया है कि जैसे ही माननीय प्रधान मंत्री जी अपना दौरा समाप्त करके वापस आ जाएंगे वे इस एक वक्तव्य देंगे। चूंकि अभी वह दौरा पूरा नहीं हुआ है अतः माननीय प्रधान मंत्री जी असैनिक और परमाणु समझौते तथा इस समझौते के अन्य भागों के बारे में एक वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)*

महोदय, हमारे संविधान के प्रावधानों के कारण कार्यपालिका को अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करने का अधिकार है और हम उसके परिणामों के बारे में बाद में जान सकते हैं। यह एक भिन्न मामला है। लेकिन पूरा राष्ट्र इस बात को लेकर चिन्तित है कि असैनिक परमाणु समझौते के नाम पर वास्तव में क्या हुआ है। केवल परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि हम इसके साथ रह सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? हम नहीं जानते। क्या इसका तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है? हम अपने परमाणु वैज्ञानिकों की राय जानना चाहते हैं। हम अभी भी उन परमाणु वैज्ञानिकों के विचारों से अवगत नहीं हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं।

अभूतपूर्व बात तो यह है कि कुछ उच्च अधिकारी, जो सामान्यतया मीडिया में नहीं आते, सामने आकर परमाणु समझौते के बारे में यह कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख बहुत प्रसन्न होंगे अन्यथा यह समझौता ही नहीं हुआ होता। यह एक बहुत अस्वीकार्य बात है। सामान्यतया जब सभा का सत्र चल रहा होता है तो ऐसा कभी नहीं होता। माननीय प्रधान मंत्री जी को मुख्य राजनैतिक कार्यपालक के रूप में सभा के समक्ष आना चाहिए। कल शनिवार है और उससे अगला दिन रविवार है अतः अतिशीघ्रतापूर्वक भी यह हमें सोमवार को ही मिल सकता है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है क्योंकि मीडिया अलग–अलग चीजों के बारे में अलग–अलग व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है।

आप कितना आगे तक गए हैं? क्या 22 संयंत्रों में से 14 संयंत्र सुरक्षापायों के अन्तर्गत लाए गए हैं? क्या हमारे 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' को बाहर रखा गया है? कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की ओर से यह खतरनाक वक्तव्य आया है कि वास्तव में भारत को सभी व्यवहारिक कार्यों के लिए अप्रसार संधि (एनपीटी) के अन्तर्गत लाया गया है। भारत को अप्रसार संधि के अन्तर्गत लाया गया है, जिसे, हम इस सभा में धोखेबाजी और भेदभावपूर्ण मानते हैं। यह एक बहुत व्यापक संकेत है। यह बहुत असमानतापूर्ण है। हमारे देशवासियों द्वारा किए गए व्यापक विरोध की उपेक्षा और इस सभा के सर्वसम्मत संकल्प की अवज्ञा, ईराक से अमरीकी व सहयोगी देशों की सेनाओं की बिना शर्त वापसी–क्या अमरीकी राष्ट्रपति को इस सभा की इन भावनाओं से अवगत करा दिया गया है? हम नहीं जानते कि क्या सरकार ने ईराक से अमरीकी सेनाओं की बिना शर्त वापसी की इस सभा की सर्वसम्मत भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है कि यह पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, संतोष गंगवार, ब्रिज किशोर त्रिपाठी और देवेन्द्र प्रसाद जी भी इस मामले से अपने को एसोसिएट करते हैं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस पर कुछ बोलना चाहेंगे। अभी श्री जार्ज बुश जी की यात्रा पूरी नहीं हुई

है, लेकिन उनकी यात्रा के दौरान बहुत सी बातें अखबारों में आ रही हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा, तो मुझे सबको बोलने का टाइम देना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार : हमारा पक्ष भी आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ही फैसला किया था कि इस विषय पर तीन लोग ही बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार वाले किस्म-किस्म की बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* क्या हम आधे घंटे तक इस पर चर्चा करेंगे? हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द प्रधान मंत्री जी का इस पर बयान आना चाहिए, नहीं तो रोज ही अखबारों में खबरें आएंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के माननीय नेता आपके प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो समझौता हुआ है, वह 70 प्रतिशत कृषि पर हुआ है।...*(व्यवधान)* देश को संशय में नहीं रखा जा सकता। चलते सत्र में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के लीडर हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्य की बैंत से सहमत हूं कि उनके दौरे का कार्यक्रम जारी है।...*(व्यवधान)* इस पर बाद में जवाब दिया जाए, लेकिन क्या तब तक सदन को अंधकार में रखा जाएगा? यह नीति मूलक फैसला है, अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है।...*(व्यवधान)* इस पर बयान आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गणेश जी खड़े हैं, इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : देश संशय में नहीं रहना चाहिए।... *(व्यवधान)* यह समझौता किन-किन शर्तों पर हुआ है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी, आपका रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने आपकी बात का जवाब दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की समाधि पर...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस इश्यू को मैं बाद में लूंगा।

...(व्यवधान)

श्री संतोष गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की समाधि पर जिस प्रकार से सर्च की गई, उस बारे में सरकार को कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि मैं इस इश्यू को इसके बाद लूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन तक लगातार नोटिस देने के बाद आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मध्य प्रदेश का किसान लगातार प्राकृतिक आपदाओं से भयंकर रूप से परेशान है। आज की तारीख में पूरे राज्य भर में किसानों की फसलें अलग-अलग कारणों से नष्ट हुई हैं, किसानों की फसलें ओलावृष्टि से बुरी तरह से नष्ट हुई हैं। उसके चलते किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन की फसलों को प्राकृतिक कारणों से भारी नुकसान हुआ है। दलहन एवं तिलहन की फसलों में तापमान में हुए बदलाव से मसूर, अलसी, चना की फसलें नष्ट हो गई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र सतना में मसूर अलसी की फसलों में माहू कीड़े के लगने से 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई हुई फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि तत्काल नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराया जाए और केन्द्रीय अध्ययन दल भेजा जाए तथा किसानों को सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कल दस जिलों में ओलावृष्टि से सागर, होशंगाबाद, विदिशा, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर और छतरपुर में भी ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। हमारी राज्य सरकार ने 24 घंटे का समय दिया है और वह उसका सर्वे करा रही है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि केन्द्रीय अध्ययन दल भेजकर मध्य प्रदेश के किसानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें केन्द्र सरकार मदद करे।

पूरे राज्य भर के कई जिलों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो चुका है। कम वर्षा के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय अध्ययन दल जाए तथा पेयजल की समस्या का 2ए अध्ययन करे और मध्य प्रदेश को पूरी मदद पहुंचाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णा मुरारी मोघे, श्री विजय कुमार खंडेलवाल, श्री अशोक अर्गल और डा. राम लखन सिंह जी के नाम भी श्री गणेश सिंह जी के इश्यू के साथ एसोसिएट कर दिए जाएं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (घायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूरा सदन जानता है,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्लिप भेज दें, हम बाद में एशोसिएट कर देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, जो आप कहना चाहते हैं, आप शैलेन्द्र कुमार जी की बात सुनिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष जी, जैसा कि पूरा सदन जानता है कि पार्लियामेंट से लेकर देश के कोने-कोने में अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश का विरोध हुआ है। आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा हुआ है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि जो राजघाट पर है जो आस्था से जुड़ी हुई है,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आप पहले नोटिस भेजें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, हमने देख है कि अमरीका से लेकर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और बड़ी श्रद्धा और नमन के साथ उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। लेकिन कल राजघाट पर सिक्योरिटी के कुत्तों ने दो-दो बार, जहां पर परिक्रमा करते हैं या तमाम आस्था से जुड़े हुए लोग जाते हैं, वहां दो-दो बार कुत्तों को घुमाया गया। इससे देश की परम्परा पर कुठाराघात हुआ है। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रपति जार्ज बुश या उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर्स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देशवासियों से क्षमा याचना करें। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र मत दिखाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यहां मत लाइए। मैं आपको यहां आने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री संदीप दीक्षित और श्री संतोष गंगवार जी के नाम भी इस मुद्दे के साथ एशोसिएट कर दिए जाएं।

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, तमिलनाडु में 16 सम-विश्वविद्यालय हैं जो कई वर्षों से बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अचानक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में उन्हें सूचना भेजी कि उन्हें स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः आवेदन करना होगा। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीदासम विश्वविद्यालय के मामले में दिए गए उस निर्णय के विरुद्ध है जिसके अनुसार जब एक बार एआईसीटीई द्वारा सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो कोई नया पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए उस सम-विश्वविद्यालय को पुनः अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उस निर्णय का उल्लंघन करते हुए एआईसीटीई ने उन्हें नोटिस भेजा है। इसलिए वे सभी विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं और इससे 75000 छात्र प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में एआईसीटीई के मद्रास स्थित क्षेत्रीय केन्द्र का एक अलग ही मत है। तमिलनाडु में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई है। केवल तमिलनाडु से ही, जिन हजारों युवाओं ने इन सम-विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की है, वे विश्व भर में कार्यरत हैं।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि एआईसीटीई द्वारा इन विश्वविद्यालयों को जारी किए गए इन नोटिसों को वापस लिया जाए और इन सभी सम–विश्वविद्यालयों को पहले की भांति ही कार्य करते रहने की अनुमति दी जाए। उन्हें छात्रों को भी अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए। मेरा यही विनम्र अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पंजाब में आतंकवाद से पीड़ित उन 3700 परिवारों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो 1986 और 1987 में दिल्ली में आकर रहने लगे थे। सरकार ने उनके लिए एक योजना बनाई कि प्रति व्यक्ति को 300 रुपये प्रति माह और अधिकतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अफसोस की बात है कि 1997 से वह पेंशन उन पीड़ित परिवारों को नहीं मिल रही है, बंद कर दी गई है। मैं कल दिल्ली के गोविन्दपुरी क्षेत्र का दौरा करके आया हूं, जहां पर ऐसे करीब 70 परिवार 11–11 गज के प्लाट पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके ऊपर भी डीडीए की डिमोलिशन की गाज गिराई गई है और उनके मकानों को गिराने के नोटिस आ चुके हैं। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जब तक उन लोगों को फ्लैट या मकान न दे दिए जाएं, तब तक उन लोगों को वहां से न हटाया जाए। इसके अलावा मेरी केन्द्र सरकार से यह भी मांग है कि पंजाब में आतंकवाद से पीड़ित ये जो परिवार दिल्ली में आए हैं, इन्हें वापस पंजाब में अच्छी तरह से सैटल करने का प्रयास किया जाए और उनके बच्चों को नौकरी या जो रोजगार वे कर रहे थे, उसके लिए वित्तीय मदद मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को जो सुविधा मिलती है, वह इन्हें भी मिलनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि जयपुर शहर में एलपीजी की काफी किल्लत है। आजकल शादी–ब्याह का समय है। जब वे लोग गैस लेने जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि आप कमर्शियल सिलेंडर लें। वह सिलेंडर घरेलू सिलेंडर से करीब चार गुना अधिक कीमत पर मिलता है और उसमें गैस भी कम होती है। आजकल जयपुर में सामाजिक कार्यों जैसे शादी, भजनों आदि का सीजन है इसलिए इन लोगों को साधारण रेट पर गैस सिलेंडर देना चाहिए, कमर्शियल रेट पर नहीं देनी चाहिए। व्यावसायिक उपयोग के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिया जाए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी यही आपसे प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं इस सभा का ध्यान, आपके माध्यम से, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में, मीडिया में यह समाचार आया है कि शक की सुई रूस की ओर घूमती है। न्यायमूर्ति श्री एम. के. मुखर्जी जांच आयोग अपना अंतिम प्रतिवेदन सरकार को सौंप चुका है फिर भी सरकार इस प्रतिवेदन को दबाकर बैठी है। यह बताया जाता है कि उस जांच आयोग के उस प्रतिवेदन को सार्वजनिक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

मैं, आपके माध्यम से, सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह उन अभिलेखों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराने हेतु रूस की सरकार पर दबाव डाले। इससे हम उस मद्दे से संबंधित वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति को जान कर उसे सत्यापित कर पाएंगे। रूसी सरकार इस मामले में सहयोग क्यों नहीं दे रही है? मीडिया के एक हिस्से में यह आरोप प्रकाशित हुए हैं कि रूसी सरकार ने मुखर्जी जांच आयोग को इस मामले में सहयोग नहीं दिया।

नेताजी के गायब होने में स्टालिन की क्या भूमिका थी?... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, कृपया इस प्रकार सभा में कागजात मत पढ़िए।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : क्या वह दुर्घटना नियोजित की गई थी? मीडिया के कुछ हिस्सों में यह आरोप प्रकाशित हुए हैं कि वह विमान दुर्घटना, जो फोरमोसा द्वीप पर घटित हुई थी–पूर्व नियोजित थी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। यह कोई मिलने–जुलने का स्थान नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब : मुखर्जी आयोग ने छह वर्ष तक इस मामले की जांच की है और उन्होंने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। मैं सरकार से इस प्रतिवेदन पर स्पष्ट रुख अपनाने और इसे सार्वजनिक करने का अनुरोध करता हूं। इससे लोगों को इस आयोग द्वारा की गई इस मुद्दे की जांच के बारे में वस्तुस्थिति का पता लगेगा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में

तथा पश्चिम बंगाल से बाहर स्थित एनजेएमसी कारखानों में व्याप्त अनिश्चित स्थितियों की ओर केन्द्र सरकार, विशेषकर वस्त्र मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन कारखानों में लगभग 16,000 मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन पिछले पांच महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। मैंने वस्त्र मंत्री, श्री शंकर सिंह वाघेला से बात की थी लेकिन उनके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ।

केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस मामले को 'संकट–संदेश' के रूप में ले और राशि जारी करे ताकि एनजेएमसी के उन 16,000 मजदूरों को उनका वेतन मिल सके। उनके परिवार के सदस्य गंभीर वित्तीय संकट को झेल रहे हैं। वेतन भुगतान न होने की इस मामले ने उनके परिवार को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार अविलम्ब इस संबंध में कदम उठाएगी और एनजेएमसी फैक्टरियों के मजदूरों के लिए धन जारी करेगी।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोल इंडिया के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हो रही धांधली के संबंध में माननीय कोयला मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वणीनार्य क्षेत्र में पिछले मई महीने से 600 मजदूरों को बैठाकर उनका शोषण किया जा रहा है जिसमें करोड़ों रुपये का भुगतान बाहरी कंपनियों और निजी ठेकेदारों को किया गया है। अनेक कामगार संगठनों ने विरोध में हिस्सा लेकर अनशन किया। उसके बावजूद भी डब्ल्यूसीएल के अधिकारी और कोल इंडिया के अधिकारी इस ओर ध्यान न देकर कोयले का अवशोषण कर रहे हैं। मार्च के महीने में वहां रेलवे साइडिंग पर करोड़ों रुपये का घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई द्वारा छापा मारा गया, अनेक अधिकारियों को दंडित किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन कोल इंडिया के द्वारा इन अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें अनेक अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। साथ ही विस्थापितों के मामले में अनेक विस्थापित परिवार अपनी भूमि देने के बाद भी नौकरियों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोल इंडिया से जब वे इसकी मांग करते हैं तो किसानों के इन पुत्रों से पैसे मांगे जाते हैं। जिन लड़कों ने एप्रेंटीसशिप की हुई है उनके लिए 212 पदों पर भर्ती करने के लिए वहां पर मान्यता मिली है लेकिन डब्ल्यूसीएल के द्वारा विज्ञापन में चार वर्ष का अनुभव मांगा है। अनुभव किसी के पास न होने की वजह से वे पात्र नहीं हैं। मैं माननीय कोल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन सारी बातों की जांच करने के लिए जांच दल भेजा जाए और डब्ल्यूसीएल में हो रही धांधलियों को रोका जाए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, मैं पुनः वेयनाड जिले के किसानों की दयनीय दशा की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि पहले ही प्रश्न काल के दौरान आपका प्रश्न शामिल किया जा चुका है और माननीय वित्त मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री सुरेश कुरूप : दो से तीन वर्षों की अवधि के दौरान सैंकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था कि केरल से 57 विधवाएं आयीं हैं और वे धरने पर बैठी हैं और मांग कर रही हैं कि उनके ऋण माफ कर दिए जाएं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि ऋण माफ कर दिया जाए बल्कि वेयनाड पैकेज योजना के रूप में सरकार ने जिस राशि की घोषणा की है उसे ऋण राशि के रूप में भुगतान कर दिया जाए और उन ऋणों पर जो ब्याज बनता है उसे माफ कर दिया जाए ताकि वे ऋण से मुक्त हो सकें। अन्यथा ये गरीब महिलाएं भी वही करेंगी जैसा कि उनके पतियों ने किया है।

इसलिए, वित्त मंत्री तथा कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें, उनसे मिलें और उनकी शिकायतें दूर करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम. शिवन्ना–उपस्थित नहीं। श्री के. येरननायडु।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के हथकरघा बुनकर कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वे वास्तव में संकट में हैं। हथकरघा कपड़ों पर छूट को 20 रुपये से घटाकर 10 रुपये कर दिया गया है। 'जनता वस्त्र' से संबंधित योजना खत्म कर दी गई है क्योंकि राजसहायता काफी कम कर दी गई है।

भूख के कारण अब तक 432 बुनकरों ने आत्महत्या कर ली है। इन परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश के बुनकरों के कल्याण के लिए एक विशेष पैकेज तैयार करे। अन्यथा, आत्महत्याएं जारी रहेंगी। मैं पुनः एक बार केन्द्र सरकार से, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के बुनकरों के लिए विशेष पैकेज बनाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मैं आपके माध्यम से

सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहती हूं कि राजस्थान का उदयपुर जिला एक ट्राइबल एरिया है। वहां पर दूरदर्शन स्टूडियों के संदर्भ में सन् 1995 में भूमि पूजन हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ था और दूरदर्शन विभाग की तरफ से वहां दूरदर्शन स्टूडियो खोलने के लिए 35 लाख रुपये दिए गए। वहां शिलान्यास होने के बाद जमीन इत्लीगल और कुछ कांप्लीकेशंस होने की वजह से स्टे हो गया, अब वे सारे कांप्लीकेशंस खत्म हो गए। मैं चाहती हूं, वित्त मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं, इसे इलेवेंथ फाइनेंस कमीशन में लिया जाए, ताकि हमारा जो दूरदर्शन स्टूडियो ट्राइबल बेल्ट में है जहां जिस प्रकार की संस्कृति है, वहां पर इतने आर्टिस्ट हैं, उसे देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक है कि वहां पर दूरदर्शन का स्टूडियो हो। वैसे भी राजस्थान में केवल एक ही दूरदर्शन का स्टूडियो है, जो जयपुर में है। उदयपुर सदर्न राजस्थान का बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेस है, टूरिस्ट प्वाइंट आफ व्यू से भी बहुत इंपोर्टेंट है, हैरीटेज सिटी है, इस नाते वहां दूरदर्शन का स्टूडियो खुलना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द दूरदर्शन स्टूडियो की स्वीकृति प्रदान करके, जो पैसा वहां पूर्व में लगाया गया है, उस पैसे का उपयोग हो सके, क्योंकि उन्होंने जमीन खरीद ली है, जमीन का पैसा भी दे रखा है, बांउड्री वाल बन गई है, केवल दूरदर्शन स्टूडियो खुलना है, जो कि इनकी स्कीम में भी है। जब आप कहते हैं कि बहुत सारे नए दूरदर्शन स्टूडियो खुलेंगे, तो कृपया वहां भी स्वीकृति प्रदान करें। मेरा आपसे यह निवेदन है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बाजार में बहुत पुअर क्वालिटी के और सबस्टैंडर्ड डुप्लीकेट गैस सिलेंडर और पेट्रोमैक्स सिलेंडर का सर्क्युलेशन हो रहा है और इनकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। मेरे स्वयं के लोक सभा क्षेत्र अलवर के विजयपुरा गांव में कल एक गैस सिलेंडर से आग लगने से करीब डेढ़ दर्जन औरतें और बच्चे घायल हुए, जिन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भर्ती कराया गया है। मैं सदन का ध्यान इन सिलेंडर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उनकी गुणवत्ता को बनाए रखें और जो घायल भर्ती हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार को निर्देश करें कि उनका मुफ्त में इलाज करें और उनको उचित मुआवजा दें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : हमारे संसदीय क्षेत्र, बिहार में भी गैस सिलेंडर फट गया और वहां तीन आदमी मारे गए और 25 आदमी घायल हो गए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले नोटिस दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी आपको नोटिस देना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए। लालू जी की स्पीच के लास्ट में आपको टाइम देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच, श्री ग्रेग चैपेल द्वारा एक समाचार पत्र में की गई टिप्पणी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह महान सभा उस भावना का सम्मान करेगी जिसे मैं व्यक्त करने जा रहा हूं।

यद्यपि यह साक्षात्कार यूनाइटेड किंगडम के समाचार पत्र 'द गार्जियन' को श्री ग्रेग चैपेल द्वारा दिया गया था, फिर भी 2 मार्च, 2006 के भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में इसके सारांश प्रकाशित किए गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, श्री सौरभ गांगुली के विरुद्ध की गई यह टिप्पणी बहुत ही बुरी थी। शिष्टाचार की सभी सीमाओं से परे थी और श्री गांगुली को बदनाम करने के उद्देश्य से की गई थी। श्री चैपेल की इन टिप्पणियों से भारत के लोगों की भावनाओं तथा भारत की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से ठेस पहुंची है। भारतीय क्रिकेट टीम के अब तक के सबसे सफल कप्तान के विरुद्ध की गई उनकी टिप्पणियों के लिए मैं ग्रेग चैपेल से बिना शर्त माफी मांगने के लिए मांग करता हूं। अन्यथा, 'बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल और क्रिकेट इन इंडिया' द्वारा उन्हें अभी भारत छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बेल्लारमिन जी, श्री खारवेनथन ने सिमिलर क्वैश्चन रखा है। आपका नाम उनके साथ एसोसिएट कर देते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल) : मैं अनुरोध करता हूं

कि मानव संसाधन विकास मंत्री इस संबंध में कोई बयान दें।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम एसोसिएट कर दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बेल्लारमिन, मैंने डा. के. एस. मनोज को समय दिया है। कृपया बैठ जाइए।

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मछली उत्पादक बड़े देशों में भारत का स्थान तीसरा है जबकि विश्व में अंतर्देशीय मछली उत्पादक देशों में इसका स्थान दूसरा है। पिछले साल हमने 4.75 लाख टन मछली का निर्यात किया जिससे राजकोष के लिए 6,200 करोड़ रुपये की आमदनी हुई तथा घरेलू उत्पादन लगभग 22,000 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर था। मत्स्य क्षेत्र से लगभग 11 मिलियन लोग पूरी तरह या अंशतः जुड़े हुए हैं। सुनामी के बाद समुद्री पर्यावरण प्रणाली में बदलाव ने इस क्षेत्र के लिए कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। हाल के भारत–एशिया स्वतन्त्र व्यापार समझौता के अनुसार सरकार ने एशियाई देशों से विभिन्न प्रकार की मछलियों के आयात के लिए कदम उठाए हैं। केवल झींगा तथा श्रीम्प किस्म की मछलियों को आयात से बाहर रखा गया है। इन देशों में मछलियों की किस्में भारत जैसी ही हैं और हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पूर्व में थाईलैंड से मछलियों के आयात के कारण पारंपरिक मत्स्य क्षेत्र में भारी विरोध हुआ था। एशियन देशों से मछली के आयात के इस कदम से इस क्षेत्र को और धक्का लगेगा और सुनामी के बाद पुनः अपनी स्थिति सुधार रहा है।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि एशियाई देशों से मत्स्य आयात के इन प्रयास को त्याग दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिजों की रायल्टी बढ़ाने और पुनरीक्षित करने के संबंध में कहना चाहूंगा। वर्तमान में तांबा, जस्ता, टिन जैसी धातुओं और सोना, हीरा आदि बहुमूल्य खनिजों की रायल्टी दरें इन धातुओं के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाती हैं लेकिन कोयले के अतिरिक्त लौह अयस्क और लाइम स्टोन की दरें बाजार मूल्य के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित नहीं की जाकर रुपये प्रति टन के मान से निर्धारित हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब इन खनिजों का बाजार मूल्य बढ़ता है तो राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाली रायल्टी उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क का वर्तमान बाजार मूल्य रुपये 1000 से 1500 प्रति टन के लगभग है लेकिन राज्य सरकार को रायल्टी केवल 11 रुपये से 25 रुपये प्रति टन के लगभग प्राप्त हो रही है। इसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। जब लौह अयस्क का बाजार मूल्य 500 रुपये प्रति टन था तब भी रायल्टी की राशि यही थी। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसकी रायल्टी दर बढ़ाई जाए। इसकी तीन वर्ष की काल अवधि होती है। तीन वर्ष से ज्यादा हो जाए तो भी इसका रेट नहीं बढ़ता। इसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों रुपये का प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। मैं भारत सरकर के समक्ष इस विषय को उठाना चाहता हूं। रायल्टी दरें बाजार मूल्य के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएं। योजना आयोग ने केन्द्रीय खान और कोयला मंत्रालय को भी यही परामर्श दिया है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि उपरोक्त खनिजों की रायल्टी दरें बढ़ाई जाएं और पुनरीक्षित की जाएं।

[अनुवाद]

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान गुजरात राज्य विधान सभा द्वारा पारित एक विधेयक–गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003–की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और बाद में संशोधनों के साथ यह अधिनियम 2.6.2004 को पारित भी हो गया। यह विधेयक भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित है।

गुजरात में हाल ही में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ था। प्राथमिक जांच से पता चला है कि इसमें इस विस्फोट में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। आरडीएक्स देश में उपलब्ध नहीं है। इसकी आपूर्ति केवल आईएसआई द्वारा की जा रही है। आईएसआई हमारे देश को लक्ष्य बना रही है। विशेष रूप से गुजरात को। इस अपराध को रोकने के लिए गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है।

इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे देखें कि इस विधेयक पर महामहिम भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति यथाशीघ्र मिल जाए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : मैं अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र चामराजनगर के मलाई महादेश्वर मंदिर में हर साल एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों से भक्तगण यहां इस अवसर पर एकत्र होते हैं। इस साल अनुमान है कि तीन लाख से अधिक श्रद्धालु इस उत्सव में भाग लेने पहुंचेंगे। महोदय, महादेश्वर मंदिर में पानी की भारी किल्लत है। इस बार आयोजकों के लिए बहुत ही कठिन समय होगा क्योंकि तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

अतः पेयजल की इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने इस मामले में मदद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री को भी पत्र लिखे हैं। ट्यूब की मदद से कावेरी नदी से मन्दिर तक जल लाया जाना है। इस परियोजना पर 6.5 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं और कार्य लगभग पूरा हो गया है। लेकिन इसमें एक बाधा है। 3 एकड़ का एक छोटा सा वनभूमि का टुकड़ा है और वन और पर्यावरण मंत्रालय इस परियोजना को मंजूरी नहीं दे रहा है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल संसाधन मंत्रालय को इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए दबाव डाले ताकि पहाड़ की चोटी पर स्थित मलाई महादेश्वर मन्दिर पर भक्तों को जल सुविधाएं मिल सकें। एक बार मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(दो) देश में ईसाइयों पर हो रहे कथित हमले के बारे में

[अनुवाद]

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान हाल में देश में ईसाई धर्म के अनुयायियों पर हुए हमलों से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। महोदय, इन हमलों में से एक हमला हाल ही में राजस्थान के कोटा जिले में "एम्युनल मिशन" पर हुआ हमला था जिसमें पवित्र चर्च को अपवित्र किया गया और बाइबिल को जलाया गया। संबंधित राज्य सरकार ने ऐसे हमलों को रोकने और ईसाई धर्म के अनुयायियों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाए ताकि देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के जान–माल, सम्पत्ति और धर्म स्थलों की रक्षा के साथ–साथ उनके विश्वास की रक्षा भी की जा सके।...*(व्यवधान)*

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। श्री सुनील कुमार महतो बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह हमला एक बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, हम माननीय सांसदों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों तथा उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन पर किसी भी प्रकार का हमला या हमले का प्रयास उनको संविधान में दी गई गारंटी के विरुद्ध होगा। यह सरकार इस प्रकार की घटनाओं की भर्त्सना तथा निंदा करती है। ऐसा जहां कहीं भी हो रहा है वहां हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उचित संज्ञान ले रहे हैं।

श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या सरकार वहां कोई दल भेजेगी?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय गृह मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में न हो, जानबूझकर...*(व्यवधान)*

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आप जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार महतो (जमशेदपुर) : महोदय, नए वर्ष के ठीक दूसरे दिन उड़ीसा के जाजपुर में आदिवासियों पर पुलिस की फायरिंग की घटना वैसी ही है जैसे औद्योगीकरण के लिए पर्यावरण विनाश की कहानी। यह बहुत दुखद विषय है कि जिन आदिवासियों के विकास और संरक्षण की बातें दशकों से की जा रही हैं, उन पर गोलियां केवल इसलिए चलाई जाती हैं, क्योंकि वे अपनी जमीन के बदले पुनर्वास और सुव्यवस्थित मुआवजे की मांग करते हैं। इससे भी दर्दनाक बात यह है कि आदिवासियों पर फायरिंग के बाद उनके हाथ काट दिए गए। इसमें उनकी सब तस्वीरें हैं, जिन्हें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दिखाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुनील कुमार महतो : महोदय, इससे ज्यादा क्रूरतम व्यवहार तो शायद अमेरिकी सैनिकों ने युद्धबंदियों के साथ भी नहीं किया जैसा व्यवहार उड़ीसा के जाजपुर में आदिवासियों के साथ किया गया है। यह केवल 12 आदिवासियों की हत्या का मामला नहीं है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केसरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील महतो के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार महतो : यह 12 आदिवासियों की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि भारतवर्ष में आदिवासियों के सिर पर मंडराते हुए खतरे का भी प्रतीक है। आज पूरे देश के सामने... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिभाऊ राठौड़, आप बोलिए।

श्री सुनील कुमार महतो : सर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं सदन का ध्यान जाजपुर गोलीकांड की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां से आदिवासियों का पलायन हो रहा है।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि इस मामले में संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो और आदिवासियों को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिभाऊ राठौड़ के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महतो, अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

श्री हरिभाऊ राठौड (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न्याय के बारे में मैं ऐसे सैक्शन की बात कर रहा हूं जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। आपको मालूम है कि कांस्टीट्यूशन में जो प्रोटैक्शन है वह...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : कांस्टीट्यूशन में जो प्रोटैक्शन है, वह शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के लिए है। लेकिन इस देश में डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स की संख्या 15 करोड़ है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस देश में काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग हुए। इनके बाद आयंगर आयोग आया और फिर दूसरे आयोग आए। उनके बाद फाइव ईयर प्लान आया। योजना आयोग की रिकमैंडेशंस हमारे पास हैं। वेंकटचलैया आयोग हमारे पास है। लेकिन ये सारी रिकमैंडेशंस होने के बाद भी सरकार का ध्यान डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स की ओर नहीं गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी हाउस में वर्ष 1953 में कहा था कि इस सैक्शन को हम न्याय देने वाले हैं। बाबासाहेब अम्बेडकर ने कांस्टीट्यूशन में जो प्रावधान किया था, उन्होंने कहा था—

"पिछड़े वर्ग के एक विशिष्ट वर्ग को हम आरक्षण प्रदान कर रहे हैं।"

यह सैक्शन ऐसा है जिसे हम डिनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं। जब हम इन्हें इस नाम से बुलाते हैं तो लोग कहते हैं कि यह क्या होता है। डिनोटिफाइड मीन्स "वे लोग जिन्हें अपराधी जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है"। मैं 15 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। आज तक इस सैक्शन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि जो हमारा संविधान है, हम जिस लोकशाही की बैत कर रहे थे, वह लोकशाही फेल हो गई है। जब तक इस सैक्शन को न्याय नहीं मिलेगा, 15 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह वर्ग उपेक्षित रहेगा। सरकार को इस सैक्शन को न्याय दिलाने के बारे में सोचना चाहिए और इन्हें न्याय दिलाने के बारे में सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर विषय के ऊपर आपको जानकारी देना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैडम, आप नोटिस दें।

अपराह्न 1.05 बजे

रेल बजट, 2006-2007

लेखानुदानों की मांग (रेल), 2006-2007

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2005-2006

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2003-2004

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10, 11, 12 और 13 पर एक साथ चर्चा करेंगे। श्री लालू प्रसाद जी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपस में कुछ समझौता हुआ है?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप सहमत हो गए हैं और अन्य भी सहमत हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोदय, रात को यह क्लोज हो गया था, माननीय सदस्य उस टाइम पर उपस्थित नहीं थे, फिर भी ये बड़े नेता हैं इसलिए इन्हें दस मिनट बोलने का समय दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट का समय नहीं, पांच मिनट का समय मिलेगा, मुझे भी अन्य कई काम हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम चेयर ने अलाट करना है, आपने नहीं करना है। आचार्य जी, आपको सिर्फ पांच मिनट बोलने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी कई अन्य काम करने हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दस मिनट में अपनी बात पूरा करूंगा।

मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगले वर्ष को यात्री वर्ष घोषित किया है। लेकिन उपनगरीय क्षेत्र की सेवाओं में यह बात प्रतिबिम्बित नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी के सिवा अन्य कोई नहीं बोलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एकदम नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उपनगरीय सेवाओं के ईएमयू डिब्बों की अधिप्राप्ति के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : **उपाध्यक्ष महोदय, मुझे** भी एक मिनट बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी फेवर में एक बात कर सकता हूं कि अगर कोई रह गया है तो वह अपनी स्पीच टेबल पर ले कर सकता है, हम उसे एडमिट कर लेंगे और वह रिकार्ड में आ जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : ईएमयू डिब्बे की अधिप्राप्ति के संबंध में अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम यह है कि वे चालू वर्ष की तुलना में कम डिब्बों को प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी की स्पीच के बगैर कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : विगत वर्ष में हमने 340 डिब्बे खरीदे थे जबकि इस वर्ष इसकी संख्या घटकर मात्र 305 कर दी गई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, मैंने आपका नाम लिया था, उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे। अब आप अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : अन्य पारंपरिक डिब्बों के साथ भी यही बात है...*(व्यवधान)* उपनगरीय सेवाओं के लिए ईएमयू डिब्बों की संख्या कम है लेकिन मंत्री जी ने अगले वर्ष को यात्री वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। लेकिन डिब्बों के संबंध में यह बात प्रतिबिम्बित नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

आज भारतीय रेल 700 ऐसे डिब्बों का उपयोग कर रहा है जो बहुत पुराने हो चुके हैं और जिन्हें बदला जाना है। लेकिन डिब्बों को बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है।...*(व्यवधान)*

उन्होंने निश्चित माल ढुलाई गलियारा के संबंध में घोषणा की है।...*(व्यवधान)* जब इस बारे में सोचा गया था तब दो निश्चित माल ढुलाई गलियारा बनाने की योजना थी--पूर्वी माल ढुलाई गलियारा और पश्चिम माल ढुलाई गलियारा। मूल रूप से पूर्वी माल ढुलाई गलियारा सोनपुर से शुरू होना था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल आचार्य जी की स्पीच रिकार्ड होगी बाकी किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : बजट भाषण में कहा गया है कि यह सोनपुर से शुरू होगा। इसे कोलकाता से कैसे स्थानांतरित कर दिया गया?...*(व्यवधान)*

तीसरी समस्या यह है। पहले कोलकाता में दो टर्मिनल थे। कुछ ही दिन पूर्व एक नए टर्मिनल की स्थापना की गई जिसका नाम कलकत्ता टर्मिनल रखा गया। दूसरा टर्मिनल 20 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था लेकिन इसे पूरी तरह परंपरागत नहीं बनाया गया है। कोलकाता को अन्य टर्मिनल की आवश्यकता है। मनेरहाट में एक नया टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री आचार्य। अब श्री लालू जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानना चाहेंगे कि दूसरे टर्मिनल का क्या हुआ? यह जरूरी है।...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री जी ने एक स्टीम लोको शेड के संबंध में आदेश जारी कर सहृदयता दिखाई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप बोलिए, बाकी माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले कर दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उसके बारे में क्या हुआ।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप बोलिए, बाकी माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले कर दें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अब तक एक भी मजदूर को आमेलित क्यों नहीं किया गया है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी रिमेनिंग पार्ट आप ले कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपने विस्तार के संबंध में पश्चिम बंगाल के सदस्यों की नाराजगी देखी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष जी, मेरा मुम्बई के बारे में एक पाइंट है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।

श्री मोहन रावले : मेरा एक ही पाइंट है। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा सबरबन रेल में यात्रा करने वाले मुम्बई में होते हैं। खासतौर पर सैंट्रल और वैस्टर्न रेल से लाखों डेली कम्यूटर्स हैं। मेरी रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि मुम्बई सबरबन रेल के लिए ज्यादा फंड्स दें।...*(व्यवधान)*

***श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन) : महोदय, मेरे क्षेत्र की निम्न समस्याएं हैं जिनका निराकरण कराने का कष्ट करें :

1. उद्योग नगरी एक्सप्रेस एवं कुर्ला एक्सप्रेस का उरई स्टेशन पर स्टाप होना चाहिए क्योंकि यहां से झांसी व कानपुर का काफी ट्रैफिक मिलता है।
2. उरई स्टेशन पर दिन की गाड़ियों में स्लीपर टिकट की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. दिल्ली से उरई के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है अतः दिल्ली से झांसी होकर कानपुर इलाहाबाद के लिए ट्रेन चलाई जाए।
4. उरई स्टेशन का प्लेटफार्म ऊंचा होना चाहिए क्योंकि नीचे होने की वजह से कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं।
5. उरई स्टेशन पर वीटीएस टिकट प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए।
6. उरई स्टेशन पर प्लेटफार्म के ब्रिज की निकासी बाहर से होनी चाहिए ताकि बस्ती के नागरिक सीधे बाहर निकल सकें।
7. उरई में राठ रोड पर रेलवे फाटक को डबल करा दिया जाए ताकि शहर के ट्रैफिक में जाम न लगे तथा गाड़ी भी विलंबित न हो।
8. झांसी कानपुर रेल लाइन का दोहरीकरण होना चाहिए ताकि यात्रा में अनावश्यक विलंब न हो।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीच ले कर सकते हैं। अभी मंत्री जी बोलेंगे। उसके बाद आप ले कर सकते हैं।

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी का समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी की ओर से खड़ा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामदास आठपले]

हूं। हालांकि मेरी पार्टी छोटी है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं।

यूपीए की चेयरपरसन और डा. मनमोहन सिंह जी ने
लालू जी को रेल मंत्री का पद दिया,
जिसे इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाया है,
इन्होंने खादी, कुल्हड़ को रेल के साथ मिलाया,
और अच्छे काम करके विपक्षी दलों का जलाया,
लालू जी की, अगर कोई रोक देगा रेल,
तो हम उन्हें भेज देंगे तिहाड़ जेल,
लालू जी की बहुत सेफ चल रही है मेल, ...*

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आपका भाषण रिकार्ड पर नही जा रहा है। आप बैठ जाएं। जब आपका नाम लिया जाता है, तब आप हाउस में हाजिर नहीं रहते हैं। श्री लालू प्रसाद जी आप अपना भाषण शुरू करें।

****श्री रामदास आठवले** : महोदय, 1 अप्रैल, 1847 में बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे 34 कि.मी. तक भाप का इंजन चला था धानू की पटरी थी। 21 तोपों की सलामी देकर पहली रेल शुरू हुई।

31 मार्च, 2005 के दिन की स्थिति–2,22,379 माल डिब्बे, 42,441 सवारी डिब्बे, 08910 इंजन, 09550 सवारी गाड़ियां, 07151 स्टेशन, 1.6 मिलियन टन मात्र, 15.00 मिलियन यात्री, 16.00 जोनल, 67 डिवीजन।

सोनिया ने आपको रेल मंत्रालय दिलाया। दो साल में आपने रेल विभाग अच्छा चलाया। आपने खादी और कुल्हड़ को रेल के सम्मुख मिलाया। भाड़ा न बढ़ाकर आपने विपक्षी दलों को जलाया।

लालू की अगर कोई रोक देंगे रेल
तो हम उनको भेज देंगे तिहाड़ जेल,
लालू की बहुत तेज चल रही है मेल,
इसलिए यहां बंद हो गया है एनडीए का खेल।
रेलवे स्टेशन पर अब वड़ा और चाय मिल रहा है गरम
इसलिए बीजेपी वाले पड़ गए नरम
लालू पूरा कर रहा है अपना धरम,
...*
अब तो लालू की चाय पिओ गरम गरम
तुम भी पूरा करो अपना धर्म।
लालू जी अपनी दोस्ती क्या काम की
खाली ओ दिख रही है नाम की,
बीजेपी को दोस्ती मंहगी पड़ेगी राम की,
अब तो लालू के साथ बात करो काम की।

रेलवे बजट के आपके उत्तर में मेरे पंढरपुर क्षेत्र के निम्न विषयों का विचार किया जाए :

1. लातूर–मिरज ब्राडगेज के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए।
2. पंढरपुर से मुंबई चंद्रभगा एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चलती है उसे सप्ताह में सात दिन चलना चाहिए।
3. कुर्डवाडी में मीटरगेज का वर्कशॉप है। सभी जगह पर ब्राडगेज हो रही है इसलिए इस वर्कशाप को ब्राडगेज में कन्वर्ट करके वैगन का वर्कशॉप किया जाए।
4. पंढरपुर से वाराणसी और पंढरपुर से तिरूपती, पंढरपुर से नागपुर में तीन नई ट्रेनें शुरू की जाएं।
5. मुंबई–कोल्हापुर महालक्ष्मी एक्सप्रेस में आधा फस्ट एसी का डिब्बा होना चाहिए।
6. मुंबई में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। लोकल ट्रेनों को चार ट्रेक और बाहर की ट्रेनों के लिए अलग दो ट्रेक हों।
7. मुंबई के सभी स्टेशनों का नवीनीकरण हो।

***प्रो. एस. पी. सिंह बघेल** (जलेसर) : महोदय, मैं रेल बजट पर अपनी बात कहना चाहता हूं। महोदय, मेरी लोक सभा जलेसर के टून्डला स्टेशन पर शताब्दी दिल्ली लखनऊ रोकी जाए क्योंकि आगरा पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। देशी–विदेशी लाखों पर्यटक आते हैं। आगरा की जनता लखनऊ जाने के लिए टून्डला स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है।

टून्डला तथा उसके आसपास जैन धर्म को मानने वाले लाखों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लोग निवास करते हैं जो शिखर जी के दर्शन करने जाते हैं। अतः टून्डला स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस रोकी जाए।

महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बरहन एटा लाइन जिस पर ट्रेन चलती है उसे घाटे में चलने का बहाना बनाकर स्थायी रूप से बंद करने जा रही है। महोदय, यदि इस वन इवीटी, टू इवीटी, थ्री इवीटी एवं फोर इवीटी को बंद कर दिया जाएगा तो क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी होगी, यह गाड़ी कतई बंद नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, एटा से कासगंज क्षेत्र 30 कि.मी. की दूरी पर है यदि एटा से कासगंज 30 कि.मी. रेल लाइन बन जाएगी तो एटा, आगरा, बदायूं, बरेली आदि क्षेत्रों की जनता को बहुत लाभ होगा। महोदय, कृपया एटा से कासगंज 30 कि.मी. रेल लाइन बनवाने का कष्ट करें।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन तथा टून्डला स्टेशन का सौन्दर्यीकरण किया जाए। महोदय, आगरा इटावा लाइन गुना इटावा लाइन तथा इटावा मैनपुरी लाइन पर धन ज्यादा आवंटित किया जाए ताकि अधूरा कार्य शीघ्र पुरा किया जा सके।

महोदय, मेरा निवेदन है कि आगरा विश्व का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल ताज महल की वजह से ही आगरा से गुजरने वाली केवल चैन्नई राजधानी रुकती है कृपया आगरा से गुजरने वाली प्रत्येक राजधानी रोकी जाए।

महोदय, मेरी लोक सभा में जलेसर रोड रेलवे स्टेशन है जहां रेल का फाटक है दिल्ली हावड़ा रेल लाइन एक व्यस्ततम रेल लाइन होने के कारण फाटक घंटे भर तक बंद रहता है, जिसमें वाहनों को अनेक परेशानी होती है। अतः जलेसर रोड स्टेशन का मानिकपुर में ओवर ब्रिज बनाया जाए। महोदय, इसी प्रकार टून्डला स्टेशन के पूर्वी एवं पश्चिम केबिन का रेल फाटक बंद होने के कारण घंटों प्रतीक्षा करती पड़ती है। अतः महोदय टून्डला स्टेशन के पूर्वी अथवा पश्चिमी रेल फाटक में से पश्चिमी फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। महोदय, आगरा से हजारों पर्यटक आते हैं। अतः आगरा रुकने वाली प्रत्येक रेल से आरक्षण कोटा आगरा में फिक्स किया जाए।

महोदय, मेरा अपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन है कि टून्डला के पास काला हैकुर गांव है जहां मैं सांसद निधि से सड़क बनाना चाहता हूं, किन्तु उसी मार्ग पर रेल की पाइप लाइन जो खारिज है, जमीन के नीचे होने के कारण सड़क नहीं बनाई जा सकती। अतः यह अनुपयोगी पाइप लाइन को शीघ्र उखड़वाया जाए ताकि गाला हैकुर की सड़क टून्डला से बनाई जा सके।

महोदय, माननीय रेल मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक सुपर फास्ट तथा एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी कम से कम चार जोड़ी जाएं ताकि गरीब लोगों की परेशानी दूर की जा सके।

महोदय, मेरी लोक सभा के जलेसर रोड स्टेशन पर कालका नार्थ ईस्ट रोकी जाए।

महोदय, मेरी लोक सभा के बरहन जंक्शन पर पुरी कटिहार तथा संगम एवं कालका एक्सप्रेस को रोका जाए ताकि जनता को लाभ मिल सके।

महोदय, मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि टून्डला जलेसर रोड तथा बरहन स्टेशन पर कम्प्यूटर आरक्षण किया जाए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन है कि वाहन एम लाइन पर एक अन्य पैसेंजर ट्रेन और चलाई जाए तथा महोदय आगरा से लखनऊ के लिए सुबह एक भी ट्रेन नहीं है। कृपया आगरा से लखनऊ के लिए प्रातः एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए।

[अनुवाद]

***श्री पी. राजेन्द्रन** (क्विलोन) : मुझे निम्नलिखित मुद्दों को उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। महोदय, कुछ शर्तों के साथ मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें केरल की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है और मैं इस बजट में शामिल निजीकरण के संबंध में उठाए गए कदमों का विरोध करता हूं। केरल के सांसदों ने केरल की अविलम्बनीय तथा वास्तविक मांगों को चिन्हित किया है। सर्वप्रथम तो यह अनुरोध है कि बैंगलोर, मुंबई तथा गोवा से तिरूवनंतपुरम तक नई गाड़ियां आरम्भ की जाएं तथा राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से तिरूवनंतपुरम सम्पर्क क्रांति के तिरूवनंतपुरम तक के फेरे में वृद्धि की जाए। दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन और रेलवे उपरि पुलों का निर्माण मेरी अन्य मांगें हैं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं सभी दलों के उन तमाम सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने राज्य

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री लालू प्रसाद]

और क्षेत्र के संदर्भ में विचार रखने के लिए भूख–प्यास की परवाह किए बिना सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे माननीय सदस्य अपने–अपने क्षेत्रों के प्रति एवं जनता के प्रति कमिटेड हैं और बहस में भाग लेते रहे। मैंने उन तमाम माननीय सदस्यों के सुझावों को नोट कर लिया है और मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारतीय रेल सब की रेल है। सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे नई रेल लाइनों के निर्माण का सवाल हो, सिंगल लाइन को डबल लाइन में बदलने का सवाल हो, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स अमैनिटीज देने का सवाल हो, रेलवे सुरक्षा का सवाल हो, समय पर गाड़ी आये–जाये या जनता को सुखद एवं सस्ती सुविधा देने का सवाल हो, सुझाव दिए हैं।

भारतीय रेल कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। हम कोई अकेले बिहार के लिए मंत्री नहीं हैं। केन्द्रीय मंत्री होने के नाते और खासकर हमारे जैसे साधारण लोगों के जेहन में कहीं भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं है और न किसी के प्रति कोई द्वेष है। पिछले दो दिनों में चिन्ता व्यक्त की गई कि भारतीय रेल डैथ बैड पर पड़ी हुई है। यह हम सबके लिए चुनौती का विषय रहा है। हमारी अपनी सोच और समझ से तथा लाखों रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने से भारतीय रेल बीमार बैड से उठकर आगे बढ़ चली है। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी पैसे का वितरण होता है, उसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है। उसके तहत हम आगे चलकर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सबके सुझाव लेंगे। 20 सालों से विभिन्न राज्यों में आून गोइंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। जहां नकारात्मक बातें लिखी हुई थीं, फिर भी वे सैंक्शन हुए। वह सारा हमारे कंधों पर मिला और उसको पूरा करने के लिए अलग से 25000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। हमारे विद्वान साथी चिदम्बरम जी हमारे साथ बैठे हैं। हम उनसे बराबर संपर्क रखते हैं कि ज्यादा विलंब होने से इसमें राशि बढ़ती जाएगी। जो रेल बजट मैंने आपके माध्यम से पेश किया है, राष्ट्र की सेवा में सभी वर्गों, तबकों और राज्यों पर हमने उसमें ध्यान दिया है। यह अंतिम बजट नहीं है, हमारी यूपीए सरकार का यह तीसरा बजट है। हमने इसे कीचड़ से निकालकर आगे खड़ा किया है। आगे जो भी बातें छूटी हुई हैं, जो भी आपके क्षेत्रों के मामले हैं, उन पर जरूर ध्यान रहेगा। आप सबसे मिल–जुलकर हमने रेलवे के सभी जनरल मैनेजर्स को निर्देश दिया था कि सभी माननीय सदस्यों की बैठक करके जो छोटी–मोटी बातें हैं, माननीय सदस्यों को रेल भवन आना पड़ता है, हमें लिखकर देना पड़ता है, माननीय सदस्य के उन सुझावों पर अपने स्तर पर समाधान करें। माननीय सदस्य बाकी वाइटल बातें जरूर हमें लिखकर भेजें। माननीय सदस्यों के सुझावों पर वहीं डिसपोजल हो जाना चाहिए। मुझे खुशी है और माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हमारे जनरल मैनेजर्स ने सभी जगह एमपीज की बैठक बुलाई थी।...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : दो साल में एक बैठक बुलाई।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : पहली बार डीआरएम द्वारा बैठक बुलाई गई थी। यह अपमानजनक था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : पाठक जी से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे निर्देश का जहां भी उल्लंघन हुआ है, जैसा आप शिकायत कर रहे हैं, हम जरूर वहां खबर लेंगे और आगे से इस तरह की बातें नहीं हों और सब लोगों का ध्यान रखा जाए, मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

महोदय, वर्ष 2005–06 का जो रेल बजट पेश किया गया है, उसकी देश भर में लोगों ने सराहना की है। इससे हमरा मनोबल बढ़ा है। चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, किसान, मजदूर या नौजवान हो, हमारे विकलांग लोग हों या जो कामकाजी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, चारों तरफ इस रेल बजट की धूम मची हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री लालू प्रसाद : कृपया मुझे बोलने दीजिए। मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

महोदय, मैं सभी दलों के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारी माननीया महिला सदस्या भी हैं। भले ही ये बीजेपी या शिवसेना में हैं, लेकिन सभी लोगों ने सराहना की है और हमें इस बात का ध्यान दिलाया है कि हमारे क्षेत्र में जो भी काम पैंडिंग थे, उन्हें पूरा करने की तरफ ध्यान दिया है। भारतीय रेल को मुनाफे में

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लाने का काम शुरू हो गया है। हम के नहीं हैं। मुनाफे को हम और आगे बढ़ज्ञने के लिए प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का तथा देश की महान जनता का सहयोग हमें मिलता रहेगा। हम जिस लाइन पर चल पड़े हैं, निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी का जो संकल्प है कि भारतीय रेल को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, वह पूरा होगा। हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय रेल के कर्मचारियों के पास दिमाग और हुनर है, कार्यदक्षता है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, तो दुनिया की चुनौती का मुकाबला करते हुए भारतीय रेल ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जब हम संकल्प कर लें और उसे पूरा न कर पाएं। निश्चित रूप से भारतीय रेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ देश का विकास भी हो सकेगा। अगा देश की तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ाना है तो हमें रेल को आगे बढ़ाना होगा। निश्चित रूप से रेलवे राष्ट्र का पावर हाउस है। रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि तमाम इलाकों में, रिमोट एरियाज में, दूरदराज के इलाकों में रेल को पहुंचाना है। इसका हमने रेल बजट में प्रयास किया है। जो हमारी समझ है, उसके अनुरूप हम वायदा करते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के लिए नहीं हैं। निश्चित रूप से जो बजट आया है, जिसकी सभी लोगों ने सराहना की है, जो हमारे मालिक हैं, जिनके वोट से हम जीतकर आते हैं, उनकी तरफ से और चारों ओर से सराहना हो रही है। ज्यादा सराहना होने से भी आदमी बैठ जाता है और निकम्मा हो जाता है, लेकिन हम इस सराहना को चुनौती के रूप में देखते हैं कि आज हमारी सरकार और रेल के ऊपर कोई दाग न आए। हमें रेल को आगे बढ़ाना है और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2005–06 और वर्ष 2003–04 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा के लिए कुल मिलाकर स्वीकृत प्रावधानों से कम खर्च हुआ है, लेकिन कुछ अनुदान की मांगों पर स्वीकृत प्रावधानों से अधिक खर्च हुआ है। पिछले सत्र में सदन के समक्ष रखे गए लोक–लेखा समिति के प्रतिवेदन में इसके नियमन की सिफारिश की गई है। चालू वर्ष के लिए 9149 करोड़ रुपये की पूरक मांगें मुख्यतः कैपिटल फंड के जरिए होने वाले कार्यों, डीजल की कीमत एवं यातायात में वृद्धि के कारण बढ़ी हुई ईंधन की लागत इत्यादि पर खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2003–04 के दौरान हुए अतिरिक्त खर्च, चालू वर्ष के लिए पेश की गई पूरक मांगों का विस्तृत ब्यौरा संबंधित पुस्तकों में दिया गया है। बिना यात्री किराए बढ़ाए हुए, रेलवे को फायदा हुआ है। लोग चिंतित रहते थे। हमसे पहले जितने मंत्री हुए, चाहे बिहार के आज के मुख्यमंत्री *(व्यवधान)**...और पूर्व रेल मंत्री, सभी ने भाड़ा बढ़ाने का काम किया है। माल गाड़ी का भाड़ा बढ़ा, पैसंजर गाड़ी का भाड़ा बढ़ा।... *(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नाम प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

श्री लालू प्रसाद : देश के तमाम लोगों को भाड़े का बोझ उठाना पड़ता था। भाड़ा बढ़ने से अनाज का दाम, फर्टिलाइजर का दाम, एसेंशियल कोमोडिटीज का दाम, लोहे का दाम, सभी चीजें महंगी हो जाती हैं। सारा बोझ गरीब आदमी पर पड़ा है। जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। लोगों में चिंता था कि लालू यादव और हमारी सरकार भाड़ा बढ़ा देंगे। चूंकि हमारे सामने घाटा था, डा. राकेश मोहन की रिपोर्ट हमारे और देश के सामने थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे और हमने पहले बजट में भी भाड़ा नहीं बढ़ाया था। लोग चर्चा करते थे, इस देश के महान अर्थशास्त्री और थिंक टैंक जो दिल्ली में बैठते हैं, कहते थे कि अगर भाड़ा नहीं बढ़ाया तो लालू रेल कैसे चलाएंगे। आज भाड़ा नहीं बढ़ा। तीसरे बजट में भी भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, फिर भी हमारी भारतीय रेल आज चल रही है, मुनाफे में चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने रिकार्ड तोड़ उपलब्धि हासिल की है। यह हमारे और देश के लिए अच्छी बात है। पं. जवाहरलाल नेहरू जी का एक अमर संदेश है जिसे हमें सदैव याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि–

> "हमारी आज की उपलब्धियां, दस्तक दे रहे अवसरों की ओर बस एक कदम मात्र है जहां कहीं ज्यादा विजय और उपलब्धि हमारा इंतजार कर रही है। क्या हमारे अदर इतना साहस और समझदारी है कि भविष्य की चुनौती को हम स्वीकार करें और मौके को हाथ से न जाने दें।"

यह पंडित जी ने हमसे कहा था।

महोदय, कुछ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि रेल का निजीकरण किया जा रहा है। कुल्हड़ और खादी के उपयोग को प्रोत्साहित करने की योजना को भुला दिया गया है। माननीय सदस्यों ने ऐसी आशंका जाहिर की और इस बजट पर हुई चर्चा में भी इन बातों को कहा गया और यह भी कहा गया कि इस बजट में आम आदमी को नजरअंदाज किया गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि रेलवे का निजीकरण अथवा कर्मचारियों की छंटनी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है और हमारी यू.पी.ए. सरकार और खासकर हम जिस दल से आते हैं

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लालू प्रसाद]

और जिस पद पर हम बैठे हुए हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें लगातार काफी आशंका थी और देश के लोगों को भी इस बात का तब विश्वास हो गया था, जब रेलवे की हालत खराब थी। केन्द्र सरकार जिस प्रकार से देश के सरकारी उपक्रमों को औने-पौने दामों में बेच रही थी, तब रेलवे को भी निशाना बनाया गया था। इतना बड़ा हमारा रेलवे का नेटवर्क है। हमारी आधारभूत संरचना की देश की जो धमनी रेल है, इस बारे में, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे किसी भी कीमत पर निजी हाथों और परदेशियों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा।

महोदय, जो हमारा काम है और जो हमने काम किया है, उसमें जब देश के निजी ट्रेडर्स की बात होती हैं या जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन की जब चर्चा होती है, तो हमेशा कुछ न कुछ कहा जाता है। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं और सभी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो देश के व्यपारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, हमारी रेल है, वह कंटेनर कॉर्पोरेशन की मौनोपोली को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। इसमें हमें उम्मीद से भी कम नफा हो रहा था। इसलिए हमने उसमें व्यापारियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हम किसी भी कीमत पर भारतीय रेल को निजी हाथों में, परदेशी हाथों में या मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। यू.पी.ए. सरकार के रहते हुए यह नामुमकिन बात है।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया है कि रेलवे में कुल्हड़ और खादी का उपयोग उतना नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि उनका ऐसा कहना गलत है। वर्ष 2004-05 में रेलवे ने लगभग 3 करोड़ रुपए के कुल्हड़ खरीदे थे और वर्ष 2005-06 में 5 करोड़ रुपए के कुल्हड़ खरीदने की संभावना है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में 30 करोड़ रुपए के खादी के वस्त्र खरीदे गए थे। हमने खादी का कपड़ा खरीदा है। गांधी बाबा ने कहा था कि खादी आजादी की वर्दी है। इससे रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे कि जिस तरह से भारतीय रेल खादी का उपयोग कर रही है उसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार के सारे कार्यालयों में खादी के वस्त्रों का प्रयोग हो, करटेन आदि की खरीद हो। इससे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए रेलों में खादी अथवा कुल्हड़ों का उपयोग नहीं हो रहा है, यह कहना बिलकुल बेबुनियाद है। चालू वर्ष में खादी के वस्त्रों की 35-40 करोड़ रुपए की खरीद की जाएगी। रेलवे ने पहले जो मिलों का कपड़ा खरीदा हुआ था, उसका स्टॉक था, पहले उसे खपाने को कहा है। इसके साथ-साथ हमने यह भी कहा है कि आगे जो भी खरीद होगी, वह खादी की ही खरीद होगी। इसीलिए माननीय सदस्य आप देखते होंगे कि कहीं-कहीं मिल के कपड़े का प्रयोग हो रहा था। हमने उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया है और अब हमने कहा है कि बिस्तर, चादर, बैड कवर, पिलो कवर का सब जगह इस्तेमाल होना चाहिए।

महोदय, पिछली सरकारों ने साल-दर-साल यात्री किराया बढ़ाकर गरीब जनता पर बोझ डाला। जब भी कोई बात होती, बस एक बात होती थी कि किराया बढ़ा दो। किराया बढ़ा-बढ़ाकर गरीब जनता को बोझ के तले दबा दिया। एन.डी.ए. की सरकार के समय रेलवे की हालत बहुत खस्ता थी। उसे हमने उस स्थिति से उबारने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और

[अनुवाद]

मैं आप सभी को विशेष रूप से एन.डी.ए. के बंधुओं तथा माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि :

"पूछिए मुझ से अब सवाल नए
लेकर आया हूं मैं जवाब नए
तुम तो कांटे बिछा के निकले थे
मैं खिला रहा हूं गुलाब नए"

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजट के केन्द्र में आम आदमी है, कॉमन पीपल है, जबकि यहां कहा गया कि आम आदमी को नजरअंदाज किया गया है। आपको याद होगा कि मुंबई की सब-अर्बन ट्रेन, कोलकाता की सब-अर्बन ट्रेन, देश भर की लोकल पैसेंजर ट्रेनें, जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनें और लंबी दूरी की

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक्सप्रेस ट्रेनों में इस बजट के पहले हमने एक रुपया भाड़ा कम किया था। कोलकाता और मुंबई सब–अर्बन ट्रेनों में हम घाटे में चलते हैं, लेकिन फिर भी हमने भाड़ा कम किया था। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे केन्द्र में आम आदमी है और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि हमने यात्री किराया बढ़ाने के बजाय घटाया। गरीब–अमीर का फर्क मिटाने, समाज में समरसता घोलने के लिए मैंने फुल्ली ए.सी. गरीब रथ चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन का किराया आम आदमी की पहुंच के अंदर रखा जाएगा, जिससे आम आदमी की पूरी ए.सी. ट्रेन में सफर करने की तमन्ना पूरी हो सकेगी। अभी चार जगह, पायलट बेसिस पर यह सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा के सफल होने पर सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने के लिए, एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक, फुल्ली एयरकंडीशंड गरीब रथ सेवा शुरू की जाएगी। आम आदमी के हित को केन्द्र में रखते हुए रेलवे के ऐतिहासिक कायाकल्प के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि :

"बीत गए दिन पतझड़ के
बसंत से लदकर रेल चली,
गरीब रथ जब चला शान से
उम्मीदें उसकी परवान चढ़ीं"

महोदय, गरीब परवान चढ़ चुका है। उसमें हीन भावना समाप्त हो चुकी है और अब उसमें यह भावना पैदा हो रही है कि भारतीय रेल हमारी भी है और सस्ती दर पर, जब गरीब ए.सी. रेल में सवारी करेगा, तब धूल–धक्कड़ खाने वाला, इस देश का गरीब–गुरवा आदमी यह महसूस करेगा कि अब हमारे देश में भेदभाव का जमाना लद चुका है। यह एक मैसेज है, जिसे हमने देने का काम किया है।

महोदय, कई माननीय सदस्यो द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि रेलगाड़ियों की नई सेवाओं और विस्तार में देश के कुछ भागों को ही प्राथमिकता दी गई है और बाकी सबकी उपेक्षा की गई है। इस वर्ष 55 जोड़ी नई गाड़ियां घोषित की गई हैं। आपने कहा कि हम सब रेलगाड़ियों को बिहार ले गए। मैं बताना चाहता हूं कि नई रेलगाड़ियों में आना और जाना, दोनों मिलाकर 110 नई सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें से 20 उत्तर दिशा में, 24 दक्षिण दिशा में, 39 पूर्व दिशा में, 14 पश्चिम की तरफ और 13 मध्य क्षेत्र में रहेंगी।... *(व्यवधान)*

कृपया मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 24 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि से देश के सभी क्षेत्रों को लाभ होगा। हमने प्रयास किया है कि रेल सभी स्थानों एवं सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ हो। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नई गाड़ियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे और यह हमारी ड्यूटी है। हम सर्वे करेंगे और जहां भी हमें ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, वहां ज्यादा से ज्यादा रेलों के विस्तार का प्रयास करेंगे। हम भविष्य में किसी भी राज्य को नाराज नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी आमदनी में वृद्धि होगी।

महोदय, बिहार से रेल चलती है, तो ये लोग चर्चा करते हैं कि लालू यादव ने, बिहारियों ने कुछ नहीं किया, आलोचना करते थे कि

[अनुवाद]

"बिहार राज्य धनी है परन्तु वहां के लोग निर्धन हैं।"

[हिन्दी]

माननीय नेता विरोधी दल, श्री अटल जी और अन्य तमाम लोगों का आरोप था कि बिहार में इन्फ्रास्ट्रक्चर का कोई नामोनिशान नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हम बिहार के लोग दौलत पैदा करते हैं। हम बिहार के लोग, चाहे पूना हो, सूरत हो, पंजाब हो, मुंबई हो, तिनसुकिया हो, डिब्रूगढ़ हो या गुवाहाटी हो, जहां भी जाते हैं, वहां दौलत पैदा करते हैं। इस बात के साक्षी आज सभी माननीय सदस्यगण हैं कि जहां भी बिहारी जाते हैं वहां इतनी मेहनत–मशक्कत करते हैं कि वहां धन–संपदा में अपार वृद्धि होती है। हमने असम में जंगलों को साफ किया और उसे हम समृद्धि की ओर ले गए हैं। हम चायबागान में जाते हैं, हमारे बिहार के लोग राणा जी के यहां जाते हैं, राणा जी के यहां जाकर...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : आप बिहार से ट्रेन शुरू करें, लेकिन सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, वहां तक ले जाओ।... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : वहां पर ले जा रहे हैं। आपने भी कहा था कि हमारे यहां बिहार के आदमी बहुत हैं, ट्रेन भेजो। अगर आपका हुक्म हो, आपका अगर मेण्डेट हो जाए तो...*(व्यवधान)** ने कहा है कि हम एक भी बिहारी को अब बाहर नहीं जाने देंगे और यहीं पर सब को रोजी–रोजगार देंगे। हम ऐलान करना चाहते हैं कि आप... *(व्यवधान)** को तैयार करिए, हम सारी ट्रेनों को लौटा देंगे और जितने भी हमारे मजदूर बाहर चले गए हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जो नाम आया है, उसे हटाया जाए.

[अनुवाद]

क्योंकि वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह बात साफ होनी चाहिए, यह आप लोगों ने कहा है। सुनिए, ललन जी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेन में बिहार के मजदूर ही नहीं चलते, उन पर यात्री भी चलते हैं, केवल मजदूर थोड़े ही चलते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : एन.डी.ए. की सरकार हर आदमी को काम देने के लिए, रोजी–रोजगार देने के लिए तैयार हो जाए। आप रोजगार दीजिए...*(व्यवधान)* ललन जी सुनना चाहिए। बाद में सब आएगा, क्यों मुंह लगाते हो। जो सच है, यथार्थ है, उसको मानना चाहिए। आपने कहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हम लोगों के ऊपर आरोप है, दूसरों के ऊपर कि ये लोग पलायन कर गए हैं, मजदूर पलायन कर गए हैं...*(व्यवधान)* देखिए, स्वाईं जी, आपकी बात हमने बहुत धैर्य से सुनी। हमने रात को आपको पूछा, इन्वाइट भी किया कि बोलिएगा कि नहीं। आपने कहा कि आपने उड़ीसा को इतना दिया है, अब हम लोगों को बोलने की क्षमता नहीं है। इसलिए नहीं दिया *...(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : आप दूसरों का भाषण सुनकर मेरा नाम ले रहे हैं। कोई दूसरा बोला होगा, मैं नहीं बोला। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अच्छा बैठिए। आपके पास उड़ीसा के बारे में भाषण करने के लिए, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसलिए मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि बिहार से पलायन कर गए हैं, यह बात जो लोग बोले हैं, हम पावर से बेपावर हो गए तो हम जितने भी बिहार के मजदूर बाहर हैं, हम उनको फ्री रेल में लौटा देंगे, लेकिन रोजगार की गारंटी वहां पहले करो। बाकी जो रेल होगी, हम इन्हीं लोगों को दे देंगे।

बजट में अब जहां कम होगी, गाड़ी हम देंगे, इसमें कहीं दो राय है कि हम गाड़ी नहीं देंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, रेलवे परियोजनाओं के लिए निधियों के वितरण के बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है। इसमें राज्य का सुधार फार्मूला बेस पर होता है, असल में ओन गोइंग, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने बताया है हम खुद इस पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि 25 हजार करोड़ रुपया, जो भी सरकार आई, चाहे पोलिटिकल कंसीड्रेशन से या जनहित में सैंक्शन हो गया। 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, उसे दो करोड़ रुपये, तीन करोड़ रुपये या पांच करोड़ रुपया दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि चाहे कर्जा हमको लेना पड़े या हमारी मदद वित्त मंत्री चिदम्बरम जी कर देंगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स जो ऑन गोइंग हैं, जो ले लिए गए थे, उनको कैंसिल करने से लोगों में डिप्रेशन भी होगा, यह सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम देख रहे हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए। दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण की योजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता राशि का वितरण राज्यों के बीच प्रचलित फार्मूले के आधार पर किया गया है। इसके अलावा चार महापुलों के निर्माण हेतु बजटीय सहायता में से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के लिए 1750 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। इसमें से 750 करोड़रुपये की व्यवस्था बजटीय सहायता से, 500 करोड़ रुपये कैपिटल फंड से एवं 500 करोड़ रुपये बाजार से ऋण लेकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त थ्रूपुट संवर्धन योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए कैपिटल फंड के माध्यम से भी 1600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस वर्ष से दोहरीकरण योजनाओं के लिए पूरी की पूरी राशि की व्यवस्था कैपिटल फंड से की गई है। महोदय,

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि थ्रूपुट संवर्धन, यात्री सुविधा जैसे कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी और साल के दौरान योजना की प्रगति के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

महोदय, यहां मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय परियोजनाओं तथा उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला, कुमारघाट–अगरतला, जिरीबाम–इम्फाल रोड नई लाइनें एवं लमडिंग–सिलचर–जिरीबाम आमान परिवर्तन के लिए धन की व्यवस्था के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। चालू वर्ष के दौरान इनके लिए 1165 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। अगले वर्ष इन परियोजनाओं के लिए 2092 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष के दौरान प्रगति के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं अनेक माननीय सदस्यों ने मुंबई महानगर में और अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने का मुझसे अनुरोध किया है। श्रीमती भावना गवली ने पूर्णा–अकोला के लिए और राशि बढ़ाने का अनुरोध किया था। हम महिला सांसदों को टॉप प्रायरिटी देते हैं। इनको हमने बुलाकर इनकी मांगों को लिखा लिया था। ये बहुत अच्छा भाषण करती हैं। ये बिलासराव जी के स्टाइल में भाषण देती हैं।

महोदय, श्री बासुदेव आचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बोरीवली से वरार के बीच नयी सेवा शुरू करने हेतु एक लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन मुझे सौंपा है। जनभावना की कद्र करते हुए हमने वर्ष 2006–07 में मुंबई में लगभग 40 नयी उपनगरीय सेवाएं उपलब्ध कराने एवं लगभग 70 नौ डिब्बों वाली सेवाओं को 12 डिब्बों की सेवाओं में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे बोरीवली–विरार सेक्शन सहित समस्त मुंबई उपनगरीय सेवा के दैनिक यात्रियों को लाभ होगा। उस पर स्पेशल गाड़ी भी चलाई जाएगी। उस पर हमारा विशेष ध्यान है, क्योंकि वहां पर बहुत दिक्कत हो रही है।

महोदय, बजट भाषण में मैंने 22 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पश्चिमी और पूर्वी मार्गों पर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। वामपंथी सहयोगियों के विशेष अनुरोध पर ही मैंने कोलकाता के निकट अवस्थित बंदरगाहों की ओर जाने वाले मार्ग को पूर्वी कॉरिडोर से जोड़ने का निर्देश दिया था, जिसका उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में किया था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा डायमंड हारबर का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है, एवं सरकार द्वारा भी कंटेनर एवं पेट्रोलियम पदार्थों से भरे समुद्री जहाजों के लिए उपयुक्त बंदरगाह बनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की 'लुक ईस्ट' नीति के तहत दक्षिण–पूर्वी एशिया के देशों एवं चीन, जापान इत्यादि के साथ आयात–निर्यात ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। बजट घोषणा के संदर्भ में वामपंथी सहयोगियों सहित पूरे सदन को मैं एक बार फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के हितों विशेषकर कोलकाता के निकट अवस्थित बंदरगाहों के विकास हेतु जरूरी रेल संरचना एवं फ्रैट कॉरिडोर के विकास हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई बिना विलंब के पूरी की जाएगी। मैं बासुदेव दादा सहित सभी वामपंथी मित्रों से कहना चाहूंगा–'बने चाहे दुमश्न जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।' आप सभी को लाल सलाम।

महोदय, आंध्र प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार एवं विकास से संबंधित एक ज्ञापन मुझे दिया है। वर्ष 2006–07 के लिए राज्य का कुल परिव्यय 422 करोड़ रुपये रखा गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है। गूटी से रेनीगुंटा के दोहरीकरण के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए इस वर्ष 68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस योजना के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। जगियापेट से मल्लाचेरुवू एवं विष्णुपुरम से जनपहाड़ तक नयी लाईन के निर्माण का प्रस्ताव योजना आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। मैंने निर्देश दिया है कि इस योजना की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई अगले एक माह में पूरी की जाए। धर्मावरम–पकाला आमान परिवर्तन के लिए भी कार्य की प्रगति के अनुसार अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सांसदों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकलेश्वर से राजपीपला आमान परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेज दिया गया है।

दरभंगा से कुशेश्वर स्थान तक नई लाइन निर्माण के सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। इस योजना की स्वीकृति के लिए भी प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा जा रहा है। पनोली रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। इस कार्य को अविलंब स्वीकृत करने का मैंने निर्देश दिया है। कई अन्य सदस्यों ने भी अपने क्षेत्रों में रेल ओवर ब्रिज के निर्माण का अनुरोध किया है। मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संबंधित राज्य सरकार की 50 प्रतिशत राशि का वहन करने की सहमति प्राप्त होने के बाद बिना विलंब के स्वीकृति दी जाएगी।

केरल राज्य के सभी सांसदों ने बैंगलोर से त्रिवेंद्रम के बीच

[श्री लालू प्रसाद]

एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने, कुछ महत्वपूर्ण मार्गों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा आमान परिवर्तन की मांग की है। इनकी मांग बोनाफाइड और जायज है।

[अनुवाद]

उनमें कुछ कठिनाइयां हैं, परन्तु मैं उन पर गंभीरता से विचार करूंगा।

[हिन्दी]

असम राज्य के सांसदों ने भी दुर्लभछरा–बराईग्राम तक आमान परिवर्तन के लिए सर्वे, काटाखाल–मैराबी आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाने और न्यू मैनागुरी–जोगीघोपा नई लाइन के कार्य को तेजी से पूरा करने तथा असम में नए स्लीपर फैक्ट्री की स्थापना करने का अनुरोध किया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केरल एवं असम के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और सभी उपयुक्त मांगों पर समयवत कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

लोग कठिनाइयों को भली–भांति जानते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आगे बताते हैं।...*(व्यवधान)* बैंगलोर–सत्यमंगलम नई लाइन वाया कनकपुरा, चामराजनगर एक स्वीकृत परियोजना है। इसमें बैंगलोर से चामराजनगर वाया कनकपुरा का फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है तथा चामराजनगर से सत्यमंगलम के बीच जो कि जंगल का क्षेत्र है, सर्वे चल रहा है। इसके पूरा होते ही इस लाइन के निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय सांसदों के अनुरोध पर मैंने जेजो से श्री आनंदपुर साहिब वाया गढ़शंकर के बीच नई लाइन का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इससे ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर की नगरी अमृतसर एवं सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब जुड़ जाएंगे। गोपालपुर–रायगढ़ रेल लिंक के निर्माण के लिए सर्वे कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। हंसडिहा से गोड्डा तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वे का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के माननीय सांसदों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस बजट में असम राज्य के मुरकोंग सेलेक से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक नई लाइन निर्माण के लिए सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

महोदय, विकलांग व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे हाल ही में मिला था। मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि रेलवे द्वारा उनके हितों एवं सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। भारतीय रेल में विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पार्किंग, रैम्प, शौचालय, पेयजल, नल इत्यादि चरणबद्ध तरीके से निर्मित किए जा रहे हैं। गाड़ियों में भी विकलांगों की जरूरतों का विशेष ख्याल रखते हुए 1,200 नए डिब्बे गाड़ियों में लगाए जा चुके हैं और शीघ्र ही सभी मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेन में इन डिब्बों की व्यवस्था की जाएगी। अगर स्टेशनों पर कोई विकलांग अंधा या बहरा है, हमारे जो भाई या बच्चे विकलांग एक नम्बर प्लेटफार्म पर बैठे रहते हैं और गाड़ी दो नम्बर प्लेटफार्म पर जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए हम वह सिस्टम भी करने जा रहे हैं ताकि जो लोग आंख से देख नहीं पाते हैं, अगर गाड़ी दो नम्बर प्लेटफार्म पर शिफ्ट हो गई तो हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन्हें बताएंगे कि यह गाड़ी दो नम्बर प्लेटफार्म पर आएगी। उनके लिए और भी जो व्यवस्था है, वह हम करेंगे।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का हमने संज्ञान लिया है। हमारे वरिष्ठ नेता श्री हरिन पाठक ने एक वीकली नई ट्रेन अहमदाबाद से अमृतसर जनहित में चलाने की मांग की है।

[अनुवाद]

मैं इन पर गंभीरता से विचार करूंगा जिससे कि लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

[हिन्दी]

हमारे माननीय सांसद श्री अशोक अर्गल तथा मध्य प्रदेश के अन्य माननीय सदस्य उत्तर मध्य रेलवे के मुरैना रेलवे स्टेशन पर आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि मुरैना रेलवे स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। अगर मध्य प्रदेश के सांसद सदन में बैठे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम वहां इनका ठहराव देंगे। लेकिन वहां यात्रियों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मुरैना एक बदनाम इलाका है। ग्वालियर से श्योंपुर कलां–कोटा तक आमान परिवर्तन की आवश्यकता पर हमारा ध्यान दिलाया गया है। इसे हम देख रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम सब प्वाइंट्स पर आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

महोदय, हमारे उदयमान सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने अपने भाषण में बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हम उन सब सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। उनकी मांग है कि कुरुक्षेत्र को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं माननीय सांसद श्री जिंदल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र पूज्य भूमि है। उस भूमि पर हम लोगों ने भगवान कृष्ण के नेतृत्व में

लड़ाई भी लड़ी है। हम निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र को मॉडल स्टेशन बनाएंगे।

माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव ने औरंगबाद से लेकर बिहटा तक रेल लाइन बिछाने की मांग की है। हम इसे गंभीरता से देख रहे हैं। मगध एक्सप्रेस की तरफ भी हमारा ध्यान है। माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी ने राजस्थान राज्य की विभिन्न योजनाओं के विषय में, पर्यटकों के विषय में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं श्री दुष्यंत सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान से बात करेंगे और राजस्थान के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, उसे करेंगे। इस पर हमारा ध्यान है। हमारे दूसरे माननीय सांसद श्री अशोक प्रधान जी ने खुर्जा में डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर का टर्मिनल होने की मांग की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : आपने विस्तार तथा रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाने का उल्लेख नहीं किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : श्रीमती किरण महेश्वरी जी और सभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी मांगें रखी हैं।...*(व्यवधान)*

डा. राम लखन सिंह (भिंड) : भिंड छूट गया है। आप भिंड के बारे में बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अभी हमारा उत्तर खत्म नहीं हुआ है। मैं सब बताऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : मंत्री जी, आपने हमारा नाम लिया है, लेकिन आपने क्या किया है, इस बारे में कुछ नहीं बताया।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हमारी आपसे बात हो चुकी है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आप अहमदाबाद आमान परिवर्तन के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालिए कि इस बारे में आप क्या करने वाले हैं?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम बिना फाइल देखे हुए कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ बोल दिया तो उलटा हो जाएगा। हम वह फाइल देख लेंगे। हमारी आपसे पास बात हो चुकी है।...*(व्यवधान)* मेरा उत्तर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)* सभी माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महातमा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर, गांधी बाबा के सम्मान में हम एक ट्रेन चला रहे हैं।... *(व्यवधान)* हम उसे पोरबंदर तक भेज देंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा जो बातें कही गई हैं, उसे हमने अपने संज्ञान में ले लिया है। आप सब लोगों ने जितने सवाल उठाए हैं, उन सबको हम संज्ञान में लेकर ध्यान देंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रेल बजट वर्ष 2006–07 के लिए...*(व्यवधान)*

श्री भैंवर सिंह डांगावास (नागौर) : आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? दो साल से मैं आपके पास आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैंने आपसे कहा था कि आपका काम हो जाएगा।

श्री भंवर सिंह डांगावास : वह काम कहां हुआ है?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अगर वह काम नहीं हुआ, तो हो जाएगा। आज यह फाइनल थोड़े ही हो रहा है।

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि रेलव की आगामी 2006–07 के लिए लेखानुदान, चालू वर्ष 2005–2006 की पूरक मांगों और 2003–04 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों तथा इससे संबंधित विनियोग विधेयकों को अपनी स्वीकृति दीजिए। फिर जो छूटा हुआ काम है, उसे आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : आप यहां कम से कम आश्वासन तो दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण–मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई सबरबन रेल के लिए कुछ नहीं दिया है। मैं इसके विरोध में वॉक–आउट करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 1.56 बजे

(तत्पश्चात् श्री मोहन रावले सभा–भवन से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 2006–07 की अनुदानों की मांगे (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में मांग 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी के लिए या के संबंध में, कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा

लोक सभा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 2006–07 के लिए लेखानुदान की मांगों (रेलवे) की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की की जाने वाली लेखानुदान की मांगों की राशि (रुपये)
1	2	3
1	रेलवे बोर्ड	14,16,73,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	46,59,27,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	359,62,02,000
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	659,72,21,000
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	355,94,07,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	717,86,62,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	386,15,41,000
8	परिचालन व्यय–चल स्टाक और उपस्कर	529,09,58,000
9	परिचालन व्यय–यातायात	1778,54,77,000
10	परिचालन व्यय–ईंधन	1812,59,70,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	289,92,42,000
12	विविध संचालन व्यय	309,30,53,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं–निवृत्ति लाभ	1325,96,98,000
14	निधियों में विनियोग	3208,32,33,000
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,12,000
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	8,33,33,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	3926,07,57,000
	रेलवे निधियां	2411,44,00,000
	रेलवे संरक्षा निधि	118,47,00,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	391,66,17,000
	जोड़	18654,08,83,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वर्ष 2005–06 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (रेल) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में मांग 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14 और 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा

लोक सभा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 2005–06 के लिए अनुदान की पूरक मांगों (रेलवे) की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की की जाने वाली अनुदान की पूरक मांगों राशि (रुपये)
1	2	3
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	62,67,08,000
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	35,04,35,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	144,46,78,000
10	परिचालन व्यय–ईंधन	1013,25,87,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	43,72,56,000
12	विविध संचालन व्यय	18,61,43,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं–निवृत्ति लाभ	77,67,58,000
14	निधियों में विनियोग	3982,55,00,000
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	4,88,72,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1054,45,07,000
	रेलवे निधियां	2659,62,89,000
	जोड़	9096,97,33,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं वर्ष 2003–2004 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य–सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 14, 15 और 16 के संबंध में 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य–सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा

लोक सभा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 2003–04 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों (रेलवे) की सूची

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की की जाने वाली अनुदान की अतिरिक्त मांगों की राशि (रुपये)
1	2	3
14	निधियों में विनियोग	681,61,81,059
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण का भुगतान और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	71,66,71,479
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	239,45,64,676
	विशेष रेल संरक्षा निधि	132,53,79,722
	जोड़	1125,27,96,936

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.59 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 14 लेंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006–07 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006–07 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 15 लेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006–07 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006–07 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

अपराह्न 2.00 बजे

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.01 बजे

विनियोग (रेल) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा कार्य की अनुपूरक सूची की मद सख्या 15क को लेगी।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष (2005–06) की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष (2005–06) की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम कार्य की अनुपूरक सूची की मद संख्या 15ख लेंगे।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2005–06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2005–06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.02 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा कार्य की अनुपूरक सूची, मद संख्या 15–ग, को लेगी।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लालू प्रसाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुपूरक कार्य–सूची मद संख्या 15घ पर विचार करेगी।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री लालू प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.06 बजे

चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2006

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 16 पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री संशोधनों को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छप्पनवें" शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" अंक के स्थान पर "2006' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-19

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 24 और पंक्ति 27 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'छप्पनवें' शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-19

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 24 और पंक्ति 27 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे

प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'छप्पनवें' शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खंड-19

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 24 और पंक्ति 27 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रेमचंद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.10 बजे

लागत और संकर्म अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 लेंगे। माननीय मंत्री संशोधनों को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छप्पनवें" शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" अंक के स्थान पर "2006' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-20

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 6 और पंक्ति 9 में दोनों स्थानों

पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छप्पनवें" शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" अंक के स्थान पर "2006' अंक प्रतिस्थापत किया जाए।

खंड-20

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 6 और पंक्ति 9 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे।

अधिनियमन सूत्र

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "छप्पनवें" शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में "2005" अंक के स्थान पर "2006' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-20

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 10, पंक्ति 6 और पंक्ति 9 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.11 बजे

कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 लेंगे। अब मंत्री महोदय संशोधनों पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'छप्पनवें' शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-20

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 15 और पंक्ति 18 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'छप्पनवें' शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड-20

3. कि पृष्ठ 10, पंक्ति 15 और पंक्ति 18 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लेंगे।

अधिनियमन सूत्र

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'छप्पनवें' शब्द के स्थान पर "सत्तावनवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-20

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 10, पंक्ति 15 और पंक्ति 18 में दोनों स्थानों पर "2005" अंक के स्थान पर "2006" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।

श्री प्रेमचंद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.10 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.10 बजे पुनः समवेत हुई।*

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

---

*अपराह्न 3.30 बजे गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 3.34 बजे गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। अपराह्न 3.38 बजे गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात, महासचिव ने उपस्थित सदस्यों को निम्नलिखित जानकारी दी :

"माननीय सदस्यगण सभा में गणपूर्ति नहीं हैं। जब तक गणपूर्ति नहीं होगी तब तक सभा की बैठक नहीं हो सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभा आज अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होगी।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण अब हम मद संख्या 19, गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे, श्री छेवांग थुपस्तन।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 2 मार्च, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 मार्च, 2006 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.11 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक– पुरःस्थापित

(एक) वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2005*

(नई धारा 3ग का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.12 बजे

(दो) विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष सिंचाई विकास निधि की स्थापना करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित** करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुबोध मोहिते–उपस्थित नहीं

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन–उपस्थित नहीं

श्री सी. के. चन्द्रप्पन–उपस्थति नहीं

श्री पी. करुणाकरन–उपस्थित नहीं

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल–उपस्थित नहीं

श्री मोहन सिंह–उपस्थित नहीं

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 4.14 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–विचाराधीन

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, अब हम श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर आगे विचार करेंगे। डा. पी. पी. कोया खड़े हुए थे और वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

डा. पी. पी. कोया–उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने के लिए सूची में आप अगले वक्ता हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : कृपया कोशिश कीजिए और लम्बा तथा प्रेरक भाषण दीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सभापति महोदय, धन्यवाद।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे राज्य द्वारा सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ पोषक आहार प्रदान करने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ इन्होंने एक नए अनुच्छेद नामत: अनुच्छेद 45क के अंत:स्थापन हेतु कहा है। इसलिए, मैं यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए इस सभा के माननीय सदस्य श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी का धन्यवाद देता हूं।

यह विधेयक वास्तव में हमारे देश के बच्चों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के तीन पहलुओं से संबंधित है।

- वे बच्चे जो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्राथमिक विद्यालय में नहीं आ पाते;
- वे बच्चे जिन्हें पोषक आहार नहीं मिल पाता; और
- वे बच्चे जिन्हें अपनी युवावस्था अथवा बचपन श्रमिकों के रूप में बिताकर अपनी आजीविका कमाने के लिए सामाजिक और आर्थिक मजबूरी के कारण बाध्य किया जाता है।

—हमारे देश के बच्चों विशेषकर हमारे देश के कम सुविधा सम्पन्न और कुपोषित बच्चों की उस समस्या का समाधान करना ही लक्ष्य है।

सामान्यत: जो बच्चे समाज के गरीब वर्ग से आते हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है। आज इस देश में हमारे पास मूलत: तीन तरह के स्कूल हैं। एक तरह के स्कूल निजी तौर पर चलाए जाते हैं परन्तु उन्हें 'पब्लिक स्कूल' कहा जाता है। एक तरह के स्कूल विभिन्न सोसायटियों जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, अरविंद शिक्षा केंद्र, सत्य साई सेवा अनुष्ठान इत्यादि द्वारा चलाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं और सामान्य निजी स्कूल नहीं जो कि विभिन्न मिशनरियों तथा विभिन्न ट्रस्टों द्वारा चलए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्कूल अथवा 'बी' ग्रेड के स्कूल हैं जो भिन्न–भिन्न राज्य माध्यमिक बोर्डों से संबद्ध हैं। तीसरे हैं सरकारी स्कूल जो सभी व्यवहारिक अर्थों में पब्लिक स्कूल हैं किंतु वे 'सरकारी स्कूल' कहलाते हैं। हमारे यहां समाज में तीन स्तरीय स्कूल स्तरीकरण है।

सरकार का गत 10 से 15 वर्षों में अपनी समझ से प्रयास रहा है कि वे सरकारी स्कूलों को लक्ष्य बनाएंगे; वे नगर निकायों और स्थानीय निकायों द्वारा चलए जाने वाले स्कूलों को लक्ष्य बनाएंगे; वे उन स्कूलों को लक्ष्य बनाएंगे जो शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत आते हैं; वे उन स्कूलों को लक्ष्य बनाएंगे जो वैकल्पिक और नवसारी शिक्षा के लिए जाने जाते हं। वह मानव संसाधन मंत्रालय द्वार चलाई जाने वाली अलग शाखा है। उनकी कोशिश सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी लक्ष्य बनाने की है। ये ऐसे स्कूल हैं जिनमें मिड–डे मील दिया जा रहा है।

मिड–डे मील हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। शुरू में यह जापान में था और यह 1805 एडी अथवा 1806 एडी में शुरू हुआ था जब एक निजी स्कूल में स्कूली बच्चों को पहला नि:शुल्क मध्याह्न भोजन दिया गया था। उस निजी स्कूल ने बच्चों की दुर्दशा को देखते हुए इस भोजन को पूरे विश्व में शुरू किया। जापान पहला देश था जिसने जापान में अलग तरह से यह मिड–डे मील भोजन शुरू की थी। कारपोरेशन ऑफ मद्रास पहला कारपोरेशन था जिसने 1925 या 1926 में उन स्कूलों में मिड–डे मील प्रदान करने की यह योजना शुरू की थी जो उस समय कारपोरेशन द्वारा चलाए जाते थे। तत्पश्चात् 1982 में तमिलनाडु सरकार ने सम्पूर्ण राज्य में मिड–डे मील प्रदान करने हेतु सारे राज्य में बड़े पैमाने पर यह योजना शुरू की थी। तत्पश्चात् पांडिचेरी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने उस उदाहरण का अनुसरण किया। इन चार राज्यों में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के समय पोषक आहार प्रदान करने के लिए

[श्री भर्तृहरि महताब]

मिड–डे मील शुरू किया गया था। बाद में 1990 में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक विद्यालयों को मिड–डे मील प्रदान किया जाएगा और तद्नुसार वित्तीय सहायता दी गई और भारतीय खाद्य निगम को संबंधित राज्य सरकारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ताकि इसे सभी स्कूलों को वितरित किया जा सके।

इसमें कुछ स्वाभाविक समस्याएं हैं। खाद्य लोगों की बुनियादी आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत से बच्चे कुपोषण और अल्प–पोषण से पीड़ित हैं। उनके बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता है। एक स्वस्थ समाज तभी विकसित हो सकता है जब उसके बच्चे स्वस्थ हों। जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को सरकार द्वारा पोषक आहार प्रदान किया जाता है तो उन्हें अनाज के बदले काम नहीं करना पड़ेगा।

50 के दशक के शुरूआत में अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से एक प्रयास किया गया था। तब आश्रम स्कूल की अवधारणा शुरू की गई थी। बच्चों का गावों से चयन किया जाता था और उन आश्रम स्कूलों में लाया जाता था जो मूलतः आवासीय स्कूल थे। वे विशेष रूप से आदिवासियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए बने थे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पिछले दस से पंद्रह वर्षों से वे स्कूल धीरे–धीरे बंद हो रहे हैं। उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। कहीं कुछ समस्या है। निधियों का प्रवाह भी एक समस्या है। विद्यार्थी स्कूलों में नहीं आ रहे हैं और विभिन्न राज्यों में उन स्कूलों में लगे हुए शिक्षक भी छोड़कर जा रहे हैं।

वही समस्या हमारे राज्य में भी है। पिछले तीन या चार वर्षों से शिक्षकों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। विद्यार्थियों को भी कोई सहायता नहीं दी जाती। यहां तक कि आज कुछ राज्यों में बच्चों को जो वर्दी दी जानी थी वह भी नहीं दी जा रही है।

हम स्कूली बच्चों को पोषक आहार देने की बात कर रहे हैं। परन्तु हमारे यहां दो तरह की स्कूल व्यवस्था है। एक है प्राथमिक स्तर की और दूसरी है माध्यमिक स्तर की। सरकार ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा में एक विशिष्टता रखी है। कक्षा–1 से कक्षा–5 तक के बच्चों को मिड–डे मील प्रदान किया जा रहा है। परन्तु प्राथमिक स्तर कक्षा–5 पर समाप्त नहीं होता। यह कक्षा–7 तक जाता है। अधिकांश प्राथमिक स्कूल कक्षा–7 तक शिक्षा देते हैं परन्तु भोजन कक्षा–5 तक के बच्चों को ही दिया जा रहा है। आप ऐसे स्कूल में कल्पना कर सकते हैं जहां कक्षा–5 तक के विद्यार्थियों को मिड–डे मील प्रदान किया जाता है और कक्षा–6 और कक्षा–7 के बच्चों को मिड–डे मील प्रदान नहीं किया जाता। यह समस्या स्कूल परिसर में पैदा की जाती है।

इस भोजन के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला भोजन अच्छी कैलोरी युक्त होना चाहिए। सरकार चावल, कुछ दाल, थोड़ा सा तेल और कुछ सब्जी दे रही है। सरकार या स्कूल निरीक्षकों द्वारा कुछ लोगों को इन चीजों को खरीदने और बच्चों को प्रदान करने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक स्कूल में इस योजना को चलाने के लिए दो व्यक्ति दिए जाते हैं। पहले उनके पारिश्रमिक की गणना नहीं की जाती थी। बाद में सरकार ने कुछ और भोजन परोसने वाले व्यक्ति के लिए धन देना शुरू कर दिया। किंतु उन लोगों को वह पारिश्रमिक हर माह नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ धन प्रदान किया जा रहा है। परन्तु एक मांग है कि यह भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए।

कुछ समय पूर्व उड़ीसा सरकार ने मिड–डे मील योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को एक अंडा प्रदान करने का निर्णय लिया था। तथापि, देश में बड़े पैमाने पर बर्ड–फ्लू का संकट खड़ा होने के पश्चात् वह प्रथा समाप्त कर दी गई थी।

पश्चिम बंगाल में उदाहरणार्थ संबंधित स्कूलों में प्रत्येक दो सप्ताह में मछली प्रदान की जाती है। यह सब आयोजित करने वाले स्थान पर निर्भर करता है; यह ग्राम शिक्षा समिति जो इन प्राथमिक विद्यालयों द्वारा बनाई जाती है उस पर निर्भर करता है। वे मिड–डे मील भोजन में कितनी रुचि लेते हैं? इनके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार भी आया है कि दिल्ली में भी दो वर्ष पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में भी भोजन में मिलावट की घटना हुई थी जहां अनेक विद्यार्थियों को अस्पताल भेजा गया था और वे उपचार के लिए तीन या चार दिन अस्पताल में रहे थे। यह केवल दिल्ली की स्थिति नहीं है, अच्छी तरह से भोजन नहीं पकाने के कारण बहुत से राज्य प्रभावित हुए हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निरक्षरता हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मानवीय असुरक्षा को कम करने में प्राथमिक शिक्षा के दायरे का विस्तार निश्चित रूप से निवारक भूमिका अदा करेगा। ऐसा डा. अमर्त्य सेन का विचार है।

भारत में शिक्षा के व्यापक प्रसार के प्रति प्रतिबद्धता की उतनी कमी नहीं है जितना कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना। आज भारत की निरक्षरता दर विश्वस्तरीय औसत 80 प्रतिशत की दर की तुलना में 65 प्रतिशत है। भारत में विश्व की कुल वयस्क निरक्षरता का 30 प्रतिशत है। इसके साथ ही 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के 21 करोड़ बच्चों में से 20 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक विद्यालय नहीं जा पाते। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हमने प्रारंभ किया है, के प्राथमिक शिक्षा के दायरे में उन 20 प्रतिशत बच्चों को लाने का प्रयास जारी है जो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहते हैं। लेकिन हमारे यहां लगभग 21 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को दोपहर का भोजन योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है लेकिन सारे बच्चों को पोषक भोजन की जरूरत है। लेकिन बहुत थोड़े–से बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाता है जबकि बहुत से बच्चों को दिन में एक बार भी खाना नहीं मिल पाता। हमारे देश में बच्चों की यही खतरनाक स्थिति है। यह सब कुछ अनेक सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद है।

प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले बहुत–सी प्रोत्साहक योजनाओं में दोपहर का भोजन नामक योजना सबसे लोकप्रिय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है विद्यालय में बच्चों को भोजन देने का कार्यक्रम की स्थानीय शिक्षक तथा स्थानीय शिक्षा समिति द्वारा उचित निगरानी की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उन घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो प्रकाश में आई हैं। उदाहरण के लिए झूठे रजिस्टर रखे जाते हैं या जब विद्यालय में अनाज पहुंचता है तो अगले ही दिन उपस्थिति बढ़ जाती है। बाद में, उपस्थिति उतनी नहीं होती। माल ढुलाई के लिए झूठे बिल बनाए जाते हैं। ऐसा केवल मीडिया द्वारा प्रकाश में नहीं आया है बल्कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी यह बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ये सारी बातें हैं।

यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि इस चोरी को रोकने के लिए उचित तंत्र का विकास किया जाना चाहिए। जब तक चोरी नहीं रुकती है, इस कार्यक्रम से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होगा। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि बच्चों को विद्यालय में लाया जाए ताकि लड़के या लड़कियां अध्ययन करें और अधिक समय तक वहां रहें। यू.एन. की रिपोर्ट जिसे ग्लोबल स्कूल फीडिंग रिपोर्ट कहा जाता है का दावा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा कभी–कभी एक वर्ष के अंदर ही छात्रों की संख्या दुगनी हो जाती है।

इससे शैक्षिक निष्पादन में 40 प्रतिशत का सुधार आता है, बच्चे विद्यालय में देर तक रहते हैं और इस पर खर्च न्यूनतम है। ये चार बातें हैं जो यू.एन.ए. की रिपोर्ट में कही गई हैं। उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में एक अध्ययन किया है। लेकिन भारत में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि उपस्थिति और विद्यालय में बने रहने के अतिरिक्त बच्चे को यहां पौष्टिक आहार मिलता है। यही मुख्य मुद्दा है जिसे इस विधेयक के प्रस्तावक श्री रेड्डी जोर दे रहे हैं कि हमें बच्चों को विद्यालय में लाना है और शिक्षा के अतिरिक्त उसे पौष्टिक आहार भी देना है ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें।

इस योजना ने कम से कम कुछ सामाजिक लक्ष्य, जैसे लिंगानुपात में कमी लाना, प्राप्त किया है। इसने वर्ग और जाति संबंधी पक्षपात को भी चुनौती दी है। जब लोग विद्यालय के बरामदे में एक साथ बैठते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक क्रांति जन्म ले रही होती है। इससे समाज की सोच बदल रही है। कोई साफ तौर पर देख सकता है कि हमारे देश में यह बदलाव कैसे आ रहा है। लेकिन आज भी इस बात का खतरा है कि दोपहर का भोजन योजना आज भी तदर्थ आधार पर चलती रहे। इस प्रकार की इर्ष्या यहां है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्राथमिक विद्यालयों में करोड़ों रुपये का वित्त पोषण हो रहा है, अवसंरचना सृजित की जा रही है। विद्यालय भवन बनाए जा रहे हैं, बहुत से शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं और सहायक शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। ये सारी बातें चल रही हैं।

इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास होना चाहिए कि विद्यालय परिसर में, जहां शिक्षा दी जा रही है, भोजन तैयार करने के कारण उत्पन्न व्यवधान को रोका जाए क्योंकि दिल्ली को छोड़कर बहुत से राज्यों के प्राथमिक विद्यालय 10 बजे शुरू होते हैं, 12 बजे मध्याह्न से 12.30 बजे तक उनका विश्राम होता है और विद्यालय 4 बजे तक चलते हैं। इसलिए, ऐसा माना जाता है कि हर बच्चा अपने विद्यालय में लगभग छह घंटे तक रहता है और दोपहर का भोजन मध्याह्न भोजनावकाश के दौरान दिया जाता है। उस भोजन को पकाने के लिए दो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। एक बार जब भोजन तैयार हो जाता है और बच्चों को इसकी महक मिल जाती है तो उनका दिमाग उधर चला जाता है। इसलिए, इसे कैसे अलग किया जाए?

महोदय, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में कई विद्यालय देखे जहां रसोईघर भी नहीं हैं। इस कार्य में एमपी लैड्स से राहत मिल रही है और हमने कई विद्यालयों में रसोईघर बनवाए हैं। अब कम से कम

[श्री भर्तृहरि महताब]

स्वच्छ रसोईकक्ष तो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वस्तुतः, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत तीन कमरे, कक्षा के लिए पांच कमरे बनाए जा रहे हैं; और कई योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण का प्रबंध किया है जिससे कि शौचालयों में 24 घंटे पानी की उपलब्धता बनी रहे।

लेकिन अब, वर्ष 2005–06 में, हम लोगों ने रसोईघर बनाना शुरू किया है जिससे यह भोजन उचित रूप से तैयार हो सके। लेकिन यह विद्यालय परिसर में ही बनाया जाता है। यह समस्या आ रही है। मैं माता–पिता, शिक्षकों और विद्यालय शिक्षा समिति को विश्वास दिलाने में असमर्थ हूं। यदि सभा से दोनों कार्यों को अलग करने में कोई राहत मिल जाए तो मैं प्रसन्न होऊंगा।

मैं यह भी कहता हूं कि कुछ राज्य और विभिन्न राज्यों में कुछ संगठन इस समय पौष्टिक भोजन देने के प्रति उदासीन हो गए हैं–वे पहले भी उदासीन थे–कभी उड़ीसा राज्य में भी सरकार ने अपने विवेक से यह निर्णय किया था कि यह तैयार भोजन नहीं देगी बल्कि वह बच्चों को केवल अनाज देगी, बच्चे अपने घरों में भोजन बनाएंगे और विद्यालय जाएंगे। इसलिए, यह जिम्मेदारी माता–पिता पर डाल दी गई, इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। इस प्रकार यह तय किया गया कि यह अच्छा होगा यदि भोजन शिक्षण संस्थानों में ही पकाया जाए और वहीं उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं इस सभा को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि बार–बार की न्यायिक घोषणाओं के बाद दोपहर का भोजन योजना पूरे देश में प्रारंभ की गई।

लेकिन समस्या यह है कि वर्ष 2003–04 में प्राथमिक विद्यालयों में जिन 10.5 करोड़ बच्चों के नाम दर्ज थे उनमें से केवल 53 प्रतिशत बच्चों को ही तैयार भोजन दिया गया। दिसम्बर, 2004 तक यही रिपोर्ट है जिसे मैंने पढ़ा है, कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम सहित आठ राज्यों में अभी भी इस भोजन वाली योजना का पूर्ण विस्तार किया जाना है। ये इसके अंतर्निहित कमियां हैं। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आज की वर्तमान स्थिति क्या है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 21 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 20 प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं जाते।

उस बात को हम छोड़ भी दें तो क्या उन विभिन्न राज्यों में छात्रों की संख्या वांछित स्तर तक है जिन्हें दोपहर का भोजन दिया जा रहा है? केवल ऐसी गणना के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि यह दोपहर का भोजन कहां तक सफल है। वस्तुतः भोजन देना प्राथमिक विद्यालय का मूलभूत उद्देश्य नहीं है। भोजन के बाद बच्चों को नींद आने लगती है और बच्चा शायद यह सोचने लगता है कि विद्यालय आने का उसका मकसद पूरा हो गया है।

खाना खिलाने में काफी समय लग जाता है। सामान्यतः, एक प्राथमिक विद्यालय में विश्राम का समय मात्र 15–20 मिनट या अधिकतम आधे घंटा का होता है। लेकिन खाने के लिए एक साथ बैठना, भोजन करने, फिर बर्तन धोने और पुनः पढ़ाई के लिए लौटने में काफी समय निकल जाता है। मेरे चुनाव क्षेत्र के जिले में मैंने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग को भी यह समझाने की कोशिश की कि क्यों नहीं विद्यालय 6.30 बजे सुबह या 7 बजे सुबह से शुरू किया जाए ताकि बच्चे दोपहर के भोजन के बाद 4 बजे तक विद्यालय ठहरने के बदले अपने–अपने घरों को चले जाएं। यह अच्छा होगा कि विद्यालय प्रथम चरण में ही समाप्त हो जाएं ताकि वे भोजन करें और अपने–अपने घर लौट जाएं। वस्तुतः, कुछ राज्यों में ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां इस प्रकार के विचार रखे जाते हैं तो वहां ऐसा हो सकता है।

अब और कुछ नहीं कहना है। मैं सरकार को इस बात के लिए तैयार करना चाहूंगा कि इस दोपहर का भोजन योजना को केवल कक्षा पांच स्तर तक ही सीमित न किया जाए। कृपया इसे कक्षा सात तक के लिए बढ़ाया जाए ताकि पूरी प्राथमिक शिक्षा को इसमें सम्मिलित किया जा सके। सरकार को जिलों तथा राज्यों तक अनाज की उचित रूप में ढुलाई सुनिश्चित करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि हर राज्य अपने यहां बच्चों की औसत संख्या के अनुसार उनको आवंटित अनाज ले जाएं।

तीसरी बात, रसोइया और खाना परोसने वाले, दोनों व्यक्तियों जिनका भुगतान केन्द्रीय बजट से किया जा रहा है, को नियमित किया जाना चाहिए।

अंततः, इस भोजन को थोड़ा और पौष्टिक बनाने के लिए थोड़ा और धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। थोड़ी और राशि दी जानी चाहिए जिससे कि गेहूं का आटा के बदले कोई अन्य पौष्टिक आहार दिया जा सके। कई राज्य सरकारें मछली, अंडे या मांस कम से कम तीन महीने में एक बार दे रही हैं। दाल एक महत्वपूर्ण अवयव है जो बच्चों को ताकत दे सकता है। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए बच्चों की सहायता हेतु इससे काफी मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, श्री सुधाकर रेड्डी

द्वारा लाए गए विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ता टिप्पणी कर रहे थे, यह विधेयक 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवर्य शिक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से लाया गया है। इस विधेयक के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 45(क) जोड़ने के निमित्त है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है :

"राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

सभापति महोदय : क्या आप संविधान से पढ़ रहे हैं?

प्रो. एम. रामदास : जी हां, महोदय। श्री रेड्डी अनुच्छेद 45 के बाद 45(क) के रूप में एक और धारा जोड़ना चाहते हैं।

सभापति महोदय : क्या आप राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से पढ़ रहे हैं?

प्रो. एम. रामदास : जी, हां। उनके तर्क के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको अनिवार्य से खिलाना और पौष्टिकता संबंधी मदद एक अभीष्ट वस्तु या पूर्व शर्त है।

मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिस सामाजिक ढांचे के तहत आज हम रह रहे हैं उसमें कई असमानताएं और द्विविभाजन हो गए हैं जिसके कारण लोगों में भोजन की मात्रा या उसकी पौष्टिकता में बहुत असमानताएं आ गई हैं, बच्चों को कम उम्र में पोषण का प्रबंध करना अनिवार्य हो गया है, विशेषकर जब आप भारत के संदर्भ में देखते हैं तो हम ग्रामीण और शहरी दो तरह के बच्चों को पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को बड़ा वर्ग ज्यादा वंचित है। ग्रामीण क्षेत्र में जाति–वार असमानताएं हैं। हमारे यहां अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं तथा इन सभी बच्चों में विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं हैं। उनके माता–पिता गरीब हैं। उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। उनमें से अधिकांश बेरोजगार हैं या अल्पकालिक रोजगार प्राप्त हैं या छद्म बेरोजगार भी हैं। इस वर्ग के लोगों की क्रय क्षमता बहुत ही कम है और इस कारण वे अपने बच्चों को समुचित भोजन दे पाने में असमर्थ हैं। वे सोचते हैं कि उनका हर बच्चा एक परिसम्पत्ति है जो दस या ग्यारह वर्ष के बाद जो विद्यालय जाने और वहां कुछ नहीं कमा पाने के बदले परिवार की परिसम्पत्ति या आय में कुछ योगदान करेगा। यही कारण है कि भारत में बाल श्रम की वृद्धि हो रही है। प्रत्येक बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार की खराब आय या कम आय में पूरक का काम करेगा।

इसलिए, गरीबी से त्रस्त परिवारों के समक्ष बड़ी दुविधा की स्थिति होती है कि वे बच्चों को शिक्षा पाने के लिए विद्यालय भेजें या उन्हें मछली पकड़ने या खेती करने के लिए भेजें जिससे 10 या 15 रुपये की आमदनी होगी। इससे उनके लिए जीविका कमाने में मदद मिलेगी। जब इस प्रकार की बड़ी दुविधा उनके सामने है तो हमें उन बच्चों को गरीबी की चंगुल से छुड़ाकर शिक्षा विद्यालय में डालना होगा। इसलिए सरकार को उन बच्चों के लिए निःशुल्क, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन का प्रबंध करना होगा जिससे उनको एक साथ दो उद्देश्य पूरा हों। पहला उद्देश्य है कि भारत सरकार सभी बच्चों को शिक्षा देने का दावा कर रही है। सभी को शिक्षा तभी सभव है जब हम बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर उन्हें विद्यालय में रोक पाएं। दूसरा उद्देश्य है कि उस पौष्टिक भोजन से बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने संबंधी गौण उद्देश्य की प्राप्ति भी होगी। ये बच्चे हमारे भविष्य के मानव संसाधन बनने जा रहे हैं जो भविष्य में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। इसलिए, हमें बच्चों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए पौष्टिक भोजन का बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों पर बहुत प्रभाव है। इसलिए, अब यह सर्वमान्य है कि हमें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना होगा।

श्री महताब जापान तथा चेन्नई निगम का उदाहरण दे रहे थे। मैं इसमें सिर्फ यह जोड़ना चाहूंगा कि वह श्री चिंतानाई चिर्पी सिंगाशवेलर थे जो निगम के सदस्य थे जिन्होंने सर्वप्रथम दोपहर का भोजन नामक योजना की अवधारणा को शुरू किया था। वे कई मामलों में प्रथम हैं। महोदय, मार्क्सवादी पार्टी के एक सदस्य होने के नाते आप यह अवश्य जानते होंगे कि वे ट्रेड यूनियन के पहले नेता थे। भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरूआत करने वाले वे पहले नेता थे। चेन्नई निगम में दोपहर का भोजन योजना को शुरू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे।

बाद में पेरुन्थालिवर कामराज, जो तमिलनाडु के गरीबों और दलितों के महान मसीहा थे, देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने यह योजना लागू की। उस योजना के कारण ही तमिलनाडु सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करने में सक्षम रही और उन सभी लोगों जो विद्यालय नहीं जा रहे थे और जिन्होंने शिक्षा के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, शिक्षा के दायरे में आने का अवसर प्रदान किया। आज वे बड़े नेता बन गए हैं। उन्होंने महान शिक्षाविदों के बीच अपनी जगह बनाई है। उनमें से राजनीतिज्ञ हुए हैं, वकील

[प्रो. एम. रामदास]

बने हैं और आज की तारीख में राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े बड़े क्षेत्र में प्रवेश किया है। कामराज की बदौलत यह योजना चलाई गई।

इसलिए इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि पौष्टिक आहार योजना का बच्चों के नामांकन और विद्यालय में उनको बनाए रखने पर अच्छा प्रभाव होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा एक मात्र तर्क है कि क्या इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है जैसा कि श्री सुधाकर रेड्डी ने इच्छा व्यक्त की है? मेरे विचार में, सबको शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। यह मात्र पौष्टिक आहार का मामला नहीं है। यदि आपके सकारात्मक सह–संबंध हैं और यदि आप कहते हैं कि 100 प्रतिशत पौष्टिक आहार और सर्व शिक्षा में सह–संबंध हैं तो भारत सरकार के लिए कुछ करोड़ रुपये खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने पहले दो प्रतिशत उपकर लगाया है तथा इससे उसे 4000 करोड़ रुपये की आय हो रही है जिसे दोपहर का भोजन योजना पर खर्च किया जाना है। हम यह सुविधा 1995 से उपलब्ध करा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव रहा है? इसका प्रभाव बड़ा व्यापक नहीं रहा है बल्कि इसका प्रभाव उपांतिक ही रहा है। इससे बच्चों के नामांकन अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, पौष्टिक आहार देने और शिक्षा के व्यापक बनाने में कोई सीधा संबंध नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है लेकिन केवल इसी से अनुच्छेद 45 में यथाकल्पित सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए, केवल अनुच्छेद 45(क) जोड़कर तथा पौष्टिक आहार का प्रबंध कर अनुच्छेद 45 के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना एक जटिल काम है जो कई स्वतंत्र कारकों पर निर्भर करता है। यदि आप अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से स्वतंत्र कारक समझते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह कई कारकों पर निर्भर करता है और जब तक सारे कारकों को इस प्रणाली तथा सरकारी प्रणाली और कई सामाजिक प्रणालियों के तहत नहीं लाया जाता तब तक 100 प्रतिशत साक्षरता या नामांकन और सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना लगभग असंभव होगा।

इसलिए, हमें बहुत सी अन्य बातों पर भी विचार करना चाहिए, केवल नए खंड को जोड़कर या और पौष्टिक आहार की मांग कर इस स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता।

आज प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की स्थिति क्या है? इस पर कई अध्ययन कराए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सर्वेक्षण किया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई सर्वेक्षण कराए हैं और कई अन्य निजी एजेंसियों ने भी इस पर सर्वेक्षण किया है। उन्होंने वर्तमान प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कई कारकों का विश्लेषण किया है। जहां तक भारत का संबंध है हमें विश्व स्तर के बारे में सोचना है और कई ऐसे कारकों पर भी विचार करना होगा जिसका शिक्षा प्रणाली पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त न करने में हमारी असफलता के कारणों में से एक यह भी है कि जिस पाठ्यक्रम को हमने अपनाया है वह बिल्कुल ही आकर्षक नहीं हैं। मैं पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूं विशेषकर सरकारी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ पुस्तकें तथा शिक्षण का तरीका आदि बच्चों के लिए आकर्षक नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या सरकार ने शिक्षकों की गुणवत्ता, उनके द्वारा निष्पादित कार्यों और उनकी जिम्मेदारियों आदि का कभी आकलन कराया है या नहीं। हम यह बात आसानी से कह सकते हैं कि निजी विद्यालयों में शिक्षक उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाते हुए 1000 या 1500 रुपये के वेतन पर सरकारी विद्यालयों के उन शिक्षकों की तुलना में अच्छा काम कर रहे हैं जिन्हें करीब 8000 रु. से 9000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है।

हम विद्यार्थियों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम दे रहे हैं? क्या यह विद्यार्थियों से विचार कराता है? क्या यह विद्यार्थियों को अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण कराता है? मैंने अनेक विद्यालय देखे हैं जहां बच्चे केवल कक्षा में पढ़ाई गई चीज को रटते हैं। वे परीक्षाओं की ओर उन्मुख होते हैं। पहले निजी विद्यालयों और सरकार विद्यालयों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अब इस बात पर जोर है कि सरकारी विद्यालयों को अच्छा परिणाम हासिल करना चाहिए। निजी विद्यालय 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और अब सरकारी विद्यालय भी 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। परिणामस्वरूप हुआ यह है कि सरकारी विद्यालय भी विद्यार्थियों को कौशल लर्निंग शिक्षा देने के बजाय याददाश्त आधारित शिक्षा में प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों के कौशल में सुधार लाने के लिए बहुत अधिक नहीं किया है।

महोदय, आपको विद्यालयों की वास्तविकता बताने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से अध्यापक अच्छी तरह तैयारी नहीं करते, वे उचित ढंग से नहीं पढ़ाते और उनका विद्यार्थियों के प्रति दुलमुल और उदासीन रवैया होता है। इसके परिणामस्वरूप जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है तो उन्हें कुछ लिखने के बजाय या तो

खिलाया जाता है या जो भी वे करना चाहते हैं वह कराया जाता है। इस तरह की परिस्थिति में कुछ समय के बाद बच्चे और माता–पिता महसूस करते हैं कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजने का कोई लाभ नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि आज सातवीं कक्षा का विद्यार्थी साधारण गणितीय प्रश्न हल नहीं कर पाता है; वह उचित ढंग से वर्णमाला भी नहीं जानता और वह एक अक्षर भी नहीं लिख पाता अथवा सामान्य शब्द का अर्थ नहीं बता पाता। चूंकि हम विद्यालय छोड़ने को हतोत्साहित करते हैं इसलिए हम किसी विद्यार्थी को एक विशेष कक्षा में नहीं रखना चाहते और यह ध्यान दिए बिना कि क्या विद्यार्थी ने कुछ सीखा है या नहीं हम उन्हें वर्ष दर वर्ष अगली कक्षा में प्रोन्नत करते रहते हैं। हम उन्हें उस बिंदु तक प्रोन्नत कर सकते हैं जहां तक हम उन्हें भेजना चाहते हैं। अब विभिन्न राज्यों में यह दिखाने की प्रतिस्पर्धा है कि कौन से राज्य ने इस क्षेत्र में अथवा उस क्षेत्र में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है।

महोदय, सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया था किंतु कितने राज्य इस पाठ्यक्रम तैयार किया था किंतु कितने राज्य इस पाठ्यक्रम को ईमानदारी से अपनाने के लिए आगे आए हैं? कितने राज्यों ने स्कूल स्तर पर इस पाठ्यक्रम को लागू करने का गम्भीर प्रयास किया है? यह एक कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए। हमें अपने अध्यापन में 'प्ले वे' खेल खेल में पढ़ाने के तरीकों को लाना चाहिए। हमें विद्यार्थियों में विश्वास पैदा करना चाहिए। हमें कहानी सुनाकर नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। सरकार को इस तरह विद्यार्थियों को विद्यालय आने के लिए रिझाने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई बच्चा विद्यालय आता है तो उसे वातावरण सुखद लगना चाहिए। यह बोझ रहित शिक्षा होनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों और बहुत सारे गृह कार्य के बोझ से दबाने वाली नहीं होनी चाहिए और उन पर याददाश्त आधारित शिक्षा का भार नहीं डालना चाहिए। यदि बच्चा भार में दबा महसूस करेगा तो वह कुछ भी सीखने से बचने का प्रयास करेगा।

इसलिए, इसे यथा संभव सरल बनाइये और शिक्षकों को याददाश्त आधारित शिक्षा के बजाय अधिक कौशल आधारित शिक्षा देने के लिए प्रेरित कीजिए। उसके लिए हमें पाठ्यक्रम के पहलू के बारे में गहरा आत्मचिंतन करना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि हम कोठारी आयोग के दिनों से और 1964 के दिनों से कहते आ रहे हैं कि सरकार को शिक्षा पर विशेषकर प्राइमरी शिक्षा अथवा प्रारम्भिक शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। हम इसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यदि शिक्षा को और अधिक महत्व दिया जाता तो आजादी के 58वें वर्ष में आज भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता। विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत यदि अपने सभी लोगों को शिक्षा देता तो यह विश्व में सबसे अधिक अच्छा मानव संसाधन पैदा करने वाला देश बन जाता और यह आर्थिक विकास के मामले में अन्य देशों को पीछे छोड़ देता। दुर्भाग्य से हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए और शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च नहीं कर सके।

अब हम उपकर लगा रहे हैं। हम और संसाधन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में शिक्षा पर होने वाले खर्च को बढ़ाया गया है। मैंने पूरी राशि की गणना कर ली है। यह चालू सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हम इसे कब हासिल करेंगे? यदि यह राशि वहां नहीं है तो हम कक्षाओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे बनाएंगे? कक्षाओं में विशेषकर पब्लिक स्कूलों में हमारे पास किस तरह का बुनियादी ढांचा है? कितने स्कूलों में शौचालय हैं, कितने स्कूलों में जलापूर्ति है, कितने स्कूलों में खेल के मैदान और प्रयोगशाला कक्ष हैं? वहां कक्ष ही नहीं हैं। जब हम 10 बजे प्रातः से 11.00 बजे प्रातः के आसपास रेलगाड़ी से तमिलनाडु में त्रिची से आगे जाते हैं तो आप पेड़ों के नीचे अथवा मंदिर जैसे स्थानों पर कक्षाएं देख सकते हैं। आजादी के 58 वर्ष बाद भी यह स्थिति क्यों है? जब रेलगाड़ी या बस गुजर रही हो और बच्चे पेड़ों की छाया में बैठे हों तो आप किस तरह की शिक्षा दे सकते हैं? उनका ध्यान उसकी तरफ अधिक जाएगा। इस बात को छोड़ भी दें कि क्या शिक्षक पढ़ा पाता है या नहीं, और यदि शिक्षक उदासीन होकर भी पढ़ाता है, तो भी बच्चों का ध्यान इस तरह की बाधाओं की ओर आकर्षित होगा। विद्यार्थी किस तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे? शिक्षा की मात्रा को छोड़िए, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल मानदंड की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यदि बच्चों को कक्षाओं तक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती तो हम अच्छी शिक्षा कैसे दे सकेंगे?

हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं। सरकार द्वारा बड़ी संख्या में योजनाएं लाई जाती हैं। दी गई सूची बहुत आकर्षक है। सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं दी हैं। किंतु सभी योजनाओं का क्या हुआ? आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, वैकल्पिक ओर नवाचारी शिक्षा संबंधी शिक्षा गारंटी योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम–प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता जिसे सामान्यतः मिड–डे मील योजना के रूप में

[प्रो. एम. रामदास]

जाना जाता है, अध्यापक शिक्षण आदि भी शामिल हैं। ये सभी योजनाएं हैं। किंतु पूर्व–शर्त क्या है? पूर्व–शर्त है कि विद्यार्थियों को अध्यापक की बात सुनने के लिए अनुकूल और सुविधाजनक स्थान पर बैठना चाहिए। जब पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और हर तरह के असुविधाजनक हालातों में आप विद्यार्थियों से कुछ सीखने की अपेक्षा केसे करते हैं? जब उनके पास विद्यालय में कुछ भी आकर्षक नहीं होता है वे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। आज भी पढ़ाई बीच में छोड़ने का अनुपात 34.9 प्रतिशत है। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय इसे नकार पाएंगे। यह 2001–02 के 39 प्रतिशत से गिरकर 34.9 प्रतिशत हो गया है। इसका तात्पर्य है कि प्रतयेक वर्ष हमारे द्वारा पूर्व वर्ष में भर्ती किए गए 100 विद्यार्थियों में से 34 से 35 विद्यार्थी विद्यालय से बाहर चले जाते हैं। वे बाहर क्यों जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उचित कक्ष नहीं हैं, उचित अवसंरचना नहीं है, कोई उचित पाठ्यक्रम नहीं है और उचित शिक्षण नहीं है। वैकल्पिक तौर पर बच्चा सोचता है कि यदि वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाता है तो उसे 15 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। यदि वह अपने पिता के साथ जाता है जो किसान है तो उसे 20 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे और उसके पिता उसे 5 रुपए दे देंगे जिससे वह जीवन का आनंद ले सकता है।

अपराह्न 5.00 बजे

वह सोचता है कि मुझे नीरस और गंदे कक्ष में क्यों बैठना चाहिए जहां कुछ भी मेरे मस्तिष्क में नहीं जाता। बच्चा अधिक युक्तिसंगत बन जाता है। बाल श्रमिक बनना उसके लिए विद्यार्थी बनने से ज्यादा लाभकारी हो जाता है। इसलिए यह कहने के बजाय कि हमें पोषक आहार प्रदान करना चाहिए हमें इन मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। निश्चय ही मैं पोषाहार की महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं। यदि आप छः या सात स्वतंत्र घटकों वाला बहु–घटक माडल तैया करें तो पोषाहार उसमें पहला घटक होगा। किंतु अन्य सभी घटकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ही शिक्षा पर निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। केवल परिव्यय बढ़ाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उस धन का इस अर्थ में कि लक्ष्योन्मुखी खर्च होना चाहिए, प्रभावी उपयोग होना चाहिए। हमारे माननीय वित्त मंत्री अब आउटकम बजट के संबंध में बात करते है। मान लीजिए आप किसी विशेष शिक्षा कार्यक्रम पर 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने विद्यार्थी साक्षरता का स्तर पार करने जा रहे हैं, कितने स्कूल बनाए जाएंगे, कितने स्कूलों को आवश्यक सामग्री दी जानी है, कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है, कहां पाठ्यक्रम में कितना सुधार होने जा रहा है इत्यादि। इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धन को प्रभावी और गुणकारी रूप में खर्च किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, यहां तक कि यदि हम शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का आठ प्रतिशत भी प्रदान करें तो वह व्यर्थ हो जाएगा। जैसा कि इस देश के बहुत से विद्वानों ने बहुत दुःख के साथ अफसोस करते हुए यह टिप्पणी की है कि केवल शिक्षा में निवेश ही पर्याप्त नहीं है। हमें देखना चाहिए कि पैसे से परिसम्पत्तियों का सृजन होता है और लोगों के बीच साक्षरता बढ़ती है। यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में सुधार के अतिरिक्त हमें शिक्षकों को इस दिशा में अवश्य उन्मुख करना चाहिए। उन्हें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संस्थान और विभिन्न अन्य सुविधाएं उपलब्ध किया जाना चाहिए।

शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे छात्र डर जाते हैं। बहुत से छात्र जिन्होंने विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया है, महान व्यक्ति बने हैं। इस प्रणाली के तहत बिना कोई शिक्षा पाए ऐसे बहुत से लोग हैं जो महान बने हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें वह जन्मजात बौद्धिकता नहीं होती।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो चुका है। इस विधेयक पर और दस माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

प्रो. एम. रामदास : जिस शिक्षा प्रणाली को हमने प्रोत्साहित किया है वह केवल रटने वाली और स्मरण पर आधारित प्रणाली है जो एकदम ही दिलचस्प नहीं है। छात्र केवल परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ते हैं। ऐसे छात्र अपने किशोरावस्था में पहुंचने के बाद इस देश के लिए किसी काम के नहीं होते। एक छात्र 'पानीपत का युद्ध' के बारे में बहुत अच्छा लिख सकता है। हो सकता है वह एक शब्द भी न भूले। वह प्रथम वाक्य से अंतिम वाक्य तक लिख सकता है। लेकिन जब हम उससे उस युद्ध के कारणों के बारे में पूछते हैं तो वह कुछ भी नहीं बता पाएगा। लेकिन परीक्षा में उसे दस में से दस अंक मिलेंगे। एक छात्र जिसे गणित में शत–प्रतिशत अंक मिलते हैं वह यह नहीं बता पाता कि संसद क्या है। उसे पता नहीं होता कि इस देश का राष्ट्रपति कौन है। इसलिए, सामान्य ज्ञान और बुद्धि

लब्धि बहुत कमजोर है। इसका मतलब है कि दक्षता का विकास नहीं हो पाता। उनकी चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता। इसलिए, परीक्षा प्रणाली को अवश्य ही इस प्रकार पुनः दिक्विन्यस्त करने की जरूरत है कि लोगों में दक्षता का विकास किया जा सके। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए उपयोग के इस दौर में हम प्राथमिक विद्यालय स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी को लाएं ताकि छात्र कम्प्यूटर देखने के बाद विद्यालय की ओर आकर्षित हों और वहां रहें। हमें शिक्षण के आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि मेरी बातों में ही विरोधाभास है क्योंकि जब विद्यालय ही नहीं हैं तो हम सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य आधुनिक तरीके कैसे अपनाएंगे? लेकिन ऐसी मेरी इच्छा है कि यदि आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और उपलब्ध कराना चाहते हैं और आप यदि विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक हो सकता है जिसकी हमें जरूरत है। हमें निम्न स्तर पर भी कुछ प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को अवश्य लाना पड़ेगा और छात्रों को समग्र जानकारी देनी होगी।

इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमें छात्रों को और अधिक नैतिक शिक्षा देने की जरूरत है। जब हम छात्र थे तो हमें नैतिक शिक्षा दी जाती थी। आज सभी वृद्ध लोग समाज में कुछ अच्छे व्यवहार प्रस्तुत करते हैं और इसका कारण वह महान शिक्षा है जिसे उन लोगों ने बचपन में पाई थी। लेकिन आज हम उन सभी बातों को भूल रहे हैं।

इसलिए, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र श्री सुधाकर रेड्डी का निःशुल्क आहार के लिए आह्वान आवश्यक शर्त है। यह एक आवश्यक शर्त हो सकती है लेकिन यह निश्चित रूप से यह पर्याप्त शर्त नहीं है। पर्याप्त शर्त शिक्षा पर अधिक परिव्यय, विद्यालय–शिक्षा के अवसंरचना में सुधार लाना, छात्रों के लिए अच्छा पाठ्यक्रम बनाना, इसे अधिकाधिक आकर्षक बनाना, शिक्षा की परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना, विद्यालयों में और नवीनता लाने के रूप में होने चाहिए। केवल इस प्रकार की नयी बातों को अपनाकर ही आप निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए मैं उनकी शर्तों से कुछ हद तक सहमत हूं कि ये आवश्यक है लेकिन मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं क्योंकि ये पर्याप्त शर्तें नहीं हैं। इसलिए, मेरे विचार में इस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार को शिक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा और तत्काल कुछ कदम उठाने होंगे ताकि कम से कम इस क्षेत्र में भारत 58 वर्षों के बाद भी इसे प्राप्त करने में

सक्षम हो सके। आज हम परमाणनीय समझौता, भूमंडलीकरण, निजीकरण और उन सभी चीजों के बारे में बड़ी–बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब तक निचले तबके के लोगों को आवश्यक मदद नहीं दी जाती जो संवैधानिक अधिकार है, तो हमारा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आपने शिक्षा के मूलभूत अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है लेकिन आपने अवसंरचना का विकास नहीं किया है। जैसा कि बहुत से अन्य कार्यक्रमों में हुआ है हमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में असफल नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें यह कहने में गर्व का अनुभव होना चाहिए कि भारत ने शिक्षा को व्यापक बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस कार्य के लिए हम सभी को–संसदविदों, शिक्षाशास्त्रियों, नीति–निर्माताओं को काम करना चाहिए। वस्तुतः हम सभी को स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने में योगदान देना चाहिए। सबके लिए शिक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य पौष्टिक आहार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस उद्देश्य के लिए हमें निरंतर काम करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सी. के. चन्द्रप्पन।

पहली बात, जब उनका नाम पुकारा गया तब वे एक संसदीय समिति की बैठक में भाग ले रहे थे। इसलिए, विशेष नियम के तहत, उन्हें अपना विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जानी है। मद सं. 28।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक–जारी

अपराह्न 5.07 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक 2006*

(अनुच्छेद 253 का संशोधन)

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 5.08 बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006*

(अनुच्छेद 148 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 5.09 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004

(नए अनुच्छेद 45क का अंतःस्थापन)—जारी

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं आज सदन में माननीय श्री सुधाकर रेड्डी द्वारा लाए प्राइवेट मैम्बर बिल के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए कम्पलसरी एजुकेशन और न्यूट्रिशस डाइट की वकालत करते हुए, संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 3.3.2006 में प्रकाशित।

अपराह्न 5.10 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

वह जिन उद्देश्यों को लेकर सदन में यह बिल लेकर आए हैं, वह देश के गांवों और गरीब, पिछड़े, निचले तबके के लोगों की स्थिति को दर्शाता है।

हममें से अधिकतर लोग जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि आजादी के 58वें वर्ष में सरकार की तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के बावजूद, खासतौर से पिछड़े इलाकों में, अनुसूचित जाति इलाकों में, अनुसूचित जनजाति इलाकों में, अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। जब देश में मिड डे मील का कन्सेप्ट शुरू हुआ था, इसका स्वागत हुआ था लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इसका दबी जुबान में विरोध भी किसी न किसी तरीके से किया गया। यह बात भी माननी पड़ेगी कि हम कई बार देश के न्यायालयों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कई फैसलों के विरोध में अपनी बात कहते हैं। हमें यह मानना होगा कि मिड डे मील के इम्पलीमेंटेशन का डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया गया और राज्य सरकारों को इसके लिए बाध्य किया गया और केन्द्र सरकार पर दबाव डाला गया कि इसके लिए बजटरी सपोर्ट करें। राज्य सरकारों को इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह सही है कि बहुत सी राज्य सरकारें किसी न किसी बहाने से इस कार्यक्रम को टालती रही हैं, लेकिन जहां इसका इम्पलीमेंटेशन हुआ, वह भी बहुत संतोषजनक तरीके से नहीं हुआ। स्कूलों में गेहूं पहुंचा दिया गया जिसे अध्यापकों ने अनमने ढंग से घरवालों को बांट दिया कि अपने बच्चों को बनाकर खिला दें। इसके बाद जब बहुत ज्यादा दबाव आया, तो गेहूं की घुगरी बनाकर खिला दी। इसके बाद जब और सुधार आया, तो दलिया बनाकर खिला दिया, लेकिन जो स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार बच्चों को मिलना चाहिए था और जितना मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। यह सही है कि बहुत सी जगह इसका मखौल बनाया गया क्योंकि गांव के स्कूलों की हालत यह है कि कहीं एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो कहीं दो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अक्सर गांव में यह शिकयत की जाती है कि सरकार अध्यापकों से पढ़ाने के अलावा बहुत सा काम लेती है, जैसे पशु गणना के लिए अध्यापक को लगा दिया, जनगणना के लिए अध्यापक को लगा दिया, चुनाव का सर्वे करना हो तो अध्यापक को लगा दिया, सेंसस का काम हो तो अध्यापक को लगा दिया। वे कहते हैं कि किसी प्राइमरी स्कूल में अगर दो अध्यापक हैं, तो उनमें से एक अध्यापक सरकारी कामकाज में लगा हुआ है। इसके अलावा

उनके ऊपर एक जिम्मेदारी और डाल दी गई है कि वे अच्छा भोजन बनाकर बच्चों को खिलाए, लेकिन अब स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है।

राजस्थान में पिछली सरकार कांग्रेस की थी, जिसमें श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस बात का प्रयास किया था कि छोटे बच्चों को अधिकतम एक मील से दूर के दायरे में ही शिक्षा दी जाए। जहां भी तीस से चालीस बच्चे हैं, वहां राजीव गांधी पाठशाला के नाम से एक पाठशाला खोली जाए। इसके साथ ही यह कोशिश भी की गई कि राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ाने वाले, प्राइमरी शिक्षा देने वाले पैरा टीचर दसवीं, बारहवीं या बी.एड. हों या कम से कम दसवीं पास हों और उसी बस्ती के रहने वाले हों ताकि वे बच्चों की देखभाल कर सकें।

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं क्योंकि आप स्वयं जमीन से जुड़े हैं कि जब किसी नौकरी के लिए इस मुल्क का नौजवान खुद भागता है, तकलीफ उठाता है, दौड़ता है, सिफारिश लगाता है और रिश्वत देने के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन जिस दिन उसे गांव के दूरदराज इलाके में नौकरी मिल जाती है, तो वह पहले दिन से ही ट्रांसफर की कोशिश शुरू कर देता है।

उन आदिवासी इलाकों में, राजस्थन के मरुस्थली इलाकों में कोई आदमी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंच पाता है। वहां स्कूलों में टीचर आधे दिन रहते हैं और आधे दिन उपस्थित नहीं रहते हैं। यह मेरे जैसे आदमी का निजी अनुभव है। मैं गांव का पढ़ा हूं, ठेठ राजस्थानी इलाके से पढ़कर आया हूं। मैं बारम्बार इस बात को कहता हूं कि मेरे मां–बाप की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वे मुझे पब्लिक स्कूल में एजूकेशन देकर पढ़ा पाते।

सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं अपने यहां तक आने का श्रेय मिडिल स्कूल के उन अध्यापकों और अपने हैडमास्टर को देना चाहता हूं। हमारे हैडमास्टर की आयु आज 95 वर्ष की हो गई है और वे आज भी गांव में ही हैं। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, खादी पहनते थे, बच्चों को ऐसे–ऐसे अच्छे संस्कार देते थे और स्कूल में एक ऐसा वातावरण बनाकर रखते थे कि बच्चों का मन स्कूल आने को करता था। अभी यहां मेरे से पूर्व वक्ता ने एक बात कही कि स्कूल तो हैं, लेकिन पढ़ने का वातावरण नहीं है। कहीं एक कमरा बना हुआ, कहीं दो कमरे बने हुए हैं, कहीं कमरे हैं तो बैठने के लिए टाट–पट्टी नहीं है, कहीं टाट–पट्टी है तो स्कूल में चारदीवारी नहीं हैं, या वहां आसपास कचरा पड़ा हुआ है। इसलिए यह विचार करने का विषय है कि एक तरफ तो ऐसे स्कूल हैं जहां टूटे–फूटे कमरे हैं, फटी हुई टाट–पट्टियां हैं और चारदीवारी तक नहीं हैं, बाथरूम और किचन की बात तो दूर रही, खेलने–कूदने और फिसलने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं, जो शहरों में प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। इन सबकी बात छोड़िए, बेसिक एमेनिटीज भी उन स्कूलों में नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान इस सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दो परसेंट एजूकेशन सैस लगाकर बहुत बड़ा बजट इस हेतु खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यह कटु सत्य है कि जितना फायदा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, स्कूलों में प्रवेश उत्सव होते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पकड़कर स्कूल में लाया जाता है, लेकिन स्कूलों का वातावरण मनोरंजक तथा बच्चें के अनुरूप न होने के कारण, वे बच्चे घूम–फिरकर फिर से अपने मां–बाप के पास वापिस चले जाते हैं और घर तथा खेत–खलिहानों में काम करने लग जाते हैं। यदि आप रजिस्टर में देखेंगे तो आपको उनकी पूरी संख्या मिलेगी, लेकिन हकीकत में उनके नाम देखेंगे तो उन्हीं बच्चों का नाम गांव के प्राइवेट स्कूल में लिखा हुआ है, उन्हीं बच्चों का नाम पड़ोस के गांव के स्कूल में लिखा हुआ है और उन्हीं बच्चों का नाम पड़ोस के गांव की ढाणी में लिखा हुआ है। हमारे सामने जो आंकड़े आते हैं, हमें उनकी सत्यता देखनी होगी। इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

अच्छी शिक्षा देना किसी भी देश के लिए, किसी भी पीढ़ी के लिए देना हमारा दायित्व है। लेकिन यदि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो हम उन्हें अच्छा नागरिक कैसे बनाएंगे। शिक्षा के साथ यदि हम उन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाते हैं, तो गांवों की गरीबी कैसे दूर होगी। हमारे गांवों की तीस परसेंट से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रही है। न्यूट्रिशियस फूड की बात तो छोड़िए, फूड ही अवेलेबल नहीं है। मैंने गांवों में कई जगह देखा है कि गूगरी, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, दलिया का भी कोई टेस्ट नहीं होता, न यह मीठा होता है और न यह नमकीन होता है, लेकिन फिर भी बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्टिव के प्रति में बड़ी श्रद्धा पैदा होती है कि पहले बच्चों को यह खाना भी नसीब नहीं था, लेकिन आज वे बच्चे उस खाने के लालच में स्कूलों में जाते हैं। मैं समझता हूं कि यदि यही खाना स्वादिष्ट बना दिया जाए, यदि उसमें पकौड़ियां शामिल हो जाएं, कभी–कभी दाल शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए।

माननीय रासा सिंह रावत जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि

[डा. करण सिंह यादव]

बच्चों को कभी–कभी हलवा भी खाने के लिए मिलता है। मुझे नहीं मालूम कि किसी स्कूल में बच्चों को हलवा भी खाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ इनपुट्स एन.जी.ओज. की तरफ से, स्वयं सहायता समूहों की तरफ से, सरकार या अन्य एजेंसियों के माध्यम से कुछ खाना बनाने वाले दे दिए जाएं, जैसे राजस्थान में श्री अशोक गहलोत के समय में एक योजना थी कि गांव की ढाणी की जो महिलाएं हैं, जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे इस जिम्मेदारी को लें, वे अपना समय बांटें। स्कूल के टीचर उनसे बात करके सुनिश्चित करें कि एक दिन एक बच्चे की मां या दादी आकर बच्चों के लिए खाना बनाकर जाएगी, दूसरे दिन दूसरी आकर खाना बनाकर जाएगी और इसका जो थोड़ा बहुत इन्सैन्टिव मिलता है, वह उन्हें दिया जाए, बजाया इसके कि हम टीचर्स को बर्डन करें। मैं समझता हूं कि अगर भोजन ठीक मिलने लग जाए तो माननीय सुधाकर रेड्डी साहब तो तीन समय भोजन की बात करते हैं।

लोग एक समय के भोजन से भी एट्रेक्ट होकर आते हैं, गूगरी और दलिये से भी एट्रेक्ट होकर आते हैं, लेकिन अगर अच्छा भोजन मिल जाए, मनोरंजन और खेल–कूद का वातावरण मिल जाए, गाना गवाने वाले, कविता पढ़ाने वाले, इतिहास का ज्ञान देने वाले अच्छे शिक्षक मिल जाएं तो मैं समझता हूं कि उस वातावरण से निकल करके हमारे बच्चे आगे बढ़कर आ सकते हैं।

महोदय, मैं डाक्टर रहा हूं और अभी भी हूं। शहर के बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे–छोटे अस्पताल तक मैंने काम किया है। ग्रामीण बच्चों की ओर, खासतौर पर बी.पी.एल. परिवार के बच्चों का जो पोषण है, उनमें जन्म से ही प्रोटीन की कमी, क्वाश्यरकोर जैसी बीमारी, विटामिन डी की कमी, बड़े हुए लीवर, उनकी हड्डियां निकली हुई, गाल पिचके हुए, इस तरह के जो चेहरे गांवों में दिखाई देते हैं, वह उनका स्वास्थ्य नहीं, बल्कि हमारे देश का भविष्य दर्शाता है। इसलिए अब समय है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना अधिक खर्च किया जा सके, इस पर जितनी अच्छी मोनिटरिंग की जा सके, पढ़ाई के नाम पर ही नहीं, सिर्फ न्यूट्रीशन, साधारण भोजन ही नहीं, उन्हें पूरा न्यूट्रीशन मिले। आस–पास के जो अस्पताल हैं, ब्लाक लेवल के अस्पताल हैं, पी.एच.सीज हैं, वे इन गांवों के बच्चों का, जो स्कूल में छठी से लेकर 14 साल के जो बच्चे जाते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें और उनका परीक्षण करके उनमें आने वाली कमियों के प्रति सरकार, समाज और प्रशासन का ध्यान दिलाएं ताकि उन बच्चों का भविष्य आगे सुधर सके। यही कारण है कि आज इस देश में इनफेंट मोरटेलिटी नहीं, चाइल्ड मोरटेलिटी की दर भी बहुत ज्यादा है और जब मृत्यु दर ज्यादा होती है तो परिवार नियोजन का हमारा जो स्लोगन है, वह धरा का धरा रह जाता है। गांव का अनपढ़ आदमी यह समझता है कि चार–पांच–छः बच्चे हैं, इनमें से एक–दो तो बचेंगे, क्योंकि वह बच्चों को धीरे–धीरे जाते हुए, पड़ोसियों के बच्चों को गरीबी और कुपोषण से जाते हुए देखता है। इसलिए जरूरी है कि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे, उनका मेडीकल चेक–अप ठीक ढंग से होगा, उन्हें अच्छी एजूकेशन मिलेगी, तभी मैं समझता हूं कि जो पेरेंट्स और गांव का आम आदमी है, हम जो परिवार नियोजन करना चाहते हैं, उस तरफ ध्यान देगा, वरना तो एक भीड़ इस मुल्क में गरीबी में पैदा होती जा रही है। कुछ बच्चे बच जाते हैं और कुछ परमात्मा की कृपा से रह जाते हैं, इसलिए शिक्षा और न्यूट्रीशन का विषय आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, मुझे खुशी है कि वर्तमान यू.पी.ए. सरकार इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दे रही है। मैं माननीय सुधाकर रेड्डी जी के मंतव्य का प्रशंसक हूं। आप कह रहे हैं कि हम तीन मील देंगे, जबकि एक खाना देने में ही दिक्कत आ रही है, दो खाने और तीन खाने की बात तो अभी सपने की बात है। मैं समझता हूं कि अभी उन्हें एक भोजन जो मिले, वह अच्छा, पौष्टिक और स्वादिष्ट मिले और उन्हें अच्छे शिक्षक मिलें, उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलेप्पी) : सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय मैं कॉमरेड सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत भारत के संविधान में अनुच्छेद 45(क) जोड़ने वाले गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहूंगा।

महोदय, हमारे देश में बहुत से बच्चे हैं, जैसा कि किसी ने बताया है, 35 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 21 करोड़ बच्चे हैं। इसमें से 25 प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं।

बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या 35 प्रतिशत है। यद्यपि दोपहर का भोजन बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने वाला उपाय नहीं है, फिर भी बीच में ही पढ़ाई छोड़ने तथा नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाने का कारणों में से एक है पर्याप्त भोजन का अभाव। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को काम करने के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि अधिकांश परिवार बड़े परिवार होते हैं

और जिनमें सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। बहुत से परिवार कृषि क्षेत्र या पारंपरिक उद्योग या मत्स्य उद्योग पर निर्भर करते हैं। अधिकांश परिवारों में परिवार का मुखिया या वरिष्ठ सदस्य इन पेशों में लगे होते हैं। उनके द्वारा अर्जित मजदूरी परिवार के खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए बच्चों को काम करने पर मजबूर किया जाता है।

महोदय, मैं केरल के अलेप्पी जिले के तटीय क्षेत्र से आता हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं केरल में साक्षरता 100 प्रतिशत है और हमारा स्वास्थ्य सूचकांक विकसित देशों की तरह है। फिर भी मेरे राज्य में बहुत से बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि अपनी जीविका कमाने के लिए उन्हें काम करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए, बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए दोपहर का भोजन देना अच्छा उपाय है। यह जांचा–परखा उपाय भी है। जैसा कि कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया है, हमारे देश में इसकी शुरूआत 20वीं शताब्दी से ही हो गई थी। 1923 में ही मद्रास निगम में यह शुरू किया गया था। बाद में स्व. श्री कामराज द्वारा इसे तमिलनाडु में लागू किया गया और इसे पूरे तमिलनाडु में लागू किया गया। इस समय तमिलनाडु में 10वीं कक्षा तक के छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करने हेतु यह एक अच्छा उपाय है।

कुछ दिन पहले हम बाल श्रम की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। बाल श्रम को रोकने के उपायों में से एक उपाय बच्चों को स्कूल आने के लिए आकर्षित करना या बाध्य करना है। बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए और बाल श्रम को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करना एक अच्छा उपाय है।

यद्यपि केन्द्र सरकार विभिन्न स्कूलों को खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहा है लेकिन खाना पकाने के लिए रसोई व्यवस्था एवं अन्य चीजों को मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कई राज्य इस योजना को शुरू करने के भी विरोधी हैं। अभी तक संघ राज्य क्षेत्रों सहित कुल 35 राज्यों में से 23 राज्यों ने ही इस योजना को आरंभ किया है। वर्ष 2001 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए निर्णय सुनाया था कि वह सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में इस योजना को लागू करे। तब भी कई राज्य इस योजना को आरंभ करने के विरोधी थे। पुनः वर्ष 2004 में उच्चतम न्यायालय ने कई राज्य सरकारों को निदेश दिया था कि वे इस योजना को आरम्भ करें।

महोदय, उस समय भी कई राज्यों ने इससे बचने के लिए कोई न कोई बहाने बना दिए थे। उन्हें अवसंरचना को बनाने और कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए पर्याप्त धन राशि जुटाने में कठिनाई हो रही थी। अतः उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह रसोई के निर्माण करने के लिए प्रावधान करने और निर्माण कार्य में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए धन आवंटित करे। मैं नहीं जानता क्या केन्द्र सरकार इन खर्चों को पूरा करने के लिए राज्यों को पर्याप्त धनराशि दे रही है कि नहीं।

जैसा कि डा. कर्ण सिंह यादव ने ठीक ही कहा है कि जहां तक उनके स्वास्थ्य और उनके सामाजिक–व्यावहारिक विकास का संबंध है तो स्कूल पूर्व आयु समूह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें पोष्टिक भोजन न केवल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए अपितु मानसिक विकास के लिए भी देना चाहिए। अतः पौष्टिक भोजन अत्यन्त आवश्यक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में हम दिन में एक बार भोजन प्रदान कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि दिए गए भोजन की पोष्टिक गुणवत्ता कितनी है। निदेशानुसार दिन के मध्याह्न भोजन में 300 केलोरिज और 8–12 ग्राम प्रोटीन भी होना चाहिए। बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं होती बल्कि अन्य पौष्टिक आहार की आपूर्ति भी की जानी चाहिए। अतः मैं श्री सुधाकर रेड्डी के सुझाव से भी सहमत हूं कि यह मध्याह्न भोजन दिन में एक बार ही नहीं बल्कि तीन बार दिया जाना चाहिए। अन्यथा यह बच्चे की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने अन्तिम निर्णय के पश्चात् भी कई राज्य इस योजना को आरंभ करने के विरुद्ध हैं। यह हमारे राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। वास्तव में हम भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। अतः मैं श्री सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं। इस संविधान (संशोधन) विधेयक के साथ ही सभी राज्यों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए कि सभी प्राइमरी, सरकारी और अनुग्रह प्राप्त प्राइमरी स्कूलों में भी मध्याह्न भोजन देना होगा।

मैं एक बार पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : सम्मानीय सभापति जी, मैं सुधाकर रेड्डी जी द्वारा रखे गए संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में जो बात कही गई है, उसका लक्ष्य अच्छा है। इस बिल में जो

[श्रीमती कृष्णा तीरथ]

विचारधारा रेड्डी साहब ने रखी है, दूसरे सदस्यों ने भी बहुत विस्तार से बताया कि देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, स्कूल का इनफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसे उनकी हैल्थ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के भारत का भविष्य होंगे और भारत इन्हीं के कंधों पर निर्भर करता है। बच्चे पढ़े-लिखे होंगे, बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत स्वस्थ बनेगा। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हमें बच्चों का चहुंमुखी विकास करने की आवश्यकता है।

महोदय, इस बिल में कहा गया है कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक लालच दिया गया है। लालच यह दिया गया है कि हमारे बच्चे खाने के लिए पढ़ने आएंगे। मैं कहीं इस विचार से थोड़ा मतभेद रखती हूं कि बच्चे खाने के लिए पढ़ने आएं। आप चाहते हैं कि वे कटोरा लेकर स्कूल में आएं कि वहां हमें खाना मिलेगा और हम खाने चलें।

इस तरह पढ़ाई में बच्चे कम ध्यान देंगे और खाने पर ज्यादा ध्यान देंगे। बच्चों का स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ-साथ उनका पढ़ना भी जरूरी है। इसके लिए हमारी आईसीडीएस, इंटिग्रेटिड चाइल्ड डवलपमेंट स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो मां बच्चे को जन्म देती है, वह बच्चा पैदा होने के बाद स्वस्थ रहे-मां भी स्वस्थ रहे, ताकि बच्चे के जन्म के बाद वह बच्चे की सही परवरिश कर सके। अच्छा खाना मिलने से, बच्चे के पैदा होने से पहले जो उसके अंदर पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, सब उसे मिलें। ये तत्व अपने आप मां से बच्चे के रक्त में आएंगे। बच्चा पैदा होने के बाद पांच साल तक आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत उसे भोजन देते हैं और वह भोजन पोषक होता है। उसे खाने के बाद बच्चे की अच्छी परवरिश होती है। मां के आंचल में, घर परिवार के अंदर बच्चे का मानसिक विकास ज्यादा अच्छा होता है। घर में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, मां के साथ बच्चा ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। सर्व शिक्षा अभियान भी है। हर मां चाहती है कि उसका बच्चा पढ़-लिखकर अच्छा नागरिक बने, देश का कर्णधार, आईपीएस, आईएएस, टीचर, प्रोफसेर, इंडस्ट्रीयलिस्ट, इंजीनियर बने। हर मां-बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। इस बिल को लाने की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन संविधान में संशोधन करना और इस तरह से कहना कि उसे तीन समय खाना स्कूल में मिले, जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि स्कूल है, लेकिन इमारत नहीं है या टीचर नहीं है या एक टीचर पर सारा स्कूल चल रहा है। किसी स्कूल में शौचालय नहीं है, बच्चों के खेलने-कूदने की जगह नहीं है, खेलने का सामान नहीं है, उसका मानसिक विकास करने के लिए खिलौने नहीं हैं, खेलने के लिए उचित वातावरण नहीं है। ऐसी चीजों को देखते हुए, मेरे इस बारे में कुछ सुझाव हैं।

श्री सुधाकर रेड्डी जी जो बिल लाए हैं, वह सरकार की तरफ से लाया जाए। सरकार हमारे सुझावों को माने। मेरा सुझाव यह है कि हमारा मिड डे मील, चाहे वह कोर्ट के द्वारा आदेशित हुआ या सरकार के द्वारा, इसके तहत एक समय का पौष्टिक खाना देना ठीक है। अगर हम सुबह साढ़े सात बजे, दोपहर बारह बजे और रात को आठ बजे, इस तरह सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक तीन समय भोजन देंगे तो बच्चे को सुबह से रात तक स्कूल में रहना पड़ेगा, जिससे न तो वह खेल पाएगा और न उसका मानसिक विकास होगा। सुबह जल्दी नाश्ता देना पड़ता है, दोपहर का खाना बारह बजे औरशाम को आठ बजे खाना दें, तो इसका मतलब यह है कि पूरा दिन बच्चा स्कूल में रहे। फिर स्कूल की पूरी शिफ्ट रखी जाए, क्योंकि एक टीचर पूरे दिन में आठ घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं दे सकता। यह संविधान में प्रावधान है कि आठ घंटे से ज्यादा कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा। उसमें दो-तीन शिफ्ट्स टीचर की लगेगी। यह बच्चों को बांधने जैसा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम बच्चों को खुला और सुरक्षित वातावरण नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत से विरोधाभास नजर आते हैं। मेरा मानना है कि स्कूल भेजने के पीछे मकसद शिक्षा प्राप्त करना हो, न कि भोजन प्राप्त करना। जैसे रोजगार गारंटी योजना है, हर माता-पिता का सपना होता है कि वह रोजगार करे, जिससे वह खुद कमाए और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन दे। स्कूल में आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहां अच्छी तरह से पढ़ने-लिखने जाते हैं, अनुशासन में रहना सीखने के लिए जाते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हर बच्चे को स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। यहां बहुत सी जातियां और धर्म हैं, विभिन्न तरह का खान-पान और पहनावा है, लेकिन स्कूल में एक तरह की यूनिफार्म होती है। अगर कोई विद्यार्थी साउथ इंडियन है तो वह इडली वडा लेकर आएगा, पंजाबी है तो वह चाय-पकोड़ा या परांठा लेकर आएगा, कोई धनी वर्ग से है तो वह मांस-मच्छी लेकर आएगा या हलवा-पूरी लेकर आएगा-लेकिन इस स्कीम में कुछ कमियां सामने आई हैं, जैसे मैंने देखा कि खाना पकाते समय, जहां दो बच्चे पास ही खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा खिचड़ी में गिर गया।

सभापति महोदय, पकती हुई खिचड़ी में कोई बच्चा गिर गया,

किसी का हाथ जल गया, किसी का मुंह जल गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। कई बार ध्यान नहीं जाता है और ऐसे हादसे हो जाते हैं। कहीं खाना पकाने का स्थान साफ-सुथरा नहीं है जिसके कारण पकते खाने में कहीं छिपकली गिर जाती है या कुछ और गिर जाता है, जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है। ऐसी चीजें कई बार हुई हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम बच्चों के पेरेंट्स को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं जिससे वे बच्चों को घर से पकाकर खाना रखें। दोपहर का भोजन एक बार विद्यालय में दिया जाए, यह ठीक हो सकता है, लेकिन वह सुरक्षित हो। इस प्रकार के भोजन में ड्राई भोजन दिया जा सकता है जैसे चने, मुरमुरे या खील हैं। इनमें प्रोटीन और आयरन की पूरी मात्रा होती है। ड्राई फ्रूट दिए जा सकते हैं। जैसे खजूर दिया जा सकता है। ये सामान बाजार से खरीदकर उन्हें उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इनमें सड़ने और गलने का भी खतरा नहीं है और न ही खाना पकाने में लगने वाले चार लोगों की आवश्यकता है। कहीं खाना पकाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। राजस्थान में श्री गहलोत जी की सरकार के समय में पढ़ने वाले बच्चों की दादी या अन्य किसी बुजुर्ग सदस्य को बुलाया जाता था, लेकिन यदि वह बीमार हो जाए और समय पर न पहुंच सके, तो बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि खाना पकाने की बजाय, बच्चों को ड्राई खाना दिया जाए और दोपहर में यदि नहीं भी दिया जा सके, तो उन्हें घर जाते समय एक बार दे दिया जाए।

महोदय, चूकि बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि श्री सुरवरम् सुधाकर रेड्डी जी द्वारा लाया गया यह बिल बहुत अच्छा है। इसकी भावना बहुत पवित्र है और इसके माध्यम से देश के बच्चों को किस प्रकार से भविष्य में उभरना है, इसकी एक दिशा दी गई है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस बिल को वापस लें और इस काम को गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ें। गवर्नमेंट सभी से सुझाव लेकर एक अच्छा, कॉम्प्रीहेंसिव बिल लेकर सदन में आए जिसमें बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देने की व्यवस्था हो। विद्यालयों में उनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो, उनमें शौचालय हों, वहां पढ़ाने के लिए अच्छे टीचरों की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए किताब-कॉपियां हों, अन्य प्रकार की स्टेशनरी जो उन्हें पढ़ने के लिए आवश्यक हो, वह उपलब्ध हो। जिस प्रकार के टीचर प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, वैसे टीचर सरकारी प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध कराए जाएं जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे उन्हें देश की मूल और मुख्यधारा में लाया जा सके। इस प्रकार की अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो, जिससे वहां पढ़कर हमारे देश के बच्चे दुनिया में नाम कमा सकें और भारत का जो सपना है कि हमारा देश 21वीं सदी में विश्व में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे और हमारा देश विश्व में तरक्की करे और देश को इस रूप में जाना जाए कि हमारा देश गरीबों का, किसानों का, श्रमिकों और मजदूरों का देश है, जिसमें सभी वर्ग उन्नति कर रहे हैं और शांति के साथ रह रहे हैं। इन्हीं सुझावों को देकर, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी) : माननीय सभापति जी, श्री सुरवरम् सुधाकर रेड्डी, माननीय सदस्य द्वारा 17 फरवरी, 2006 को सदन में प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 45ख का अंत:स्थापन) करने वाले विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक हमारे देश के बच्चों की भलाई के लिए है। इसके माध्यम से देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को दोपहर का भोजन किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए और किस प्रकार के सुधार करने से इसको और अच्छे ढंग से उन तक पहुंचाया जा सकता है जिससे वे पुष्ट हों, इसकी व्यवस्था की गई है। इससे हमारे देश के बच्चों का अच्छा विकास होगा। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। जब तक देश के बच्चे स्वस्थ और पुष्ट नहीं होंगे तब तक देश स्वस्थ नहीं होगा। देश का उद्धार करने के लिए बच्चों का उन्नत होना आवश्यक है। उन लोगों को कैसी शिक्षा देनी है, कैसे समृद्ध बनाना है, उनका स्वास्थ्य कैसे समृद्ध रहेगा, उसके लिए भी हम लोगों को और सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि जो मिड-डे-मील योजना आप चला रहे हैं, सारे देश के सारे प्राइमरी स्कूलों में यह योजना चल रही है। सारे देश में, राज्यों में और जिलों में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनमें विशेष भाव का राज्य उड़ीसा है और इस भाव के उड़ीसा में कुछ जिले हैं, उन जिलों में जितने भी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन गांवों में जो बच्चे रहते हैं, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है और मिड-डे-मील योजना उनके लिए कितनी सहायक होती है, उसके बारे में मैं आपके जरिये सरकार की नजर में थोड़ी बात लाऊंगा।

यह एक अति उत्तम योजना है। इस योजना के प्रति हमारे बच्चे किस तरह से स्कूल जाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, यह हमारे इलाके में देखने की बात है। जितने भी हमारे उड़ीसा स्टेट के पिछड़े जिले हैं, इन सब जिलों में, विशेषकर जिस फूलबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, उसके अधिकांश बच्चे आदिवासी, शैड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज के

[श्री सुग्रीव सिंह]

हैं, मेरे क्षेत्र में इन वर्गों के गरीब 95 परसेंट लोग रहते हैं। उन लोगों को हर रोज खाने को भी नहीं मिलता है तो वे अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कैसे भेजेंगे। इसलिए यह जो योजना बनी है, यह निश्चित रूप से एक उत्तम योजना है, इस योजना के बाद सारे बच्चे और उनके माता–पिता बच्चों से स्कूल जाने के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि खाना तो स्कूल में मिल रहा है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इस योजना को अधिक से अधिक चालू करना चाहिए।

यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितने जिलों में, जितने स्कूलों में यह योजना चल रही है, वहां जितना अनुदान सरकार देती है, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। यहां बहस में यह बात आ रही है कि न्यूट्रीशस होना चाहिए, अच्छा खाना देने की बात होनी चाहिए। इस पर मैं बोलूंगा कि जब तक सरकार द्वारा स्वस्थ भाव से, अपने दिल से ज्यादा पैसा अनुदान का इस योजना के लिए नहीं दिया जाएगा तो आपको जो जितना भी चावल, जितनी भी दाल, तेल और सब्जी की बात तो छोड़िए, खाना पकाने में जो लकड़ी लगती है, हमारे इलाके में उसकी खरीद करना भी सम्भव नहीं होगा। इस योजना को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए और बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए हमारी सरकार जो चिन्ता कर रही है, इस योजना में थोड़ा अनुदान और बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरी एक और बात है कि कुछ प्राइमरी स्कूलों में इस योजना को आर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए सारे टीचर्स को इन्वोल्व किया है। जिस स्कूल में एक ही टीचर है, वह तो मैनेज करने में रहता है इसलिए पढ़ाई का काम बिल्कुल सम्भव नहीं होता है। इसलिए बच्चों को खाना देने के लिए जो मैनेजमेंट टीचर्स की तरफ से कर रहे हैं, वे लोग तो कम्पलीटली बाजार में जाएंगे, वहां से सौदा लाएंगे और बच्चों को खाना देने की व्यवस्था करेंगे। इसको देखते हुए गांव के आसपास जो भी लोकल सैल्फ हैल्प ग्रुप है या कोई एन.जी.ओ. है, उनको इसका थोड़ा दायित्व देने से शिक्षकों को, टीचर्स को पढ़ाने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे राज्य में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने योजना को एस.ए.जी. के जरिए आरम्भ किया है।

कई जगहों पर एससीएसटी ग्रुप्स के लोग इसका प्रचार करते हैं। इस योजना के तहत जो चावल, दाल और तेल इत्यादि की खरीद की जाती है, उसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जाता है और जिसको टेंडर मिलता है, वह अच्छा सामान नहीं खरीदता है। मेरी मांग है कि इस सबकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बेईमानी करने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। जो लोग मुनाफा कमाने के लिए यह काम करते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए।

तीसरी बात, हमारे इलाके में गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उनके बच्चे स्कूलों में खाने के लिए जाते हैं। उनकी अच्छी पढ़ाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। तीन बार खाना देने का जो सुझाव दिया गया है, वह अच्छा है, लेकिन मेरा कहना है कि तीन बार की बजाय एक बार अच्छा खाना देना बच्चों के लिए ठीक होगा। इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मैं हमारे साथी श्री सुधाकर रेड्डी जी के बिल का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इसके लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि आवंटित करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, हम श्री सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए एक महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रत्येक विद्यालय जाने वाले बच्चे को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। विधेयक में शामिल नोट में उन्होंने कहा है कि भोजन दिन में तीन बार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनके अनुसार इसे आरम्भ करने के लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

महोदय, आज कोई इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आज भुखमरी के शिकार हैं। मैं केरल राज्य से संबंधित हूं जहां शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सफल प्रयोग किए गए और शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की गई है। परन्तु हमें उसी राज्य के विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचना चाहिए। इतने सारे विद्यार्थी शिक्षा क्यों छोड़ रहे हैं? यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि शिक्षा बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थी गरीबी बहुल क्षेत्रों से आते हैं।

केरल के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदाय के लोग रहते हैं और वे अत्यंत गरीब हैं। राज्य सरकार द्वारा उनकी सहायता किए जाने के बावजूद मछली पकड़ने के बजाय इन गरीब विद्यार्थियों को विद्यालय भेजने के लिए यह सहायता पर्याप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मध्याह्न भोजन दें और विद्यार्थी आ जाएंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मध्याह्न भोजन इसे प्रोत्साहित करने का एक

माध्यम है परन्तु जब तक हम देश में व्याप्त गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर लेते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।

महोदय, देश की गरीबी पर किए गए एक अध्ययन पर श्री रोनाल्ड अनिल फर्नान्डीज द्वारा दिए गए एक वक्तव्य में कहा गया है कि :

> "विश्व की भुखमरी की शिकार 50 प्रतिशत जनता पांच देशों भारत, बंग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में रहती है।"

भुखमरी के शिकार 50 प्रतिशत लोग हमारे देश में रहते हैं। हमें भुखमरी और गरीबी की समस्या का समाधान करना होगा, केवल तभी हम मध्याह्न भोजन से संबंधित समस्या का समाधान ढूंढ़ सकते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।

यदि मध्याह्न भोजन योजना को पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति से लागू किया जाए तो यह वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में भारी परिवर्तन ला सकता है।

मैं स्वयं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का अध्ययन कर रहा हूं। श्री कामराज नाडर जो कि इस सभा के सदस्य थे तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने उनके बारे में एक अद्वितीय बात है। थिरू कामराज बिना किसी तामझाम, गाड़ियों के काफिले, पुलिस सुरक्षा आदि के बिना यात्रा किया करते थे। शायद यह उन दिनों इतना आवश्यक नहीं था। एक दिन जब उनकी कार रेलवे फाटक के सम–पार के निकट रुकी उन्होंने देखा कि कुछ लड़के गाय तथा बकरियों के साथ व्यस्त हैं। वे गाय तथा बकरियों को चरा रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक लड़के से पूछा, "आप इन गायों के साथ क्या कर रहे हो? आप स्कूल क्यों नहीं जाते?" लड़के ने तत्काल उत्तर दिया और मुख्यमंत्री से कहा कि "यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या आप मुझे खाने के लिए भोजन देंगे? यदि मुझे खाने के लिए मिले तब ही मैं पढ़ सकता हूं।" बालक के प्रत्युत्तर ने तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया का सृजन किया। यह एक छोटी घटना है, परन्तु इससे इस बात का आभास होता है कि किसी को विद्यालय जाकर पढ़ाई करने का उपदेश देना तथा यह कहना कि आप भविष्य में महान व्यक्ति बन जाएंगे, आसान बात है।

भूखे पेट से चाहे बच्चे इच्छुक हों, अथवा माता–पिता उन्हें अध्ययन के लिए भेजने के प्रति गंभीर हों भूख उन्हें विद्यालय जाने के मार्ग में बाधा डाल सकती है। हमें इस वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ने पिछले बजट में और इस बजट में भी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। इन सभी संवर्धन कार्यकलापों के बावजूद सरकार के अपने वक्तव्य के अनुसार यह 150 मिलियन बच्चों तक पहुंच रहा है। यह विद्यालयों में भूखे बच्चों का एक खंड है। इस क्षेत्र में और सकारात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किए जाने के प्रति सभी एक मत हैं। परन्तु इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की राजनैतिक इच्छा और अधिक गम्भीर होनी चाहिए तथा संसाधन जुटाने चाहिए ताकि प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम क्रियान्वित हो सके। ऐसा होगा या नहीं अकसर इस पर सन्देह होता है क्योंकि जिन राज्यों में इसे लागू किए जाने के लिए केन्द्र सरकार सहायता उपलबध कराती है फिर भी राज्य आर्थिक दिक्कतों के कारण इसे लागू कराने से इन्कार कर देते हैं। उनके वहां आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं। यदि वे आर्थिक विवशताओं का सामना कर रहे हैं तो वे इसे किस प्रकार लागू कर सकते हैं? इस समस्या पर केन्द्र सरकार को मुख्यमंत्रियों से चर्चा करनी चाहिए।

सायं 6.00 बजे

मेरा मानना है कि केन्द्र सरकार अच्छा कार्य कर रही है। परन्तु यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है यदि यह समस्या अधिक व्यापक हो जाती है तो इसका समाधान किया जाना चाहिए, इसमें राज्यों तथा लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों तथा मानव संसाधन मंत्रियों की बैठक बुलाई जानी चाहिए ताकि विस्तार से इस समस्या से निपटने के उपायों तथा केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का राज्य किस प्रकार प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके, पर चर्चा की जानी चाहिए।

दूसरे, मध्याह्न भोजन योजना के साथ–साथ भारत सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम को भी लागू किया जा सकता है। आईसीडीएस एक अच्छा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि गांवों में महिलाओं, बच्चों विशेष तौर पर किशोरियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जा सके। पिछले बजट में सरकार ने कहा था कि सरकार योजना में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। इस बजट में पुनः सरकार ने कहा है कि वह इसमें और बढ़ोत्तरी करेगी। प्रश्न यह है कि आपके द्वारा आवंटित धन इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इस समय छह बज रहे हैं क्या सभा के सदस्यों की राय है कि सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं महोदय।

सभापति महोदय : ठीक है, अगली बैठक में श्री चन्द्रप्पन अपना भाषण जारी रखेंगे।

अब सभा 6 मार्च 2006 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 मार्च, 2006/ 15 फाल्गुन 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री के. एस. राव	182
2.	श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार	183
3.	श्री काशीराम राणा श्री वी. के. दुम्मर	184
4.	डा. राजेश मिश्रा श्री रायापति सांबासिवा राव	185
5.	श्री सुग्रीव सिंह प्रो. एम. रामदास	186
6.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री शिशुपाल पटले	187
7.	श्री रघुनाथ झा	188
8.	चौधरी लाल सिंह श्री के. एस. पलनिसामी	189
9.	श्री अनन्त नायक	190
10.	श्री तथागत सत्पथी श्री चन्द्रभूषण सिंह	191
1.1	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री बाडिगा रामकृष्णा	192
12.	श्री पी. एस. गढ़वी	193
13.	श्री प्रभुनाथ सिंह	194
14.	श्री अजय चक्रवर्ती	195
15.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	196
16.	श्री डी. विट्टल राव	197
17.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	198
18.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री अशोक कुमार रावत	199
19.	श्री उदय सिंह	200
20.	श्री भर्तृहरि महताब	201

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1425
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1421, 1477, 1512, 1519
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1436, 1472, 1481, 1503
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1437, 1479
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	1422
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	1413
7.	आठवले, श्री रामदास	1444, 1485
8.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1414, 1467
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1412, 1486, 1503
10.	बर्मन, श्री रनेन	1407, 1462, 1497, 1519, 1528
11.	बखला, श्री जोवाकिम	1452, 1519, 1521
12.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1532
13.	बोस, श्री सुब्रत	1415
14.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	1539
15.	चौरे, श्री बापू हरी	1439
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1481, 1503
17.	चिन्ता मोहन, डा.	1521

1	2	3
18.	चौधरी, श्री पंकज	1440, 1527
19.	चौधरी, श्री अधीर	1434, 1470, 1489
20.	डांगावास, श्री भंवर सिंह	1503
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	1409, 1504, 1537
22.	धनराजू, डा. के.	1447, 1449
23.	धोत्रे, श्री संजय	1439
24.	गढ़वी, श्री पी. एस.	1466, 1511
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1430, 1444
26.	गमांग, श्री गिरिधर	1503
27.	गांधी, श्रीमती मेनका	1453
28.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1433
29.	गौडा, श्री डी. वी. सदानन्द	1429, 1475
30.	हसन, श्री मुनव्वर	1450, 1531, 1536
31.	जगन्नाथ, डा. एम.	1448, 1490
32.	झा, श्री रघुनाथ	1476, 1505, 1514, 1517
33.	जोगी, श्री अजीत	1434, 1503
34.	जोशी, श्री प्रहलाद	1418
35.	खारवेनथन, श्री एस. के.	1408, 1460, 1495, 1496, 1524
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1538
37.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1429, 1438
38.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1441
39.	महतो, श्री बीर सिंह	1431, 1445
40.	महतो, श्री सुनील कुमार	1436, 1445, 1483, 1503
41.	महताब, श्री भर्तृहरि	1507
42.	मंडल, श्री सनत कुमार	1446, 1488, 1503
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	1459
44.	मनोज, डा. के. एस.	1423
45.	मसूद, श्री रशीद	1431
46.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1447
47.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1440, 1494
48.	मैन्या, डा. टोकचोम	1456
49.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	1443
50.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1410, 1461
51.	मोहन, श्री पी.	1442, 1484, 1509
52.	मुकीम, मो.	1432
53.	नायक, श्री अनन्त	1469, 1501, 1518, 1527
54.	निखिल कुमार, श्री	1434
55.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1417, 1465, 1502, 1514, 1525
56.	पलनिसामी, श्री के. सी.	1499
57.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1454
58.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1431
59.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1471
60.	पाठक, श्री ब्रजेश	1451
61.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1455
62.	पटले, श्री शिशुपाल	1471, 1487, 1492
63.	प्रधान, श्री प्रशान्त	1425
64.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1531

1	2	3
65.	राणा, श्री काशीराम	1472
66.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1428, 1474, 1534
67.	रावत, श्री अशोक कुमार	1492
68.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1411
69.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1419, 1468, 1500, 1523, 1530
70.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1426
71.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1503, 1531
72.	सज्जन कुमार, श्री	1432
73.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1428, 1474
74.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1535
75.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1406, 1480, 1508, 1521, 1529
76.	शिवन्ना, श्री एम.	1438
77.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1471, 1487, 1492
78.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	1420
79.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1483
80.	सिंह, चौधरी विजेन्द्र	1457
81.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1522
82.	सिंह, श्री चन्द्रमान	1463, 1498
83.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1459
84.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1482, 1505
85.	सिंह, श्री रेवती रमन	1427, 1473, 1516, 1526
86.	सिंह, श्री सुग्रीव	1471, 1503, 1515
87.	सिंह, श्री उदय	1489
88.	सुब्बारायण, श्री के.	1435, 1479, 1507
89.	सुगावनम, श्री ई. जी.	1416, 1464, 1499, 1513, 1533
90.	सुमन, श्री रामजीलाल	1441, 1521
91.	थामस, श्री पी. सी.	1424, 1491, 1510, 1537
92.	तुम्मर, श्री वी. के.	1531
93.	वल्लमनेनी, श्री बालासोवरी	1478, 1506, 1520
94.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1458, 1483, 1493
95.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1492
96.	यादव, श्री राम कृपाल	1452, 1540

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	185, 190, 192, 198, 201
वित्त	183, 184, 188, 194, 196
विधि और न्याय	186, 191
महासागर विकास	
ग्रामीण विकास	187, 199, 200
विज्ञान और प्रौद्यागिकी	182, 197
शहरी विकास	189
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	
वस्त्र	193, 195

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	1408, 1433, 1466, 1472, 1506
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	1407, 1412, 1421, 1438, 1440, 1441, 1442, 1444, 1449, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1480, 1483, 1487, 1493, 1495, 1497, 1503, 1508, 1509, 1510, 1521, 1531, 1532
वित्त	1406, 1409, 1411, 1413, 1419, 1420, 1422, 1423, 1425, 1426, 1434, 1443, 1447, 1451, 1453, 1454, 1473, 1479, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1501, 1504, 1505, 1507, 1514, 1517, 1518, 1522, 1523, 1527, 1534, 1535, 1537
विधि और न्याय	1468
महासागर विकास	
ग्रामीण विकास	1448, 1465, 1470, 1477, 1489
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1446, 1463, 1512, 1525
शहरी विकास	1414, 1416, 1417, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1436, 1439, 1445, 1456, 1462, 1464, 1467, 1469, 1475, 1476, 1481, 1482, 1491, 1500, 1502, 1511, 1516, 1526, 1528, 1533, 1539, 1540
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	1410, 1437, 1450, 1452, 1461, 1485, 1519, 1529, 1536
वस्त्र	1415, 1418, 1424, 1435, 1471, 1474, 1478, 1499, 1513, 1515, 1520, 1530, 1538

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि मे प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली – 110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रका
और सनलाईट प्रिन्टर्स दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।